VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
Join our telegram channel for all watermark free UPSC Materials. Click anywhere on this page to join



अर्थव्यवस्था

Classroom Study Material

(May 2019 to February 2020)

DELHI LUCKNOW JAIPUR HYDERABAD PUNE AHMEDABAD CHANDIGARH

8468022022
9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /Vision_IAS vision_ias www.visionias.in /VisionIAS_UPSC

विषय सूची

1. राजकोषीय नीति 5

1.1. भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति 5
1.1.1. भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट 5
1.1.2. विदेशी मुद्रा उधारियां 7
1.2. पंद्रहवां वित्त आयोग 8
1.3. भारतीय सांख्यिकी प्रणाली 9
1.3.1. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 9
1.3.2. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग 9
1.3.3. 7वीं आर्थिक जनगणना 10
1.4. अप्रत्यक्ष कर 11
1.4.1. वस्तु एवं सेवा कर 11
1.4.2. सबका विश्वास 12
1.5. प्रत्यक्ष कर 13
1.5.1. प्रत्यक्ष कर संहिता 13
1.6. विनिवेश 14

2. बैंकिंग और मौद्रिक नीति 16

2.1. बैंकिंग सुधार 16
2.2. मौद्रिक नीति संचरण 19
2.2.1. आर्थिक पूंजी ढांचा 20
2.2.2. खुदरा तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु नवीन ऋण के लिए नकद आरक्षित अनुपात में छूट 21
2.3. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां 22
2.3.1. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनिमयन 22
2.4. विभेदीकृत बैंकिंग 23
2.4.1. विकास बैंक 24
2.4.2. सहकारी बैंक 25
2.5. डिजिटल भुगतान 26
2.6. वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति 29
2.7. बैंकिंग से संबंधित अन्य विविध जानकारियाँ 30

3. वित्तीय बाजार 34

3.1. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां 34
3.2. कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार 34
3.3 मसाला बॉण्ड्स 36
3.4. कमोडिटी सूचकांक 37
3.5. पार्टिसिपेटरी नोट्स 37
3.6. द्विपक्षीय नेटिंग 38
3.7. वैकल्पिक निवेश निधि 38
3.8. अविनियमित जमा योजनाएं 40

VISION IAS

3.9. चिट फंड्स (संशोधन) विधेयक, 2019 40
3.10. भारत में ई-कॉमर्स 41
3.10.1. गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस 42
3.11. कॉर्पोरेट गवर्नेंस 42

4. समावेशी विकास 45

4.1. बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 45
4.2. अन्य रिपोर्ट एवं सूचकांक 46
4.3. गिग इकॉनमी हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना 46
4.4. अनुबंधित कर्मचारी 48
4.5. सोशल स्टॉक एक्सचेंज 48
4.6. भारत में इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट 48
4.7. अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 49

5. बाह्य क्षेत्रक 50

5.1. वैश्विक व्यापार 50
5.1.1. व्यापार युद्ध 50
5.1.2. आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण 51
5.1.3. विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा 52
5.1.4. विविध 55
5.2. भारत का व्यापार निष्पादन 56
5.2.1. निर्यात 57
5.2.1.1. विशेष आर्थिक क्षेत्र 57
5.2.2. आयात 58
5.2.2.1. सोलर उपकरणों के आयात में वृद्धि 58
5.2.3. ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस 59
5.2.3.1. ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस 59

6. रोजगार और कौशल विकास 62

6.1. कौशल विकास 62
6.1.1. भारत कौशल रिपोर्ट 2020 62
6.1.2. भारतीय कौशल संस्थान 62
6.1.3. भारतीय कौशल विकास सेवा संवर्ग का प्रथम बैच 62
6.1.4. रिस्किलिंग रिवोल्यूशन 62
6.1.5. 'युवाह' युवा कौशल पहल 63
6.2. रोजगार 64
6.2.1. स्व-रोजगार 64
6.2.2. राष्ट्रीय स्टार्ट-अप सलाहकार परिषद 65

7. कृषि 66

7.1. कृषिगत आगत 66
7.1.1. कृषि ऋण 66
7.1.1.1. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार 67

VISION IAS

7.1.1.2. उड़ीसा की 'कालिया' योजना का केंद्र की पीएम-किसान के साथ विलय 67
7.1.2. भारत में उर्वरक 68
7.1.2.1. यूरिया सब्सिडी 68
7.2. खाद्यान्न प्रबंधन 69
7.2.1. भारतीय खाद्य निगम 69
7.2.2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार 70
7.2.3. बाजार आसूचना और पूर्व चेतावनी प्रणाली पोर्टल 72
7.3. कृषि विपणन 72
7.3.1. कृषि उत्पाद विपणन समिति 72
7.3.2. किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन 73
7.3.3. अनुबंध कृषि 73
7.4. कृषि विस्तार 74
7.4.1. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रदर्शन 74
7.4.2. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी गेहूं की नई किस्म 75
7.5. भूमि सुधार 76
7.5.1. भूमि अधिग्रहण 76
7.5.2. लैंड पूलिंग 77
7.5.3. भूमि पट्टा 77
7.5.4. भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण 78
7.6. कृषि से संबद्ध क्षेत्रक 79
7.6.1. मत्स्य पालन 79
7.6.2. डेयरी क्षेत्र 80
7.6.3. पशुधन 80
7.6.4. मधुमक्खी पालन 81
7.6.5. खाद्य तेल की कमी 81
7.7. खाद्य प्रसंस्करण 82
7.7.1. मेगा फूड पार्क 82
7.7.2. कृषि से संबंधित अन्य सुर्खियाँ 83

8. औद्योगिक नीति और संबद्ध मुद्दे 86

8.1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम 86
8.2. राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र 86
8.3. इस्पात क्षेत्र 87
8.3.1. भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक 87
8.3.2. इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी 'स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति' 87
8.4. दूरसंचार क्षेत्र 88
8.4.1. दूरसंचार क्षेत्र में संकट की स्थिति 88
8.4.2. DCC ने स्पेक्ट्रम नीलामी योजना को स्वीकृति प्रदान की 90
8.5. भारत में वस्त्र उद्योग 90
8.5.1. हार्मोनाइज्ड सिस्टम 90
8.5.2. तकनीकी वस्त्र 91
8.6. भारत में चीनी उद्योग 92

VISION IAS

8.7. एल2प्रो इंडिया 94

9. अवसंरचना 95

9.1. रेलवे 95
9.1.1. भारतीय रेलवे का संगठनात्मक पुनर्गठन 95
9.1.2. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर 95
9.1.3. रेलवे में निजी क्षेत्र 96
9.2. जहाजरानी 98
9.2.1. वधावन पत्तन 98
9.2.2. मल्टी-मॉडल टर्मिनल 98
9.3. सड़क 100
9.3.1. NHAI को अवसंरचना निवेश ट्रस्ट की स्थापना के लिए मंत्रिमंडल की स्वीकृति 100
9.3.2. राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को सरकार की स्वीकृति 100
9.3.3. सड़क सुरक्षा 101
9.4. ऊर्जा 103
9.4.1. अन्वेषण 103
9.4.1.1. खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2020 103
9.5. वाणिज्यिक कोयला खनन 104
9.6. गैस इकॉनमी 106
9.6.1. सरकार द्वारा पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना हेतु VGF का अनुमोदन 106
9.6.2. मेथनॉल अर्थव्यवस्था 107
9.7. भारत में विद्युत खपत 107
9.7.1. स्मार्ट मीटर 108
9.7.2. मस्ट रन स्टेटस 108
9.8. नवीकरणीय ऊर्जा 109
9.8.1. पवन उर्जा 109
9.8.2. अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क 109
9.8.3. 11वें अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र का उदघाटन 110
9.8.4. नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग संवर्धन और सुविधा बोर्ड 110
9.8.5. नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा प्रणालियाँ 111
9.8.6. नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों की बिक्री में कमी 111
9.8.7. विद्युत खरीद समझौता 112
9.8.8. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा एयर कंडीशनरों के लिए नए ऊर्जा कार्य प्रदर्शन मानक अधिसूचित किए गए 112
9.9. ऊर्जा क्षेत्रक से संबंधित रिपोर्ट 113
9.10. अवसंरचना वित्त पोषण 113
9.10.1. 2019-2025 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल की रिपोर्ट 113
9.10.2. इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड 114

10. महत्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट 117

VISION IAS

1. राजकोषीय नीति

(Fiscal Policy)

1.1. भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति

(State of Indian Economy)

1.1.1. भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट

(Slowdown in Indian Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हालिया आर्थिक आंकड़ों से ज्ञात होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में स्लोडाउन (गिरावट) की स्थिति उत्पन्न हुई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **सकल घरेलू उत्पाद (GDP):** हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार स्थिर कीमतों (वर्ष 2011-12) पर GDP की वृद्धि दर तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसम्बर) में **4.7 प्रतिशत रही है, जो विगत 7 वर्षों के अपने न्यूनतम स्तर पर** है।
 - इन आंकड़ों को **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office)** द्वारा जारी किया गया।
 - त्रैमासिक वृद्धि के संदर्भ में, भारत ने **सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के स्थान को खो दिया है। अब यह स्थान चीन ने ग्रहण कर लिया है, जिसने सितंबर तिमाही में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।**
 - आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में 6-6.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।
 - **आर्थिक गिरावट के लिए संरचनात्मक** (विनिर्माण, विद्युत और निर्माण में धीमी वृद्धि) और **चक्रीय** (निवेश में संकुचन और कमजोर निर्यात) दोनों कारण उत्तरदायी हैं।
- **निवेश:** GDP के प्रतिशत के रूप में, **ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन (GFCF)** के आधार पर गणना की गयी, निवेश दर में भी गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है।
 - GFFC वस्तुतः निवल निवेश है, जो निश्चित पूंजी (फिक्स्ड कैपिटल) में निवल वृद्धि की माप करता है। यह GDP गणना की व्यय पद्धति का एक घटक है।
 - फिक्स्ड (अचल) निवेश दर में वर्ष 2011-12 के पश्चात् से तीव्रता से गिरावट होना प्रारंभ हुई और वर्ष 2016-17 के बाद से यह स्थिर बनी हुई है, जिसके कारण वर्ष 2017-18 के बाद संवृद्धि में गिरावट आई है।
- **बचत:** बचत की दर वर्ष 2011 के 32.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018 में 29.3 प्रतिशत हो गई है। बचत दर में गिरावट का कारण अर्थव्यवस्था में मजदूरी-वृद्धि की दर में गिरावट (ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में) का होना है।
- **कुल कारक उत्पादकता (Total Factor Productivity: TFP):** यह कुल आउटपुट (उदाहरण के लिए- GDP) और इनपुट्स (उदाहरण के लिए- श्रम एवं पूंजी) के भारित औसत के मध्य का अनुपात है।
 - उच्च TFP से आशय श्रम एवं पूंजी के समान नियोजन के साथ उच्च वृद्धि से है।
 - वर्ष 2008 के पश्चात् से, TPF की वृद्धि अधिकांश देशों के लिए मंद रही है (चीन के लिए यह वर्ष 2012 से नकारात्मक रही है)।
 - भारत की TFP वृद्धि वर्ष 2016 में 3.5 प्रतिशत, वर्ष 2017 में 1.6 प्रतिशत और वर्ष 2018 में 2.4 प्रतिशत थी।
- **मध्यम आय पाश (Middle Income Trap: MIT):** हाल ही में, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (PMEAC) के एक सदस्य ने सचेत किया है कि भारत संरचनात्मक मंदी की दिशा में बढ़ रहा है और शीघ्र ही 'मध्यम आय पाश' में फंस सकता है।
 - MIT पद सामान्यत: उन देशों को संदर्भित करता है जिन्होंने तीव्र संवृद्धि प्राप्त की और शीघ्रता से मध्यम आय वाले देश का दर्जा (1,000 डॉलर से 12,000 डॉलर के मध्य प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद के साथ) प्राप्त कर लिया, किन्तु विकसित देशों के स्तर तक पहुँचने और उच्च आय स्तर वाले देशों का दर्जा प्राप्त करने के लिए इस आय सीमा को पार करने में विफल रहे हैं।
 - सापेक्षिक रूप से मध्यम आय पाश एक नवीन संकल्पना है और सर्वप्रथम वर्ष 2007 में विश्व बैंक की रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया था।

VISION IAS

- मध्यम आय पाश में फंसे देश विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात के मामले में कम आय व कम मजदूरी वाली अर्थव्यवस्थाओं और उच्च-कौशल नवाचारों के मामले में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में असमर्थ रहते हैं।
- मध्यम आय पाश संकल्पना के साथ अपेक्षाकृत अधिक स्थायी मंदी जनित संवृद्धि संबद्ध होती है, जिसके प्रत्यक्ष (जैसे- आय हानि) के साथ-साथ अप्रत्यक्ष (जैसे- सामाजिक संघर्ष), दोनों प्रकार के प्रभाव होते हैं।



- **ऑटोमोबाइल उद्योग:** सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई के महीने में ऑटोमोबाइल उद्योग की बिक्री में अत्यधिक गिरावट दर्ज की गई।
 - **कारण:** NBFC संकट, विभिन्न मंत्रालयों की नीतियो में परिवर्तन, विभिन्न आघात, साझा गतिशीलता (ओला और उबर जैसी कंपनियों की तकनीक-आधारित साझा गतिशीलता ने शहरी बाजार में वाहनों की मांग को कम किया है) आदि।

अतिरिक्त जानकारी

भारतीय GDP शृंखला में किए गए परिवर्तन	**वर्ष 2015** में, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) ने देश की **GDP की गणना** हेतु एक संशोधित पद्धति प्रस्तुत की। • NSSO के वर्ष 2011-12 के रोजगार- बेरोजगारी सर्वेक्षण (Employment-Unemployment Survey: EUS) से असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों के संग्रहण हेतु आधार वर्ष को वर्ष 2004-05 से परिवर्तित कर वर्ष 2011-12 कर दिया गया। • **राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (System of National Accounts: SNA), 2008 की अनुशंसाओं का समावेशन:** ○ **आधार कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित (GVA)** और निवल मूल्य वर्धित (NVA) का मूल्यांकन; ○ नई गणना को अधिक **उपभोक्ता-केंद्रित** बनाने के लिए, कारक लागत पर GDP के बजाय **बाजार कीमतों पर GDP (चूंकि यह अप्रत्यक्ष करों एवं सब्सिडी को ध्यान में रखती है)** को **हेडलाईन GDP** मानना। ○ लेखाओं का रख-रखाव करने वाले **गैर-निगमित उद्यमों** (unincorporated enterprises) को अर्ध-निगम (quasicorporations) मानना। • **MCA21 डेटाबेस का समावेश:** खनन, विनिर्माण और सेवा संबंधी कॉर्पोरेट क्षेत्र का व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए। • **वित्तीय क्षेत्र का व्यापक कवरेज:** शेयर ब्रोकरों, स्टॉक एक्सचेंजों, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों, म्यूचुअल फंड्स एवं पेंशन फंड्स के साथ-साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) जैसे नियामक निकायों का समावेश। • **इफेक्टिव लेबर इनपुट (ELI) पद्धति का अंगीकरण:** पूर्व में यह माना जाता था कि सभी श्रेणियों के श्रमिक समान योगदान करते हैं। नई पद्धति विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों को उनकी उत्पादकता के आधार पर भारांश प्रदान करके **विभेदक श्रम उत्पादकता के मुद्दे** का समाधान करती है।
सकल मूल्य वर्धित (GVA)	• GVA वस्तुतः अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य वर्धन की माप है; अर्थात् **GVA = आर्थिक उत्पादन (Economic output) - आगत (Input)**। • **GVA क्षेत्रक विशिष्ट होता है, जबकि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों के GVA के योग से GDP की गणना की जाती है**, जिसमें करों को जोड़ा जाता है और सब्सिडी को घटाया जाता है।

चक्रीय गिरावट (Cyclical Slowdown)	• चक्रीय गिरावट नियमित अंतराल पर घटित होने वाली कमजोर आर्थिक गतिविधियों की अवधि होती है। इस प्रकार की गिरावट लघु-से-मध्यम अवधि तक विद्यमान रहती है तथा यह व्यापार चक्र के परिवर्तन पर आधारित है। • ऐसी स्थिति में, अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान हेतु अंतरिम राजकोषीय और मौद्रिक उपायों तथा आवश्यकता-आधारित नियामकीय परिवर्तनों की आवश्यकता होती है।
संरचनात्मक गिरावट (Structural Slowdown)	• दूसरी ओर संरचनात्मक गिरावट, एक अधिक विकट परिघटना है। यह विघटनकारी प्रौद्योगिकी, जनसांख्यिकी परिवर्तन से प्रेरित होती है। • इस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा कुछ संरचनात्मक नीतियों को अपनाए जाने की आवश्यकता होती है, जैसे कि वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति।
स्टैगफ्लेशन (Stagflation)	• स्टैगफ्लेशन वस्तुतः **स्थिर (stagnant) संवृद्धि दर और बढ़ती मुद्रास्फीति का एक विशिष्ट संयोजन** होता है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च बेरोजगारी दर की स्थिति उत्पन्न होती है। • यह वस्तुतः किसी अर्थव्यवस्था में अत्यल्प (सामान्यतः 2 से 3 प्रतिशत वार्षिक) अथवा शून्य संवृद्धि की दीर्घकालिक स्थिति होती है। • सामान्य रूप से निम्न संवृद्धि दर की स्थिति में, सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा उच्च सार्वजनिक व्यय और ब्याज दरों में कटौती के माध्यम से आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। • लेकिन स्टैगफ्लेशन की स्थिति में जहाँ मुद्रास्फ़ीति पहले से ही उच्च स्तर पर बनी हुई होती है, तो राजकोषीय एवं मौद्रिक प्रोत्साहन इसे और अधिक नकारात्मक बना सकते हैं क्योंकि इससे उपभोक्ता के पास अधिक धन उपलब्ध हो जाता है।
राष्ट्रीय आय, 2019-20 का प्रथम अग्रिम अनुमान	• इसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)** द्वारा जारी किया गया। • अग्रिम अनुमान, निजी कॉर्पोरेट सेक्टर में सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन, केंद्र और राज्य सरकारों के खातों, जमा और साख तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) जैसे प्रमुख बेंचमार्क संकेतकों पर आधारित है। • यह वित्तीय वर्ष के पहले आठ माह में अर्थव्यवस्था में जो कुछ घटित हुआ उसका एक अतिरिक्त संस्करण खोजने का प्रयास करता है।

1.1.2. विदेशी मुद्रा उधारियां

(Foreign Currency Borrowings)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा में संप्रभु बॉण्ड्स के माध्यम से अपने सकल उधारी कार्यक्रम के एक हिस्से को जुटाना आरंभ करेगी। **हालांकि, बाद में इसे आरंभ नहीं किया गया।**

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार लेने के मुद्दे पर 1990 के दशक में और 2000 के दशक के आरंभ में कई बार चर्चा हो चुकी है। इसकी अनुशंसा की गई थी क्योंकि इससे अपेक्षित था कि:
 - यह भारत में विद्यमान बॉण्ड बाजार के विचलन की समस्या को दूर करने के साथ-साथ क्राउडिंग आउट के प्रभाव को भी कम करेगा।
 - घरेलू बचत और उत्पादन के लिए संसाधनों को मुक्त करेगा।
 - यह भारतीय कंपनियों के लिए विदेशों से पैसा जुटाने का बेंचमार्क सृजित करेगा।
- इसे आरंभ नहीं करने का कारण यह था कि डॉलर में मूल्यवर्गित ऐसे बॉण्ड्स भारत के हितों को वैश्विक व्यवस्था के अधीन कर सकते हैं।
- यह एक सस्ता विकल्प भी नहीं था, क्योंकि प्रथागत रूप से रुपए के मूल्यह्रास और कभी-कभी मुद्रा के मूल्य में कमी आने के कारण लेखांकन के पश्चात्, डॉलर में मूल्यवर्गित ऋण अचानक महंगा हो सकता है।

VISION IAS

- एक **सरकारी बॉण्ड या सॉवरेन बॉण्ड** एक प्रकार का ऋण होता है, जिसे सरकार समय-समय पर ब्याज भुगतान करने के वादे के साथ जारी करती है और परिपक्वता तिथि पर बॉण्ड के पूरे अंकित मूल्य को चुकाती है। अब तक, **सरकार ने केवल घरेलू बाजार में बॉण्ड जारी किए हैं।**
- सॉवरेन बॉण्ड को विदेशी और घरेलू मुद्रा दोनों में मूल्यांकित किया जा सकता है।

1.2. पंद्रहवां वित्त आयोग

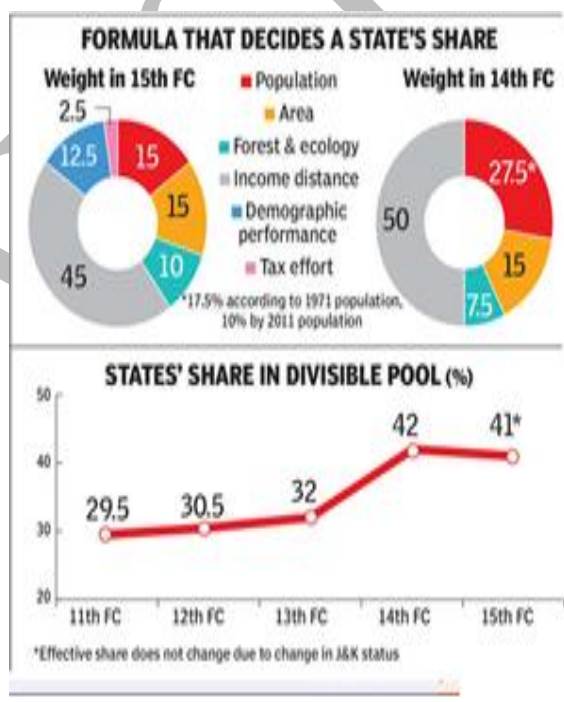
(Fifteenth Finance Commission)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, श्री एन. के. सिंह की अध्यक्षता में पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनुशंसाओं के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **15वें वित्त आयोग (FC) द्वारा दो रिपोर्ट्स प्रस्तुत की जानी है- प्रथम,** वर्ष 2020-21 के लिए और **द्वितीय,** वर्ष 2021-26 हेतु। वर्ष 2021-26 की रिपोर्ट की समय सीमा 30 अक्टूबर, 2020 है।
 - 15वें FC को वर्ष 2020-2025 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। हालांकि, इसकी कार्यावधि में विगत वर्ष विस्तार कर दिया गया था। अब, वर्तमान अंतरिम रिपोर्ट के अतिरिक्त, यह अक्टूबर माह में वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए अपनी द्वितीय रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
 - भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 280 में एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग** का प्रावधान किया गया है, जिसका गठन प्रत्येक पांच वर्ष पर केंद्र और राज्यों के मध्य तथा राज्यों के बीच **करों के शुद्ध आगमों के वितरण की अनुशंसा करने हेतु** किया जाता है।
 - इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर या पूर्ववत समय पर जैसा कि वह आवश्यक समझता है, किया जाता है।
 - इस आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किए गए **विभिन्न प्रमुख राजकोषीय/बजटीय सुधारों की पृष्ठभूमि** में हुआ है, जैसे- योजना आयोग का समापन और नीति (NITI) आयोग द्वारा उसका प्रतिस्थापन; गैर-योजनागत एवं योजनागत व्यय के मध्य अंतर समाप्त करना; ऋण तथा राजकोषीय घाटे की कार्यप्रणाली के साथ वस्तु एवं सेवा कर (GST) एवं नव राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) संरचना का प्रचलन।



Terms of reference of Fifteenth Finance Commission

The 15th FC will consider measures to augment consolidated fund of a state to supplement resources of *panchayats*, municipalities in the state on the basis of recommendations by the finance commission of the state

The commission may also examine whether revenue deficit grants be provided at all.

The 15th FC will consider resources of centre and states for the five years commencing April 1, 2020, on the basis of the levels of tax and non-tax revenue likely to be reached by 2024-25

The FC to consider impact on centre's fiscal situation following enhanced tax devolution to states, coupled with the continuing imperative of the national development programme, including New India – 2022

The FC to study impact of GST, including payment of compensation for possible loss of revenues for five years, and abolition of a number of cesses on the finances of Centre and states

प्रमुख अनुशंसाएं

- केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को प्रचलित 42% से कम करके 41% करना।
 - नवसृजित जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ शासित प्रदेशों को अब केंद्र की हिस्सेदारी में से निधि की प्राप्ति होगी।
- **2 मापदंडों - जनसांख्यिकीय प्रदर्शन** (कुल प्रजनन दर पर आधारित) और **कराधान प्रयास** - पर राज्यों के लिए **प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहनों का पुनर्प्रारंभ।**
- **केंद्र प्रायोजित योजनाओं का युक्तिकरण** तथा केंद्र एवं राज्यों को अपनी बजटेतर उधारियां पूर्णतया प्रकट करनी चाहिए।
- सरकार के सभी स्तरों पर पालन करने हेतु लेखांकन, बजटिंग और लेखा परीक्षा मानक निर्धारित करने हेतु FRBM अधिनियम के अनुरूप केंद्र एवं राज्यों के **लिए व्यापक राजकोषीय ढाँचा।**
- 14वें FC की तुलना में **स्थानीय निकायों** के लिए हस्तांतरण में वृद्धि।

अतिरिक्त जानकारी

आय का अंतर	• यह किसी राज्य के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) और उच्चतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य के प्रति व्यक्ति GSDP के मध्य अंतर की माप करता है।

1.3. भारतीय सांख्यिकी प्रणाली

(Statistical System of India)

1.3.1. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

(National Statistical Office: NSO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) का विलय कर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत एक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office: NSO) के गठन का निर्णय किया गया है।

NSO के बारे में

- इसकी अध्यक्षता एक महानिदेशक द्वारा की जाएगी। यह अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में **बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण के संचालन के लिए उत्तरदायी** है।
- मुख्य रूप से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) आदि पर देशव्यापी घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाता है।
- इन सर्वेक्षणों के अतिरिक्त, NSO ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कीमतों के बारे में डेटा एकत्र करता है तथा संबंधित राज्य एजेंसियों की क्षेत्र गणना और फसल आकलन सर्वेक्षणों की निगरानी के माध्यम से **फसल के आंकड़ों के सुधार** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- NSO के चार प्रभाग हैं:
 - सर्वेक्षण डिजाइन और अनुसंधान प्रभाग (Survey Design and Research Division: SDRD);
 - क्षेत्र संकार्य प्रभाग (Field Operations Division: FOD);
 - डेटा प्रोसेसिंग विभाग (Data Processing Division: DPD); तथा
 - सर्वेक्षण समन्वय विभाग (Survey Coordination Division: SCD)।

1.3.2. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग

(National Statistical Commission: NSC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने **राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग विधेयक** का मसौदा जारी किया है, जिसका उद्देश्य देश के सभी कोर सांख्यिकी के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) को नोडल एजेंसी बनाने का अधिकार प्रदान करना है। इसमें NSC की संरचना, सांख्यिकीय लेखा परीक्षा, आयोग के लिए स्वतंत्र सचिवालय आदि जैसे प्रावधान सम्मिलित हैं।

NSC के बारे में

- NSC सांख्यिकीय मामलों से संबंधित एक शीर्ष परामर्शदात्री निकाय है, किंतु सरकार इसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है।

VISION IAS

- इसकी स्थापना वर्ष 2005 में **रंगराजन समिति** की अनुशंसाओं के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा अंतरिम उपाय के रूप में की गयी थी। हालांकि, स्पष्ट विधायी रूपरेखा के अभाव में NSC को अपनी अनुशंसाओं को कियान्वित करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
- **कोर सांख्यिकी (Core statistics)** के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के आंकड़े जैसे GDP, रोजगार, औद्योगिक और बजटीय संव्यवहार संबंधी आंकड़े सम्मिलित होते हैं।

- **संरचना:** आयोग की संरचना निम्नलिखित है: एक अंशकालिक अध्यक्ष (जो एक प्रख्यात सांख्यिकीविद् या समाजशास्त्री हो या रहा हो), चार अंशकालिक सदस्य, इसके पदेन सदस्य के रूप में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और इसके सचिव के रूप में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद्।

1.3.3. 7वीं आर्थिक जनगणना

(7th Economic Census)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, **दिल्ली** में यह सर्वेक्षण आरंभ किया गया, जबकि यह प्रक्रिया **जून 2019** से 20 राज्यों और 5 संघ शासित प्रदेशों में संचालित की जा रही है। इस क्रम में दिल्ली 26वें स्थान पर है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह प्रथम अवसर है जब आंकड़ों के अभिग्रहण, सत्यापन, रिपोर्ट निर्माण और प्रसार हेतु **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है।** इससे **उच्च परिशुद्धता** और **आंकड़ों की सुरक्षा** सुनिश्चित होगी।
 - इसके लिए, **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)** ने **कॉमन सर्विस सेंटर** (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विशेष प्रयोजन वाहन) के साथ अनुबंध किया है।
- **आर्थिक जनगणना की प्रक्रिया प्रथम बार वर्ष 1978 में आयोजित की गई थी।** वर्तमान जनगणना देश में **सभी प्रतिष्ठानों के परिचालननात्मक और संरचनात्मक पहलुओं** के संबंध में विभिन्न सूचनाएं उपलब्ध कराएगी।
- यह जनगणना आर्थिक गतिविधि में संलग्न प्रतिष्ठानों के भौगोलिक प्रसार/संकुलों, स्वामित्व प्रतिरूप, संलग्न व्यक्तियों आदि की आर्थिक गतिविधियों के संबंध में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराएगी।

अतिरिक्त जानकारी

भारत में प्रमुख सांख्यिकी	• **केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO):** सकल घरेलू उत्पाद (GDP), औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ऊर्जा सांख्यिकी, बुनियादी ढांचा सांख्यिकी, राष्ट्रीय आय लेखांकन, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण का संचालन, शहरी नॉन-मैन्युअल (गैर-शारीरिक) श्रम वाले कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मानव विकास सांख्यिकी, जेंडर सांख्यिकी, आधिकारिक सांख्यिकी के संबंध में प्रशिक्षण। • **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO):** मुख्य रूप से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों पर देशव्यापी घरेलू सर्वेक्षणों, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) के माध्यम से आंकड़ें एकत्रित किए जाते हैं। साथ ही यह ग्रामीण और शहरी कीमतों, फसल सांख्यिकी पर भी आंकड़ों को एकत्र करता है।
आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति (SCES)	• सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए **प्रणब सेन** की अध्यक्षता में **आर्थिक सांख्यिकी पर 28 सदस्यीय स्थायी समिति** का गठन किया था। • SCEC में श्रम बल सांख्यिकी; औद्योगिक सांख्यिकी; सेवा क्षेत्रक; और गैर-निगमित उद्यम क्षेत्रक पर पूर्व में गठित **चार स्थायी समितियों का विलय** कर दिया गया है। इसमें 28 सदस्य हैं, जिनमें शिक्षाविद और उद्योग प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। • यह विभिन्न कार्यों, जैसे- डेटा स्रोतों, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के संकेतकों और परिभाषाओं, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, समय उपयोग सर्वेक्षण, आर्थिक जनगणना और क्षेत्रक सांख्यिकी की वर्तमान रूपरेखा की समीक्षा आदि को सम्पादित करेगी। • इस समिति का गठन आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार हेतु निर्णयन प्रक्रिया में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
पेरोल रिपोर्टिंग	• कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के नवंबर के पेरोल आंकड़ों ने 19.62 लाख की वृद्धि प्रदर्शित की है। • अप्रैल 2018 से **राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (National Statistical Organisation: NSO)** विभिन्न आयु समूहों और लैंगिक संदर्भ में औपचारिक क्षेत्रक के **रोजगार से संबंधित आंकड़े प्रकाशित कर रहा है।**

VISION IAS

	• यह 3 योजनाओं- कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना, कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) **के अंतर्गत अंशदाताओं के पेरोल आंकड़ों का उपयोग करता है।** • यह रिपोर्ट औपचारिक क्षेत्रक में रोजगार के स्तर पर अलग-अलग परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है, किंतु समग्र स्तर पर रोजगार का मापन नहीं करती है।
2017-18 का उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (NSO)	• सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने **आंकड़ों की गुणवत्ता के मुद्दों** के कारण सर्वेक्षण जारी न करने का निर्णय लिया है। • उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण **प्रति व्यक्ति घरेलू मासिक उपभोक्ता व्यय (खाद्य और गैर-खाद्य)** तथा **मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (MPCE) वर्गों में परिवारों और व्यक्तियों के वितरण का अनुमान सृजित करता है।** यह **पांच वर्षीय अभ्यास (प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार) है।**

1.4. अप्रत्यक्ष कर

(Indirect Tax)

1.4.1. वस्तु एवं सेवा कर

(Goods and Services Tax: GST)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अंतर्गत 66.79 लाख नए डीलरों के पंजीकरण के उपरांत, GST नेटवर्क ने 1 जनवरी 2020 से नए डीलरों के लिए आधार प्रमाणीकरण या भौतिक सत्यापन को अनिवार्य करने का फैसला किया है, ताकि कदाचार की जांच की जा सके।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) के बारे में

- GST वस्तुतः गंतव्य-आधारित एक अप्रत्यक्ष कर है और इसे अंतिम उपभोग बिंदु पर आरोपित किया जाता है।
- GST एक व्यापक कर है जिसके अंतर्गत **उत्पाद शुल्क, वैट (VAT), सेवा कर और विलासिता कर जैसे 17 अप्रत्यक्ष करों** को समाविष्ट किया गया है।
 - **GST में समाविष्ट नहीं किए गए कर:** मूल सीमा शुल्क, डंपिंग रोधी शुल्क, पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मानव उपभोग के लिए अल्कोहल पर VAT, स्टाम्प शुल्क, संपत्ति कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाया जाने वाला), वृत्ति कर आदि।
- वर्तमान में GST प्रत्येक उत्पाद (पेट्रोलियम उत्पाद, अल्कोहल, रियल एस्टेट और विद्युत को छोड़कर) पर **5, 12, 18** और **28 प्रतिशत** के चार स्लैबों के आधार पर आरोपित किया जाता है।
 - पिछले वर्ष कर दरों में किए गए नवीनतम संशोधन के अनुसार दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुओं पर GST की दर शून्य है।
 - इसके अतिरिक्त, ऑटोमोबाइल, विलासिता और सिन या डीमेरिट गुड्स पर उपकर (cess) आरोपित किया गया है।
 - इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2017 को संसद के एक विशेष सत्र में की गई थी।
- **नवंबर 2019 में GST संग्रह 6% बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया।**
 - GST संग्रह वर्ष 2018 के समान महीनों की तुलना में वर्ष 2019 के सितंबर में 2.7% और अक्टूबर में 5.3% कम रहा।
- केंद्र सरकार ने चिंता व्यक्त करते हुए सभी राज्यों को लिखा है कि **GST के कम संग्रह के कारण,** संभव है कि नई कर प्रणाली से उत्पन्न होने वाले नुकसानों के भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति उपकर पर्याप्त न हो।
 - **क्षतिपूर्ति उपकर (Compensation cess)** को विलासिता और सिन वस्तुओं पर उद्गृहीत किया जाता है तथा इसकी प्राप्तियों का **GST लागू होने के पहले पांच वर्षों के भीतर** राज्यों द्वारा किसी भी नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है।

अन्य संबंधित तथ्य

GST परिषद (GST Council)	• यह संघ और राज्य सरकार को GST से संबंधित मुद्दों पर अनुशंसा करने हेतु स्थापित एक **संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 279A)** है। • इसकी अध्यक्षता **केंद्रीय वित्त मंत्री** द्वारा की जाती है तथा अन्य सदस्यों में राजस्व या वित्त विभाग के केंद्रीय राज्यमंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री शामिल होते हैं। ○ इस परिषद का प्रत्येक निर्णय **उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम तीन-चौथाई सदस्यों के बहुमत से लिया जाता है।** केंद्र सरकार के मतों का भारांश डाले गए कुल मतों का एक-तिहाई तथा सभी राज्य सरकारों के मतों का भारांश डाले गए कुल

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH 8468022022

	मतों का दो-तिहाई होता है। • केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न GST परिषद की 38वीं बैठक के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं: ○ **राज्य द्वारा संचालित और राज्य अधिकृत लॉटरी पर 28% की एकल दर से GST अधिरोपित किया जाएगा।** वर्तमान में, लॉटरी के संदर्भ में दोहरी दर व्यवस्था है- राज्य द्वारा संचालित लॉटरी पर 12% तथा राज्य द्वारा अधिकृत किंतु निजी संस्थाओं द्वारा संचालित लॉटरी पर 28% की दर से कर का प्रावधान है। ○ GST परिषद ने पहली बार लॉटरी पर **GST दर के संदर्भ में निर्णय हेतु मतदान के विकल्प का प्रयोग किया।**
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (Reverse Charge Mechanism)	• सामान्यतः GST का भुगतान वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता को करना पड़ता है। किन्तु कुछ मामलों में, कर के भुगतान करने का दायित्व खरीददार का होता है। इसे रिवर्स चार्ज कहा जाता है। • यह केवल कुछ मामलों में लागू होता है, उदाहरण के लिए- जब कोई व्यवसाय किसी आपूर्तिकर्ता (जो GST का भुगतान करने के लिए पंजीकृत नहीं है या आयात के मामलों में) से वस्तुओं या सेवाओं का क्रय करता है।
ई-वे बिल (E-way Bill)	• ई-वे बिल GST व्यवस्था में 10 कि.मी. से अधिक की दूरी में बिक्री के लिए 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल की किसी भी खेप (consignment) को स्थानांतरित करने वाले वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा साथ रखने हेतु आवश्यक दस्तावेज है। • इसे कन्साइनमेंट वाली वस्तुओं के आवागमन आरंभ होने से पूर्व पंजीकृत व्यक्तियों या ट्रांसपोर्टरों द्वारा GST कॉमन पोर्टल से प्राप्त करना होता है।
क्षतिपूर्ति उपकर (Compensation Cess)	• इसे GST के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि हेतु राज्यों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में आरंभ किया गया था। • राज्यों के वित्तीय वर्ष 2016 के कर राजस्व को इस 14 प्रतिशत वृद्धि की गणना के लिए आधार वर्ष माना जाता है। • एकत्रित क्षतिपूर्ति उपकर भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है और फिर इसे भारत की लोक लेखा में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहाँ एक GST क्षतिपूर्ति उपकर कोष बनाया गया है।
राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण (National Anti-Profiteering Authority: NAA)	• राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण (NAA) का गठन केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 171 के तहत किया गया है। • इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर की दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ, प्राप्तकर्ता (उपभोक्ता) को कीमतों में कमी के माध्यम से प्राप्त कराया जाए।

1.4.2. सबका विश्वास

(Sabka Vishwas)

सुर्ख़ियों में क्यों

हाल ही में "सबका विश्वास-विरासत विवाद समाधान योजना, 2019" अधिसूचित की गई।

अन्य संबंधित तथ्य

- सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना वस्तुतः केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के विगत विवादों के **परिसमापन के लिए एकबारगी उपाय** है।
 - उल्लेखनीय है कि, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर (Central Excise and Service Tax) को GST (वस्तु एवं सेवा कर) में सम्मिलित कर दिया गया है। हालांकि, विभिन्न मंचों (यथा- न्यायालयों/अधिकरणों) पर मुकदमेबाजी में यह अभी भी एक पक्ष बना हुआ है।

VISION IAS

- यह योजना करदाताओं को बकाया कर का भुगतान करने और कानून के तहत किसी अन्य परिणाम से मुक्त होने का अवसर भी प्रदान करती है।

1.5. प्रत्यक्ष कर

(Direct Tax)

1.5.1. प्रत्यक्ष कर संहिता

(Direct Tax Code)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **अखिलेश रंजन** की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स द्वारा नए प्रत्यक्ष कर संहिता (DTC) कानून का प्रारूप भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- **DTC** वस्तुतः भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर क़ानूनों को सरलीकृत करने का एक प्रयास है।
- यह भारत में एकल कानून के तहत प्रत्यक्ष कर क़ानूनों की संरचना को **संशोधित, समेकित और सरलीकृत** करेगा।
- इसे क्रियान्वित किए जाने पर, यह **आयकर अधिनियम, 1961** और अन्य प्रत्यक्ष कर कानूनों, जैसे- सम्पत्ति कर अधिनियम, 1957 आदि को प्रतिस्थापित करेगा।
- इस प्रस्तावित DTC के लिए कानून का प्रारूप तैयार करने और मौजूदा आयकर अधिनियम की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा नवंबर 2017 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था।

प्रत्यक्ष कर संग्रह के रुझान

- विगत चार वित्तीय वर्षों में दाखिल किए गए रिटर्नों की संख्या में 80% से अधिक की वृद्धि हुई है और वित्त वर्ष 2017-18 में प्रत्यक्ष कर-GDP अनुपात बढ़कर 5.98% हो गया है। यह पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक है।
- इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014-2018 की अवधि के दौरान आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्तियों की संख्या में भी लगभग 65% की वृद्धि हुई है।
- **कर-GDP अनुपात का बढ़ना** (5.98%), अर्थव्यवस्था में कर-उत्प्लावकता (Tax-Buoyancy) में सुधार के संकेत को दर्शाता है।

अन्य संबंधित तथ्य

कॉर्पोरेट कर की दर में कटौती	• **घरेलू और साथ ही विदेशी कंपनियां** आयकर अधिनियम के तहत कॉर्पोरेट कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। यद्यपि एक घरेलू कंपनी पर उसकी सार्वभौमिक आय पर कर आरोपित किया जाता है, जबकि एक विदेशी कंपनी पर केवल भारत के भीतर अर्जित आय पर (अर्थात् भारत में उपार्जित या प्राप्त की गई आय पर) कर आरोपित किया जाता है। • घरेलू कंपनियाँ वे हैं जो भारत के कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं तथा इनमें विदेशों में पंजीकृत वैसी कंपनियाँ भी शामिल हैं, जिनका पूर्ण नियंत्रण और प्रबंधन भारत में स्थित इकाई द्वारा होता है। घरेलू कंपनी में निजी के साथ-साथ सार्वजनिक कंपनियां भी शामिल हैं। • सरकार ने मौजूदा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर को 30% से घटाकर 22% तथा नई विनिर्माण कंपनियों के लिए इसे 25% से घटाकर 15% कर दिया है।
उदारीकृत विप्रेषण योजना (Liberalized Remittance Scheme: LRS)	• हाल ही में, **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)** ने मुंबई और दिल्ली के कई बैंकों के **LRS डेटा** की संवीक्षा करने के पश्चात् पाया कि जिन मामलों की छानबीन की गयी, उनमें "कुछ भी प्रतिकूल नहीं" था। • इसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा वर्ष 2004 में आरंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत **निवासी व्यक्तियों** को एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी अन्य देश में निवेश और व्यय के लिए एक **निश्चित धनराशि विप्रेषित करने (अर्थात् बाहर भेजने) की अनुमति प्रदान की गई थी।** • प्रचलित विनियमों के अनुसार, एक निवासी व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक की राशि मुक्त रूप से विप्रेषित कर सकता है। विदेशों में भेजे जाने वाले ऐसे धन के उपयोग पर **कोई प्रतिबंध नहीं** है- अर्थात् ऐसे धन को उपहार/दान में दिया जा सकता है, स्वतंत्र रूप से खर्च किया

VISION IAS

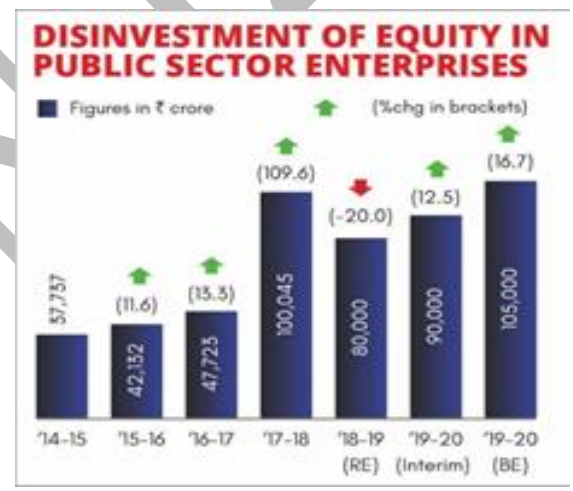
	जा सकता है, कॉलेज की फीस के भुगतान के लिए प्रयोग किया जा सकता है, वित्तीय प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है आदि। • इसके साथ ही, विप्रेषित राशि को **शेयरों, ऋण प्रपत्रों में भी निवेश किया जा सकता है तथा विदेशी बाजार में अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।** • किसी भी **मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा** में विप्रेषण किए जा सकते हैं।
बायबैक टैक्स (Buyback tax)	• बायबैक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी शेयरधारकों को जारी किए गए शेयरों की वापस खरीद या पुनर्खरीद करती है। • लाभांश प्रति शेयर एक निर्दिष्ट राशि है जिसका शेयरधारकों को भुगतान किया जाता है। • हालांकि बायबैक ऑफर वैकल्पिक होता है। केवल वे शेयरधारक जो अपने शेयरों के प्रतिफल में धन प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपने शेयरों की पुनर्खरीद कर सकते हैं। • सरकार ने कंपनियों द्वारा शेयर की पुनर्खरीद पर 20% की दर से कर आरोपित करने का प्रस्ताव रखा है। • वर्तमान में बायबैक टैक्स केवल ग़ैर-सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू है।

1.6. विनिवेश

(Disinvestment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 5 उपक्रमों (जैसे- BPCL, CCI आदि) में प्रबंधन नियंत्रण के साथ-साथ सरकारी हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।



अन्य संबंधित तथ्य

- **विनिवेश** का अर्थ सरकार द्वारा अपनी परिसंपत्तियों या सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी का विक्रय अथवा समापन करना है।
 - वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) विनिवेश के लिए प्रमुख एजेंसी है।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई रणनीतिक विनिवेश नीति को मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत **वित्त मंत्रालय के DIPAM को रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री के लिए नोडल विभाग** बनाया गया है।
 - DIPAM और नीति-आयोग द्वारा अब रणनीतिक विनिवेश के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की संयुक्त रूप से पहचान की जाएगी।
 - DIPAM के सचिव द्वारा अब विनिवेश के संबंध में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के सचिव के साथ अंतर-मंत्री समूह (inter-minister group) की सह-अध्यक्षता की जाएगी।
- **बजट 2020-2021 में की गई घोषणाएं:** सरकार ने वर्ष 2019-20 के 65,000 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2020-21 में विनिवेश के माध्यम से 2,10,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।

अतिरिक्त जानकारी

पद्धतियाँ	• **शेयर बाजार:** आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (Initial Public Offering: IPO), अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (Further Public Offering: FPO) और बिक्री के लिए प्रस्ताव (Offer for sale: OFS) जैसे प्रस्ताव शेयर बाजारों के माध्यम धन उगाही के तरीके हैं। • **संस्थागत प्लेसमेंट कार्यक्रम (IPP):** केवल संस्थान ही प्रस्ताव में भाग ले सकते हैं। • **एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF):** यह एकल प्रस्ताव के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न CPSEs में सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री की अनुमति प्रदान करता है। यह उन CPSEs में अपनी शेयरधारिता को मुद्रीकृत करने के

	लिए एक तंत्र प्रदान करता है, जो ETF बास्केट के भाग हैं। वर्तमान में, इसमें **(i) CPSE-ETF और (ii) Bharat-22 ETF** शामिल हैं। • **रणनीतिक विनिवेश:** ○ यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (CPSEs) में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ सरकार की शेयरधारिता के एक बड़े भाग (50 प्रतिशत तक) या ऐसे उच्चतर प्रतिशत की बिक्री का द्योतक है। ○ इसका उद्देश्य CPSEs में सरकारी निवेश के कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देना है। पूंजी पुनर्गठन, लाभांश, बोनस शेयर जैसे मुद्दों को संबोधित करने जैसे विभिन्न कार्यक्रम इस नीति के भाग हैं। ○ विनिवेश भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के सार्वजनिक ऋण को भारतीय निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करने की अनुमति प्रदान करता है।
टेमासेक होल्डिंग्स का सिंगापुर मॉडल	• टेमासेक होल्डिंग्स को **सिंगापुर सरकार** द्वारा एक निजी वाणिज्यिक इकाई के रूप में स्थापित किया गया है, ताकि वह सरकार से संबद्ध कंपनियों में इसके (सिंगापुर सरकार) निवेश का नियंत्रण और प्रबंधन कर सके। • **आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20** में सरकार के विनिवेश कार्यक्रम को व्यावसायिकता और स्वायत्तता प्रदान करने के लिए **इस मॉडल को अपनाने का सुझाव दिया गया है।** • सरकार सूचीबद्ध CPSEs में अपनी शेयरधारिता एक पृथक कॉर्पोरेट इकाई को हस्तांतरित कर सकती है। इस इकाई का प्रबंधन एक स्वतंत्र बोर्ड द्वारा किया जाएगा और समय-समय पर इन CPSEs में सरकारी शेयरधारिता का विनिवेश अनिवार्य होगा।



2. बैंकिंग और मौद्रिक नीति

(Banking and Monetary Policy)

2.1. बैंकिंग सुधार

(Banking Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में यह इंगित किया गया है कि वर्ष 2013 के पश्चात् से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) की ऋण वृद्धि नए निजी क्षेत्र के बैंकों (NPBs) की तुलना में काफी कम रही है।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्ष 2019 में PSBs भारत की बैंकिंग प्रणाली के लगभग 80 प्रतिशत गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के लिए उत्तरदायी थे। (PSBs का सकल NPAs उनके सकल अग्रिमों का 11.59 प्रतिशत है।)

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों से संबंधित समस्याएं

दबावग्रस्त परिसंपत्तियां (Stressed Assets)

यह एक व्यापक पद है जिसमें NPAs, पुनर्गठित ऋण तथा अपलिखित परिसंपत्तियाँ (written off assets) सम्मिलित होती हैं।

- **पुनर्गठित ऋण (Restructured Loans):** ये ऐसी परिसंपत्तियां/ऋण होते हैं जिन्हें पुनर्भुगतान की अवधि में वृद्धि करके, ब्याज कम करके अथवा इक्विटी में परिवर्तन करके पुनर्गठित किया जाता है।
- **अपलिखित परिसंपत्तियाँ:** ऐसी परिसंपत्तियां/ऋण जिनकी गणना बकाया राशि के रुप में नहीं की जाती है, लेकिन शाखा स्तर पर वसूली के प्रयास जारी रहते हैं। यह कार्य बैंकों द्वारा अपनी बैलेंस बुक में सुधार करने हेतु किया जाता है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA)

ऐसे ऋण या अग्रिम जिनके मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 या उससे अधिक दिनों से बकाया (अतिदेय) हो, NPAs कहलाते हैं। कृषि/संबंधित गतिविधियों हेतु लिए गए ऋणों के मामले में NPA अल्प अवधि की फसल (ब्याज का भुगतान 2 फसल मौसम तक नहीं किया गया हो) और लंबी अवधि की फसलों (ब्याज का भुगतान 1 फसल मौसम तक नहीं किया गया हो) के लिए अलग-अलग होता है।

- बैंकों द्वारा NPAs को **अवमानक (Substandard)**, **संदिग्ध (Doubtful)** और **हानि (Loss) परिसंपत्तियों** के रुप में वर्गीकृत किया जाता है।
 - **अवमानक परिसंपत्तियां:** ऐसी परिसंपत्तियां जो 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए NPA बनी रहती हैं।
 - **संदिग्ध परिसंपत्तियां:** ऐसी परिसंपत्तियां जो 12 महीने की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी रहती हैं।
 - **हानि परिसंपत्तियां:** इसे वसूल न किया जाने वाला (uncollectible) और इतने निम्न मूल्य का समझा जाता है कि इन्हें बैंक-ग्राह्य परिसंपत्ति के रुप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, इसका कुछ निस्तारण या पुनर्प्राप्ति योग्य मूल्य हो सकता है।

उच्च NPA के कारण

- **ऋण प्राप्तकर्ता (अर्थात् उधारकर्ता) से संबद्ध कारण**
 - घरेलू अर्थव्यवस्था में मंदी - उद्योगों द्वारा उत्पादित उत्पादों की मांग में कमी।
 - जानबूझकर लिए गए ऋण का भुगतान न करना (Wilful default)।
 - उधारकर्ताओं द्वारा ऋण दस्तावेजों में उल्लिखित प्रयोजनों के इतर अन्य प्रयोजनों के लिए निधियों का उपयोग करना।
 - वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति।
 - अस्थिर कच्चे माल की कीमतें और विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता न होना जैसे कारक कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन को प्रभावित करते हैं।
- **बैंकों से संबद्ध कारण**
 - उधार देने संबंधी निम्नस्तरीय कार्यविधियां। कभी-कभी बैंकों द्वारा खराब क्रेडिट रिकॉर्ड वाले उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान किया जाता है। इन मामलों में ऋण न लौटाने (डिफ़ॉल्ट) की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है।
 - बैंकों के पास परियोजनाओं का मूल्यांकन करने की अपर्याप्त क्षमता अर्थात निम्नस्तरीय क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली का होना।

VISION IAS

- नियमित रुप से औद्योगिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण का अभाव।

- **अन्य बाह्य कारक**
 - प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र की आर्थिक स्थिति।
 - रिकवरी न्यायाधिकरणों का अप्रभावी होना।
 - सरकारी नीतियों में परिवर्तन, उदाहरणार्थ- किसी भी सरकारी योजना के क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मानव शक्ति का उपयोग करना बैंकों की सामान्य गतिविधियों को प्रभावित करता है।

बैंकिंग सुधारों की दिशा में उठाए गए हालिया कदम

सरकार द्वारा

- केंद्रीय कैबिनेट द्वारा निम्न रेटिंग वाली परिसंपत्तियों के लिए **आंशिक ऋण गारंटी योजना (Partial Credit Guarantee Scheme)** का विस्तार किया गया है।
 - वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) / आवास वित्त कंपनियों (HFCs) से उच्च रेटिंग वाली संयोजित परिसंपत्तियों की खरीद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) को भारत सरकार की ओर से आंशिक ऋण गारंटी की पेशकश की जाएगी।
- इसका उद्देश्य दिवाला होने की स्थिति में आ चुकी NBFCs/HFCs की परिसंपत्तियों और देयताओं में अस्थायी असंतुलन को समाप्त करना है। ऐसी स्थिति में NBFCs/HFCs को अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अपनी-अपनी परिसंपत्तियों की अंधाधुंध बिक्री करने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा।
- **EASE 3.0 (एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस 3.0):** यह एक सुधार एजेंडा है जिसका उद्देश्य सभी ग्राहकों के बैंकिंग अनुभवों में सुगमता बढ़ाने हेतु स्मार्ट व तकनीक-सक्षम सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग (जैसे- घर के दरवाजे पर ऋण सुविधा देने के लिए डायल-ए-लोन, पाम बैंकिंग) प्रदान करना है।
- **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019:** इस संशोधन के तहत पूर्ववर्ती प्रबंधन/प्रमोटरों द्वारा किए गए अपराधों के लिए सफल दिवाला समाधान आवेदक पर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा

- RBI ने वर्ष 2002 में उन बैंकों के लिए एक **संरचित प्रारंभिक-हस्तक्षेप तंत्र** (अर्थात् आरंभ में ही हस्तक्षेप करने हेतु) के तौर पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action: PCA) फ्रेमवर्क को प्रस्तुत किया था, जो परिसंपत्ति की खराब गुणवत्ता या लाभप्रदता न होने के कारण कमजोर हो जाने के परिणामस्वरूप अल्प-पूंजीकृत हो गए थे।
- इसका उद्देश्य भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की समस्या पर अंकुश लगाना** है।
 - PCA फ्रेमवर्क के तहत निम्नलिखित मामलों में चूक की स्थिति में एक बैंक जोखिमग्रस्त हो जाता है: **जोखिम भारित परिसंपत्तियों से पूँजी का अनुपात (Capital to Risk weighted Assets Ratio: CRAR), निवल NPA, परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (Return on Assets: RoA) और टियर 1 लीवरेज अनुपात।**
 - बेसल- III मानदंडों के तहत परिभाषित **लीवरेज अनुपात,** बैंक के जोखिम के प्रतिशत के रूप में **टियर-1 पूंजी** है।
 - **बैंक के कुल जोखिम (एक्सपोज़र)** को निम्नलिखित एक्सपोज़र के योग के रूप में परिभाषित किया गया है: ऑन-बैलेंस शीट एक्सपोज़र; व्युत्पन्न जोखिम; प्रतिभूतियों के वित्तपोषण लेनदेन से संबंधित जोखिम; और ऑफ-बैलेंस शीट आइटम।
 - RBI ने बैंकों को **लीवरेज अनुपात (LR) में छूट** प्रदान की है और लीवरेज अनुपात में कटौती से तात्पर्य यह है कि बैंक एक ही पूंजी आधार पर अधिक उधार प्रदान कर सकते हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घरेलू बैंकों को एकमुश्त निपटान (One-Time Settlement: OTS) अभ्यासों के भाग के रूप में **विदेशी निवेशकों को विनिर्माण और अवसंरचनात्मक क्षेत्रों के अपने बैड लोन के सीधे विक्रय की अनुमति प्रदान की है।**
- **प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिज़ॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट्स:** RBI ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का उपयोग करने अर्थात ऋणदाताओं को डिफॉल्टरों पर दिवाला न्यायालय (bankruptcy court) में कार्यवाही करने को स्वैच्छिक बना दिया है।
- **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs)** को अपने प्रायोजकों और ऋणदाताओं से वित्तीय संपत्ति खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
 - परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी एक विशेष प्रकार की वित्तीय संस्था है जो बैंक के ऋण को एक पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर खरीद करती है तथा ऐसे ऋण या संबंधित प्रतिभूतियों को स्वयं पुनर्प्राप्त करने का प्रयास करती है।

VISION IAS

- ये RBI के साथ पंजीकृत होती हैं तथा इन्हें **सरफेसी अधिनियम (SARFAESI Act), 2002** के तहत विनियमित किया जाता है।

- **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए सुधार**
 - RBI ने UCBs की खराब होती वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए UCBs पर लागू **पर्यवेक्षी कार्रवाई रुपरेखा (Supervisory Action Framework: SAF)** को **संशोधित** किया है। इसके अंतर्गत UCBs को निम्नलिखित **3 मापदंडों के खराब होने की स्थिति में** प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा:
 - निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के निवल अग्रिम राशियों (net advances) से 6 प्रतिशत से अधिक होने पर।
 - लगातार दो वित्तीय वर्षों में घाटा या उनके तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में समग्र हानि होने पर।
 - पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio: CAR) के 9 प्रतिशत से नीचे आने पर।
 - RBI ने **500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की कुल परिसंपत्ति वाले सभी UCBs** को यह निर्देश दिया है कि यदि उनका सकल जोखिम 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है तो वे अपने उन सभी उधारकर्ताओं की क्रेडिट सूचना RBI के **सेंट्रल रिपॉज़िटरी ऑफ इनफॉरमेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (CRILC)** को प्रदान करेंगे।
 - अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का पुनरुद्धार करने हेतु एक ढांचे के भाग के रूप में वर्ष 2014-15 में RBI द्वारा CRILC की स्थापना की गयी थी। इसके उद्देश्य हैं: वित्तीय संकट की शीघ्र पहचान करना, ऋणदाताओं के लिए संकल्प और निष्पक्ष वसूली के लिए त्वरित कार्रवाई को सक्षम बनाना आदि।
 - कुल निधि आधारित तथा गैर-निधि-आधारित 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक के जोखिम होने पर सभी **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान और कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपनी रिपोर्ट CRILC** को प्रस्तुत करती हैं।

अतिरिक्त जानकारी

बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS)	• वर्ष 1930 में स्थापित, BIS 60 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के स्वामित्व वाला एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। इसके प्रमुख कार्य हैं: मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता के अनुपालन के संदर्भ में केंद्रीय बैंकों की सहायता करना, इन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करना। • इसका मुख्यालय **बेसल (स्विट्जरलैंड)** में है। • यह अपनी **बैठकों, कार्यक्रमों तथा बेसल प्रक्रिया के माध्यम से** अपना कार्य करता है। यह वैश्विक वित्तीय स्थिरता का अनुसरण करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समूहों की मेजबानी करता है और उनकी सहभागिता को सुविधाजनक बनाता है।
बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (Basel Committee on Banking Supervision: BCBS)	• यह वर्ष 1974 में बैंकिंग विनियमों से संबंधित मानकों के विकास करने हेतु गठित एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है। • इसमें 27 देशों तथा यूरोपीय संघ के केन्द्रीय बैंक सम्मिलित हैं। • इसके द्वारा **बेसल समझौते (Basel Accords)** के रुप में ज्ञात नीतिगत अनुशंसाओं की एक श्रृंखला विकसित की गई है। इस समझौते में आर्थिक संकट के समय बैंक को ऋण चुकाने में सक्षम बनाए रखने हेतु न्यूनतम पूँजी को बनाए रखने की अनुशंसा की गई है। ○ RBI द्वारा भारत में कार्यरत बैंकों के लिए **बेसल III सुधारों** के आधार पर दिशा-निर्देश ज़ारी किए जाते हैं। ○ भारत में 1 अप्रैल 2013 से **बेसल III पूँजी विनियमन** को कई चरणों में लागू किया गया है। इसे पूर्ण रुप से 31 मार्च 2019 को लागू किया जाना था। ○ अन्य महत्वपूर्ण बेसल मानकों के अंतर्गत न्यूनतम सामान्य इक्विटी पूँजी अनुपात, काउंटरसाइकल कैपिटल बफर फ्रेमवर्क, न्यूनतम टियर-I पूँजी, न्यूनतम कुल पूँजी, घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (D-sib) की आवश्यकताएं आदि शामिल हैं।
बैंक पूंजी की श्रेणियाँ (Tiers of	• **टियर-I पूँजी (कोर पूंजी):** इसमें सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) के रुप में रखा गया धन,

VISION IAS

Bank Capital)	नकदी और शेयर पूंजी तथा जमानती ऋण (secured loans) शामिल हैं। पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) का कम से कम 6% भाग टियर-I पूँजी से होना चाहिए। यह पूंजी बैंक द्वारा अपने व्यवसायिक परिचालनों को बंद किए बिना उनके घाटे को समायोजित कर सकती है। • **टियर-II पूंजी (अनुपूरक पूंजी):** इसमें कर आय, बैंकों के रिटेल अर्निंग्स (खुदरा आय), बॉण्ड/हाइब्रिड इंस्ट्रुमेंट्स और ग़ैर-जमानती ऋणों (जिनका भुगतान किया जा रहा हो) के रुप में पूंजी सम्मिलित होती है। • **टियर-III पूंजी:** इसमें गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPAs), गौण ऋण (जिनका भुगतान न किया जा रहा हो) और तुलन पत्र (बैलेंस शीट) के अघोषित रिज़र्व सम्मिलित होते हैं।
इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट (ICA)	• इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट उन ऋण खातों के समाधान के उद्देश्य से होता है जिसका आकार 50 करोड़ रूपये और उससे अधिक होता है तथा जो देनदारों के समूह के नियंत्रण में होते हैं। यह बैड लोन की समस्या का समाधान करने हेतु सरकार द्वारा अनुमोदित **"सशक्त"** योजना का भाग है। • यह **सुनील मेहता समिति** की एक अनुशंसा पर आधारित है, जिसमें दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB)	• इसे फरवरी 2016 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के प्रशासन में सुधार के लिए RBI द्वारा नियुक्त **पी. जे. नायक समिति** की अनुशंसाओं पर आधारित है। • इसने सरकार के नियुक्ति बोर्ड को प्रतिस्थापित किया। • इसका व्यापक एजेंडा राज्य के स्वामित्व वाले उधारदाताओं (अर्थात् बैंकों) के प्रशासन में सुधार करना है। इसके अधिदेश में सरकार को शीर्ष-स्तरीय बैंक नियुक्तियों पर परामर्श देना और बैंकों को पूंजी जुटाने की योजनाओं के साथ-साथ बैड लोन से निपटने के लिए रणनीति बनाने में सहायता प्रदान करना शामिल है।

2.2. मौद्रिक नीति संचरण

(Monetary Policy Transmission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय स्टेट बैंक लिमिटेड ने बचत बैंक खाता जमाओं और अल्पकालिक ऋणों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रेपो दर से संबद्ध करने की घोषणा की है। इससे तीव्र मौद्रिक संचरण सुनिश्चित किया जा सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **मौद्रिक संचरण** उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक के मौद्रिक नीति संकेतों (जैसे- रेपो दर) के प्रभावों को व्यवसायों और घर-परिवारों तक पहुँचाने के लिए उन्हें वित्तीय प्रणाली के माध्यम से संचारित किया जाता है।
- भारत में, RBI द्वारा नीतिगत दरों में किया गया परिवर्तन, बैंकों की आधार दरों में नियमित रूप से परिलक्षित नहीं होता है। हालांकि, दरों में बढ़ोत्तरी को तुरंत प्रभावी रूप दे दिया जाता है, जबकि RBI द्वारा दरों में की गयी कटौती के साथ ऐसा नहीं देखा जाता है। इससे पता चलता है कि मौद्रिक संचरण में एक अंतराल विद्यमान है।

भारत में मौद्रिक संचरण में अंतराल के कारण

- **बैंकों पर अति निर्भरता:** भारतीय वित्तीय प्रणाली पर बैंकों का स्पष्ट प्रभुत्व है और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) तथा बाजारों (कॉर्पोरेट बॉण्ड्स, वाणिज्यिक पत्र, इक्विटी आदि) की भागीदारी यहाँ कम है। इसलिए, अधिकांश सार्वजनिक बचतों को बैंकों में जमा कराने का प्रचलन है, जिससे रेपो दर पर बैंकों की निर्भरता कम हो जाती है।
- **बैंक निधियों का अवरुद्ध होना:** दोहरा वित्तीय दबाव तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकों को ऋण (यह बैंकों पर प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने के लिए अतिरिक्त भार आरोपित करता है।)
- **गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों (NPAs) में वृद्धि:** बैंकों के तुलन पत्रों में NPAs में वृद्धि के कारण वे (बैंक) कम ब्याज दरों की पेशकश करने में असमर्थ हो जाते हैं।
- **MCLR प्रणाली का उप-इष्टतम प्रदर्शन:** जैसा कि जनक राज समिति ने अनुसंशा की थी।

अतिरिक्त जानकारी

वित्तीय क्षेत्रक नियामक नियुक्ति खोज समिति (Financial Sector Regulatory Appointment Search Committee)	• RBI अधिनियम के अनुसार, केंद्रीय बैंक में एक गवर्नर और चार डिप्टी गवर्नर होने चाहिए - जिनमें दो पदोन्नति के अंतर्गत तथा एक वाणिज्यिक बैंकर और एक अन्य प्रमुख अर्थशास्त्री होता है। • यह समिति इस सूची में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करती है। • इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है। इसके अन्य सदस्यों में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव (स्थायी प्रतिनिधि) तथा 3 अन्य विशेषज्ञ शामिल होते हैं। • SEBI और IRDAI के अध्यक्ष के चयन में भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।
ब्याज दर में विन्यास (Interest Rate Spread)	• विन्यास (स्प्रेड) का आशय वित्तीय संस्थानों की उधार लेने की दरों और उधार देने की दरों में अंतर से है। • दूसरे शब्दों में, यह संपत्ति अर्जन पर ब्याज लब्धि है, जो कि उधार ली गई धनराशि में से उधार पर भुगतान की गई ब्याज दर को घटाने पर शेष राशि है।
सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर (Marginal Cost of Funds based Lending Rate: MCLR)	• यह एक बैंक की उस न्यूनतम ब्याज दर को संदर्भित करती है, जिसके नीचे (RBI द्वारा अनुमत कुछ मामलों के अतिरिक्त) ऋण प्रदान नहीं किया जा सकता है। • इस प्रकार, यह बैंक के लिए एक आंतरिक बेंचमार्क अथवा संदर्भ दर है। यह पूर्व की आधार दर प्रणाली को प्रतिस्थापित करती है। • इसकी गणना चार घटकों के आधार पर की जाती है: सीमांत निधि लागत, नकद आरक्षित अनुपात पर शून्य रिटर्न, परिचालन लागत और टेनर प्रीमियम।

2.2.1. आर्थिक पूंजी ढांचा

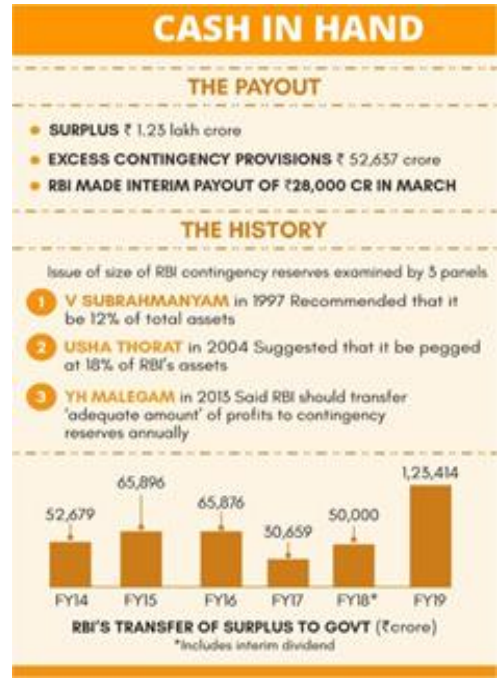
(Economic Capital Framework)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत सरकार के राजकोष में **1.76 लाख करोड़ रुपये** का अधिशेष हस्तांतरित करने का निर्णय लिया।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की **धारा 47 (अधिशेष लाभ का आवंटन)** के अनुसार, RBI सरकार को **"अधिशेष"** (अर्थात्, व्यय की तुलना में अधिक आय) हस्तांतरित करता है।
- पूर्व में, RBI द्वारा अपनी आकस्मिकता और परिसंपत्ति विकास के लिए इस अधिशेष का एक बड़ा भाग उपयोग किया जाता था। हालांकि, **मालेगाम समिति (वर्ष 2013)** की अनुशंसाओं के बाद इसका अधिशेष हस्तांतरण बढ़ गया।
- गत वर्ष, RBI ने **आर्थिक पूंजी ढांचे** के अंतर्गत किए गए प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए **बिमल जालान** की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।
 - इस समिति ने **आर्थिक पूंजी** को **रियलाईज्ड इक्विटी** और **पुनर्मूल्यांकन**



आरक्षित भंडार के संयोजन के रूप में परिभाषित किया है। (केंद्रीय बोर्ड ने इस संपूर्ण पूंजी को **20-24.5%** के स्तर पर रखने का निर्णय लिया है।)

- इस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, RBI के केंद्रीय बोर्ड ने **सरकार को अपना निवल स्थानांतरण बढ़ाने का निर्णय लिया है।**

अतिरिक्त जानकारी

इन संसाधनों का संचय RBI किस प्रकार करता है?	• मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के अतिरिक्त, RBI द्वारा निम्नलिखित गतिविधियाँ भी निष्पादित की जाती हैं: ○ भारत में सरकारों की उधारियों का प्रबंधन, ○ बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन, ○ मुद्रा और भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन। • इन कार्यों या परिचालनों को कार्यान्वित करते हुए, RBI द्वारा **लाभ अर्जित किया जाता है**। साथ ही इसे निम्नलिखित के द्वारा भी लाभ अर्जित होता है: ○ **अपनी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों** (अन्य केंद्रीय बैंकों के बॉण्ड्स व ट्रेजरी बिल और अन्य केंद्रीय बैंकों में जमाएं) के माध्यम से। ○ RBI, **भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित सरकारी बॉण्ड्स या प्रतिभूतियों** को भी धारित करता है और अल्पावधि ऋण (जैसे- बैंकों को दी जाने वाली ओवरनाइट उधारी) प्रदान करता है, जिसके माध्यम से यह आय अर्जित करता है। ○ यह राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की उधारियों के प्रबंधन पर **प्रबंधन कमीशन प्राप्त** करता है। • इसका व्यय प्रमुख रूप से मुद्रा नोटों के मुद्रण और कर्मचारियों के वेतन पर होता है।

2.2.2. खुदरा तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु नवीन ऋण के लिए नकद आरक्षित अनुपात में छूट

(CRR Leeway for New Retail and MSME Loans)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के साथ-साथ आवास और वाहन क्षेत्रक के लिए ऋण का प्रवाह बढ़ाने हेतु नकद आरक्षित अनुपात (CRR) रखरखाव नियमों में बदलाव करते हुए कुल जमा की गणना (बैंकों के लिए) में ढील दी है। इस कदम से बैंकों की ओर से इन लक्षित क्षेत्रों के लिए ऋण का प्रवाह बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें बढ़े हुए कर्ज पर CRR में छूट मिलेगी। अर्थात् इस सुविधा के तहत जो भी अधिक कर्ज दिया जाएगा उस पर अगले 5 वर्ष के लिए CRR से छूट प्राप्त होगी। यह छूट सुविधा 31 जनवरी से 31 जुलाई 2020 तक उपलब्ध रहेगी।

अन्य संबंधित तथ्य

- बैंक, CRR के रखरखाव के लिए अपनी **नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी (NDTL)** से, 31 जनवरी 2020 तक इन खंडों को दिए गए ऋण के बकाया स्तर के अतिरिक्त, इन क्षेत्रकों को खुदरा ऋण के रूप में अपने द्वारा संवितरित वृद्धिशील ऋण के समतुल्य राशि की कटौती कर सकते हैं।
- RBI ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मध्यम उद्यमों को दिए जाने वाले ऋण का मूल्य निर्धारण करने हेतु उसे 1 अप्रैल 2020 से बाह्य बेंचमार्क से जोड़ने का भी निर्णय लिया है।
 - **बाह्य बेंचमार्क:** इसमें नीतिगत **रेपो दर** या **ट्रेजरी बिल दरों** सहित फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FFL) द्वारा जारी कोई भी बेंचमार्क बाजार ब्याज दर सम्मिलित है।

CRR का रखरखाव बनाम CRR का गैर-अनुरक्षण (Maintenance vs. Non-maintenance of CRR)

- वर्तमान में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत RBI के पास अपने NDTL (शून्य CRR निर्देश के अधीन देयताओं को छोड़कर) का 4 प्रतिशत CRR के रूप में बनाए रखना अनिवार्य है।
- निर्दिष्ट स्थिति के लिए **नए ऋणों** पर CRR के गैर-अनुरक्षण का तात्पर्य है कि **बैंक अपने NDTL** से इन ऋणों के बराबर कटौती का दावा कर सकते हैं।
- इस कदम से ऐसे ऋणों पर CRR के गैर-अनुरक्षण के कारण ऑटो, आवास और MSMEs क्षेत्रक के लिए ब्याज दरों में अप्रत्यक्ष रूप से कमी आ सकती है।
- यह छूट केवल ऋण जारी करने की तिथि से **पांच वर्ष की अवधि के लिए CRR की गणना** करने के उद्देश्य से है।

VISION IAS

- साथ ही, निर्दिष्ट तिथि (31 जनवरी 2020) के बाद इन क्षेत्रकों में केवल नए ऋणों (यानी वृद्धिशील ऋणों) पर ही यह छूट उपलब्ध होगी। (इन क्षेत्रकों के अंतर्गत इस तिथि से **पूर्व के ऋण पात्र नहीं हैं।**)

CRR के लिए मानदंडों को शिथिल करने का औचित्य

- इसका प्राथमिक उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समग्र वृद्धि में सहायक व गुणक प्रभाव रखने वाले उत्पादक क्षेत्रकों हेतु बैंक ऋण में वृद्धि करना है।
- वर्तमान में जारी तरलता की कमी के आलोक में इसे अतिरिक्त तरलता उपाय तथा जरूरतमंद खंडों को अधिक ऋण देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहन के रूप में भी देखा जा रहा है।
- उपर्युक्त के अतिरिक्त, RBI को आशा है कि इस विशेष प्रावधान से **मौद्रिक संचरण सुदृढ़ होगा, नियमन और पर्यवेक्षण सुदृढ़ होगा, वित्तीय बाजार व्यापक एवं मजबूत बनेंगे तथा साथ ही भुगतान और निपटान प्रणाली में भी सुधार** आएगा।

MSME ऋणों के लिए बाह्य बेंचमार्क का औचित्य

- वर्तमान समय में मौद्रिक संचरण जिस प्रकार कार्य कर रहा है, उससे **RBI संतुष्ट नहीं** है, क्योंकि वित्तीय संस्थान उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं दे पा रहे हैं।
- ऋणों के ब्याज निर्धारण का वर्तमान प्रतिमान **मार्जिनल कॉस्ट ऑफ़ लेंडिंग रेट (MCLR)** पर आधारित है, जिसे संबंधित बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- RBI का लक्ष्य ऋणों पर ब्याज को सीधे **बाह्य बेंचमार्क** से जोड़ना है, ताकि कोई भी बदलाव **सीधे उपभोक्ताओं को प्रेषित** हो सके।
- इसे प्रभावी बनाने के लिए, RBI ने बाह्य बेंचमार्क दरों के उपयोग का प्रस्ताव किया है।
- इससे पूर्व, बैंकों द्वारा **सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSE)** को प्रदत्त सभी ऋणों (नए फ्लोटिंग रेट वाले व्यक्तिगत या खुदरा ऋण एवं फ्लोटिंग रेट वाले ऋण) को 1 अक्टूबर 2019 से ही बाह्य बेंचमार्क से संबद्ध कर दिया गया था।

अतिरिक्त जानकारी

मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee: MPC)	• MPC का गठन RBI अधिनियम, 1934 के तहत केंद्र सरकार द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करने के लिए गया है। • समिति में छह सदस्य - RBI के तीन अधिकारी (RBI गवर्नर सहित, जो MPC की अध्यक्षता करता है) और भारत सरकार द्वारा नामित तीन बाहरी सदस्य शामिल होते हैं।
मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting)	• यह एक मौद्रिक नीति है जहां एक केंद्रीय बैंक मध्यम अवधि के लिए मुद्रास्फीति दर के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य का अनुपालन करता है और जनता के लिए इस मुद्रास्फीति के लक्ष्य की घोषणा करता है। • भारत सरकार ने +/- 2% के बैंड के साथ 4% की मध्यम अवधि के मुद्रास्फीति लक्ष्य को अधिसूचित किया है।

2.3. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

(Non-Banking Finance Companies)

2.3.1. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनिमयन

(Regulation of NBFCs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को विनियमित करने के लिए RBI द्वारा कई कदम उठाए गए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्ष 2018-19 में रेटिंग्स कम किए जाने तथा 'इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज' (IL&FS) समूह द्वारा ऋणों के भुगतान में विफल (डिफ़ॉल्ट) रहने के कारण NBFCs तरलता संकट से ग्रसित रही हैं।
 - IL&FS संकट के तुरंत बाद, NBFCs को **नकदी की गंभीर कमी का** सामना करना पड़ा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स (MFs) द्वारा NBFCs के ऋणों के पुनर्वित्तयन पर रोक लगा दी गयी।
 - इस स्थिति को नियंत्रित करने हेतु **सरकार ने कई उपायों** को अपनाया, जिसके फलस्वरूप, कुछ समय के लिए बैंकिंग क्षेत्र से NBFCs को मिलने वाले वित्तीय मदद में सुधार हुआ था।

- हालांकि, नवंबर 2018 से बैंकिंग क्षेत्र की ओर से सहयोगात्मक वित्तीय संसाधनों के प्रवाह में कमी आई है, जिसने हालिया तिमाहियों में इस क्षेत्र की उधार/ऋण क्षमता को प्रभावित किया है।

- RBI ने कहा है कि NBFC को वर्तमान अल्पकालिक दायित्वों को पूर्ण करने के लिए **उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों का तरलता बफर** बनाए रखना होगा ताकि वे किसी भी तीव्र तरलता संकट से निपट सकें।
- RBI ने NBFC के लिए **तरलता प्रबंधन ढाँचा** प्रस्तुत किया है। यह 100 करोड़ या उससे अधिक की परिसंपत्तियों वाली सभी गैर-जमा NBFC, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनियों (SI-CIC) और परिसंपत्ति के आकार से निरपेक्ष सभी जमा-NBFC के ऊपर लागू है।
- RBI ने अधिसूचित किया है कि **पीयर टू पीयर (P2P) प्लेटफॉर्म्स** पर सभी NBFCs के लिए किसी भी समय सभी उधारकर्ताओं के लिए एक ऋणदाता की कुल जोखिम, वर्तमान के 10 लाख रुपये की तुलना में 50 लाख रुपये तक (ऊपरी सीमा) होगा।

NBFC	• यह कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी होती है, जो ऋणों व अग्रिमों के व्यवसाय में, सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी शेयरों/ स्टॉकों/ ऋणपत्रों/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों अथवा इसी प्रकार की अन्य बिक्री योग्य प्रतिभूतियों के **अधिग्रहण, लीजिंग, क्रय-अभिक्रय (Hire purchase), बीमा व्यवसाय, चिट व्यापार के व्यवसाय आदि कार्यों में संलग्न** होती हैं। • इसमें **ऐसी कोई भी संस्था शामिल नहीं** होती है, जिसका प्रमुख व्यवसाय कृषि गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि, किसी भी प्रकार की वस्तुओं (प्रतिभूतियों के अतिरिक्त) के क्रय-विक्रय अथवा कोई भी सेवा प्रदान करने और अचल संपत्तियों के बिक्री/खरीद/निर्माण करना हो। • NBFCs के कुछ उदहारण निम्नलिखित हैं: **हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकिंग/सब-ब्रोकिंग (शेयरों की सट्टेबाजी/इतर सट्टेबाजी) के कारोबार में लगी कंपनियां, वेंचर कैपिटल फण्ड कंपनियां, निधि कंपनियां, बीमा कंपनियां और चिट फंड कंपनियां।**
पीयर टू पीयर उधार मंच (P2P lending Platform)	• पीयर टू पीयर ऋण **क्राउड फंडिंग का एक स्वरूप** है, जो व्यक्तियों को किसी वित्तीय संस्थान की मध्यस्थता के बिना उधार लेने और उधार देने में सक्षम बनाती है। उधारकर्ता कोई व्यक्ति या फिर कोई विधिक व्यक्ति हो सकता है। • फेयरसेंट, लेंडेंक्लब, फिनेज़ी, रुपीक्रिसल, लेंडबॉक्स आदि पीयर टू पीयर ऋण उपलब्ध कराने वाले कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। • सभी पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म्स को NBFC माना जाता है, जिन्हें RBI द्वारा विनियमित किया जाता है।

2.4. विभेदीकृत बैंकिंग

(Differentiated Banking)

- पूंजीगत आवश्यकता, गतिविधियों के प्रकार और आबादी के एक निश्चित जनसांख्यिकीय भाग की आवश्यकतों की पूर्ति करने के आधार पर विभेदीकृत किए जाने वाले बैंकों को **विभेदीकृत बैंक या आला बैंक (Niche Banks)** कहा जाता है।
- विभेदीकृत बैंक का विचार वित्तीय समावेशन हेतु वर्ष 2014 में गठित **नचिकेत मोर समिति** द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
- इन्हें भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लोकल एरिया बैंक, थोक एवं दीर्घकालिक वित्त (Wholesale and Long-Term Finance: WLTF) बैंक आदि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
 - WLTF बैंक प्राथमिक रूप से अवसंरचना क्षेत्र और लघु, मध्यम एवं कॉपोरेट व्यवसायों को ऋण प्रदान करने पर केन्द्रित हैं।

	भुगतान बैंक (Payment Banks)	**लघु वित्त बैंक (Small Finance Banks)**
प्रवर्तक	प्रीपेड कार्ड जारीकर्ता, दूरसंचार कंपनियाँ, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, सुपरमार्किट चेन, कॉर्पोरेट्स, रियल्टी सेक्टर कोऑपरेटिव्स, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि।	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, लोकल एरिया बैंक आदि में 10 वर्ष का वित्तीय अनुभव रखने वाले व्यक्ति/पेशेवर।

VISION IAS

पात्रता	• 100 करोड़ रुपये की न्यूनतम पूंजी होनी चाहिए। • जमा राशि का 75 प्रतिशत भाग सरकारी बॉण्ड के रूप में रखना अनिवार्य है। • जमा राशि का 25 प्रतिशत अन्य बैंकों में रखना अनिवार्य है। • कम से कम 26 प्रतिशत निवेश भारतीयों द्वारा किया गया हो। • नेट वर्थ 500 करोड़ रुपये से अधिक होने पर इसे सूचीबद्ध होना आवश्यक है। • बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में 25 प्रतिशत शाखाएँ होनी चाहिए। • पूर्णत: नेटवर्क व प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित होने चाहिए। • एक खाते में अधिकतम 1 लाख रुपये की जमा सीमा।	• 100 करोड़ रुपये की न्यूनतम पूंजी होनी चाहिए। • प्रथिमकता प्राप्त क्षेत्र के लिए 75 प्रतिशत ऋण की उपलब्धता। • 25 प्रतिशत शाखाए बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में होनी चाहिए। • आरक्षित संबंधी अनिवार्यताओं को बनाए रखना। • व्यक्तियों और समूहों के लिए कुल कारोबार (नेट वर्थ) का क्रमश: 10 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत तक की ऋण सीमा। • बिजनेस कॉरस्पोंडेंट नेटवर्क होना चाहिए।
प्रदत्त सेवाएँ	• इंटरनेट बैंकिग की सुविधा प्रदान करना। • म्यूचुअल फंड, बीमा, पेंशन आदि विक्रय/संबंधी सेवाएं प्रदान करना। • ग्राहकों को बिल भुगतान की सुविधा प्रदान करना। • ATM और बिजनेस कॉरस्पोंडेंट की सुविधा प्रदान करना। • ये किसी अन्य बैंक के बिजनेस कॉरस्पोंडेंट के रूप में भी कार्य कर सकते हैं।	• ग्राहकों को विदेशी मुद्रा का विक्रय। • म्यूचुअल फंड, बीमा, पेंशन आदि के विक्रय/संबंधी सेवाएं प्रदान करना। • RBI की पूर्व अनुमति के पश्चात, पूर्ण बैंक के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। • देश भर में विस्तारित हैं।
प्रतिबंधित सेवाएं	• क्रेडिट कार्ड जारी करना। • ऋण वृद्धि करना। • सीमा पार प्रेषण का लेन-देन। • NRIs जमा स्वीकार करना।	• बृहत् ऋण प्रदान करना। • अनुषंगी कंपनियां आरंभ करना। • परिष्कृत वित्तीय उत्पादों का क्रय-विक्रय नहीं करना।

अतिरिक्त जानकारी

शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का एक लघु वित्त बैंक (SFB) के रूप परिवर्तन	यह **शहरी सहकारी बैंकों के स्वैच्छिक आधार पर लघु वित्त बैंकों के रूप में संक्रमण की योजना** के अंतर्गत RBI द्वारा किसी शहरी सहकारी बैंक (UCB) को जारी **प्रथम लाइसेंस** है। • इस योजना के अंतर्गत, बेहतरीन निष्पादन रिकार्ड वाले UCBs स्वेच्छा से SFBs में परिवर्तित होने के पात्र होंगे। • 500 मिलियन रुपये की न्यूनतम नेट वर्थ और 9 प्रतिशत या उससे अधिक जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात {Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio} को बनाए रखने वाले शहरी सहकारी बैंक, SFBs में स्वैच्छिक संक्रमण के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
लघु वित्त बैंकों के लिए ऑन-टैप लाइसेंसिंग	• हाल ही में, RBI ने लघु वित्त बैंकों के लिए **ऑन-टैप लाइसेंसिंग** हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं। • "ऑन-टैप" सुविधा से आशय है कि RBI वर्ष भर बैंकों के लिए आवेदन स्वीकार करेगा और लाइसेंस प्रदान करेगा।

2.4.1. विकास बैंक

(Development Bank)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वित्त मंत्री द्वारा अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजार की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने हेतु उपायों के रूप में एक विकास बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने हेतु, विकास बैंकों को स्वयं के वित्तीयन हेतु दीर्घकालिक स्रोतों की आवश्यकता होती है, जो प्राय: पूंजी बाजार में दीर्घकालिक दिनांकित प्रतिभूतियों को निर्गमित करके प्राप्त किए जाते हैं। पेंशन और जीवन बीमा फंड तथा डाकघर जमा जैसे दीर्घकालिक बचत संस्थान इनके वित्तीयन के प्रमुख स्रोत होते हैं।
- ऐसे निवेशों के सामाजिक लाभों और उनसे संबंधित अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, विकास बैंकों को प्राय: सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा समर्थन प्रदान किया जाता है।
 - विकास बैंकों द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु निजी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कर प्रोत्साहन और अन्य प्रशासनिक सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं।
- भारत में, स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत पश्चात् ही विकास बैंकिंग को आरंभ किया गया था।
 - **भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation of India: IFCI)** भारत का प्रथम विकास बैंक है। भारत में मध्यम और बड़े स्तर के उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु वर्ष 1948 में इसकी स्थापना की गई थी।
 - वर्ष 1991 के पश्चात्, वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के संबंध में गठित नरसिम्हा समिति की रिपोर्ट के बाद, विकास वित्त संस्थाओं (Development Financial Institutions: DFIs) को समाप्त कर, इन्हें वाणिज्यिक बैंकों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था।

2.4.2. सहकारी बैंक

(Cooperative Banks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

RBI ने केरल सरकार को केरल बैंक के गठन हेतु अपनी अंतिम सहमति प्रदान की है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क होगा।

सहकारी बैंकों के बारे में

- सहकारी बैंक, **वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न** होते हैं। सहकारी साख समितियों की अवधारणा के आधार पर इनका गठन होता है, जहां किसी समुदाय के सदस्य एक-दूसरे को अनुकूल शर्तों पर ऋण प्रदान करने के लिए एकजुट होते हैं।
- मुख्य रूप से, भारत में सहकारी बैंकों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है- **शहरी** और **ग्रामीण।**
 - **ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थान** या तो अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक प्रकृति के हो सकते हैं।
 - अल्पकालिक सहकारी ऋण संस्थानों को राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, प्राथमिक कृषि साख समितियों (Primary Agricultural Credit Societies) में उप-विभाजित किया गया है।
 - दीर्घकालिक सहकारी ऋण संस्थानों का तात्पर्य या तो राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (SCARDBs) अथवा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (PCARDBs) से है।
- **UCBs** या तो अनुसूचित अथवा गैर-अनुसूचित होते हैं। अनुसूचित और गैर-अनुसूचित UCBs भी दो प्रकार के होते हैं - बहुराज्यीय और एक ही राज्य में संचालित शहरी सहकारी बैंक।

अतिरिक्त जानकारी

शहरी सहकारी बैंक	• UCBs को संबंधित **राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम या बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002** के प्रावधानों के अंतर्गत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत किया जाता है। • ये बैंक नियमित बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं तथा **शहरी व अर्ध-शहरी क्षेत्रों** में अवस्थित होते हैं। • यदि कोई शहरी सहकारी बैंक विफल हो जाता है तो वाणिज्यिक बैंकों के समान, उसकी जमा राशि को **'इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया'** द्वारा प्रति जमाकर्ता एक लाख रुपये तक कवर किया जाता है। • **विनियमन:** भारत में UCBs दोहरे विनियमन अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक और सरकार के अधीन रजिस्ट्रार ऑफ़ को-ऑपरेटिव सोसाइटीज (RCS) द्वारा विनियमित होते हैं। ○ **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI):** बैंकिंग परिचालन का विनियमन एवं पर्यवेक्षण RBI द्वारा किया जाता है, जो

VISION IAS

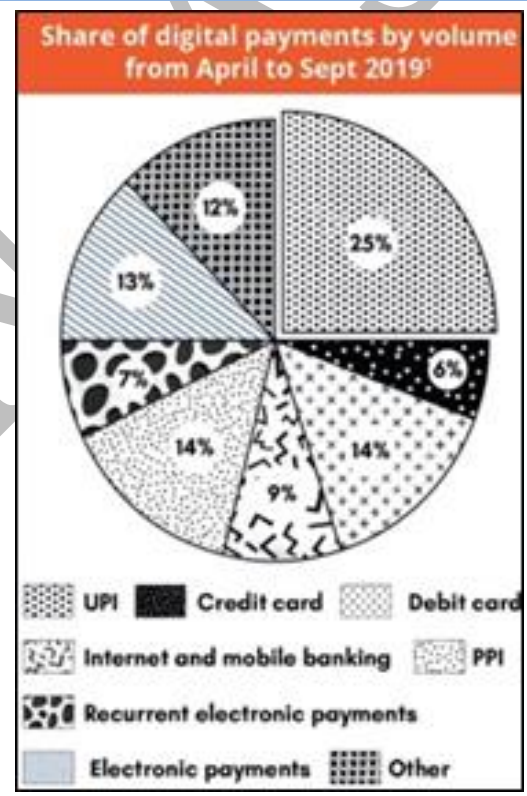
	उनकी पूंजी पर्याप्तता, जोखिम नियंत्रण, ऋण प्रदान करने संबंधी मानदंड, लाइसेंस, नई शाखाओं को खोलना आदि निर्धारित करता है। ▪ ये निम्नलिखित दो कानूनों के अंतर्गत शासित हैं, यथा- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग कानून (सहकारी समितियां) अधिनियम, 1955; ▪ RBI द्वारा विकास संबंधी कार्य भी किए जाते हैं, जैसे कि शहरी सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करना। • **सरकार:** पंजीकरण और प्रबंधन से संबंधित गतिविधियाँ एक ही राज्य में संचालन के मामले में RCS द्वारा तथा UCB के एक से अधिक राज्यों में संचालन के मामले में केंद्रीय RCS द्वारा संचालित की जाती हैं।

2.5. डिजिटल भुगतान

(Digital Payment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने हेतु कई कदम उठाए गए हैं।



अन्य संबंधित तथ्य

- RBI ने NEFT एवं RTGS के माध्यम से भुगतान पर शुल्क को समाप्त कर दिया है, साथ ही बैंकों को इसका लाभ ग्राहकों तक पहुँचाने का निर्देश दिया है।
- RBI द्वारा RuPay एवं UPI के माध्यम से भुगतान पर आरोपित **मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR)** को भी समाप्त कर दिया गया है।
 - MDR किसी व्यापारी द्वारा डिजिटल मोड में अपने ग्राहकों से भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंक को भुगतान किया जाने वाला शुल्क है, जिसे सामान्यतः ग्राहकों से वसूला जाता है।
 - इसके अतिरिक्त, 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाली सभी व्यावसायिक कंपनियों को RuPay एवं UPI मोड के तहत ग्राहकों को भुगतान की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य किया गया है।
 - RuPay एवं UPI **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)** के उत्पाद हैं।
 - **RuPay** भारत का प्रथम घरेलू डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड भुगतान नेटवर्क है।
 - **UPI** मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से विभिन्न बैंक खातों के मध्य तत्काल धनराशि स्थानांतरित करने के लिए एक वास्तविक समय आधारित भुगतान प्रणाली है। यह विदेशी कंपनियों द्वारा प्रवर्तित भुगतान गेटवे (जैसे - PhonePe, Google pay) की तुलना में स्वदेशी रूप से विकसित डिजिटल भुगतान माध्यमों (जैसे RuPay और BHIM UPI) को बढ़त प्रदान करेगा।
 - **NPCI** भारत में खुदरा भुगतान एवं निपटान प्रणालियों के संचालन हेतु एक अम्ब्रेला संगठन है, जो **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के प्रावधानों के अंतर्गत RBI और भारतीय बैंक संघ (IBA) की एक पहल है।
- इससे पूर्व, वित्त मंत्री ने 2019-20 के बजट भाषण में घोषणा की थी कि 50 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठान कम लागत वाले डिजिटल मोड, जैसे- BHIM UPI, UPI QR कोड, आधार पे आदि द्वारा भुगतान की सुविधा प्रदान करेंगे।

अतिरिक्त जानकारी

भुगतान निपटान के डिजिटल माध्यम (Digital modes of payment settlement)

विशेषताएं	NEFT	RTGS	IMPS
प्रस्तुत कर्ता	RBI	RBI	NPCI
निपटान का प्रकार	आधे-घंटे के बैच पर	एक-एक आधार पर निपटान (One on one settlement)	एक-एक आधार पर निपटान
न्यूनतम हस्तांतरण सीमा	कोई सीमा नहीं	2 लाख रुपये	1 रुपया
अधिकतम हस्तांतरण सीमा	कोई सीमा नहीं (50,000 रुपए प्रति हस्तांतरण)	कोई सीमा नहीं	2 लाख रुपए
धनराशि हस्तांतरण की गति	2 घंटे	तत्काल	तत्काल
सेवा उपलब्धता	24x7	निर्धारित समयावधि (शाम 6 बजे तक) के बीच सप्ताह के कुछ दिनों में उपलब्ध	24x7
माध्यम	ऑनलाइन / ऑफलाइन	ऑनलाइन / ऑफलाइन	ऑनलाइन

डिजिटल भुगतानों में रुझान (Trends in digital payment)

- GDP के प्रतिशत के रूप में **प्रचलन में मुद्रा (Currency in Circulation)** 2016-17 के 8.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 11.2 प्रतिशत हो गई। यह वर्ष 2015-16 के 12.1 प्रतिशत के (विमुद्रीकरण की अवधि से पूर्व) स्तर से कम है।
 - यद्यपि, उच्च मूल्यवर्ग वाली मुद्रा की माँग निम्न मूल्यवर्ग की मुद्रा की माँग की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ी है, जिससे यह संकेत प्राप्त होता है कि नकदी का उपयोग मूल्य के भंडार के रूप में अधिक किया जा रहा है तथा भुगतान करने हेतु कम।
- **नकद भुगतान का अनुमान:** भारत में 72 प्रतिशत उपभोक्ता लेनदेन नकद रूप में होता है।
 - व्यापारी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, नेटवर्क कनेक्टिविटी मुद्दों तथा कम मूल्य के लेनदेन के लिए शुल्क का भुगतान करने की अनिच्छा के कारण डिजिटल लेनदेन को स्वीकार करने में असमर्थ या अनिच्छुक रहते हैं।
- **डिजिटल भुगतान** में विगत 5 वर्षों में मात्रा और मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 61 प्रतिशत और 19 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर देखी गई। यह डिजिटल भुगतानों की दिशा में एक तीव्र परिवर्तन को अभिव्यक्त करता है।
- **वित्तीय समावेशन:** डिजिटल भुगतान के तरीके (आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली, DBT) ने ऐतिहासिक रूप से वंचित आबादी की बड़ी संख्या के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **भारत में डिजिटल भुगतान से संबंधित समितियां:** रतन पी. वाटल (2016) और नंदन नीलेकणि (2019)।

VISION IAS

भारत बिल भुगतान प्रणाली (Bharat Bill Payment System)	• RBI ने स्वैच्छिक आधार पर पात्र प्रतिभागियों के रूप में आवर्ती बिल एवं भुगतान (प्रीपेड रिचार्ज के अतिरिक्त) लेने वाले बिलर्स की सभी श्रेणियों को शामिल करने के लिए **भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS)** के दायरे का विस्तार किया है। • BBPS समस्त बिलों हेतु एकल बिंदु भुगतान मंच है, **जो देशभर के ग्राहकों को एक अंत: प्रचालनीय एवं सुगम्य "कभी भी कहीं भी" बिल भुगतान सेवा प्रदान करता है। यह NPCI द्वारा विनियमित है।** • BBPS के माध्यम से नकद, चेक हस्तांतरण और इलेक्ट्रॉनिक मोड के उपयोग द्वारा भुगतान किया जा सकता है। **परिचालन इकाइयों के रूप में कार्य करने वाले बिल एग्रीगेटर एवं बैंक** ग्राहकों हेतु इन लेनदेनों को संचालित करेंगे।
डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया	• यह **भारत में डेटा संरक्षण पर आधारित एक गैर-लाभकारी औद्योगिक निकाय है,** जिसकी स्थापना NASSCOM द्वारा की गई है। • यह साइबर सुरक्षा एवं निजता में सर्वोत्तम प्रथाओं, मानकों और पहलों की स्थापना करके साइबरस्पेस को सुरक्षित, संरक्षित तथा विश्वसनीय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। • DSCI ने देशव्यापी जागरूकता हेतु **'डिजिटल भुगतान अभियान'** प्रारंभ करने के लिए **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** एवं **गूगल इंडिया** के साथ समझौता किया है। ○ यह डिजिटल भुगतान करने के लाभों के संबंध में अंतिम उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करेगा तथा उन्हें सुरक्षा एवं बचाव की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने हेतु प्रेरित करेगा। इसे **सात भाषाओं** में आरंभ किया जाएगा।
स्वीकृत विकास निधि (Acceptance Development Fund: ADF)	• **हाल ही में, RBI** ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन-देन के लिए भुगतान नेटवर्क में सुधार करने हेतु **ADF की स्थापना करने की घोषणा की है।** • यह एक **बैंक-प्रायोजित विकास निधि** के रूप में भारत के केवल छोटे शहरों एवं गांवों में विशेष रूप से टियर III से टियर VI केंद्रों में, बुनियादी भुगतान ढांचे में सुधार करने हेतु प्रचालित किया जाएगा, जहां अधिकांश दैनिक लेनदेन नकद में संपन्न होते हैं।
मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफ़ायर (Mobile Aided Note Identifier: MANI)	• यह रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय मौद्रिक नोटों की पहचान में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु प्रारंभ किया गया एक मोबाइल एप्लिकेशन है।
डिजिटल भुगतान सूचकांक (Digital Payments Index: DPI)	• RBI द्वारा प्रभावी रूप से **भुगतानों के डिजिटलीकरण की सीमा निर्धारित** करने हेतु एक समग्र DPI का निर्माण किया जाएगा, जिसका आवधिक रूप से प्रकाशन किया जाएगा। • DPI कई मापदंडों पर आधारित होगा तथा **डिजिटल भुगतान के विभिन्न माध्यमों की पैठ और विस्तार** को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करेगा। • DPI को **जुलाई 2020** से उपलब्ध कराया जाएगा।
डिजिटल कम्पेटिटिव इंडेक्स (Digital Competitive Index: DCI)	• इसे **'IMD वर्ल्ड कॉम्पेटिटिवनेस सेंटर'** द्वारा जारी किया जाता है। • यह व्यापार, सरकार तथा समाज में आर्थिक परिवर्तन के लिए एक प्रमुख निर्देशक के रूप में **डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण और अन्वेषण के लिए 63 अर्थव्यवस्थाओं की क्षमता एव तत्परता का मापन करता है।** इसे वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया था। • **शीर्ष रैंक-** संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड। • एक अर्थव्यवस्था के मूल्यांकन हेतु, WDCR द्वारा निम्नलिखित 3 कारकों की जांच की जाती है:

VISION IAS

	○ **ज्ञान:** नई प्रौद्योगिकियों को समझने और सीखने की क्षमता; ○ **प्रौद्योगिकी:** नए डिजिटल नवाचारों को विकसित करने की क्षमता; और ○ **भविष्य के लिए तैयारी:** आने वाले घटनाक्रमों हेतु तैयारी। ▪ भारत को वर्ष 2018 में 48वीं रैंक प्राप्त हुई थी तथा वर्ष 2019 में **44वीं रैंक प्राप्त हुई** है, क्योंकि भारत ने सभी क्षेत्रों, यथा- ज्ञान, प्रौद्योगिकी और भविष्य के लिए तैयारी में समग्र सुधार किया है।

2.6. वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति

(National Strategy for Financial Inclusion)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2019-2024 की अवधि के लिए **वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति (National Strategy for Financial Inclusion: NSFI)** जारी की। इस रणनीति के अंतर्गत व्यापक स्तर पर कार्रवाई के समेकन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को विस्तारित करने और उसे सतत बनाए रखने के दृष्टिकोण पर बल दिया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **इसके अंतर्गत प्रमुख अनुशंसाएँ:**
 - मार्च 2020 तक पर्वतीय क्षेत्रों में 500 परिवारों की बस्ती / प्रत्येक गाँव को उनके 5 कि.मी. के दायरे में बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध करवाना।
 - मार्च 2022 तक आवश्यक अवसंरचना सृजित करने के लिए **टियर II से टियर VI के सभी केंद्रों में डिजिटल वित्तीय सेवाओं** के विभिन्न तरीकों के लिए पारितंत्र को सुदृढ़ करना।
 - मार्च 2020 तक PM जन धन योजना के अंतर्गत नामांकित प्रत्येक इच्छुक और अर्ह वयस्क व्यक्ति को **बीमा योजना** (PMJJBY, PMSBY आदि) एवं **पेंशन योजना** (NPS, APY आदि) के तहत शामिल करना।
 - **मार्च 2022 तक सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री (Public Credit Registry: PCR)** (उधारकर्ताओं की क्रेडिट जानकारी का डेटाबेस) को **पूर्ण रूप से क्रियान्वित करना** ताकि संगठित वित्तीय संस्थाएं सभी नागरिकों से ऋण प्रस्तावों के आकलन के लिए इससे लाभन्वित हो सकें।
- वित्तीय स्थिरता विकास परिषद (FSDC) द्वारा NSFI को अनुमोदित किया गया है।

अतिरिक्त जानकारी

वित्तीय स्थिरता विकास परिषद (Financial Stability and Development Council: FSDC)	• यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने, देश के संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने और विभिन्न वित्तीय नियामक निकायों के मध्य समन्वय बढ़ाने के लिए **वर्ष 2010 में गठित शीर्ष स्तर की स्वायत्त संस्था** है। • **वित्त मंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता** की जाती है और कुछ वित्तीय क्षेत्र नियामक प्राधिकरण (RBI, SEBI, IRDA) के प्रमुख इसके सदस्य होते हैं।
राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक (Fiscal Performance Index)	• इसे **भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)** द्वारा विकसित किया गया है। • इसके द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के **बजट की गुणवत्ता** का आकलन किया जाता है। • सूचकांक का निर्माण UNDP के मानव विकास सूचकांक पद्धति का उपयोग करके किया गया है। • **घटक-** राजस्व व्यय की गुणवत्ता; पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता; राजस्व प्राप्ति की गुणवत्ता; राजकोषीय विवेक का स्तर (I एवं II); एवं ऋण सूचकांक। • निम्न आय वाले राज्यों का वित्तीय प्रदर्शन उच्च आय वाले राज्यों की तुलना में बेहतर है। • उच्च आय वाले राज्यों ने निम्न आय वाले समकक्ष राज्यों की तुलना में मुख्य रूप से व्यय की गुणवत्ता और कर प्राप्तियों के सूचकांक पर अत्यल्प प्रदर्शन किया।

VISION IAS

वित्तीय गोपनीयता सूचकांक (Financial Secrecy Index: FSI) 2020	• इसे एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क **टैक्स जस्टिस नेटवर्क (TJN)** द्वारा जारी किया जाता है। • FSI प्रति दो वर्ष में राष्ट्रों को उनकी गोपनीयता और उनके विदेशी वित्तीय गतिविधियों के पैमाने के अनुसार रैंक प्रदान करता है। • यह इसकी जांच करता है कि किसी राष्ट्र की विधिक और वित्तीय प्रणाली कितनी तीव्रता से समृद्ध व्यक्तियों एवं अपराधियों को धन को छिपाने तथा धन-शोधन के लिए सक्षम बनाती है। • रैंकिंग में उपयोग किए जाने वाले मापदंडों में सूचनाओं का स्वत: आदान-प्रदान और लाभकारी स्वामित्व का पंजीकरण सम्मिलित हैं। • इस वर्ष के सूचकांक में केमैन द्वीप (Cayman Island) वर्ष 2018 की रैंकिंग से दो स्थान बढ़कर प्रथम स्थान पर रहा। अमेरिका ने अपना द्वितीय स्थान बनाए रखा है और **भारत** ने 133 देशों में **47वां स्थान** प्राप्त किया है।
नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म (NDAP)	• हाल ही में, **नीति आयोग** ने **NDAP** के लिए अपना **विजन डॉक्यूमेंट** जारी किया है। • NDAP का लक्ष्य कई सरकारी स्रोतों के डेटा को **मानकीकृत (standardize)** करना, **लचीला विश्लेषण** प्रदान करना और अनुसंधान, नवाचार, नीति-निर्माण एव सार्वजनिक उपयोग के लिए इन्हें अनुकूल प्रारूप में **आसानी से सुलभ** बनाना है। • इस प्लेटफॉर्म का पहला संस्करण वर्ष 2021 में लॉन्च होना अपेक्षित है।

2.7. बैंकिंग से संबंधित अन्य विविध जानकारियाँ

(Other Miscellaneous Information on Banking)

कंसोर्टियम लेंडिंग (Consortium) lending)	• भारतीय बैंकिंग संघ (IBA) द्वारा उद्योगों हेतु कंसोर्टियम लेंडिंग से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए अप्रैल 2020 तक एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। ○ कंसोर्टियम लेंडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कई बैंको द्वारा सामान्य मूल्यांकन और प्रलेखन के आधार पर किसी उधारकर्ता को ऋण प्रदान किया जाता है तथा इनके द्वारा संयुक्त पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कार्यवाही भी की जाती है। ○ कंसोर्टियम लेंडिंग में प्राय: **ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया** के कारण अतिरिक्त विलंब होता है क्योंकि बैंक एक निश्चित समय के अंतर्गत डेटा का पारस्परिक आदान-प्रदान करने में अक्षम होते हैं, जिससे उधारकर्ताओं को ऋण प्राप्त करने में विलंब होता है। ○ इसके परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली में **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA)** के सृजन में वृद्धि होती है। • **IBA के बारे में** ○ यह भारतीय बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों का संघ है, जिसका गठन वर्ष 1946 में हुआ था। ○ इसका उद्देश्य भारत में स्वस्थ और प्रगतिशील बैंकिंग के सिद्धांतों, प्रथाओं और उपायों को प्रोत्साहन एवं विकसित करना तथा रचनात्मक बैंकिंग के विकास में सहयोग प्रदान करना है।
वित्तीय बेंचमार्क प्रशासकों (Financial Benchmark Administrators: FBAs) के लिए दिशा-निर्देश	• भारतीय रिजर्व बैंक ने **FBAs** के लिए मानदंड जारी किए हैं। • FBA एक संगठन या विधिक व्यक्ति है, जो महत्वपूर्ण बेंचमार्क प्रशासन प्रक्रियाओं के निर्माण एवं संचालन को नियंत्रित करता है, चाहे वह **बेंचमार्क** से संबंधित बौद्धिक संपदा का स्वामी हो अथवा न हो। • **बेंचमार्क** के अंतर्गत वितीय साधनों से संबंधित मूल्य, दर, सूचकांक, मूल्य अथवा वितीय

VISION IAS

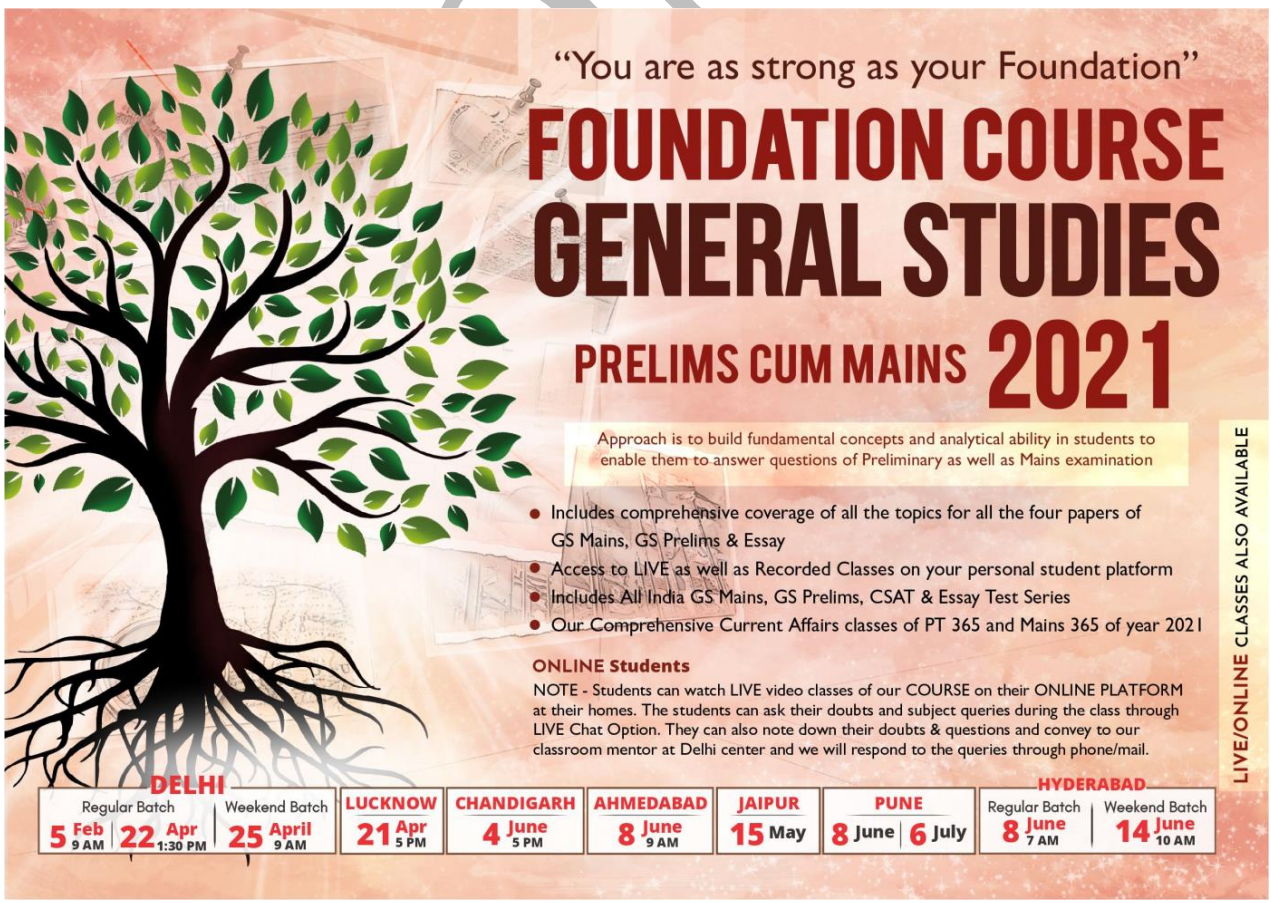
	साधनों से संबंधित संयोजन सम्मिलित होते हैं, जिनकी समय-समय पर गणना की जाती है तथा जिनका उपयोग या किसी अन्य वित्तीय अनुबंध के मूल्य निर्धारण अथवा मूल्यांकन के लिए एक संदर्भ के रुप में किया जाता है। • **भारत में मान्यता प्राप्त प्रमुख FBAs:** ○ भारतीय रुपये की ब्याज दर के बेंचमार्क के लिए **"फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FIMMDA)";** ○ विदेशी विनिमय बैंचमार्क के लिए **"फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (FIDAI)"; एवं** ○ **"फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL)"** को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक स्वतंत्र बेंचमार्क प्रशासक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। • इन दिशा-निर्देशों के अनुसार FBA को भारत में एक निगमित कंपनी होना चाहिए, जिसके द्वारा प्रत्येक समय एक करोड़ रुपये की न्यूनतम निवल संपत्ति बनाए रखना आवश्यक है।
बैंक जमा पर बीमा की सीमा बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव	• हाल ही में, पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (PMC) बैंक में धोखाधड़ी के बाद, सरकार बैंक जमा पर बीमा सीमा को बढ़ाने के लिए **निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC)** के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। ○ DICGC (RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) ने जमा राशियों पर बीमा कवर को वर्तमान में के 1 लाख रूपये से बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख रुपये के मध्य निर्धारित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। ○ जमा बीमा में वृद्धि के लिए, DICGC एक्ट में संशोधन की आवश्यकता होगी। • **बैंक निक्षेप बीमा योजना** के तहत 1 लाख रुपये तक की देय जमा राशियों का बीमा किया जाता है तथा बैंक के विफल होने की स्थिति में जमाकर्ता को उसका भुगतान किया जाता है। ○ इस योजना के अंतर्गत भारत में कार्यरत निजी, सहकारी बैंक और यहां की विदेशी बैंकों की शाखाओं सहित भारत में संचालित सभी बैंक शामिल हैं। ○ बैंक निक्षेप बीमा योजना, विदेशी सरकारों की जमा राशियों, केंद्र/राज्य सरकारों की जमा राशियों तथा अंतर-बैंक की जमा राशियों को बीमा कवर प्रदान **नहीं** करती है। • **DICGC** बचत, सावधि, चालू, आवर्ती आदि जैसे सभी बैंक जमा राशियों को बीमा कवर प्रदान करता है।
NPA विचलन (NPA Divergence)	• विचलन (डायवर्जेंस), **RBI के मूल्यांकन** और **ऋणदाता/अन्य बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों** के मध्य का अंतर होता है। • डायवर्जेंस की स्थित तब उत्पन्न होती है जब RBI को यह ज्ञात होता है कि ऋणदाता द्वारा किसी वर्ष विशेष में बैड लोन (अशोध्य ऋण) के बारे में अल्प-सूचित किया गया है या किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गयी है। ऐसे में बैड लोन या प्रोविजनिंग का 10 प्रतिशत से अधिक अल्प-सूचित होने पर RBI ऋणदाता को प्रकटीकरण हेतु आदेश देता है। • अनेक बैंकों द्वारा NPA's की पहचान करने में किए गए विलंब के कारण डायवर्जेंस की पहचान की गई। • हाल ही में, सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों ने अपनी त्रैमासिक रिपोर्ट जारी करते समय निर्दिष्ट लक्ष्यों से विचलन की सूचना प्रदान की है।

VISION IAS

ग्राहक आउटरीच पहल (Customer Outreach Initiative)	• केंद्र सरकार ने सितंबर में **'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) की ओर से ग्राहक आउटरीच पहल'** का शुभारंभ किया था, ताकि विवेकपूर्ण ऋणों से कोई समझौता किए बिना तीव्र गति से ऋण प्रदान किया जा सके और अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। इसके तहत विशेषकर MSMEs (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम), NBFCs (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां), कॉरपोरेट जगत, छोटे एवं कृषि ऋण प्राप्त करने वालों पर फोकस किया गया है।
लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (Letter of Undertaking: LoU)	• यह एक प्रकार से **बैंक की गारंटी** होती है जिसके तहत एक बैंक अपने ग्राहक को किसी अन्य भारतीय बैंक की विदेशी शाखा से अल्पावधि के लिए ऋण प्राप्त करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। • PNB घोटाला के मामले में 25,000 करोड़ रुपये LoU के माध्यम से ही जारी किए गए थे (धोखाधड़ी से)।
रेप्को बैंक (Repco Bank)	• यह एक बहु-राज्य सहकारी समिति है, जिसकी स्थापना वर्ष 1969 में केंद्र सरकार द्वारा **म्यांमार एवं श्रीलंका** से प्रत्यावर्तित लोगों के पुनर्वास के लिए की गई थी। • यह केवल दक्षिण भारत के चार राज्यों नामतः आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कार्यरत है। • रेप्को बैंक का प्रशासनिक नियंत्रण **गृह मंत्रालय** के अधीन है।
RBI का दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क (RBI's Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets: PFRSA)	• **रतन इंडिया पावर लिमिटेड** ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले 12 ऋणदाताओं के संघ के साथ अपने ऋण के समाधान के लिए एकबारगी निपटान किया है। • RBI द्वारा 7 जून, 2019 को जारी किए गए PFRSA के अंतर्गत निपटान की जाने वाली यह प्रथम सफल योजना है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (NCLT) के क्षेत्राधिकार के बाहर निपटान की जाने वाली यह सबसे बड़ी राशि है। • PFRSA दबावग्रस्त परिसंपत्तियों हेतु पारदर्शी और समयबद्ध रूप से त्वरित समाधान प्रदान करता है: ○ समाधान योजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन के संबंध में ऋणदाताओं को निर्णय लेने के संबंध में पूर्ण विवेकाधिकार प्रदान करना, ○ समाधान योजना के क्रियान्वयन या दिवाला संबंधी कार्यवाही करने में विलंब के लिए **दंडात्मक कार्रवाई** करना, ○ सभी ऋणदाताओं द्वारा बहुमत के आधार पर निर्णय करने के लिए एक **अंतर-ऋणदाता समझौता (ICA)** पर हस्ताक्षर करने को अनिवार्य बनाना।
उत्कर्ष 2022 (Utkarsh 2022)	• हाल ही में, RBI ने अपने अधिदेशों के निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त करने और नागरिकों एवं अन्य संस्थानों के विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की **मध्यम अवधि कार्य-नीतिगत रूपरेखा (Medium-term Strategy Framework) 'उत्कर्ष 2022'** का शुभारंभ किया। • यह मध्यम अवधि के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु एक **तीन वर्षीय रोड मैप** है, जो विनियमन और पर्यवेक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए वैश्विक केंद्रीय बैंकों की योजना के अनुरूप है।

VISION IAS

eBक्रय (eBkray)	• यह एक **ई-नीलामी मंच** है, जो ई-नीलामी के लिए संपत्तियों की जानकारी हेतु सिंगल विंडो पहुँच के साथ-साथ सभी PSB की ई-नीलामी साइटों पर समान संपत्तियों के मध्य तुलना करने की सुविधा प्रदान करता है। • हाल ही में, इसका **वित्त मंत्रालय** द्वारा शुभारंभ किया गया था।
ऑपरेशन ट्विस्ट (Operation Twist)	• यह **अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक की एक मौद्रिक नीति** है, जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में मौद्रिक सुगमता प्रदान करने के लिए सरकारी बॉण्ड का क्रय और विक्रय सम्मिलित है। • RBI ने भी इसी के अनुरूप अपनी **ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO)** प्रणाली के अंतर्गत सरकारी बॉण्ड का क्रय और विक्रय करने की घोषणा की है।



3. वित्तीय बाजार

(Financial Markets)

3.1. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां

(Credit Rating Agencies)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सेबी (SEBI) ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRAs) के लिए **व्यापक प्रकटीकरण मानदंडों** को प्रस्तुत किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसने **"डिफ़ॉल्ट की संभावना"** का एक तंत्र आरंभ किया है, जिसके अंतर्गत रेटिंग एजेंसियों को दिसंबर 2019 तक जिन जारीकर्ताओं को उन्होंने रेटिंग प्रदान की है, उनके डिफ़ॉल्ट की संभावना का प्रकटीकरण करना होगा।
- इसके तहत डिफ़ॉल्ट की ट्रैकिंग और समय पर उसके पहचान हेतु **यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर** तैयार करने का भी प्रावधान है।

भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियां) विनियमन, 1999 वस्तुतः SEBI को भारत में संचालित होने वाली क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- भारत में कार्य संचालन करने के लिए सभी क्रेडिट एजेंसियों का भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के साथ पंजीकरण आवश्यक है।
- विनियमों के अनुसार, CRA को एक ऐसे "निगमित निकाय के रूप में परिभाषित किया गया है, जो पब्लिक अथवा राईट इशू के माध्यम से प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूतियों की रेटिंग के व्यवसाय में संलग्न हैं या इसमें संलग्न होने की इच्छा रखती हैं।"
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियां) विनियम, 1999 वस्तुतः प्रकटीकरण आधारित एक व्यवस्था का प्रावधान करता है, जिसके अंतर्गत एजेंसियों को अपनी रेटिंग मानदंड, कार्यप्रणाली, डिफ़ॉल्ट पहचान नीति तथा हितों के टकराव से निपटने के दिशा-निर्देशों का प्रकटीकरण करना आवश्यकता होता है।
- सेबी के अंतर्गत सात क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां पंजीकृत हैं- क्रिसिल, ICRA, CARE, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, SMERA, इन्फोमेरिक्स और ब्रिकवर्क्स।

3.2. कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार

(corporate bond market)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारत में कॉर्पोरेट ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार की संभावनाओं की जांच करने हेतु **टी. आर. मनोहरन** की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसने द्वितीयक बाजार का प्रबंधन करने के लिए स्व-नियामकीय निकाय (SRB) के निर्माण का सुझाव दिया।
- यह द्वितीयक बाजार में खरीद और कॉर्पोरेट ऋणों की बिक्री के लिए उचित मानदंड दरों का विकास करेगा।

कॉर्पोरेट बॉण्ड्स (बंधपत्र) के बारे में

- कॉर्पोरेट बॉण्ड्स निजी और सार्वजनिक निगमों द्वारा जारी की गई ऋण प्रतिभूतियां होती हैं। कंपनियां विभिन्न उद्देश्यों, जैसे- नया संयंत्र स्थापित करने, उपकरण खरीदने या व्यवसाय बढ़ाने हेतु धन संग्रहण के लिए कॉर्पोरेट बॉण्ड्स जारी करती हैं।
- इससे पूर्व, **एच. आर. खान समिति** ने कॉर्पोरेट बॉण्ड्स बाजार के विकास हेतु अनुशंसाएं प्रस्तुत की थीं।
- सरकार ने भारत में कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार विकसित करने के लिए वर्ष **2019-2020 के बजट** में कुछ उपायों की घोषणा की थी, जैसे-
 - अवसंरचना क्षेत्रक पर विशेष ध्यान सकेंद्रण के साथ कॉर्पोरेट बॉण्ड रेपो, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप आदि के लिए बाजार को सुदृढ़ करना।
 - विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को अवसंरचना ऋण निधियों द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों में भी निवेश की अनुमति होगी।

VISION IAS

- **ऋण गारंटी संवर्धन निगम** (जिसके लिए RBI द्वारा विनियमों को अधिसूचित किया गया है) की स्थापना की जाएगी। यह पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं द्वारा जारी किए गए बॉण्ड्स पर गारंटी प्रदान करेगा।
- इक्विटी, ऋण या म्यूचुअल फंड जैसी इकाइयों के रूप में पूँजी संग्रहण के लिए सामाजिक उद्यमों और स्वयंसेवी संगठनों को सूचीबद्ध करने हेतु एक मंच की स्थापना करना।

- RBI ने सरकारी और कॉर्पोरेट बॉण्ड्स में **FPI** के लिए निवेश की सीमा में वृद्धि की है। **वर्तमान मानदंडों के अंतर्गत**, FPI द्वारा अल्पकालिक निवेश या तो केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (ट्रेजरी बिल सहित) या राज्य विकास ऋणों में उस FPI के कुल निवेश का 20% से अधिक नहीं होना चाहिए।
 - कॉर्पोरेट बॉण्ड्स में निवेश पर भी यही मानदंड लागू होते हैं।
- RBI ने ऋण में FPI निवेश के लिए **स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (Voluntary Retention Route: VRR) में छूट प्रदान** की है।
 - VRR वह **पृथक माध्यम है, जो FPI को भारत के ऋण बाजारों में निवेश करने में सक्षम बनाता है।**
 - **VRR के तहत** निवेश, ऋण बाजारों में FPI निवेशों के लिए लागू विनियामकीय मानदंडों से स्वतंत्र हैं, बशर्ते FPI स्वेच्छा से एक अवधि तक भारत में अपने निवेश का एक आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हो।
 - न्यूनतम प्रतिधारण अवधि सामान्यत: तीन वर्ष की होती है, अथवा जैसा कि RBI द्वारा निर्धारित की जाए।
 - VRR के माध्यम से निवेश की उच्चतम सीमा को दोगुना करके 1.5 लाख करोड़ रूपये कर दिया गया है।

अतिरिक्त जानकारी

बॉण्ड प्रतिफल (Bond Yield)	• भारत में, केंद्रीय बजट के आलोक में सरकारी बॉण्ड पर प्रतिफल में तीव्र गिरावट आई है। • **बॉण्ड वस्तुत: किसी देश की सरकार या किसी कंपनी द्वारा धन संग्रहण हेतु जारी किया गया एक ऋण प्रपत्र होता है, जिसकी एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि होती है।** • प्रत्येक बॉण्ड का (जारीकर्ता द्वारा निर्धारित) एक मूल्य होता है, जिसे **अंकित मूल्य** (face value) कहा जाता है तथा वार्षिक ब्याज को **कूपन भुगतान** के रूप में जाना जाता है। • बाद में जब इन बॉण्ड्स का द्वितीयक बाजार में व्यापार किया जाता है, तो अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में परिवर्तन, प्रपत्र की मांग, परिपक्वता समय और उक्त बॉण्ड्स की क्रेडिट गुणवत्ता की अनुक्रिया में इसकी कीमत में उतार-चढ़ाव होता है। • प्रतिलाभ (return) की प्रभावी दर या बॉण्ड द्वारा अर्जित किए जाने वाले लाभ को **बॉण्ड प्रतिफल (yield)** कहा जाता है और इसकी गणना बॉण्ड की कूपन दर को बॉण्ड के अंकित मूल्य से विभाजित करके की जाती है। बॉण्ड प्रतिफल का **बॉण्ड के मूल्य के साथ व्युत्क्रम (inverse) संबंध होता है।** • सरकारी बॉण्ड्स {भारत में सरकारी प्रतिभूति (G-secs), अमेरिका में ट्रेजरी तथा यूनाइटेड किंगडम में गिल्ट के रूप में संदर्भित) राज्य की गारंटी के साथ जारी किए जाते हैं और ये अन्य निवेश विकल्पों, जैसे- शेयरों, कॉर्पोरेट बॉण्ड्स आदि की तुलना में सर्वाधिक सुरक्षित निवेश माने जाते हैं। • इस प्रकार, जब कोई अर्थव्यवस्था मंद (स्लो) होती है, तो निवेशक सरकारी बॉण्ड्स में निवेश करने को वरीयता प्रदान करते हैं, जिससे इनकी मांग और कीमतों में वृद्धि होती है और इस प्रकार उनके प्रतिफलों (yields) में गिरावट आती है। • वहीं दूसरी ओर, जब किसी अर्थव्यवस्था में संवृद्धि होती है, तो मुद्रास्फ़ीति में भी वृद्धि होती है, जिससे रेपो दर में बढ़ोतरी होती है। इससे अन्य निवेश विकल्पों में प्राप्त होने वाले ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है और इस प्रकार सरकारी बॉण्ड्स की मांग तथा उनकी कीमतों में कमी आ सकती है, जिससे उनके प्रतिफल (yield) में वृद्धि हो सकती है। • इसलिए बॉण्ड प्रतिफल **आर्थिक विकास का आकलन करने में एक उपयोगी मापदंड** हो सकता है।
प्रतिफल वक्र (Yield Curve)	• यह विभिन्न समय सीमा पर **बॉण्ड्स** (समान क्रेडिट रेटिंग के साथ) **के लिए प्रतिफल का रेखाचित्रीय निरूपण होता है।** • इस पद का प्रयोग सामान्यतया सरकारी बॉण्ड्स के लिए किया जाता है, जो समान संप्रभु गारंटी के साथ आते हैं। • यदि बॉण्ड निवेशक अर्थव्यवस्था में सामान्य रूप से वृद्धि होने का अनुमान करते हैं, तो प्रतिफल का वक्र **उपर की ओर** होता है।

VISION IAS

	• जब अर्थव्यवस्था में केवल अल्प वृद्धि होने का अनुमान होता है, तो प्रतिफल वक्र **सीधा (flat)** होता है। • जब अर्थव्यवस्था में स्लोडाउन (गिरावट) का अनुमान होता है, तो प्रतिफल का वक्र व्युत्क्रमित होता है।
बॉण्ड प्रतिफल व्युत्क्रमण (Bond Yield Inversion)	• प्रतिफल व्युत्क्रमण तब होता है जब दीर्घावधि वाले बॉण्ड्स पर प्रतिफल, लघु अवधि वाले बॉण्ड्स पर प्रतिफल से कम होता है। • प्रतिफल व्युत्क्रमण सामान्य तौर पर **मंदी (recession)** का संकेत देता है। • एक व्युत्क्रमित प्रतिफल वक्र प्रदर्शित करता है कि निवेशकों को भविष्य में संवृद्धि में गिरावट का अनुमान है। दूसरे शब्दों में, धन की मांग वर्तमान की तुलना में बहुत कम होगी और इसलिए प्रतिफल भी कम होगा।
नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	• यह विभिन्न क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड्स का प्रबंधन और संचालन करने वाली साझी न्यासी कंपनी है। • इसे वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा स्थापित किया गया है।

3.3 मसाला बॉण्ड्स

(Masala Bonds)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 850 करोड़ रुपये मूल्य के अपने 10 वर्षीय मसाला बॉण्ड्स को इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (India INX) के ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट पर सूचीबद्ध किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- ADB के मसाला बॉण्ड्स लक्जमबर्ग एक्सचेंज और इंडिया INX दोनों पर सूचीबद्ध हैं।
- यह प्रथम बार है जब एक विदेशी निर्गमकर्ता (एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था), इंडिया INX के साथ एक प्राथमिक लिस्टिंग (सूचीकरण) कर रहा है।
- यह भारतीय और विदेशी निर्गमकर्ताओं द्वारा धन संग्रहण हेतु गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (GIFT IFSC) को एक वैश्विक केंद्र के रूप में प्रोत्साहित करेगा।

मसाला बॉण्ड्स के बारे में

- **मसाला बॉण्ड्स वस्तुतः रुपये में मूल्यवर्गित बॉण्ड्स होते हैं।** इनके माध्यम से विदेशी बाजारों से भारतीय रूपये में धन जुटाया जाता है।
- कोई भी निगम, कॉर्पोरेट निकाय और भारतीय बैंक, विदेशों में रूपये मूल्य वर्ग के बॉण्ड्स जारी करने हेतु पात्र हैं।
- प्रथम मसाला बॉण्ड वर्ष 2014 में **अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम** (IFC) द्वारा भारत में अवसंरचना परियोजनाओं हेतु जारी किया गया था।
- इस प्रकार के बॉण्ड्स के माध्यम से संग्रहित धनराशि का उपयोग स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) गतिविधियों (एकीकृत टाउनशिप या वहनीय आवास परियोजनाओं के विकास को छोड़कर) के लिए **नहीं** किया जा सकता है।
 - इसका **उपयोग पूँजी बाजार में निवेश करने,** भूमि खरीदने और उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों के लिए अन्य संस्थाओं को ऋण प्रदान करने हेतु भी **नहीं किया जा सकता।**
- ये बॉण्ड्स केवल किसी देश में जारी किए जा सकते हैं और इसे केवल **वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)** के उन सदस्य देशों के निवासियों द्वारा सब्सक्राइब्ड (अभिदत्त) किया जा सकता है, जिनका प्रतिभूति बाजार नियामक **इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन** (IOSCO's) का हस्ताक्षरकर्ता है।
- मसाला बॉण्ड्स **भारतीय रिजर्व बैंक की बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) नीति** के अंतर्गत विनियमित किए जाते हैं।
- अन्य देश भी इसी प्रकार के स्थानीय-मुद्रा मूल्यवर्ग वाले बॉण्ड्स जारी करते हैं, जैसे- **डिम सम बॉण्ड** (चाइनीज रॅन्मिन्बी में मूल्यवर्गित), **समुराई बॉण्ड** (जापानी येन में मूल्यवर्गित), **कोमोडो बॉण्ड** (इंडोनेशियाई रुपिया में मूल्यवर्गित) आदि।

इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (IFSC) लिमिटेड (इंडिया INX) के बारे में

- यह देश का **प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज** है, जो **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी** गुजरात में अवस्थित है।
- यह **बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) लिमिटेड** की एक सहायक कंपनी है।
- यह 4 माइक्रो सेकंड के प्रतिवर्तन काल (turn-around time) वाला विश्व का तीव्रतम अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज है जो **EUREX T7** के उन्नत प्रौद्योगिकी मंच पर संचालित होता है।

VISION IAS

- इसने भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्राइमरी मार्केट मंच **ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट** का शुभारंभ किया है, जो वैश्विक निवेशकों को भारतीय और विदेशी निर्गमकर्ताओं से संबद्ध करता है।

3.4. कमोडिटी सूचकांक

(Commodity Indices)

सुर्ख़ियों में क्यों

हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट वाले स्टॉक एक्सचेंजों को वायदा अनुबंध (futures) करने की अनुमति प्रदान की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- ध्यातव्य है कि इससे पूर्व, SEBI ने **कमोडिटी डेरिवेटिव बाजारों** में **कमोडिटी ऑप्शंस की अनुमति** प्रदान की थी।
- **डेरिवेटिव** दो या दो से अधिक पक्षों के मध्य एक अनुबंध होता है जिसका मूल्य एक अनुबंधित अंतर्निहित वित्तीय परिसंपत्ति (जैसे- एक प्रतिभूति) अथवा परिसंपत्तियों (जैसे- एक सूचकांक) पर आधारित होता है।
 - **इससे संबंधित सामान्य उपकरणों** में बॉण्ड, कमोडिटीज, मुद्राएं, बाजार सूचकांक, स्टॉक इत्यादि शामिल हैं।
 - **डेरिवेटिव** में फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप आदि शामिल हैं।
- डेरिवेटिव स्वामित्व का तात्पर्य संपत्ति के स्वामित्व से नहीं है।
- **वायदा अनुबंध (फ्यूचर्स):** यह एक भावी तिथि पर अंतर्निहित प्रतिभूति के क्रय अथवा विक्रय का एक कानूनी रुप से बाध्यकारी समझौता है। जब इसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति एक कमोडिटी होती है तो इसे कमोडिटी फ्यूचर्स कहा जाता है। विशिष्ट अंतर्निहित परिसंपत्तियों में कच्चा तेल, गेहूं, मक्का, सोना, चांदी और प्राकृतिक गैस सम्मिलित हैं।
- **ऑप्शंस:** यह एक प्रकार का डेरिवेटिव अनुबंध होता है, जो खरीददार/अनुबंध के धारक को एक निर्दिष्ट अवधि के अंत में अथवा इसके दौरान पूर्व निर्धारित मूल्य पर अंतर्निहित परिसंपत्ति के क्रय/विक्रय का अधिकार (परन्तु बाध्यता कोई नहीं होती) प्रदान करता है। ऑप्शन का क्रेता/धारक एक मूल्य चुकाकर विक्रेता/अनुबंधकर्ता से अधिकार क्रय करता है, जिसे प्रीमियम कहते है।

3.5. पार्टिसिपेटरी नोट्स

(Participatory Notes: P-Notes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पार्टिसिपेटरी नोट्स (P-नोट्स) के माध्यम से भारतीय पूंजी बाजार में निवेश, दिसंबर 2019 के अंत तक लगभग 11 वर्ष के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 के पश्चात् से P-नोट्स के उपयोग में गिरावट आयी है।

इस प्रकार के गिरावट की प्रवृत्ति के कारण

- पी- नोट्स से संबंधित नियमों को अधिक कठोर बनाना।
- एच. आर. खान समिति की अनुशंसाओं के आधार पर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए उदारीकृत मानदंड।
- इक्विटी अंतर्वाहों में गिरावट।
- विगत दशक के दौरान भारतीय कॉर्पोरेट्स की लाभप्रदता में गिरावट आयी है।

पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में

- **P-नोट्स** वस्तुतः भारतीय परिसंपत्ति में अंतर्निहित अपतटीय डेरीवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स (लिखत) होते हैं। पंजीकृत **विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI)** द्वारा ये P-नोट्स अन्य विदेशी निवेशकों या हेज फंड्स को जारी किए जाते हैं, जो सीधे SEBI के तहत स्वयं को पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजार में निवेश करते हैं, जैसे- सिटी ग्रुप और ड्यूश बैंक।
- **लाभ:** P-नोट्स त्वरित धन तक भारतीय पूंजी बाजार की पहुंच प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, P-नोट्स, निवेशकों को बोझिल नियामकीय अनुमोदन प्रक्रिया से बचाने में सक्षम होते हैं। चूंकि ये निवेशक प्रत्यक्ष पंजीकरण नहीं कराते हैं, अतः इनके समय एवं धन की बचत होती और साथ ही ये अन्य प्रकार के जांच से भी बच जाते हैं।
- **चिंताएं:** प्रायः P-नोट्स से संबद्ध निवेशकों की पहचान गुप्त होती है। अतः इसे ऐसे उपकरण के रूप में देखा जाता है जिनका धनशोधन करने या अवैध गतिविधियों का वित्तपोषण करने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, P-नोट्स के माध्यम से कार्य करने वाले हेज फंड के कारण भारत के एक्सचेंजों में आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है।

VISION IAS

3.6. द्विपक्षीय नेटिंग

(Bilateral Netting)

सुर्खियों में क्यों?

बजट 2020 में **द्विपक्षीय नेटिंग** का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **द्विपक्षीय नेटिंग समझौता** किसी वित्तीय अनुबंध में शामिल दो प्रतिपक्षों को एक-दूसरे के विरुद्ध दावों को ऑफसेट (समायोजन) करने में सक्षम बनाता है, जिससे कि एक प्रतिपक्ष का दूसरे पर बकाया **एकल निवल भुगतान दायित्व** निर्धारित किया जा सके।
 - इसका अर्थ यह है कि **देय और प्राप्य राशियों को परस्पर समायोजित (net off) कर दिया जाता है।**
- भारतीय वित्तीय अनुबंध कानून **द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति प्रदान नहीं करता है।** हालांकि, ये कानून बहुपक्षीय नेटिंग की अनुमति प्रदान करते हैं जहां पक्षकारों द्वारा एक केंद्रीय प्रतिपक्ष के माध्यम से एक-दूसरे के विरुद्ध दावों को ऑफसेट किया जा सकता है।
- द्विपक्षीय नेटिंग के बिना, भारतीय बैंकों को ओवर-द-काउंटर (OTC) बाजार में अपने व्यापार के विरुद्ध उच्च मात्रा में पूँजी को पृथक से नियत करके रखना पड़ता है, जिससे बाजार में भाग लेने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त, यह व्यवस्था न होने पर डिफ़ॉल्ट के दौरान प्रणालीगत जोखिम में भी वृद्धि होती है।
- द्विपक्षीय नेटिंग से बैंकों, प्राइमरी डीलर्स और अन्य बाजार निर्माताओं के लिए प्रतिरक्षा (hedging) लागतों और तरलता की आवश्यकताओं को कम करने में सहायता प्राप्त होगी, जिससे OTC डेरिवेटिव बाजार में भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
- यह कॉर्पोरेट डिफ़ॉल्ट स्वैप बाजार को विकसित करने में भी सहायता करेगी।
- वैश्विक नियामक निकायों जैसे कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड और बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति ने इस प्रकार की नेटिंग के उपयोग का समर्थन किया है। वर्तमान में, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि के पास इस प्रकार के नेटिंग समझौते हैं।

3.7. वैकल्पिक निवेश निधि

(Alternate Investment Fund: AIF)

सुर्खियों में क्यों?

सरकार ने अवरुद्ध आवास परियोजनाओं को पूरा करने हेतु वैकल्पिक निवेश निधि (AIF) के रूप में 25,000 करोड़ रुपये के लक्षित कोष के सृजन की घोषणा की है।

अन्य संबंधित तथ्य

AIF से तात्पर्य भारत में स्थापित या निगमित ऐसे कोष से है, जो **निजी स्तर पर संग्रहित निवेश उपकरण** के रूप में हो तथा जो अपने निवेशकों के लाभ के लिए उपबंधित निवेश नीति के अनुरूप प्रगतिशील निवेशकों (चाहे वे भारतीय हों या विदेशी हो) से धन एकत्र करता है।

- **AIF को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के विनियमों के अंतर्गत निम्नलिखित के तौर पर वर्गीकृत किया गया हैं: श्रेणी I** (उद्यम पूंजी निधि, लघु एवं माध्यम उद्यम फंड, सामाजिक उद्यम निधि आदि); **श्रेणी II** (स्थावर संपदा निधि, निजी इक्विटी फंड, तनावग्रस्त परिसंपत्ति के लिए फंड आदि) और **श्रेणी III** {हेज फंड, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी (PIPE) फंड, आदि}।
- **भारत की राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (NIIF) और कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड (CPPIB)** इस बात पर सहमत हुए हैं कि NIIF मास्टर फंड के माध्यम से CPIBIB, 600 मिलियन डॉलर तक निवेश करेगा।
 - NIIF मास्टर फंड परिवहन, ऊर्जा और शहरी अवसंरचना पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ भारत में मुख्य अवसंरचना क्षेत्रों के इक्विटी पूंजी में निवेश करता है।
 - NIIF को SEBI विनियमन के अंतर्गत एक AIF माना जाता है।
 - NIIF एक ट्रस्ट है जो अवसंरचना वित्त कंपनियों की इक्विटी में निवेश करने के लिए ऋण जुटाता है।
 - यह अवसंरचना के वित्तपोषण में बैंकरों के बैंक की भांति कार्य करता है। NIIF के 49% भाग पर सरकार का स्वामित्व है।

अतिरिक्त जानकारी

प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (SAT)	• यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) अधिनियम, 1992 की धारा 15K के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित एक **वैधानिक निकाय** है। • यह SEBI, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण और भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा **पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई और निपटान** करता है।

VISION IAS

डेटा लेक प्रोजेक्ट	• SEBI ने **संभावित बाजार व्यवहार कौशल** के प्रोत्साहन हेतु सोशल मीडिया पोस्ट की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए पर्यवेक्षण में सुधार करने के उद्देश्य से एक डेटा लेक प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना निर्मित की है। • डेटा लेक एक **केंद्रीकृत भंडार** है **जो किसी को भी किसी भी पैमाने पर सभी संरचित और असंरचित डेटा को संग्रहीत करने की अनुमति देता है।**
इनसाइडर ट्रेडिंग (अंतरंग व्यापार)	• यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति की खरीद या बिक्री है, जिसे प्रतिभूति के विषय में महत्वपूर्ण गैर-सार्वजनिक सूचना तक पहुंच प्राप्त होती है। • भारत में, **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992** को **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड** अधिनियम, 1992 के अंतर्गत संरचित किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रतिभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग के खतरे को नियंत्रित एवं प्रतिबंधित करना है। **कंपनी अधिनियम, 2013** भी इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रतिबंधित करता है।
जापानी फर्म निक्की द्वारा जारी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI)	• यह विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक, दोनों में **व्यावसायिक गतिविधि का एक संकेतक है।** • **PMI का उद्देश्य** कंपनी के निर्णय निर्माताओं, विश्लेषकों और क्रय प्रबंधकों को वर्तमान व्यावसायिक स्थितियों के विषय में जानकारी प्रदान करना है। • यह एक **सर्वेक्षण-आधारित उपाय** है जिसके तहत प्रतिक्रियाकर्ताओं से पिछले माह की तुलना में कुछ प्रमुख व्यावसायिक चरों में होने वाले संभावित परिवर्तनों पर उनकी धारणा के विषय में प्रश्न पूछा जाता है। • **50 से अधिक** का आंकड़ा व्यवसाय गतिविधि में **विस्तार को व्यक्त करता है। 50 से नीचे** का कोई भी आंकड़ा **संकुचन को दर्शाता है।**
भारत- 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF)	• हाल ही में, भारत- 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) की चतुर्थ श्रृंखला का शुभारंभ किया गया, जिसे फर्दर फंड ऑफर -2 (FFO-2) के रूप में भी जाना जाता है। • ETF एक प्रतिभूति है जो इंडेक्स फंड की भांति एक सूचकांक, **कमोडिटी या परिसंपत्तियों के बास्केट की निगरानी करता है किन्तु एक्सचेंज पर स्टॉक की भांति इसका व्यापार किया जाता है।** • **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs), सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों और निजी कंपनियों के 22 स्टॉक** में भारत- 22 ETF के माध्यम से निवेश किया जाता है, जो कि स्पेसिफाईड अंडरटेकिंग ऑफ़ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (SUUTI) की रणनीतिक संपत्ति हैं। • यह CPSE ETF के पश्चात् **भारत सरकार का दूसरा ETF है** जिसमें केवल राज्य संचालित कंपनियां इसके घटकों के रूप में सम्मिलित हैं। • ETF की प्राप्तियां सरकार को चालू वित्त वर्ष के लिए 1.05 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेंगी।
बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति	• **उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** ने हाल ही में **बीमा मध्यस्थ (insurance intermediaries)** में स्वत: संचालित मार्ग के माध्यम से **100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** की अनुमति दी। • **बीमा मध्यस्थ,** ब्रोकर या अभिकर्ता होते हैं, जो बीमा कंपनियों और ग्राहकों के मध्य संपर्क स्थापित करते हैं। इनमें बीमा ब्रोकर, पुनर्बीमा ब्रोकर, बीमा परामर्शदाता, कॉर्पोरेट अभिकर्ता, तृतीय पक्ष प्रशासक, सर्वेक्षक और क्षति आकलनकर्ता सम्मिलित होते हैं। • यह कदम **देश में ऐसी वैश्विक प्रथाओं के अनुपालन को बढ़ावा देगा,** जिनमें नए बीमा उत्पाद और बिक्री रणनीति सम्मिलित होगी। • **पूर्व की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति** में बीमा क्षेत्र में **49% विदेशी निवेश की अनुमति दी** गई थी, जिसमें बीमा मध्यस्थ सम्मिलित हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)	• यह **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002** के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। CCI इस अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन हेतु उत्तरदायी है। • **CCI का कार्य** प्रतिस्पर्धा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली प्रथाओं को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना एवं बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। • **CCI में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य सम्मिलित** होते हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

VISION IAS

3.8. अविनियमित जमा योजनाएं

(Unregulated Deposit Schemes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति ने **निर्धन जमाकर्ताओं/निवेशकों को पोंजी स्कीम से सुरक्षित करने** हेतु एक तंत्र स्थापित करने के लिए **अविनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019** (Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019) को मंजूरी प्रदान की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में पोंजी योजनाएं (स्कीम) एक समस्या के रूप में सामने आई हैं। **रोज वैली, शारदा चिट फंड, बेंगलुरु में IMA ज्वेल्स घोटाला आदि** हाल ही में हुए कुछ प्रमुख घोटालों में से हैं।
- यह अधिनियम वर्तमान कानून में विद्यमान ऐसे अंतरालों को कवर करता है, जिनका विभिन्न पक्षों द्वारा छोटे निवेशकों से बड़ी मात्रा में धन जुटाने के लिए दुरुपयोग किया गया था।
- विशेष रूप से, यह निम्नलिखित तीन कानूनों को संशोधित करता है:
 - **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934;**
 - **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992;** और
 - **बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 (The Multi-State Co-operative Societies Act, 2002)।**

पोंजी योजना के बारे में (About Ponzi scheme)

- पोंजी योजना वस्तुतः एक धोखाधड़ीपूर्ण निवेश घोटाला (investing scam) है। इन योजनाओं के माध्यम से प्रायः निवेशकों को कम जोखिम के साथ उच्च प्रतिफल प्रदान करने का प्रलोभन दिया जाता है। सामान्यतया इस योजना के द्वारा नए निवेशकों को जोड़कर, पूर्व के (अर्थात् पुराने) निवेशकों को प्रतिफल प्रदान किया जाता है।
- वे पुराने निवेशकों को प्रतिफल प्रदान करने के लिए नए निवेश के निरंतर प्रवाह पर निर्भर रहते हैं। जब यह प्रवाह समाप्त हो जाता है, तो योजना विफल होकर ध्वस्त हो जाती है।

पोंजी योजनाओं की लोकप्रियता के कारण:

- **प्रतिफल की उच्च दर:** पोंजी योजनाओं की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण यह है कि निवेश के पारंपरिक रूपों, जैसे- पोस्ट ऑफिस की योजनाओं और सावधि जमाओं की तुलना में वे प्रतिफल की उच्च दर प्रस्तुत करती हैं।
- **सरलता से निवेश:** डोर-टू-डोर सेवा प्रदान करने वाले एजेंटों के कारण इन योजनाओं में निवेश करना बहुत सुविधाजनक होता है। कभी-कभी, इन योजनाओं से जुड़े ब्रांड एंबेसडर की लोकप्रियता ग्राहकों के लिए इन योजनाओं को वैधता प्रदान करती है।

3.9. चिट फंड्स (संशोधन) विधेयक, 2019

{Chit Funds (Amendment) Bill, 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लोकसभा में चिट फंड्स (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

चिट फंड के बारे में

- चिट फंड एक प्रकार की **बचत योजना** है, जिसमें एक निश्चित संख्या में ग्राहक/सदस्य **निर्धारित अवधि में किश्तों के रूप में भुगतान के माध्यम से अंशदान** करते हैं।
- चिट फंड की प्रकृति के आधार पर **प्रत्येक ग्राहक लॉट (lot), नीलामी या निविदा द्वारा निर्धारित पुरस्कार राशि का हक़दार होता है।**
- **चिट फंड का विनियमन:** भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय होने के कारण; केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को ही चिट फंड के संबंध में विधि-निर्माण का अधिकार प्राप्त है।
 - **न तो RBI और न ही SEBI** चिट फंड कारोबार को नियंत्रित करते हैं।
 - चिट फंड अधिनियम, 1982 के तहत सभी चिट फंड कंपनियों को **संबंधित राज्य सरकार के साथ पंजीकृत होना चाहिए।**

चिट फंड्स (संशोधन) विधेयक, 2019 के तहत प्रमुख प्रावधान

- यह विधेयक चिट फंड अधिनियम, 1982 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। वर्ष 1982 का चिट फंड अधिनियम, चिट फंड को नियंत्रित करता है और राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी फंड के सृजन को प्रतिबंधित करता है।

- विधेयक में चार व्यक्तियों द्वारा संचालित चिट फंड्स की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रूपये किया गया है तथा चार से अधिक भागीदारों द्वारा संचालित चिट फंड हेतु यह सीमा 18 लाख रूपये है।
- वर्ष 1982 के अधिनियम के तहत, चिट फंड के प्रबंधन का उत्तरदायित्व 'फोरमैन' को प्रदान किया गया है। वह चिट की कुल राशि का अधिकतम 5% कमीशन के रूप में प्राप्त करने हेतु अधिकृत था। इस विधेयक के तहत कमीशन को बढ़ाकर 7% किया गया है।
- इस विधेयक की सूची में **मैत्री फंड (fraternity fund)** तथा **आवर्ती बचत एवं क्रेडिट संस्था (rotating savings and credit institution)** को अतिरिक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

3.10. भारत में ई-कॉमर्स

(E-Commerce in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India: CCI) ने **'भारत में ई-कॉमर्स पर बाजार अध्ययन: महत्वपूर्ण निष्कर्ष एवं अवलोकन'** (Market Study on E-commerce in India: Key Findings and Observations) नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र का **वार्षिक वृद्धि दर 51 प्रतिशत है जो कि विश्व में सर्वाधिक है।**
- **वृद्धि के कारण:** स्मार्टफोन का व्यापक उपयोग, इंटरनेट तक पहुंच, कैश ऑन डिलीवरी, भारी छूट, एक दिन की आपूर्ति सहित तीव्र आपूर्ति, व्यापक उत्पाद रेंज आदि।
- **ई-कॉमर्स की प्रतिस्पर्धी क्षमता के समक्ष चुनौती:** प्लेटफ़ॉर्म तटस्थता की कमी, अनुचित प्लेटफ़ॉर्म से व्यापार अनुबंध की शर्तें, प्लेटफ़ॉर्म मूल्य समता प्रतिबंध और अत्यधिक छूट आदि।

ई-कॉमर्स के बारे में

- **ई-कॉमर्स का अर्थ है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स पर डिजिटल उत्पादों सहित वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय-विक्रय।**
- **ई-कॉमर्स व्यावसायिक मॉडल के प्रकार**
 - **इन्वेंटरी आधारित मॉडल:** उत्पाद ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के स्वामित्वाधीन होते हैं। उत्पाद की खरीद से आरंभ करके, भंडारण और उत्पाद प्रेषण के साथ समाप्त होने वाली पूरी प्रक्रिया का शुरू से लेकर अंत तक पूरा प्रबंधन कंपनी द्वारा किया जाता है। इस ई-कॉमर्स व्यवस्था के तहत वस्तुओ और सेवाओं की सूची (inventory) पर ई-कॉमर्स इकाई का स्वामित्व होता है जिसे सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय किया जाता है, जैसे- ग्रोफ़र्स, जबॉन्ग (Jabong), येपमी (YepMe) आदि।
 - **मार्केटप्लेस मॉडल:** इसके अंतर्गत एक ई-कॉमर्स कंपनी उत्पादों के भंडारण के बिना खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर IT प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। यह विभिन्न खुदरा विक्रेताओं/ब्रांडों को संयुक्त करता है और उन्हें बिक्री चैनल (शिपमेंट, कॉल सेंटर, वितरण और भुगतान सेवाएं) प्रदान करता है, लेकिन स्टॉक (वस्तु-सूची) के स्वामित्व का उपयोग नहीं कर सकता है।
- यह श्रेष्ठतर ग्राहक सेवा अनुभव को संभव बनाता है, क्योंकि अब कई छोटे ब्रांडों को अधिक आउटरीच प्राप्त हो पाती है (उनकी पूर्ति प्रक्रियाओं सम्बन्धी सेवाएं ई-बे/शॉपक्लूज जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेसेज़ द्वारा प्रदान कर दिये जाने के कारण)।
- ई-कॉमर्स के मार्केटप्लेस मॉडल में स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति है।
- ई-कॉमर्स के **इन्वेंटरी मॉडल** में FDI प्रतिबंधित है।

ई-कॉमर्स को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम

- डाटा स्वामित्व, सीमा-पार डाटा के प्रवाह, जालसाजी विरोधी उपायों, डिजिटल अर्थव्यवस्था, कराधान इत्यादि जैसे मुद्दों से निपटने तथा विधिक और प्रौद्योगिकी ढांचा स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा ई-कॉमर्स नीति का प्रारूप जारी किया गया था।
- सरकार ने विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन मार्केटप्लेस के संचालन को विनियमित करने के लिए **ई-कॉमर्स हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियम** स्थापित किए हैं:
 - ई-कॉमर्स कंपनियों को ऐसी कंपनियों के माध्यम से और ऐसी कंपनियों के उत्पादों को बेचने से प्रतिबंधित किया गया था जिसमें उनकी इक्विटी हिस्सेदारी है।
 - उन्हें अपने प्लेटफॉर्मों पर उत्पादों की बिक्री के लिए अनन्य समझौता (exclusive deals) करने से प्रतिबंधित किया गया था।
 - ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वस्तु सूची में 25% से अधिक वस्तुएं एकल विक्रेता की नहीं होनी चाहिए।
 - ई-कॉमर्स प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) की धारा 15 के अंतर्गत आता है।

VISION IAS

- ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस द्वारा अत्यधिक छूट प्रस्तावित करने को भी प्रतिबंधित किया गया है। सरकार इसका पर्यवेक्षण करने और ई-कॉमर्स से संबंधित विवादों का समाधान करने हेतु एक समर्पित नियामक की नियुक्ति का भी प्रयास कर रही है।
- ई-कॉमर्स कंपनियों हेतु प्रति वर्ष एक वैध लेखा परीक्षक के द्वारा FDI नीति की अनुपालन रिपोर्ट को प्राप्त व उसका अनुरक्षण करना अनिवार्य है।

अन्य तथ्य

- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने फ्लिपकार्ट और अमेज़न के विरुद्ध कथित अत्यधिक छूट के लिए जाँच का आदेश दिया है।
 - अत्यधिक छूट विशेष रूप से उत्पादों के खुदरा मूल्य की तुलना में उनके सामान्य मूल्य में कमी से बहुत अधिक होती है। इससे अन्य दुकानदारों को क्षति पहुँचती है।
- अत्यधिक छूट से निपटने के लिए, CCI ने न केवल स्व-नियमन का आयोजन किया है, बल्कि मामलों की विविधता के आधार पर जांच के लिए अपनी एंटी-ट्रस्ट सेवाओं को प्रस्तुत किया है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के बारे में

- यह **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002** के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है, जो इस अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन हेतु उत्तरदायी है।
- **CCI के कार्य:** प्रतिस्पर्धा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली प्रथाओं का उन्मूलन करना, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना व बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
- CCI में **एक अध्यक्ष और 6 सदस्य** होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

3.10.1. गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस

(Government E-Marketplace)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL), गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम बन गया है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2016 में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस **(GeM)** को आरंभ किया गया था, जोकि एक **ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म** है। यह सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सुविधाजनक बनाता है।
 - इसका गठन वर्ष 2016 में सचिवों के दो समूहों द्वारा प्रधानमंत्री को दी गई सिफारिशों के पश्चात् किया गया था।
 - इस पोर्टल को **आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय** (Directorate General of Supplies and Disposals: DGS&D) द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग (NeGD) के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है।
 - इसकी परिकल्पना भारत सरकार द्वारा **राष्ट्रीय खरीद पोर्टल** के रूप में की गई है और इसकी निगरानी प्रत्यक्ष रूप से **प्रधानमंत्री कार्यालय** द्वारा की जाती है।
 - सरकारी उपभोक्ताओं द्वारा GeM के माध्यम से खरीद को वित्त मंत्रालय द्वारा अनिवार्य किया गया है।
 - इस व्यवस्था को औपचारिक रूप प्रदान करने के लिए 24 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने GeM के साथ औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **GeM 3.0:** वर्ष 2016 में एक पायलट योजना के रूप में GeM 2.0 का शुभारंभ किया गया था और इसकी सफलता ने इस व्यापक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। सरकार ने अब इसके उन्नत संस्करण का शुभारंभ किया है, जिसे GeM 3.0 के नाम से जाना जाता है जो मानकीकृत और संवर्धित कैटलॉग प्रबंधन, शक्तिशाली सर्च इंजन, वास्तविक समय में मूल्यों के मध्य तुलना, मांग एकत्रीकरण (demand aggregation), उन्नत MIS और विश्लेषण तथा बहुत कुछ समग्री उपलब्ध कराएगा।

3.11. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

(Corporate Governance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, RBI के एक पैनल द्वारा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों (CIC) के लिए कठोर **कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशा-निर्देशों** का प्रस्ताव किया गया है।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्तमान में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशा-निर्देश स्पष्ट रूप से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों (CIC) पर लागू नहीं किए जाते हैं।
- पैनल द्वारा **बोर्ड-स्तरीय समितियों,** यथा- लेखा परीक्षण समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा समूह जोखिम प्रबंधन समिति के गठन की अनुशंसा की गई है।
- **CIC एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी** होती है, जो शेयरों और प्रतिभूतियों के अधिग्रहण का व्यवसाय करती है तथा समूहबद्ध कंपनियों में इक्विटी शेयरों, अधिमानी शेयरों, बंधपत्रों, डिबेंचर, कर्ज या ऋण में निवेश के रूप में अपनी निवल संपत्ति का 90% से कम नहीं रखती है।
- इसके अतिरिक्त, समूहबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयरों में इसका निवेश इसकी निवल संपत्ति का 60% से कम नहीं होता है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में

- यह **नियमों, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं** की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा किसी फर्म को निर्देशित एवं नियंत्रित किया जाता है। यह उन तरीकों से संबंधित है, जिनमें निगमों में पूँजी के आपूर्तिकर्ता, विशेष रूप से फेसलेस (सुदूर) व शक्तिहीन लघु निवेशकों को अन्य हितधारकों के समान ही उचित व्यवस्था प्रदान करने का आश्वासन प्रदान किया जाता है।
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस के केंद्र में एक निदेशक मंडल होता है, जो यह पर्यवेक्षण करता है कि प्रबंधन, कंपनी के सभी हितधारकों के दीर्घकालिक हितों की पूर्ति और उनकी रक्षा कैसे करता है।
 - ये **कंपनी अधिनियम 2013** द्वारा शासित होते हैं।
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए, **कंपनी अधिनियम निदेशक मंडल के भीतर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।**
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार हेतु गठित अन्य समितियाँ: कुमार मंगलम बिड़ला समिति, नरेश चंद्र समिति, नारायण मूर्ति समिति और जे. जे. ईरानी समिति।

अन्य तथ्य

स्वतंत्र निदेशक	• हाल ही में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने **स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक** (Independent Director's Databank) का शुभारंभ किया है। ○ यह मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों के पंजीकरण के साथ-साथ स्वतंत्र निदेशक बनने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए **मंच तक पहुंच और मार्गदर्शन प्रदान करेगा।** • इसका प्रबंधन **इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (IICA)** द्वारा किया जाएगा। **स्वतंत्र निदेशक** वह होता है, जिसका कंपनी या उसके निदेशकों से कोई भी भौतिक या वित्तीय संबंध नहीं होता है। एक स्वतंत्र निदेशक एक प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या किसी फर्म का कार्यकारी निदेशक अथवा इसका प्रोमोटर नहीं हो सकता। • कंपनी अधिनियम के तहत प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के लिए कुल निदेशकों की संख्या का **कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशकों के रूप में होना आवश्यक है।** • **कोटक समिति** की अनुशंसाओं के अनुसार, **SEBI (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2018** कठोर दायित्वों को आरोपित करता है, जिसमें यदि किसी कंपनी का अध्यक्ष कार्यवाहक/प्रोमोटर से संबंधित है, तो उस सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक मंडल के **कुल निदेशकों में से कम से कम आधे निदेशकों का स्वतंत्र निदेशक होना अनिवार्य है।** अन्य मामलों में यह बाध्यता कम से कम एक तिहाई है। ○ इसके अतिरिक्त, शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए **कम से कम एक महिला स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करना अनिवार्य है।** वही 1 अप्रैल 2020 तक यह शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए भी लागू होगा। • इस अधिनियम के अनुसार कंपनी की **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति** में कम से कम तीन निदेशक शामिल करना आवश्यक है, जिसमें **कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा।**

अतिरिक्त जानकारी

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)	• CSR एक अवधारणा है जो यह प्रस्तावित करती है कि समाज के भीतर संचालित निगमों का उत्तरदायित्व है कि वे समग्र रूप से समाज पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाले आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास में योगदान करें। • **कंपनी अधिनियम की धारा 135 भारत में CSR गतिविधियों के लिए नियम निर्धारित करती है।** ○ यह **500 करोड़ रुपये के निवल मूल्य (net worth) या 1,000 करोड़ रुपये के टर्नओवर अथवा 5 करोड़ रुपये के निवल लाभ (net profit) वाली प्रत्येक कंपनी** (चाहे निजी कंपनी हो या सार्वजनिक कंपनी) को अपने तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का **कम से कम 2%** CSR

VISION IAS

	गतिविधियों पर व्यय करने का अनिवार्य प्रावधान करता है। ○ भारत में व्यापार के सामान्य क्रम में CSR गतिविधियां आरंभ नहीं की जानी चाहिए और अनिवार्यत: **अधिनियम की अनुसूची VII** में उल्लिखित 17 CSR गतिविधियों में से किसी से संबंधित होनी चाहिए। • हाल ही में, CSR की मौजूदा रूपरेखा की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2018 में इंजेती श्रीनिवास की अध्यक्षता में गठित एक उच्च-स्तरीय समिति (HLC) ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (Serious Fraud Investigation Office: SFIO)	• यह एक गंभीर धोखाधड़ी की जांच हेतु गठित एक एजेंसी है। यह भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। • यह प्रमुख धोखाधड़ी जांच में आयकर विभाग और CBI के साथ समन्वय कर कार्य करती है। • **संगठन:** यह एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है, जिसमें वित्तीय क्षेत्र, पूँजी बाजार, लेखा, फोरेंसिक लेखापरीक्षण, कराधान, विधि, सूचना प्रौद्योगिकी, कंपनी कानून, सीमा शुल्क आदि से संबद्ध विशेषज्ञ शामिल होते हैं।
प्रिडेटरी प्राइसिंग (प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए कीमतों को जानबूझ कर कम रखना)	• प्रिडेटरी प्राइसिंग वस्तुतः बाजार के अग्रणियों (मार्केट लीडर्स) द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों को उनकी लागत से कम करके प्रदर्शित करने की गतिविधि को संदर्भित करती है। • तत्पश्चात, प्रतिस्पर्धियों की संख्या कम हो जाने पर प्रिडेटर के द्वारा अपनी हानियों की पूर्ति करने के लिए कीमतों में वृद्धि की जा सकती है। जब प्रिडेटर अपनी हानियों की पूर्ति करने का प्रयास करता है तो उस समय नए प्रतिभागियों को बाजार में प्रवेश करने से रोकने के लिए बाजार में प्रवेश करने संबंधी बाधाए पर्याप्त रूप से उच्च होनी चाहिए। इस तरह के व्यवहार को प्रतिस्पर्धा विरोधी माना जाता है। • हालांकि, ऐसे फर्म जो लागतों को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम (प्राइस वार) कर देते हैं, उसे प्रिडेटर नहीं माना जाएगा, जैसे- वॉलमार्ट।



4. समावेशी विकास

(Inclusive Development)

4.1. बहुआयामी निर्धनता सूचकांक

(Multidimensional Poverty Index: MPI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, 2019 (MPI) जारी किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- **इसे वर्ष 2010** में **ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल (Oxford Poverty and Human Development Initiative: OPHI)** तथा **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** द्वारा विकसित किया गया।
- वैश्विक MPI **वस्तुतः गंभीर बहुआयामी निर्धनता का एक अंतर्राष्ट्रीय मापन** है, जो लगभग 100 विकासशील देशों को कवर करता है।
- MPI व्यक्तिगत स्तर पर **निर्धनता का आकलन करता है।** इसके अंतर्गत **निर्धनता के मामलों तथा उसकी गहनता दोनों** का आकलन किया जाता है।
 - यदि कोई व्यक्ति दस में से तीन या अधिक (भारित) सूचकांकों के मामले में वंचित है, तो यह वैश्विक सूचकांक उस व्यक्ति की 'MPI निर्धन' के रूप में पहचान करता है; तथा उनकी निर्धनता की सीमा (extent) एवं गहनता (intensity) की माप उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली वंचन (deprivations) की प्रतिशतता के आधार पर की जाती है।

Dimensions of Poverty	Indicator	Deprived if living in the household where...	Weight
Health	Nutrition	An adult under 70 years of age or a child is undernourished.	1/6
	Child mortality	Any child under the age of 18 years has died in the five years preceding the survey.	1/6
Education	Years of Schooling	No household member aged 10 years or older has completed six years of schooling.	1/6
	School Attendance	Any school-aged child is not attending school up to the age at which he/she would complete class 8.	1/6
Standard of living	Cooking Fuel	The household cooks with dung, wood, charcoal or coal.	1/18
	Sanitation	The household's sanitation facility is not improved (according to SDG guidelines) or it is improved but shared with other households.	1/18
	Drinking Water	The household does not have access to improved drinking water (according to SDG guidelines) or safe drinking water is at least a 30-minute walk form home, round trip.	1/18
	Electricity	The household has no electricity.	1/18
	Housing	Housing materials for at least one of roof, walls and floor are inadequate: the floor is of natural materials and/or the roof and/or walls are of natural or rudimentary materials.	1/18
	Assets	The household does not own more than one of these assets: radio, TV, telephone, computer, animal cart, bicycle, motorbike or refrigerator, and does not own a car or truck.	1/18

- वैश्विक MPI का उपयोग निर्धनता से ग्रस्त लोगों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने और देश एवं वैश्विक स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन तथा इसके अतिरिक्त, किसी देश के भीतर नस्लीय समूहों, शहरी/ग्रामीण क्षेत्र, उप-राष्ट्रीय क्षेत्र और आयु समूह के साथ-साथ अन्य प्रमुख पारिवारिक एवं सामुदायिक लक्षणों के आधार पर आकलन हेतु किया जा सकता है।
- **वैश्विक MPI के 2019 के संस्करण में** 101 देशों (31 निम्न आय, 68 मध्यम आय तथा 2 उच्च आय वाले देशों) को शामिल किया गया है।
 - **भारत का MPI मान वर्ष 2005-06 में 0.283 से कम होकर वर्ष 2015-16 में 0.123 रह गया।**
 - सर्वाधिक गंभीर MPI वाले चार भारतीय राज्यों- बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में **झारखंड ने सर्वाधिक प्रगति की है।**
- कुल मिलाकर, भारत उन तीन देशों में से एक था, **जहां ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता में कमी शहरी क्षेत्रों में निर्धनता में कमी से अधिक है,** जो प्रो-पुअर डेवलपमेंट का सूचक है।

4.2. अन्य रिपोर्ट एवं सूचकांक

(Other Reports and Indexes)

ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स (Global Liveability Index)	• इस सूचकांक को **इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट** द्वारा जारी किया जाता है। • यह **140 शहरों का आकलन** करता है तथा शहरों को **पांच व्यापक वर्गों, यथा- स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा तथा आधारभूत अवसंरचना** में 30 से अधिक गुणात्मक एवं मात्रात्मक कारकों के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है। • वर्ष 2019 के **सूचकांक** में वियना (ऑस्ट्रिया) ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत से **नई दिल्ली** और **मुंबई** क्रमशः **118वें तथा 119वें** स्थान पर रहे हैं।
जीवन सुगमता सूचकांक (Ease of Living Index: EoLI)	• यह सूचकांक **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)** द्वारा जारी किया जाता है। • **इसका उद्देश्य निम्नलिखित संदर्भ में भारतीय शहरों का एक समग्र अवलोकन प्रदान करना है:** स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं, प्रशासन की प्रभावशीलता तथा शहरों में जीवन स्तर के संदर्भ में इन सेवाओं के माध्यम से उत्पन्न परिणाम और इन परिणामों के प्रति नागरिकों की धारणा। • EoLI 2019 निम्नलिखित **तीन स्तंभों के आधार पर नागरिकों के जीवन की सुगमता का आंकलन** करने में सुविधा प्रदान करेगा: जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता और संधारणीयता। • इसे आगे 50 संकेतकों के तहत **14 श्रेणियों में** विभाजित किया गया है, यथा- शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और आश्रय, WASH (वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन) एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM), गतिशीलता, सुरक्षा और संरक्षा, मनोरंजन, आर्थिक विकास, आर्थिक अवसर, गिनी गुणांक, पर्यावरण, हरित स्थान और भवन, ऊर्जा उपभोग और शहरी सुनम्यता। • पहली बार EoLI अकलन के भाग के रूप में, **नागरिकों की धारणा का सर्वेक्षण (Citizen Perception Survey)** किया जा रहा है (जिसका EoLI में 30 प्रतिशत भारांश है)।
नगर पालिका कार्य-प्रदर्शन सूचकांक (Municipal Performance Index: MPI)	• इस सूचकांक को **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)** द्वारा जारी किया जाता है। • यह **पांच कारकों (enablers), यथा- सेवा, वित्त, नियोजन, प्रौद्योगिकी और अभिशासन के आधार पर नगर पालिकाओं के प्रदर्शन** का आकलन करता है। • **इसके अंतर्गत 20 संकेतकों को शामिल किया गया है:** शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और अपशिष्ट जल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता, पंजीकरण और अनुज्ञा, अवसंरचना, राजस्व प्रबंधन, व्यय प्रबंधन, राजकोषीय उत्तरदायित्व, राजकोषीय विकेंद्रीकरण, डिजिटल अभिशासन, डिजिटल पहुंच, डिजिटल साक्षरता, योजना तैयारी, योजना कार्यान्वयन, योजना प्रवर्तन, पारदर्शिता और जवाबदेही, मानव संसाधन, भागीदारी एवं प्रभावशीलता। • इससे **नगरपालिकाओं को बेहतर योजना निर्माण और प्रबंधन, शहर के प्रशासन में अंतराल को समाप्त** करने तथा शहरों में बेहतर जीवन गुणवत्ता स्तर की दिशा में सुधार लाने में सहायता मिलेगी।

4.3. गिग इकॉनमी हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना

(Social Security Scheme For GIG Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

ड्राफ्ट कोड ऑन सोशल सिक्यूरिटी (सामाजिक सुरक्षा संहिता के मसौदे) में प्रस्तावित किया गया है कि केंद्र सरकार गिग कर्मियों (gig workers) हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रस्तावित कर सकती है।

अन्य संबंधित तथ्य

- गिग इकॉनमी में, अस्थायी एवं लचीली नौकरियां (flexible jobs) सामान्य हैं तथा कंपनियां पूर्ण कालिक कर्मचारियों की बजाय स्वतंत्र ठेकेदारों तथा फ्रीलांसरों का चयन करती हैं।

VISION IAS

- सामाजिक सुरक्षा संहिता के मसौदे के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर, **गिग कर्मियों और प्लेटफॉर्म कर्मियों (platform workers)** हेतु उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को तैयार और अधिसूचित किया जा सकता है।
 - इस प्रकार की योजनाओं में **"जीवन और नि:शक्तता कवर", "स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ", "वृद्धावस्था सुरक्षा" तथा "केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य लाभ" जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा।**
 - पहली बार, 'गिग कर्मियों' और 'प्लैटफॉर्म कर्मियों' को मसौदा कानून में शामिल किया गया है।
 - **मसौदा कानून द्वारा गिग कर्मी** को "ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी कार्य में नियोजित है अथवा कार्य निष्पादन में भाग लेता है और ऐसी गतिविधियों के एवज में परंपरागत "नियोक्ता-कर्मचारी संबंध" से इतर आय अर्जित करता है।" इसके उदाहरण हैं- फ्रीलांसर, स्वतंत्र ठेकेदार, परियोजना-आधारित श्रमिक और अस्थायी अथवा अंशकालिक श्रमिक।
 - **प्लेटफॉर्म कर्मी/श्रमिक,** ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो किसी ऐसे संगठन का भाग होता है, जो "भुगतान के प्रतिफल में विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने अथवा विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने हेतु अन्य संगठनों या व्यक्तियों तक पहुंच स्थापित करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है", जैसे- उबर (Uber) कार चालक।

अतिरिक्त जानकारी

औद्योगिक संबंध संहिता (Code on Industrial Relations)	• इस विधेयक का प्रयोजन व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विधियों का समेकन एवं संशोधन करना है। • औद्योगिक संबंध संहिता का मसौदा अग्रलिखित तीन केन्द्रीय श्रम अधिनियमों, यथा- व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926; औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रासंगिक प्रावधानों के समामेलन, सरलीकरण एवं उन्हें तर्कसंगत बनाने के उपरांत तैयार किया गया है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security)	• इसमें नौ केंद्रीय श्रम कानूनों को समाविष्ट किया गया जाएगा। • इस संहिता में सामाजिक सुरक्षा लाभों के सार्वभौमिकरण किया गया है तथा कुछ चयनित क्षेत्रकों में कर्मचारियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि में किए जाने वाले मासिक योगदानों में कटौती करने का प्रावधान है। • इस संहिता में एक सामाजिक सुरक्षा निधि के सृजन का प्रावधान है। साथ ही, इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के उपयोग द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कुछ लाभ पहुंचाना है।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता (Code on Occupational Safety)	• यह संहिता, 13 श्रम कानूनों को प्रतिस्थापित करती है तथा 10 या अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों के साथ-साथ सभी खदानों एवं डॉक में कार्यरत श्रमिकों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की स्थिति को विनियमित करती है। • केंद्र या राज्य सरकारें नियमों के माध्यम से भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रतिष्ठानों और श्रमिकों के लिए कल्याणकारी सुविधाओं, कार्य स्थितियों और कार्य के घंटों को निर्धारित करेंगी। • यह संहिता राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर व्यवसायगत सुरक्षा बोर्ड का गठन करती है। ये बोर्ड संहिता के अंतर्गत मानदंड, नियम और विनियम निर्मित करने हेतु केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श प्रदान करेंगे।
वेतन संहिता (Code on Wages)	• **कवरेज:** यह संहिता सभी कर्मचारियों पर लागू होगी। केंद्र सरकार रेलवे, खनन, ऑयल फ़ील्ड्स इत्यादि में नियोजन के के मामले में वेतन संबंधी निर्णय लेगी। राज्य सरकारें अन्य नियोजनों के मामले में निर्णय लेंगी। • मजदूरी में वेतन, भत्ते या मौद्रिक शब्दावली में उल्लेखित अन्य घटक शामिल होंगे। इसमें कर्मचारियों के लिए कोई बोनस या यात्रा भत्ता शामिल नहीं होगा। • **न्यूनतम वेतन निर्धारित करना:** यह संहिता नियोक्ताओं को न्यूनतम वेतन से कम वेतन भुगतान करने पर प्रतिबंध आरोपित करती है। न्यूनतम वेतन केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा

VISION IAS

	अधिसूचित किया जाएगा। • **लैंगिक भेदभाव:** यह संहिता समान कार्य या एकसमान प्रकृति के कार्य के लिए कर्मचारियों के वेतन और भर्ती से संबंधित मामलों में लैंगिक भेदभाव को प्रतिबंधित करती है।

4.4. अनुबंधित कर्मचारी

(Contractual Employees)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि **अनुबंधित कर्मचारी** भविष्य निधि लाभ के हकदार होंगे।

इस निर्णय के प्रमुख निष्कर्ष

- कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत, **कर्मचारी की एक समावेशी परिभाषा को शामिल किया है** और व्यापक रूप से "किसी ऐसे व्यक्ति" को कर्मचारी के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी प्रतिष्ठान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप कार्य में संलग्न हो तथा जिसे पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता हो।
- किसी प्रतिष्ठान में संलग्न ऐसे अनुबंधित कर्मचारी, जो उस प्रतिष्ठान से **प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पारिश्रमिक/वेतन** प्राप्त करते हैं, वे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत भविष्य निधि लाभ के हकदार हैं।
- **किसी प्रतिष्ठान को इस अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त करने हेतु** निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
 - वह प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से या तो **सरकार से संबंधित होना चाहिए अथवा सरकार के नियंत्रणाधीन होना चाहिए।**
 - इस प्रकार के प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई किसी भी योजना या नियम के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि या वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्राप्ति का हकदार होना चाहिए।

4.5. सोशल स्टॉक एक्सचेंज

(Social Stock Exchange)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केन्द्रीय बजट सत्र के दौरान, वित्त मंत्री ने सामाजिक उद्यमों और गैर-लाभकारी संस्थाओं को धन जुटाने में सहयोग करने हेतु **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के विनियामकीय अधिकार-क्षेत्र के तहत एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज (Social Stock Exchange: SSE)** को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से फंड जुटाने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, जो निवेशकों को **सामाजिक उद्यमों के शेयरों को खरीदने की अनुमति प्रदान** करता है। ऐसे शेयरों की **एक्सचेंज द्वारा गहन जांच** की जा चुकी होती है।
 - सामाजिक उद्यम, राजस्व का सृजन करने वाला एक ऐसा व्यवसाय होता है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है, उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य सेवा या स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना।
- यह निवेश और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से गैर-लाभकारी संस्थाओं द्वारा फंड जुटाने हेतु **क्राउडसोर्सिंग प्लेटफॉर्म** के रूप में कार्य करेगा।
- **विश्व स्तर पर, लगभग 10 SSEs की स्थापना की गई है।**

4.6. भारत में इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट

(Impact Investment in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत में इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो रही है।

इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में

- इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट व्यवसायों में किया जाने वाला ऐसा निवेश होता है जिसका लक्ष्य **उल्लेखनीय सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव** उत्पन्न करने के साथ-साथ लाभ से लेकर प्रचार जैसे प्रतिफल प्राप्त करना है।
- **भारत** को अपनी जनसांख्यिकी के विशाल आकार और सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से संबंधित अपूरित मांग के कारण **इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट हेतु अनुकूल स्थान माना जाता है।**

4.7. अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार

(Nobel Prize in Economics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय-अमेरिकी अर्थशास्त्री **अभिजीत बनर्जी,** मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) की **एस्थर डूफलो** और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के **माइकल क्रेमर** को **"वैश्विक निर्धनता को कम करने हेतु प्रायोगिक दृष्टिकोण"** के लिए संयुक्त रूप से **वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार** प्रदान किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इनके नए प्रयोग-आधारित दृष्टिकोण, जिन्हें **रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल** (RCTs) कहा जाता है, ने विकास अर्थशास्त्र को रूपांतरित कर दिया है।
- RCTs के अंतर्गत अध्ययन का परीक्षण करने हेतु नीतिगत हस्तक्षेपों से संबंधित अपेक्षाकृत बड़ी समस्याओं को छोटी एवं आसान समस्याओं में विभाजित किया जाता है।
 - उदाहरण के लिए, 'निर्धनता' जैसी बड़ी समस्या को उनके विभिन्न आयामों में विभाजित किया जाता है, जैसे- निम्नस्तरीय स्वास्थ्य, अपर्याप्त शिक्षा आदि।
 - निम्नस्तरीय स्वास्थ्य के तहत वे पोषण, दवाओं के प्रावधान एवं टीकाकरण आदि को सम्मिलित करते हैं। टीकाकरण के तहत वे विभिन्न प्रयोगों का संचालन करने का प्रयास करते हैं एवं प्राप्त परिणामों के आधार पर, निर्धारित करते हैं कि क्या कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।



5. बाह्य क्षेत्रक

(External Sector)

5.1. वैश्विक व्यापार

Global Trade)

5.1.1. व्यापार युद्ध

(Trade War)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चीन ने अमेरिकी आयात में वर्ष 2017 के स्तर से 200 बिलियन डॉलर की वृद्धि करने और बौद्धिक संपदा नियमों को सुदृढ़ करने का वादा किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- **व्यापार युद्ध** की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक देश आयात शुल्क बढ़ाकर या विरोध करने वाले देश के आयात पर अन्य प्रतिबंध लगाकर दूसरे के विरुद्ध अनुक्रियात्मक कार्रवाई करता है।
- चीन और अमेरिका के मध्य लंबे समय तक व्यापार युद्ध चला, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न हुआ।
- इस गतिरोध को हल करने के लिए, अमेरिका और चीन ने विभिन्न चरणों में एक समझौते में शामिल होने का प्रयास करने का निर्णय किया था।
 - **प्रथम चरण** में व्यापार संतुलन और प्रशुल्क पर ध्यान केंद्रित किया गया। **द्वितीय चरण** में चीन में बौद्धिक संपदा प्रवर्तन और आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- चीन और अमेरिका **प्रथम चरण के आर्थिक और व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं।**
- **यह समझौता सैद्धांतिक रूप से सौदा है,** जिसका अर्थ है कि यदि चीन समझौते के किसी भी हिस्से का पालन करना बंद करता है, तो अमेरिका द्वारा प्रशुल्क को पुन: लागू किया जा सकता है।
- चल रहे अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के परिणामों में **द्विपक्षीय व्यापार में अत्यधिक गिरावट, उपभोक्ताओं के लिए उच्च कीमतें और व्यापार में परिवर्तनकारी प्रभाव** शामिल हैं, जिससे उन देशों से आयात में वृद्धि हुई जो अमेरिका से सीधे व्यापार युद्ध में शामिल नहीं थे।
 - परिवर्तित व्यापार के प्रभाव के कारण अमेरिका को **मुख्य रूप से रसायनों, धातुओं और अयस्क** के अतिरिक्त निर्यात में भारत को लाभ हुआ है।

अतिरिक्त जानकारी

गैर-प्रशुल्क उपाय (Non-Tariff Measures: NTMs)	• **NTMs** सामान्य सीमा शुल्क के अतिरिक्त अन्य नीतिगत उपाय हैं, जिनका संभावित रूप से वस्तुओं, व्यापार की मात्रा में परिवर्तन या कीमतों या दोनों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं। • NTMs को वृहद स्तर पर **तकनीकी उपायों** (SPS उपायों, TBTs आदि) और **गैर-तकनीकी उपायों** में शामिल किया जाता है। इन्हें आगे **कठोर उपायों** (जैसे- मूल्य और मात्रा नियंत्रण उपायों), **जोखिम उपायों** (जैसे- डंपिंग रोधी शुल्क) और अन्य उपायों जैसे कि व्यापार संबंधित वित्त एवं निवेश उपायों में शामिल किया जाता है। **NTMs के प्रकार** • **सेनेटरी और फाइटोसैनेटरी उपाय:** भोजन में संदूषकों या रोग जनक जीवों से होने वाले जोखिमों से मानव या पशु जीवन की रक्षा करने हेतु लागू किए जाने वाले उपाय। • **व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएँ (Technical Barriers to Trade: TBT):** पर्यावरण और संधारणीय मानकों से संबंधित तकनीकी नियमों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित उपाय, उदाहरणार्थ- लेबलिंग आवश्यकताएं जैसे कि रेफ्रिजरेटर के मामले में उनके आकार, वजन और विद्युत खपत के स्तर का संकेत देने वाले लेबल को लगाने की आवश्यकता होती है। • **लाइसेंसिंग, कोटा, निषेध और मात्रा-नियंत्रण:** आयात की जा सकने वाली मात्रा को नियंत्रित करने संबंधी उपाय। • **मूल्य नियंत्रण संबंधी उपाय:** आयातित वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने या प्रभावित करने को लक्षित

VISION IAS

	करने वाले उपाय। जैसे- अनावश्यक आयात में कटौती हेतु स्वर्ण जैसी कीमती धातुओं पर न्यूनतम आयात मूल्य लगाया गया। • **निर्यात संबंधित उपाय:** निर्यात किए जाने वाले सामानों पर निर्यातक देश की सरकार द्वारा लागू किए गए उपाय, उदाहरणार्थ- सांस्कृतिक विरासत की वस्तुओं का निर्यात निषिद्ध है। • **पात्रता पर भौगोलिक प्रतिबंध:** जैसे- देशों से डेयरी उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध। • **आकस्मिक व्यापार सुरक्षा उपाय:** बाजार में आयात के विशेष प्रतिकूल प्रभावों का प्रतिकार करने हेतु लागू किए गए उपाय, जैसे- एंटी-डंपिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी आदि।
काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD)	• **काउंटरवेलिंग ड्यूटी** आयातित उत्पादों (आयात करने वाले देश द्वारा) पर लगाया जाने वाला एक **अतिरिक्त आयात शुल्क** है। इसे तब आरोपित किया जाता है जब ऐसे उत्पाद अपने मूल देश में निर्यात सब्सिडी और कर रियायतें जैसे लाभ प्राप्त करते हैं। • यह आयातित उत्पादों के उचित और बाजार-उन्मुख मूल्य निर्धारण को सुनिश्चित करने का प्रयास है तथा इस प्रकार घरेलू उद्योगों एवं फर्मों की सुरक्षा करता है।
एंटी-डंपिंग (Anti-dumping)	• यह एक संरक्षणवादी प्रशुल्क है जिसे घरेलू सरकार द्वारा विदेशी आयात पर आरोपित किया जाता है, जब सरकार को यह प्रतीत होता है कि **आयातित वस्तु का मूल्य उचित बाजार मूल्य से कम है।** • डंपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, जहां एक कंपनी उस मूल्य से कम मूल्य पर उत्पाद का निर्यात करती है जिसे वो सामान्य रूप से अपने घरेलू बाजार में निर्धारित करती है। सुरक्षा हेतु, कई देशों ने उन उत्पादों पर कठोर शुल्क आरोपित किए हैं, जिनके बारे में वो मानते हैं कि उन्हें स्थानीय व्यवसायों और बाजारों से कम मूल्य पर उनके राष्ट्रीय बाजार में डंप किया जा रहा है। • जहाँ **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** द्वारा एंटी-डंपिंग ड्यूटी की सिफारिश की जाती है, वहीं **वित्त मंत्रालय** द्वारा इस शुल्क को वसूला जाता है।

5.1.2. आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण

(Base Erosion and Profit Shifting: BEPS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने **आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण को रोकने हेतु कर संधि से संबंधित उपायों को लागू करने के लिए बहुपक्षीय अभिसमय (MLI)** की अभिपुष्टि की है।

MLI के बारे में

- MLI वस्तुतः आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण से निपटने हेतु **OECD/G20 प्रोजेक्ट** ("BEPS प्रोजेक्ट") का एक आउटकम है। यहां पर BEPS से आशय उन कर नियोजन रणनीतियों से है जिनके माध्यम से लाभ को कम टैक्स या कर का भुगतान न करने वाले स्थानों, जहां या तो अल्पतम या किसी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का संचालन नहीं होता है, पर कृत्रिम रूप से स्थानांतरित करने के लिए कर नियमों से संबंधित कमियों से लाभ उठाया जाता है। इससे परिणामस्वरूप या तो अल्पतम या किसी भी प्रकार के कर का भुगतान नहीं किया जाता है।
- भारत G20, OECD, BEPS सहयोगियों तथा अन्य इच्छुक देशों (100 से अधिक देशों) के एक तदर्थ समूह का हिस्सा था, जिसने इस बहुपक्षीय सम्मेलन (MLI) के पाठ को अंतिम रूप प्रदान करने पर कार्य किया।
- MLI के परिणामस्वरूप भारत के संधि पत्रों में संशोधन होगा, ताकि संधि के दुरुपयोग तथा आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण की रणनीतियों के माध्यम से होने वाली राजस्व हानि पर अंकुश लगाया जा सके। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उस स्थान पर लाभ पर कर अवश्य आरोपित किया जाए जहां लाभ अर्जित होने वाली व्यापक आर्थिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं और जहां मूल्य का सृजन होता है।
- MLI को मौजूदा कर संधि पत्रों के साथ ही लागू किया जाएगा जिससे उनके अनुप्रयोग में संशोधन हो सकेगा, ताकि BEPS उपायों को लागू किया जा सके।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के बारे में

- यह एक अंतर-सरकारी आर्थिक संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए की गई थी।

VISION IAS

- इसके **36** सदस्य हैं। नवीनतम सदस्य लिथुआनिया है जो वर्ष 2018 में इसमें शामिल हुआ।
- **भारत इसका सदस्य नहीं है,** लेकिन इसके प्रमुख भागीदारों में से एक है।

अतिरिक्त जानकारी

समकारी लेवी तथा महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (Equalisation Levy and Significant Economic Presence)

- हाल ही में, G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने बड़ी डिजिटल कंपनियों द्वारा अपनायी जानी वाली आक्रामक "कर अनुकूलन" रणनीतियों के बारे में चिंता व्यक्त की थी। ये कंपनियां लाभ को आयरलैंड और केमैन आइलैंड्स जैसे टैक्स हैवन्स देशों में स्थानांतरित करती हैं तथा कर के रूप में तुच्छ राशि (abysmal amount) का भुगतान करती हैं।
 - OECD ने अपनी BEPS पहल के तहत यह गणना की है कि बड़ी वैश्विक डिजिटल कंपनियों (जैसे- गूगल, अमेज़न और फेसबुक) को अब वार्षिक तौर पर 100 बिलियन डॉलर के अतिरिक्त वार्षिक कर का भुगतान करना होगा।
- इसके पश्चात् भारत में वित्त अधिनियम, 2016 में 'समकारी लेवी' की शुरुआत की गई थी।
- भारत में स्थायी प्रतिष्ठान (Permanent Establishment: PE) नहीं रखने वाले एक अनिवासी द्वारा भारत के एक निवासी से (जो कोई व्यवसाय या पेशेवर कार्य में संलग्न है), या भारत में स्थायी प्रतिष्ठान रखने एक अनिवासी से (जहां इस तरह की प्रदत्त कुल राशि पिछले एक वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक है) निर्दिष्ट सेवाओं के एवज में प्राप्त राशि के 6% के बराबर लेवी (शुल्क) आरोपित किया जाता है।
- साथ ही, **"महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति"** की अवधारणा को अंगीकृत करने हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9 (1) (i) में संशोधन किया गया था जिससे भारत में अनिवासी द्वारा "व्यावसायिक संबंध" स्थापित करने में कोई जटिलता न रहे। तदनुसार, महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति का अर्थ होगा-
 - भारत में किसी अनिवासी व्यक्ति द्वारा किए गए किन्हीं भी वस्तुओं, सेवाओं या संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन, जिसमें भारत में डेटा या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का प्रावधान शामिल है, यदि पिछले वर्ष के दौरान इस तरह के लेनदेन या लेनदेन से उत्पन्न भुगतानों की कुल राशि निर्धारित राशि से अधिक है; या
 - डिजिटल माध्यमों से भारत में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को व्यवस्थित और निरंतर प्रोत्साहित करना तथा निर्धारित किए गए उपयोगकर्ताओं की संख्या के साथ सहभागिता करना।

प्रभावी प्रबंधन का स्थान (Place of Effective Management: POEM)

- किसी **कंपनी की आवासीय स्थिति** निर्धारित करने के लिए POEM की अवधारणा को वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा शेल कंपनियों और कंपनियों को लक्षित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था, जिनका गठन भारत के बाहर आय सृजन हेतु किया गया है, हालांकि वास्तविक नियंत्रण और मामलों का प्रबंधन भारत में स्थित होता है।
- इसका अर्थ **'ऐसे स्थान से माना जाता है, जहाँ किसी इकाई के व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक मुख्य प्रबंधन और वाणिज्यिक निर्णय किसी अन्य स्थान पर किए जाते हैं'।**

5.1.3. विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा

(Developing Country Status in WTO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वर्तमान और भविष्य के व्यापार समझौतों में विकासशील देशों हेतु **विशेष एवं विभेदक व्यवहार (Special and Differential Treatment: S&DT) को नकारने की मांग करने वाले** अमेरिकी राष्ट्रपति के ज्ञापन को अस्वीकार करने के लिए भारत द्वारा विश्व व्यापार संगठन (WTO) के तहत 51 देशों को संगठित किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- ज्ञातव्य है कि **दक्षिण कोरिया** द्वारा अपनी वर्धित वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण भविष्य की वार्ताओं में WTO द्वारा विकासशील देशों के लिए आरक्षित विशेष व्यवहार की मांग **नहीं** की जाएगी।
- **विकासशील देश का दर्जा निर्धारित करने संबंधी मानदंड**
 - WTO द्वारा **विकासशील देश का दर्जा निर्धारित करने हेतु कोई मानदंड या प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं** की गई है, जिससे सदस्य किन्हीं विश्लेषणात्मक आवश्यकताओं को पूरा किए बिना स्वयं के लिए विकासशील देश का दर्जा घोषित कर सकते हैं।

VISION IAS

- हालांकि, अन्य सदस्य विकासशील देशों के लिए उपलब्ध प्रावधानों का उपयोग करने के विरुद्ध इस संबंध में एक सदस्य देश के निर्णय को चुनौती दे सकते हैं।
- विकासशील देश 'S&DT' को प्राप्त करने के पात्र हैं। उल्लेखनीय है कि S&DT को WTO द्वारा अपने नियमों में निर्धारित किया गया है।
- ज्ञातव्य है कि अपने आपको विकासशील देश घोषित करने वाला WTO का एक सदस्य देश, कुछ विकसित सदस्य देशों द्वारा अपनाई जाने वाली अधिमान्यता की सामान्यीकृत प्रणाली (Generalized System of Preferences: GSP) जैसी एकपक्षीय अधिमान्यता वाली योजनाओं से स्वत: ही लाभान्वित नहीं होगा। व्यवहार में, अधिमान्यता देने वाला देश विकासशील देशों की सूची निर्धारित करता है जो अधिमान्यताओं से लाभान्वित होंगे।
- विकासशील देश WTO के नियमों में निर्धारित 'S&DT' हेतु अधिकृत हैं।

विशेष और विभेदक व्यवहार (S&DT)	• यह विकासशील देशों को विशेष अधिकार प्रदान करने वाला एक प्रावधान है और यह विकसित देशों को WTO के अन्य सदस्यों की तुलना में विकासशील देशों के साथ अधिक अनुकूल व्यवहार करने का अवसर प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, इन विशेष प्रावधानों में विकासशील देशों के लिए, व्यापार करने के अवसर बढ़ाने हेतु WTO के विभिन्न समझौतों, प्रतिबद्धताओं एवं उपायों को कार्यान्वित करने के लिए और अधिक समय प्रदान करना सम्मिलित है। • **विकसित और विकासशील सदस्यों के मध्य विकास के असमान स्तर के कारण** सभी विकासशील सदस्यों को S&DT का दर्जा प्रदान किया गया है। • WTO के दोहा घोषणा-पत्र में, सदस्य राष्ट्रों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी कि S&DT से संबंधित सभी प्रावधान WTO के समझौतों के अभिन्न अंग हैं और इन प्रावधानों को सुदृढ़ बनाने एवं अधिक प्रभावी व परिचालनीय बनाने की दृष्टि से समीक्षा की जानी चाहिए। ○ **दिसंबर 2013 के बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन** द्वारा S&DT के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा और विश्लेषण करने के लिए क्रियाविधि स्थापित की गई थी। • **S&DT की प्रासंगिकता:** यह विकासशील सदस्यों को, विश्व व्यापार और इसके शासी संगठनों पर हावी एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नीतिगत निर्णयों को अत्यधिक प्रभावित करने में सक्षम विकसित देशों का पक्ष लेने वाली कठोर नीतियों और संपन्न राष्ट्रों के साथ संधियों से सुरक्षा प्रदान करता है। • **समस्या:** स्व-चयन की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, **सदस्यों के मध्य विकासशील देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा** मिलता है। यह देखा जा रहा है कि कई उन्नत देशों ने भी विकासशील देश का दर्जा प्राप्त किया है। उदाहरण के लिए, विश्व में छठा सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देश **कतर** को विकासशील देश का दर्जा प्राप्त है।
विवाद निपटान प्रणाली (Dispute Settlement System)	• विवाद निपटान प्रणाली (DSS) सदस्य देशों के मध्य व्यापार विवादों का निपटान करने की एक प्रक्रिया है। इसमें विवाद निपटान के लिए राजनीतिक वार्ता तथा अधिनिर्णयन दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है। • उरुग्वे दौर की वार्ता (1986-1994) का समापन सदस्य देशों के मध्य व्यापार विवादों के निपटान के लिए DSS के सृजन तथा डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग (DSU) को अंगीकार करने के साथ हुआ। • DSU में DSS की कार्यप्रणाली के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समाविष्ट किया गया है, यथा- ○ बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को स्थायित्व तथा पूर्वानुमेयता प्रदान करना। ○ विवादों के निपटान के लिए एक तीव्र, कुशल, विश्वसनीय तथा नियम-उन्मुख प्रणाली की स्थापना करना। • **विवाद निपटान निकाय (Dispute Settlement Body): महापरिषद (जनरल काउंसिल)** WTO की सर्वोच्च निर्णय-निर्मात्री संस्था है तथा यह DSB के रूप में भी कार्य करती है। ○ यह मुख्य रूप से एक राजनीतिक निकाय है तथा DSU के नियमों तथा प्रक्रियाओं को प्रशासित करती है।

VISION IAS

	○ यहाँ निर्णय व्युत्क्रम सर्वसम्मति विधि (reverse consensus method) द्वारा लिए जाते हैं अर्थात् जब तक इसके विरुद्ध आम सहमति नहीं बन जाती तब तक निर्णय लागू रहता है। • **अपीलीय निकाय (Appellate Body: AB):** अपीलीय निकाय सात सदस्यीय स्थायी संगठन है, जो DSS के अंतर्गत अपीलों का अधिनिर्णयन करता है। ○ DSB द्वारा इसके सदस्यों को चार वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। ○ यह सकारात्मक सर्वसम्मति तंत्र (positive consensus mechanism) का अनुसरण करता है।
WTO में बहुपक्षीय अंतरिम अपील व्यवस्था (Multi-party interim appeal arrangement at WTO)	• **यूरोपीय संघ, चीन, ऑस्ट्रेलिया तथा WTO के अन्य 14 सदस्य उनके मध्य विवादों के निपटान हेतु एक बहुपक्षीय अंतरिम अपील व्यवस्था को विकसित करने पर सहमत हुए हैं।** ○ यह व्यवस्था सहभागी विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को उनके मध्य विवादों की स्थिति में WTO में एक कार्यप्रणाली और दो-चरणीय विवाद निपटान प्रणाली (DSS) के संचालन की अनुमति प्रदान करेगी। ○ **इस दो-चरणीय DSS में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:** सामान्यत: 3 सदस्यीय पैनल द्वारा न्यायनिर्णयन तथा अपील के मामले में WTO की अपीलीय निकाय द्वारा न्यायनिर्णयन। ○ उल्लेखनीय है कि **वर्ष 2017 से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा** नई नियुक्तियों को निरुद्ध करने के कारण अपीलीय निकाय (AB) निष्प्रभावी हो गया है। ○ WTO की अपीलीय निकाय (AB) सात सदस्यीय एक स्थायी संस्था है, जिसे कार्य करने के लिए कम से कम 3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। दिसम्बर 2019 में तीन में से दो सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया, जिससे यह संस्था निर्णय प्रदान करने में असमर्थ हो गयी है। ○ विवाद निपटान निकाय (DSB) द्वारा अंगीकृत AB की रिपोर्ट सभी देशों के लिए बाध्यकारी होती है। महापरिषद (General Council) WTO की निर्णय लेने की सर्वोच्च संस्था है तथा यह विवाद निपटान निकाय के रूप में भी जानी जाती है। • यह एक आकस्मिक अथवा अल्पकालिक उपाय है तथा यह तब तक लागू रहेगा, जब तक कि AB फिर से कार्य करना आरंभ नहीं कर देता। • यह व्यवस्था इसमें शामिल होने के इच्छुक WTO के किसी भी सदस्य के लिए खुली रहेगी।
WTO द्वारा डिजिटल ट्रेड हेतु प्रशुल्कों पर प्रतिबंधों का विस्तार (WTO extends ban on tariffs for digital trade)	• WTO ने डिजिटल व्यापार पर 6 माह के लिए प्रशुल्क आरोपित करने हेतु 20 वर्षों के अधिस्थगन (moratorium) को नवीनीकृत करने पर सहमति प्रकट की है। यह व्यवस्था तब तक के लिए होगी, जब तक कि WTO का कजाखस्तान में 12वां मंत्रीस्तरीय सम्मेलन नहीं हो जाता। इससे इस भय का शमन होगा कि लोगों को प्रथमतया ई-पुस्तकों और सॉफ्टवेयर पर शुल्कों का भुगतान करना होगा। • वर्ष 1998 के उपरांत से अनुमानित 225 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष के डिजिटल व्यापार पर अधिस्थगन आरोपित था, जो दिसम्बर में समाप्त हुआ तथा जिसके नवीकरण के लिए WTO में मतैक्य की आवश्यकता थी। • भारत तथा दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों ने अधिस्थगन हटाने के प्रति अपनी इच्छा प्रकट की है, क्योंकि इन देशों ने अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था को विकसित कर लिया है तथा ये देश अधिक डिजिटल व्यापार के कारण तत्संबंधी अपने सीमा शुल्क वसूली को पुनः प्राप्त करने के अभिलाषी हैं।

VISION IAS

5.1.4. विविध

(Miscellaneous)

कर सूचना विनिमय समझौता (Tax Information Exchange Agreement: TIEA)	• भारत ने मार्शल द्वीपसमूह के साथ एक कर सूचना विनिमय समझौते (TIEA) को अधिसूचित किया है। • **यह समझौता कर उद्देश्यों हेतु दो देशों के मध्य बैंकिंग और स्वामित्व जानकारी के साथ-साथ सूचना के आदान-प्रदान** को भी सक्षम बनाता है। • इसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के ग्लोबल फोरम वर्किंग ग्रुप द्वारा सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान के लिए विकसित किया गया है। • इस समझौते में एक देश के प्रतिनिधियों द्वारा **दूसरे देश में कर संबंधी जांच करने का प्रावधान भी शामिल है। इससे कर अपवंचन और कर परिहार पर अंकुश लगाने** में सहायता प्राप्त होती है। • TIEAs **बाध्यकारी समझौते नहीं** हैं तथा समझौतों में किए गए अनुबंध के अनुसार इन्हें समाप्त किया जा सकता है।
द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty: BIT)	• रूस और साइप्रस में स्थित कंपनियों द्वारा BIT के तहत भारत के विरुद्ध लाए गए सभी दावों को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल द्वारा निरस्त कर दिया गया है। • BITs किसी भी देश में व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा एक-दूसरे के क्षेत्र में निवेश के पारस्परिक संरक्षण हेतु दो देशों के मध्य समझौते हैं। • भारत ने वर्ष 2015 में एक मॉडल BIT तैयार किया था।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा वर्ष 2019-2022 के लिए सार्क (SAARC) देशों हेतु फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप अरेंजमेंट में संशोधन	• करेंसी स्वैप (मुद्रा की अदला-बदली) वस्तुतः पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत दो देशों के मध्य मुद्राओं का आदान-प्रदान करने के लिए एक समझौता है। • जब तक दीर्घकालिक व्यवस्थाएं नहीं की जाती तब तक अल्पकालिक विदेशी विनिमय चलनिधि आवश्यकताओं अथवा भुगतान संतुलन संकट के समाधान हेतु सहायता प्रदान करने के लिए 15 नवंबर 2012 को सार्क करेंसी स्वैप सुविधा की शुरुआत गई थी। • वर्ष 2019-22 के लिए फ्रेमवर्क के तहत, RBI 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समग्र कोष के अंतर्गत स्वैप की व्यवस्था जारी रखेगा। ○ इसके तहत धन आहरण अमेरिकी डॉलर, यूरो या भारतीय रुपये में किया जा सकता है। ○ यह फ्रेमवर्क भारतीय रुपये में स्वैप आहरण हेतु कुछ रियायतें भी प्रदान करता है।
'इंसटेक्स' वस्तु-विनिमय प्रणाली (INSTEX Barter Mechanism)	• हाल ही में, 6 यूरोपीय देशों, यथा- बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन ने **इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज (INSTEX)** प्रणाली में नए सदस्यों के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया है। • **INSTEX वस्तुतः जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा स्थापित** तथा **पेरिस में स्थित एक विशेष प्रयोजन वाहन है।** यह प्रणाली कठोर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद, यूरोपीय व्यवसायियों को ईरान के साथ व्यापार करने की सुविधा प्रदान करती है। • यह भुगतान प्रणाली **यूरो** के वर्चस्व वाले समाशोधन गृह (clearing house) के रूप में कार्य करते हुए ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की उपेक्षा करती है क्योंकि इसका संचालन उन देशों द्वारा किया जाता है जो अमेरिका के वर्चस्व वाली वैश्विक वित्तीय प्रणाली में शामिल नहीं हैं। ○ यह एक प्रकार की **वस्तु-विनिमय प्रणाली** है, जो ईरान को निर्यात के एवज में सदस्य यूरोपीय देशों से उत्पादों या सेवाओं का आयात करने की सुविधा प्रदान करती है।

VISION IAS

ट्रैक एंड ट्रेस प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस	• हाल ही में, **विश्व आर्थिक मंच (WEF)** ने प्रथम **न्यूट्रल एंड पब्लिक ट्रेसबिलिटी प्लेटफ़ॉर्म** का शुभारंभ किया है, जो विभिन्न संगठनों और स्रोतों से प्राप्त डेटा आपूर्ति श्रृंखला को प्रदर्शित करने में सक्षम है। • यह प्लेटफ़ॉर्म ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित है तथा इसे विभिन्न उद्योगों में व्यवसायियों की सहायता करने हेतु विकसित किया गया है जो नैतिक और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के संबंध उपभोक्ता की मांग को पूरा करते हैं।
301 ट्रेड प्रोब (301 Trade Probe)	• यह 1974 के यू. एस. ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत एक व्यापार उपकरण है। • यह उन प्रमुख वैधानिक साधनों में से एक है, जिसके माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार समझौतों के तहत अमेरिकी अधिकारों को लागू करता है और अमेरिकी निर्यात के लिए "अनुचित" विदेशी अवरोधों का निवारण करता है।
विश्व कपास दिवस (World Cotton Day)	• यह जिनेवा में 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2019 तक मनाया गया था। • इसे संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO), संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD), अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र (ITC) और अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (ICAC) के सचिवालयों के सहयोग से विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा आयोजित किया गया था। • कॉटन 4 (अथवा C- 4) नाम से प्रसिद्ध 4 अफ़्रीकी देशों, यथा- बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली के अनुरोध पर WTO ने इस कार्यक्रम की मेजबानी की थी।

5.2. भारत का व्यापार निष्पादन

(India's Trade Performance)

- वर्ष 2003-2017 की अवधि के दौरान कृषि, विनिर्मित वस्तु, पण्य वस्तुएं, सेवा जैसे सभी क्षेत्रों में और **वैश्विक निर्यात** में भारतीय व्यापार की रैंकिंग पूर्व की तुलना में वर्तमान (2012 और 2017 के मध्य) में निम्न हुई है।
 - हालांकि, **विश्व व्यापार में भारतीय हिस्सेदारी में वृद्धि (मंद गति से) हो रही है** क्योंकि भारत की संवृद्धि दर वैश्विक औसत से तीव्र है।
- भारत (विश्व में सर्वाधिक तीव्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि करने वालों राष्ट्रों में से एक है) में समग्र अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन और निर्यात वृद्धि (वर्ष 2011 के पश्चात्, कुछ सीमा तक निम्न बनी रही) में भिन्नता विद्यमान है। इस भिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि सरकार और सरकार के बाहर दोनों स्थितियों में **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभी भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।**
- **संरक्षणवादी नीतियाँ:** संरक्षणवाद को केवल प्रशुल्कों में वृद्धि के कारण ही नहीं, बल्कि अन्य उपायों के कारण भी प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिला है, उदाहरण के लिए- तकनीकी विनियमों को प्रोत्साहित करना एवं अपनाया जाना, मात्रात्मक प्रतिबंधों को बारंबार अधिरोपित करना, गैर-प्रशुल्क बाधाओं को अपनाना, व्यापार समझौतों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से अन्य राष्ट्रों के लिए न खोलना, विभिन्न क्षेत्रकों से संबंधित विभेदकारी घरेलू नीतियाँ आदि।
- **अवास्तविक निर्यात लक्ष्य:** विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017 में **वैश्विक पण्य निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.7% थी** तथा **सेवाओं में भागीदारी 3.4% थी।** विश्व निर्यात में समग्र निर्यात की **हिस्सेदारी** में अत्यल्प वृद्धि की प्रवृत्ति रही है और वर्ष 2010 से यह 2% से लेकर 2.1% के मध्य स्थिर रही है।
 - इस पृष्ठभूमि में, वर्ष **2025 तक भारत के निर्यात को दोगुना करने का सरकार का लक्ष्य** अवास्तविक प्रतीत हो रहा है।
- **भारत का विदेशी मुद्रा भंडार:**
 - यह पहली बार 450 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है।
 - विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार (SDR) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित रिज़र्व को सम्मिलित किया जाता है।

VISION IAS

5.2.1. निर्यात

(Exports)

5.2.1.1. विशेष आर्थिक क्षेत्र

(Special Economic Zones: SEZ)

सुर्खियों में क्यों?

अस्थिर वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भी भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और वित्त वर्ष 2019-20 में 100 बिलियन-डॉलर मूल्य का निर्यात करने की उपलब्धि प्राप्त की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसमें प्रमुख रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (IT) एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाओं (ITeS) को सम्मिलित करने वाले, **सेवा क्षेत्रक में 23.69% की निर्यात वृद्धि रही। विनिर्माण क्षेत्रक** में लगभग **4% की वृद्धि दर्ज की गई।**
- **SEZ, विशिष्ट रूप से निरुपित शुल्क-मुक्त क्षेत्र होता है** तथा इन्हें व्यापार संचालनों, शुल्कों एवं प्रशुल्कों के उद्देश्य से विदेशी क्षेत्र माना जाता है।
- **SEZ योजना के उद्देश्य:** अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन करना, निर्यात को प्रोत्साहित करना, घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना, अवसंरचना सुविधाओं के विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसरों का सृजन करना इत्यादि।
 - भारत की सभी विधियां SEZs पर लागू होती हैं जब तक कि इन्हें **विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम/नियमों** के अंतर्गत विशेष रूप से छूट प्रदान न की गई हो।
- **SEZ नियम,** व्यापार संचालन हेतु सरलीकृत प्रक्रियाओं, सिंगल विंडो क्लियरेंस, सरलीकृत अनुपालन प्रक्रियाओं और स्वयं प्रमाणीकरण का प्रावधान करते हैं।
- **देश से किए जाने वाले कुल निर्यात की तुलना में SEZs से किए जाने वाले निर्यात में तीव्र वृद्धि हो रही है।**
- प्रारंभ में **बाबा कल्याणी समिति** ने SEZs नीति को **विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप सुसंगत बनाने, SEZs क्षेत्रों में रिक्त भूमि के उपयोग को अधिकतम करने इत्यादि** के संबंध में अनुशंसाएं की थीं। **इनमें से कुछ अनुशंसाएं निम्नलिखित हैं:**
 - निर्यात के स्थान पर आर्थिक और रोजगार वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने हेतु **रोजगार एवं आर्थिक एन्क्लेव (Employment and Economic Enclaves: 3Es) के रूप में विशेष आर्थिक क्षेत्रों का कायापलट करना।**
 - औद्योगिक पार्कों, निर्यातोन्मुखी इकाइयों, SEZs, NIMZs (राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र) आदि के विकास के लिए विद्यमान समान योजनाओं के मध्य **प्रतिस्पर्धा के बजाए नीतिगत ढांचे** को व्यवस्थित करना।
 - डेवलपरों और पट्टेदरों को व्यापार करने में सुगमता (इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस) प्रदान करना।
- **सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) ढांचे में किए गए सुधार:**
 - वर्तमान सुधारों के अंतर्गत न्यूनतम भू-क्षेत्र और क्षेत्रक-विशिष्ट तथा बहुल-उत्पाद वाले SEZ हेतु प्रावधानों को संशोधित किया गया है।
 - इसके पश्चात्, **सभी मौजूदा और नए SEZs, बहु-क्षेत्रक SEZs बन जाएंगे,** जिससे किसी भी अन्य SEZs इकाई का किसी भी अन्य SEZs इकाई के साथ सह-अस्तित्व संभव हो सकेगा।
 - एक बहु उत्पाद **SEZs** की स्थापना हेतु आवश्यक **न्यूनतम भू- क्षेत्र की सीमा** को संशोधित कर 500 हेक्टेयर से 50 हेक्टेयर किया गया है।
 - इसी प्रकार, सेवाओं के लिए **न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की आवश्यकताओं** में भी पर्याप्त रूप से कमी की गयी है।
 - बहु-क्षेत्रक **SEZs** ऐसे क्षेत्र हैं जहां दो या दो से अधिक क्षेत्रकों में विनिर्माण, व्यापार और भंडारण के लिए इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं।
 - क्षेत्रक-विशिष्ट **SEZs**, अनन्य रूप से विशिष्ट क्षेत्रक में उत्पादों या सेवाओं के लिए स्थापित किए जाते हैं।

अतिरिक्त जानकारी

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा स्थानीय सोर्सिंग मानदंडों का स्पष्टीकरण	• विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों से सिंगल ब्रांड खुदरा विक्रेताओं द्वारा वस्तुओं की सोर्सिंग के संबंध में DPIIT ने स्पष्ट किया है कि 51% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रस्तावों के संदर्भ में भारत में SEZ में स्थित इकाइयों से की जाने वाली वस्तुओं की सोर्सिंग को, 30 प्रतिशत के अनिवार्य स्थानीय सोर्सिंग शर्तों के अधीन शामिल किया जाएगा।

VISION IAS

	○ वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार, एकल-ब्रांड खुदरा व्यापार क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है। लेकिन 51 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनियों के लिए, बिक्री किए जाने वाले सामानों के मूल्य के **30 प्रतिशत तक की सोर्सिंग अनिवार्य रूप से भारत से** ही की जानी चाहिए। • निर्यात हब के रूप में विकसित SEZs को सीमा शुल्क कानून के संदर्भ में विदेशी क्षेत्र के रूप में माना जाता है। इन क्षेत्रों में स्थित इकाइयों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को आयात के रूप में माना जाता है। • इसमें यह भी उल्लेख है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में वर्णित और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के अंतर्गत अधिसूचित सभी शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व विनिर्माण इकाई पर ही बना रहेगा।
निर्भिक योजना (Nirvik Scheme)	• यह एक नई एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम (ECIS) है जिसे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (ECGC) के माध्यम से **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** द्वारा आरंभ किया गया है। • इस योजना के अंतर्गत, ECGC द्वारा 90% ऋण बीमा कवर प्रदान किया जाएगा और किसी भी अतिरिक्त व्यय के लिए सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी (Global Exhibition on Services: GES)	• वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सेवाओं पर 5वीं वैश्विक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। • इसे सेवा निर्यात संवर्धन परिषद और भारतीय उद्योग परिसंघ की साझेदारी के साथ आयोजित किया जाता है। • इसका उद्देश्य सेवाओं में निम्नलिखित **12 चैंपियन क्षेत्रों** पर ध्यान केंद्रित करके उनके विकास को बढ़ावा देना और उनकी क्षमता को साकार करना है: ○ सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाएं (IT & ITeS); पर्यटन और आतिथ्य सेवा; चिकित्सा मूल्य यात्रा; परिवहन और रसद सेवाएं; लेखा और वित्त सेवाएँ; ऑडियो विजुअल सेवाएं; विधिक सेवाएं; संचार सेवाएं; निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं; पर्यावरण सेवाएं; वित्तीय सेवाएं; और शैक्षणिक सेवाएं। • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत के सेवा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने हेतु **"इंडिया सर्विसेज"** ब्रांड को सृजित किया गया है।

5.2.2. आयात

(Imports)

5.2.2.1. सोलर उपकरणों के आयात में वृद्धि

(Solar Imports Increasing)

- वित्तीय वर्ष 2014 के बाद से आयात किए गए सोलर फोटोवोल्टिक (PV) सेल और मॉड्यूल का मूल्य बढ़कर 12.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 90,000 करोड़ रुपये हो गया है।
 - एक अनुमान के अनुसार इन उपकरणों का 85 प्रतिशत मुख्यत: तीन देशों, यथा- **चीन, वियतनाम** और **मलेशिया** से आयात किया गया है।
- **आयात में वृद्धि के कारण**
 - ऊर्जा और पूंजी-गहन प्रकृति के कारण **वेफर्स, इनगॉट्स तथा पॉलीसिलिकॉन** जैसे उत्तरोतर **चरणों के लिए एक विनिर्माण आधार का अभाव।**
 - **एकीकृत ढांचे और इकोनॉमी ऑफ स्केल** के अभाव के कारण घरेलू उत्पादन की लागत उच्च हो जाती है।
 - सौर परियोजनाओं में प्रयुक्त **सामग्री की खराब गुणवत्ता** परियोजना डेवलपर्स की आयात पर अत्यधिक निर्भरता का एक अन्य कारण है।
- **PV सेल के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय**
 - हाल ही में, सरकार ने बजट में तत्काल प्रभाव से सोलर सेल और पैनलों पर 20 प्रतिशत आयात शुल्क कटौती करने की घोषणा की है।

VISION IAS

- **संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (M-SIPS) के अंतर्गत विनिर्माण सुविधा की स्थापना के लिए** निवेश पर पूंजीगत व्यय के 20-25 प्रतिशत अनुदान की पेशकश की गई है।
- स्वचालित मार्ग से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।

अतिरिक्त जानकारी

आर्टिस (ARTIS)	• **आर्टिस अर्थात् भारतीय उद्योग और अन्य हितधारकों के लिए व्यापार उपचार के लिए आवेदन (Application for Remedies in Trade for Indian industry and other Stakeholders: ARTIS) प्रणाली** की शुरुआत **व्यापार उपचार महानिदेशालय** (Directorate General of Trade Remedies) द्वारा की गई थी। यह घरेलू उद्योग द्वारा एंटी-डंपिंग आवेदन दाखिल करने हेतु एक ऑनलाइन प्रणाली है। • इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को एंटी-डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी जैसे विभिन्न व्यापार उपचारों के लिए पारदर्शिता, दक्षता में वृद्धि करना तथा शीघ्र राहत प्रदान करना है।
शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार (Duty Free Import Authorisation: DFIA) योजना	• DFIA को इनपुट, ईंधन, तेल, ऊर्जा स्रोतों और उत्प्रेरक के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है, जो कि निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं। • DFIA योजना केवल उन निर्यात उत्पादों के लिए मान्य है, जहाँ एक मान्य **मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (SION)** लागू है। ○ SION मानक मानदंड है जो निर्यात उद्देश्य के लिए आउटपुट इकाई के निर्माण हेतु आवश्यक इनपुट या इनपुट स्रोतों की माप को चिन्हित करता है।
LEADS सूचकांक	• इस सूचकांक को **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** ने **डेलॉयट (Deloitte)** के सहयोग से विकसित किया है। • सूचकांक में सम्मिलित संकेतक निम्नलिखित हैं: ○ परिवहन और लॉजिस्टिक संरचना की गुणवत्ता; ○ लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता; ○ विनियामक प्रक्रियाओं की दक्षता; ○ प्रचालन संबंधी परिवेश की अनुकूलता; ○ प्रतिस्पर्धी दरों पर लॉजिस्टिक की व्यवस्था करने में सुगमता; ○ समयबद्ध कार्गो की डिलीवरी; ○ कार्गो संचलन की बचाव/सुरक्षा; तथा ○ ट्रैक और ट्रेस की सुगमता। • LEADS सूचकांक उपयोगकर्ताओं और हितधारकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लॉजिस्टिक तंत्र का एक **अवधारणा-आधारित आकलन (Perception-Based Assessment)** करता है। • वर्ष 2019 के संस्करण के अंतर्गत घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापारों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

5.2.3. ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस

(Ease of Doing Business)

5.2.3.1. ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस

(EODB)

सुर्खियों में क्यों?

विश्व बैंक की ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (व्यवसाय करने की सुगमता) रिपोर्ट, 2020 के अनुसार **भारत** की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा यह वर्ष 2020 में 190 देशों के मध्य **63वें स्थान** रहा। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019 में भारत 77वें स्थान पर था। हालांकि, संपत्ति के पंजीकरण की सुगमता के मापदंड पर भारत की रैंकिंग वर्ष 2019 में 154 थी।

VISION IAS

ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (EoDB) के बारे में

- EoDB सूचकांक विश्व बैंक समूह द्वारा स्थापित एक रैंकिंग प्रणाली है।
- EoDB सूचकांक में, 'उच्च रैंकिंग' (कम संख्यात्मक मान) व्यवसायों के लिए बेहतर अर्थात् सरल विनियमनों और संपदा अधिकारों के सबल संरक्षण को इंगित करती है।

अन्य संबंधित तथ्य

- उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) की योजना अंतर्गत कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई में संपत्ति के पंजीकरण के व्यावसायिक परिवेश में सुधार किया जाएगा।
 - विश्व बैंक द्वारा EoDB रिपोर्ट तैयार करने हेतु इस वर्ष दिल्ली और मुंबई के अतिरिक्त कोलकाता एवं बेंगलुरु को भी सम्मिलित किया गया था।
- **सुझाए गए सुधार**
 - **स्वत्वाधिकारों (titles) या ऋणभारों (encumbrances) से संबंधित सभी रिकॉर्ड्स को डिजिटिल स्वरूप प्रदान करना और एकीकृत करना** तथा संबंधित डेटा को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराना।
 - **कोलकाता और बेंगलुरु में सम्पत्ति पंजीकरण को सुगम बनाने हेतु निजी स्वामित्वाधीन सभी भूखंडों का पंजीकरण व मानचित्रण** तथा भूसम्पत्ति-मानचित्रों में परिवर्तनों हेतु समयसीमा को परिभाषित करना एवं लोक सेवा वितरण गारंटी अधिनियम के अंतर्गत रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स को प्रचलित करना।
 - सभी चार शहरों के लिए **स्वत्वाधिकारों और ऋणभारों के सत्यापन हेतु एकीकृत पोर्टल तथा** भूमि स्वत्वाधिकार विधेयकों को अधिनियमित करने के लिए एक समकालिक कार्य योजना।



संपत्ति का पंजीकरण उप-सूचकांक में सुधार के लिए उठाए गए अन्य कदम

- दिल्ली और मुंबई दोनों शहरों में सभी **उप-पंजीयक कार्यालयों को डिजिटल कर दिया गया है** और इनके रिकॉर्ड्स को भूमि रिकॉर्ड विभागों के साथ एकीकृत कर दिया गया है।
- **मुंबई में सभी संपत्ति कर रिकॉर्ड को डिजिटल रूप प्रदान किया गया है।**
- कंपनी रजिस्ट्रार में प्रभारों (शुल्कों) के अन्वेषण के लिए **ऑनलाइन सेवा**।
- **राजस्व न्यायालयों में भूमि विवादों** की संख्या के विषय में **आंकड़े** दिल्ली और मुंबई दोनों शहरों में ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

अतिरिक्त जानकारी

स्पाइस (SPICe) + वेब फ़ॉर्म	• यह कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनियों के निगमन के लिए नया वेब फ़ॉर्म है। • यह केंद्र सरकार के तीन मंत्रालयों और विभागों (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग) तथा एक राज्य सरकार (महाराष्ट्र) द्वारा विकसित एक एकीकृत वेब फॉर्म है। • यह विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से 10 सेवाओं को एक ही फ़ॉर्म में एकीकृत करता है। • यह **कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय** और **श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय; राजस्व विभाग तथा महाराष्ट्र सरकार** की एक संयुक्त पहल है।

	• यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) पंजीकरण के लिए भी व्यवस्था प्रदान करता है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की दस्तावेज़ पहचान संख्या (Documentation Identification Number: DIN) प्रणाली	• अब सभी प्रकार के **CBIC** पत्राचार हेतु DIN अनिवार्य होगी। • वस्तु एवं सेवा कर या सीमा शुल्क अथवा केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से कोई भी पत्राचार **कंप्यूटर जनित DIN के बिना अमान्य माना जाएगा।** • DIN का उपयोग **जाँच की अनुमति देने, समन जारी करने, गिरफ्तारी ज्ञापन, निरीक्षण संबंधी नोटिस** और किसी भी जांच के दौरान जारी किए गए **पत्र के लिए** किया जाएगा। • इसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में **पारदर्शिता और जवाबदेही का समावेश करना है।** • सरकार **प्रत्यक्ष कर प्रशासन** में DIN प्रणाली को पहले से ही लागू कर चुकी है।
आइसडैश (ICEDASH) और अतिथि (ATITHI)	• आइसडैश (अर्थात् EoDB मॉनिटरिंग डैशबोर्ड) भारतीय सीमा शुल्क विभाग का **ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड** है, जो जनता को आयातित कार्गो के दैनिक कस्टम क्लीयरेंस टाइम (सीमा शुल्क अनुमोदन समय) को देखने में सहायता प्रदान करता है। ○ यह डैशबोर्ड **केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC)** द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित किया गया है। • अतिथि (ATITHI) एक सरल **मोबाइल एप्लिकेशन** है, जिसे **CBIC** द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अग्रिम में सीमा शुल्क घोषणाएं दर्ज करने हेतु विकसित किया गया है। ○ इससे विमान पत्तनों पर बाधा रहित एवं त्वरित सीमा शुल्क अनुमोदन संभव होगा और देश के विमान पत्तनों पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों एवं अन्य आगंतुकों को बेहतर अनुभव प्राप्त होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 300वें अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर किए	• अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता (Advance Pricing Agreement: APA), वर्ष 2012 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा आरंभ किया गया था। • अग्रिम मूल्य निर्धारण (एडवांस प्राइसिंग) को करदाता के भावी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का मूल्य निर्धारण करने के लिए **हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पद्धति को निश्चित करने हेतु एक करदाता व कर प्राधिकरण के मध्य एक समझौते** के रूप में समझा जा सकता है। • APA योजना बहु-राष्ट्रीय उद्यमों को कर निश्चितता प्रदान करती है और यह **अनुकूल कर व्यवस्था** को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
आयकर रिटर्न्स हेतु फेसलेस ई-निर्धारण	• हाल ही में, केंद्र सरकार ने कर अधिकारियों और करदाताओं के मध्य पूर्णतया इलेक्ट्रॉनिक संचार को बढ़ावा देने एवं आयकर रिटर्न हेतु फेसलेस कर निर्धारण को सुसाध्य करने के लिए **फेसलेस ई-निर्धारण योजना** (Faceless e-Assessment scheme) तथा **राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र** (National e-Assessment Centre: NeAC) का शुभारंभ किया। • इस योजना के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण हेतु NeAC को एक स्वतंत्र कार्यालय के तौर पर सृजित किया गया है। यह दिल्ली में अवस्थित होगा। इसके **8 क्षेत्रीय ई-निर्धारण केंद्र** (Regional e-Assessment Centres: ReAC) दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद में स्थापित किए जाएंगे।

VISION IAS

6. रोजगार और कौशल विकास

(Employment and Skill Development)

6.1. कौशल विकास

(Skill Development)

6.1.1. भारत कौशल रिपोर्ट 2020

(India Skills Report 2020)

- हाल ही में, भारत कौशल रिपोर्ट 2020 का 7वां संस्करण जारी किया गया।
- यह UNDP, AICTE और भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के सहयोग से **व्हीबोक्स** (एक वैश्विक प्रतिभा-मूल्यांकन कंपनी), **पीपल स्ट्रॉन्ग** और **भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)** की एक संयुक्त पहल है।
- भारत कौशल रिपोर्ट 2020 का उद्देश्य प्रतिभा की आपूर्ति और उद्योग की ओर से मांग के संबंध में अवलोकन प्रदान करना है।
- यह रिपोर्ट नए युग की नौकरियों या कार्यों के लिए हमारे वर्तमान प्रतिभा पूल की तत्परता और वर्तमान में नियोक्ता द्वारा भावी कर्मचारियों में तलाश किए जा रहे कौशलों के संबंध में विवरण प्रस्तुत करती है।
- विगत तीन वर्षों से **भारत के युवाओं की नियोजनीयता स्थिर बनी हुई है,** जो नौकरी के लिए तैयार प्रतिभागियों में 46.21 प्रतिशत है।
- **महिला नियोजनीयता 47 प्रतिशत है और इसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है,** जबकि पुरुष कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2019 के 47.39 प्रतिशत से घटकर 46 प्रतिशत हो गई। यह उद्योगों के लिए महिला संसाधन पूल का लाभ उठाने के अवसरों को दर्शाता है।

6.1.2. भारतीय कौशल संस्थान

(Indian Institute of Skills)

- हाल ही में, मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान (Indian Institute of Skills: IIS) की आधारशिला रखी गई है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो अन्य शहरों नामतः अहमदाबाद और कानपुर में भी IIS स्थापित करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- **अत्याधुनिक प्रशिक्षण संस्थान** के रूप में स्थापित इन संस्थानों का निर्माण और संचालन **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership: PPP) मॉडल** के आधार पर तथा एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में किया जाएगा।
- एक **प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया** के माध्यम से मुंबई में प्रथम IIS स्थापित करने के लिए **टाटा एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट (TEDT)** को एक निजी भागीदार के रूप में चयनित किया गया है।
- यह कौशल पारितंत्र में **टर्शियरी केयर इंस्टिट्यूट** के रूप में कार्य करेगा तथा **उभरते हुए एवं उच्च मांग वाले क्षेत्रों,** जैसे- गहन तकनीक (deep technology), एयरोस्पेस, ऑटोमेशन, कृत्रिम बुद्धिमता और मशीन लर्निंग, साइबर प्रौद्योगिकी, ऊर्जा संरक्षण आदि हेतु आवश्यक कोर्स उपलब्ध कराएगा।

6.1.3. भारतीय कौशल विकास सेवा संवर्ग का प्रथम बैच

(First Batch of ISDS cadre)

- हाल ही में, मैसूर स्थित प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (ATI) में केंद्र सरकार की नवीनतम सेवा, **भारतीय कौशल विकास सेवा (Indian Skill Development Services: ISDS)** के प्रथम बैच के सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
- ISDS संवर्ग में शामिल होने वाले इस प्रथम बैच का चयन **संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित भारतीय अभियान्त्रिकी सेवा परीक्षा** के माध्यम किया गया है।
- यह **ग्रुप 'A' की एक सेवा** है तथा इसे **कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रशिक्षण निदेशालय** के लिए विशेष रूप से सृजित किया गया है। इसका उद्देश्य देश में कौशल विकास परिवेश को संस्थागत बनाने की दिशा में युवा और प्रतिभाशाली प्रशासकों को आकर्षित करना है।

6.1.4. रिस्किलिंग रिवोल्यूशन

(Reskilling Revolution)

- हाल ही में, भारत एक **संस्थापक सरकारी सदस्य** के रूप में **वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिस्किलिंग रिवोल्यूशन** में सम्मिलित हुआ।

VISION IAS

- इसके संस्थापक सरकारों में ब्राजील, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, रूस, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका सम्मिलित हैं।

- रिस्किलिंग रिवोल्यूशन वस्तुतः WEF की एक पहल है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक एक बिलियन लोगों को बेहतर शिक्षा, कौशल और रोजगार प्रदान करना है।
- इसका उद्देश्य रिस्किलिंग की आवश्यकता को चिन्हित करना है, जिनके पीछे निम्नलिखित परिस्थितियां उत्तरदायी रही हैं:
 - **चतुर्थ औद्योगिक क्रांति** की प्रौद्योगिकियों के कारण रोजगारों में होने वाले परिवर्तन,
 - मौजूदा रोजगार के प्रदर्शन हेतु मुख्य कौशलों में परिवर्तन की आवश्यकता,
 - उच्च तकनीकी एवं विशेषीकृत अंतर्वैयक्तिक कौशल की **उच्च मांग** (जिसमें बिक्री, मानव संसाधन, देखभाल और शिक्षा से संबंधित कौशल शामिल हैं)।
- रिस्किलिंग की आवश्यकता वाले रोजगार की पहचान करने हेतु WEF द्वारा **'जॉब्स ऑफ़ टुमारो: मैपिंग अपॉर्चुनिटी इन द न्यू इकॉनोमी'** नामक एक रिपोर्ट भी जारी की गई है।

6.1.5. 'युवाह' युवा कौशल पहल

(Yuwaah Youth Skilling Initiative)

- **"जेनेरशन अनलिमिटेड पार्टनरशिप"** विभिन्न क्षेत्रों के कर्ताओं को एक साथ लाती है ताकि युवाओं को उत्पादक नागरिक बनाया जा सके तथा माध्यमिक-आयु शिक्षा और प्रशिक्षण को रोजगार तथा उद्यमिता से जोड़ा जा सके।
 - **भारत में, इस पहल को 'युवाह' कहा जाता है।**
 - यह केंद्र एवं राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों (जैसे यूनिसेफ) आदि से प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाती है।
- युवाह के लक्षित आयु समूह में किशोर लड़कियां और लड़के शामिल हैं।

अतिरिक्त जानकारी

भारत कौशल 2020	• यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का एक कार्यक्रम है, जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 50 से अधिक कौशलों में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए कुशल एवं प्रतिभाशाली भारतीय युवाओं को एक मंच प्रदान करता है।
500 उम्मीदवारों को RPL प्रमाण-पत्र	• **रिकग्निशन ऑफ़ प्रायर लर्निंग (RPL):** यह अनौपचारिक शिक्षा या कार्य के माध्यम से सीखे गये कौशल को शिक्षा के औपचारिक स्तरों के समान मान्यता प्रदान करने का एक मंच है। • PMKVY के तहत, मूल्यांकन किए गए उम्मीदवारों की पूर्व दक्षताओं की पहचान करके RPL पर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा मूल्यांकन के सफल समापन पर एक प्रमाण-पत्र एवं मौद्रिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
फ्यूचर स्किल्स प्राइम	**फ्यूचर स्किल्स प्राइम (Programme for Reskilling/Upskilling of IT Manpower for Employability: PRIME) की प्रमुख विशेषताएं:** • यह **NASSCOM** के साथ **इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ की गई है। ○ यह शिक्षार्थियों की प्राथमिकता और कौशल अंतराल का समाधान प्रदान करेगी ताकि **प्रासंगिक पाठ्यक्रमों की पहचान** की जा सके। ○ उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में **डिजिटल रूप से दक्ष बनाने** में सहायता प्राप्त होगी। ○ चयनित कौशल दक्षताओं में **ऑनलाइन अपस्किलिंग** की पेशकश प्रदान की जाएगी। ○ ऑनलाइन और कक्षा प्रशिक्षण के साथ **मिश्रित कार्यक्रमों की पेशकश करेगा।** ○ यह उद्योग की आवश्यकताओं और सरकारी मानकों के अनुरूप शिक्षार्थियों के **मूल्यांकन एव प्रमाणन को सक्षम करेगा।** • इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को IT उद्योग, शिक्षा जगत और सरकार के साथ सुदृढ़ साझेदारी से विकसित किया जा रहा है। उद्योग क्षेत्र के अतिरिक्त, CDAC और NIELIT केंद्रों की वर्तमान अवसंरचना का **हब एवं स्पोक मॉडल में संसाधन केंद्र के रूप में भी लाभ उठाया जाएगा।**
कौशल निर्माण मंच (MSDE द्वारा IBM के सहयोग से)	• इस कार्यक्रम के भाग के रूप में, IBM द्वारा सह-विकसित और अभिकल्पित, **नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और IT में दो वर्ष का उन्नत डिप्लोमा,** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय कौशल

VISION IAS

	प्रशिक्षण संस्थानों (NSTI) में प्रस्तुत किया जाएगा। • कृत्रिम बुद्धिमता (AI) में कौशल निर्माण पर **ITI और NSTI संकाय को प्रशिक्षित करने हेतु** इस मंच का विस्तार किया जाएगा।
राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार 2019	• **कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत की गयी।** • इस पुरस्कार का उद्देश्य प्रथम पीढ़ी के उत्कृष्ट युवा उद्यमियों की **पहचान और उनका सम्मान करना** है, तथा उद्यमिता विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पारितंत्र निर्माताओं एवं उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है।

6.2. रोजगार

(Employment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2016 में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 8.5 प्रतिशत हो गई। यह अगस्त 2016 के बाद अब तक की सर्वाधिक वृद्धि है।

प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का संकल्पनात्मक ढांचा

- **श्रम बल भागीदारी दर (LFPR):** इसे जनसंख्या में श्रम बल (अर्थात् कार्यरत या कार्य करने की आकांक्षा रखने वाले या कार्य के लिए उपलब्ध व्यक्ति) के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR):** इसे जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- **आनुपातिक बेरोजगार (PU):** इसे जनसंख्या में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- **बेरोजगारी दर (UR):** इसे श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **कार्यकलाप की स्थिति:** किसी भी व्यक्ति की कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर किया जाता है। इसका निर्धारण दो प्रकार से किया जा सकता है-
 - **सामान्य स्थिति:** जब सर्वेक्षण की तिथि से 365 दिनों पूर्व की संदर्भ अवधि के आधार पर कार्यकलाप की स्थिति निर्धारित की जाती है।
 - **वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS):** जब सर्वेक्षण की तिथि से 7 दिनों पूर्व की संदर्भ अवधि के आधार पर कार्यकलाप की स्थिति निर्धारित की जाती है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey)

- इसे अप्रैल 2017 में **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** द्वारा प्रारम्भ किया गया था।
- इसे NSSO के पूर्व के पंचवार्षिक **रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण** की तुलना में एक **नवीन नियमित रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण** के रूप में प्रारंभ किया गया है, जिसमें सर्वेक्षण पद्धति, डेटा संग्रह तंत्र और प्रतिदर्श डिज़ाइन में कुछ परिवर्तन किए गए हैं।
- इसे शहरी क्षेत्रों में विभिन्न श्रम बाजार सांख्यिकीय संकेतकों के त्रैमासिक परिवर्तनों का मापन करने के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए इन संकेतकों के वार्षिक आंकलन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, जिसका उपयोग नीति-निर्माण के लिए किया जा सकता है।

6.2.1. स्व-रोजगार

(Self Employment)

- **परिभाषा:**
 - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, स्व-नियोजित कर्मी ऐसे कर्मी होते हैं जो एकल रूप से स्वयं अथवा एक या अधिक सहयोगियों के साथ या सहकारी रूप से कार्य करते हैं और "स्व-रोजगार की नौकरियों" के रूप में परिभाषित किसी एक नौकरी में संलग्न होते हैं तथा वे निरंतर उस नौकरी में संलग्न रहते हैं और एक या एक से अधिक व्यक्ति उनके कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं।
 - स्व-रोजगार की नौकरियां ऐसी नौकरियां हैं जिनमें पारिश्रमिक **उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त लाभ पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है।**
- नवीनतम PLFS रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2009-10 से वर्ष 2017-18 के मध्य स्व-रोजगार की दर:

VISION IAS

- ग्रामीण पुरुषों के मध्य स्व-रोजगार में (53.5% से 57.8%) वृद्धि हुई है।
- ग्रामीण महिलाओं के मध्य स्व-रोजगार में (55.7% से 57.7%) वृद्धि हुई है।
- शहरी पुरुषों के मध्य स्व-रोजगार में (41.1% से 39.2%) कमी हुई है।
- शहरी महिलाओं के मध्य स्व-रोजगार में (41.1% से 34.7%) कमी हुई है।

6.2.2. राष्ट्रीय स्टार्ट-अप सलाहकार परिषद

(National Startup Advisory Council)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्ट-अप सलाहकार परिषद (NSAC) की संरचना को अधिसूचित किया है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- NSAC का लक्ष्य देश में नवाचार और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने हेतु एक सुदृढ़ परिवेश का निर्माण करना।
- **NSAC की संरचना**
 - **अध्यक्ष:** वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री।
 - **पदेन सदस्य:** संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा नामित व्यक्ति, जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव से नीचे के पद धारण न करता हो।
 - **गैर-अधिकारिक सदस्य:** विभिन्न श्रेणियों से (जैसे- सफल स्टार्ट-अप्स के संस्थापक) केंद्र सरकार द्वारा 2 वर्षों के लिए मनोनीत।
 - **परिषद का संयोजक:** उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के संयुक्त सचिव।



7. कृषि

(Agriculture)

7.1. कृषिगत आगत

(Agricultural Input)

7.1.1. कृषि ऋण

(Agricultural Credit)

- **भारत में कृषि ऋण के तंत्र:** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (Priority Sector Lending: PSL), ब्याज अनुदान योजना (Interest Subvention Scheme: ISS), किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना, स्वयं सहायता समूह - बैंक लिंकेज प्रोग्राम (SHG-BLP), संयुक्त दायित्व समूह (Joint Liability Groups: JLG) योजना।
- **कृषि ऋण की विशेषताएं:**
 - **ऋण के स्रोत:** संस्थागत स्रोत कृषिगत ऋण के 72 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी हैं, जबकि गैर-संस्थागत स्रोत, जैसे- महाजनों एव रिश्तेदारों से उधार/ऋण की हिस्सेदारी 28 प्रतिशत है।
 - **संस्थागत ऋण के स्रोत:** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (79 प्रतिशत), सहकारी संस्था (15 प्रतिशत), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (5 प्रतिशत) और सूक्ष्म वित्त संस्थान (1 प्रतिशत)।
 - **ऋणों में छूट/ऋण माफ़ी:** वर्ष 2014-15 से कृषि ऋण माफी के लिए 2.4 लाख करोड़ रूपए (GDP का लगभग 1.4 प्रतिशत) दिए गए हैं।
 - **अल्पकालिक ऋणों की हिस्सेदारी में वृद्धि:** कृषिगत ऋण में अल्पकालिक ऋण की हिस्सेदारी वर्ष 2000 के 51 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018 में 75 प्रतिशत हो गई।

भारत में कृषि वित्त - संक्षिप्त इतिहास

- **चरण 1 (1951-69)**
 - 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्राथमिक क्षेत्रक के विकास पर बल।
 - 1968 में **राष्ट्रीय ऋण परिषद** द्वारा जोर देते हुए कहा गया कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लघु उद्योगों और कृषि के वित्तपोषण को बढ़ाया जाना चाहिए।
 - 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं को खोलने पर बल दिया।
- **चरण 2 (1970-1990)**
 - 1970 के दशक में लीड बैंक स्कीम के साथ कृषि ऋण में वाणिज्यिक बैंकों के प्रवेश और PSL के नियामकीय निर्धारण को चिह्नित किया गया।
 - विशेष रूप से कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रकों के लिए बैंकिंग एवं ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया गया था।
 - विशेष रूप से SHGs और MFIs (सूक्ष्म वित्त संस्थान) के वित्तपोषण द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) स्थापित किया गया।
 - RBI ने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने के लिए वर्ष 1989 में सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण या सर्विस एरिया एप्रोच (SAA) और वार्षिक ऋण योजना प्रणाली का शुभारंभ किया।
- **चरण 3 (1991 से वर्तमान तक)**
 - बैंकों की परिचालन संबंधी दक्षता बढ़ाने के लिए 1991 की नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट का क्रियान्वयन।
 - वर्ष 1990 में पहली बार बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी कृषि ऋण माफी।
 - मुख्य रूप से ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए NABARD के तहत ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) की स्थापना।
- NABARD ने वर्ष 1992 में पायलट परियोजना के तौर पर SHG-BLP की शुरुआत की थी।

VISION IAS

7.1.1.1. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार

(Priority Sector Lending: PSL)

- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में निम्नलिखित श्रेणियां सम्मिलित हैं**: (i) कृषि (ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (iii) निर्यात ऋण (iv) शिक्षा (v) आवास (vi) सामाजिक अवसंरचना (vii) नवीकरणीय ऊर्जा तथा (viii) अन्य।
- **निम्नलिखित उधारकर्ता PSL के लिए कमजोर वर्ग श्रेणी के तहत पात्र हैं:**
 - लघु और सीमांत किसान
 - दिव्यांग व्यक्ति
 - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
 - गैर-संस्थागत ऋणदाताओं के ऋणी व्यथित किसान
 - स्वयं सहायता समूह
 - काश्तकार, ऐसे ग्रामीण और कुटीर उद्योग जिनकी व्यक्तिगत ऋण सीमा 0.1 मिलियन रूपये से अधिक न हो
 - सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) और मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थी (SRMs)।
 - विभेदक ब्याज दर (DRI) योजना के लाभार्थी
 - गैर-संस्थागत उधारदाताओं के प्रति ऋणग्रस्त किसानों को छोड़कर आपदाग्रस्त व्यक्तियों को अपने ऋण की पूर्व अदायगी हेतु 0.1 मिलियन रूपये से अनधिक के ऋण।
 - अलग-अलग महिला लाभार्थियों को प्रति उधारकर्ता 0.1 मिलियन रूपये तक के ऋण
 - 18 से 65 वर्ष की आयु सीमा के साथ प्रधानमंत्री जन-धन योजना खाता धारकों के लिए 10,000 रूपये तक के ओवरड्राफ्ट।
 - भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय।
- कृषि के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों को तीन उप-श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। कृषि ऋण, कृषि अवसंरचना और सहायक गतिविधियाँ।
- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण पत्र (Priority Sector Lending Certificates: PSLCs)** एक तंत्र है जो बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और कमी की स्थिति में इन उपकरणों की खरीद करके उप-लक्ष्य प्राप्त करता है।

7.1.1.2. उड़ीसा की 'कालिया' योजना का केंद्र की पीएम-किसान के साथ विलय

(Odisha's 'Kalia' Scheme To be Merged with Centre's PM-KISAN)

- वित्तीय बाधाओं के कारण 'आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता' (Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation: KALIA) योजना का पीएम-किसान के साथ विलय किया जाना है।
- कालिया योजना के तहत, अधिकांश लघु और सीमांत कृषक एक वर्ष में दो फसलों के लिए दो किस्तों में 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं।
 - भूमिहीन कृषक तीन वर्ष तक प्रति वर्ष 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं।
- पीएम-किसान योजना के तहत, केंद्र सरकार द्वारा लगभग 14 करोड़ किसानों को तीन समान किस्तों में कुल 6,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जा रहे हैं।
 - **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)** भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
 - राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को **लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान** करने संबंधी उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है।
- नए दिशानिर्देशों के अनुसार, इन किसानों को 'कालिया' योजना के तहत 10,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। (इससे पूर्व उन्हें इन दोनों योजनाओं के तहत 16,000 रुपये प्रदान किए जाते थे)।
 - राज्य सरकार द्वारा किसानों को 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि शेष राशि (6,000 रूपये) प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत प्रदान की जाएगी।
 - भूमिहीन किसानों को 'कालिया' योजना के तहत प्रति वर्ष 12,000 रुपये प्रदान किये जाएंगे, जबकि **PM-KISAN में भूमिहीन किसानों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।**

VISION IAS

7.1.2. भारत में उर्वरक

(Fertilizer in India)

पृष्ठभूमि

- भारत की हरित क्रांति में उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जिसके कारण सरकार ने उर्वरक की बिक्री, मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए वर्ष 1957 में **उर्वरक नियंत्रण आदेश** पारित किया था।
- वर्ष 1973 में उर्वरक के वितरण पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए **उर्वरक (संचलन) नियंत्रण आदेश** जारी किया गया था।
- वर्ष 1977 से पूर्व उर्वरक पर सब्सिडी की कोई व्यवस्था नहीं थी। किन्तु वर्ष 1973 में तेल संकट के कारण उर्वरक की कीमत में वृद्धि से इसकी खपत में गिरावट और खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई।
 - वर्ष 1977 में, सरकार ने उर्वरक विनिर्माताओं को सब्सिडी प्रदान कर हस्तक्षेप किया।
- वर्ष 1991 के आर्थिक संकट के पश्चात सरकार ने वर्ष 1992 में डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) और म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP) जैसे जटिल उर्वरकों के आयात को नियंत्रित-मुक्त किया। लेकिन, यूरिया के आयात को प्रतिबंधित और व्यवस्थित किया गया।

भारत में उर्वरक क्षेत्र- सिंहावलोकन

- भारत, चीन के पश्चात **दूसरा** सबसे बड़ा यूरिया उपभोक्ता देश है।
- भारत, नाइट्रोजन उर्वरकों के उत्पादन में दूसरे और फॉस्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन में **तीसरे** स्थान पर है जबकि देश में पोटाश के सीमित भंडार होने के कारण इसकी आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी की जाती है।
- यह **आठ कोर उद्योगों** में से एक है।

 उर्वरकों को **तीन श्रेणियों** में वर्गीकृत किया जा सकता है- प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्व
 - **प्राथमिक उर्वरकों** को पुनः मृदा को पोषक तत्व प्रदान करने के आधार पर नाइट्रोजन युक्त (यूरिया), फॉस्फेटिक (डाई-अमोनियम फॉस्फेट: DAP) और पोटाश युक्त (पोटाश म्युरिएट: MOP) जैसे उर्वरकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
 - **द्वितीयक उर्वरक** में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं जबकि **सूक्ष्म पोषक तत्वों** में लौह, जस्ता, बोरान, क्लोराइड आदि सम्मिलित होते हैं।
- वित्तीय वर्ष 2020 के लिए उर्वरक सब्सिडी की अनुमानित राशि 79,996 करोड़ रुपये (53,629 करोड़ रुपये यूरिया के लिए और 26,367 करोड़ रुपये पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के लिए) है।
- **पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना**
 - इसके तहत, सरकार P & K उर्वरक के प्रत्येक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन (N), फॉस्फेट (P), पोटाश (K) और सल्फर (S) इत्यादि पर सब्सिडी हेतु एक निश्चित दर (रूपये प्रति किलो आधारित) की घोषणा करती है।
 - यह **22 उर्वरकों** (यूरिया के अतिरिक्त) पर लागू होती है, जिसके लिए MRP का निर्धारण देश एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर P&K उर्वरकों की कीमत, विनिमय दर और देश में इन्वेंट्री स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

7.1.2.1. यूरिया सब्सिडी

(Urea Subsidy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत सरकार ने यूरिया पर प्रदत्त (बढ़ती) सब्सिडी को वर्तमान की तुलना में और अधिक लक्षित करने की योजना बनायी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- अब सरकार द्वारा बिक्री के आधार पर फर्मों को किए जाने वाले **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** के स्थान पर **लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में यूरिया सब्सिडी को हस्तांतरित (DBT)** किया जाएगा।
 - किसान, यूरिया की खरीद के दौरान बाजार मूल्य के अनुसार भुगतान करेंगे और तत्पश्चात उनके **आधार-लिंक्ड बैंक खाते में सब्सिडी की राशि** का भुगतान किया जाएगा।
 - इस प्रक्रिया से उर्वरक पर प्राप्त होने वाली **सब्सिडी के रिसाव और कालाबाजारी में कमी** आएगी।
 - सब्सिडी आधारित उर्वरकों पर उच्चतम सीमा आरोपित की जा सकेगी, ताकि **नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग में कमी की जा सके।**
 - उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी **किसानों के ई-वॉलेट में सीधे सरकार द्वारा अंतरित** की जाएगी और ई-वॉलेट को **रूपे किसान कार्ड** के साथ जोड़ा जाएगा।

VISION IAS

यूरिया उत्पादन और मूल्य निर्धारण तंत्र

- किसानों को यूरिया **वैधानिक रूप से नियंत्रित** मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है जो वर्तमान में 5360 रुपये/मीट्रिक टन है। (नीम लेपन हेतु केंद्रीय/राज्य कर एवं अन्य शुल्कों सहित)।
- फार्म गेट पर उर्वरकों के वितरण में निहित लागत और किसान द्वारा देय MRP के मध्य के अंतर को भारत सरकार द्वारा **उर्वरक निर्माता/आयातक को सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है।**
- वर्तमान में, देश में **31 यूरिया इकाइयां हैं** जिनमें से 28 यूरिया इकाइयां प्राकृतिक गैस (घरेलू गैस / LNG / CBM का उपयोग करके) का उपयोग करती हैं और शेष तीन यूरिया इकाइयां नेफ्था का फीडस्टॉक के रूप में उपयोग करती हैं।

भारत की यूरिया नीति

- यूरिया, नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक का स्रोत होता है और इस पर केंद्र सरकार द्वारा अत्यधिक सब्सिडी प्रदान की जाती है। वर्तमान में यूरिया ही एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो नियंत्रणाधीन है।
- यूरिया सब्सिडी, **उर्वरक विभाग की केन्द्रीय क्षेत्रक की योजना** का हिस्सा है और इसे भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से पूर्ण रूप से वित्त पोषित किया जाता है।
- यूरिया सब्सिडी के अंतर्गत निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं:
 - देश भर में **यूरिया के संचरण (लाने-ले जाने) हेतु माल-भाड़े पर सब्सिडी।**
- वर्ष 2015 में उर्वरक विभाग द्वारा नई यूरिया नीति-2015 (NUP-2015) को अनुसूचित किया गया था और इस योजना को **स्वदेशी यूरिया उत्पादन में वृद्धि करने, यूरिया उत्पादन में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने तथा सरकार पर सब्सिडी भार को तर्कसंगत बनाने के** उद्देश्य से 2019-2020 तक विस्तारित किया गया है।
 - **यूरिया सब्सिडी योजना को वर्ष 2020 तक जारी रखा जाएगा ताकि** यूरिया निर्माताओं को समयबद्ध तरीके से सब्सिडी का भुगतान किया जा सके और किसानों को यूरिया प्राप्त होता रहे।
 - जब उत्पादन अधिसूचित क्षमता से अधिक होता है, तब उत्पादन लागत पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।

7.2. खाद्यान्न प्रबंधन

(Food Grain Management)

7.2.1. भारतीय खाद्य निगम

(Food Corporation of India: FCI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) की अधिकृत पूंजी (Authorized Capital) को वर्तमान 3,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये करने की स्वीकृत प्रदान की है।

विवरण

- **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** के अधीन भारतीय खाद्य निगम (FCI) एक नोडल एजेंसी है, जो खाद्यान्नों की खरीद, परिवहन और भंडारण, सार्वजनिक वितरण एवं बफर स्टॉक के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है।
- FCI न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों से असीमित आधार (ओपन एंडेड बेसिस) पर खाद्यान्नों की खरीद (अर्थात्, किसानों द्वारा इसे विक्रय किए जाने वाले समस्त खाद्यान्न की खरीददारी) करता है, बशर्ते कि खाद्यान्नों की खरीददारी भारत सरकार के एकसमान गुणवत्ता विनिर्देशों को पूरा करती हो। FCI की ओर से राज्य सरकार की एजेंसियों (SGA) और निजी राइस मिल मालिकों द्वारा भी खरीद की जाती है।
- खरीदे गए समस्त खाद्यान्न से केंद्रीय पूल का निर्माण होता है। खाद्यान्नों को अधिशेष वाले राज्यों से वितरण हेतु उपभोग/अत्यधिक मांग वाले राज्यों में और बफर स्टॉक के निर्माण एवं FCI के गोदामों में भंडारित करने हेतु ले जाया जाता है।
- खाद्यान्नों का विक्रय FCI और राज्य सरकारों द्वारा **खुली बाजार बिक्री योजना (OMSS)** के तहत किया जाता है अर्थात् विशेष रूप से कम आपूर्ति/उपज वाले मौसम के दौरान खाद्यान्नों की आपूर्ति बढ़ाने तथा खाद्यान्न की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में खुले बाजार की कीमतों में कमी लाने के उद्देश्य से, पूर्व निर्धारित कीमतों पर खुले बाजार में खाद्यान्नों की आपूर्ति में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जाती है।

- भारत में, लघु किसानों द्वारा पारंपरिक पद्धति का उपयोग करके खाद्यान्न का भंडारण किया जाता है। अधिशेष खाद्यान्न सरकारी एजेंसियों में भंडारित किया जाता है, जैसे: **भारतीय खाद्य निगम (FCI), केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) और राज्य भंडारण निगम (SWC)।**
- FCI की आर्थिक लागत के अंतर्गत MSP पर किए जाने वाले खाद्यान्नों के क्रय की लागत, खरीद से संबंधित व्यय (जैसे- श्रम और परिवहन शुल्क, गोदाम किराया) और **वितरण लागत** (माल ढुलाई, हैंडलिंग, भंडारण और ब्याज प्रभार, भंडारण के दौरान हानि इत्यादि) सम्मिलित हैं।
 - विभिन्न योजनाओं (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 सहित) के अंतर्गत खाद्यान्नों की **आर्थिक लागत और केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP)** के मध्य अंतर FCI की परिचालनात्मक हानि को दर्शाता है और इसकी **भारत सरकार द्वारा खाद्य सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति की जाती है।**

परक्राम्य गोदाम रसीदों (Negotiable Warehouse Receipts: NWRs) के बारे में

- **NWRs पंजीकृत गोदामों द्वारा जारी की जाती हैं। ये किसानों को NWR के आधार पर बैंकों से ऋण लेने में सक्षम करती हैं।**
- यह उन्हें साधारण रूप से नाशवान उत्पादों की बिक्री अवधि को कटाई के मौसम से परे विस्तारित करने में सक्षम करती है।
- इसके परिणामस्वरूप, NWR शीर्ष विपणन मौसम में किसानों को संकटकाल की स्थिति में कृषि उपज की विवशता वश बिक्री से बचा सकती है।

भारत में भंडारण के प्रकार

- **भूमिगत भंडारण संरचनाएं:** ये कुएं के समान भूमि को खोदकर निर्मित की गई संरचनाएं होती हैं, जिनके आंतरिक भागों पर गोबर का लेपन कर दिया जाता है। ये विभिन्न बाह्य खतरों, जैसे- चोरी, वर्षा या वायु से होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करती हैं।
- **भूतल भंडारण संरचना:** बोरों में भंडारण करना और बल्क या लूज (Bulk or loose) भंडारण।
- **व्यापक पैमाने पर भंडारण:**
 - **कवर एंड प्लिंथ (CAP):** यह सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली भंडारण विधि है जो किफायती होती है लेकिन इसमें अपरिहार्य रूप से अनाज की हानि (वायु से होने वाली क्षति के प्रति सुभेद्य) होती है। यह फसलों की एक अस्थायी भंडारण विधि है जिसमे अनाज को बोरों में भरकर खुले क्षेत्र में ढेर लगाकर वाटर प्रूफ सामग्री से ढककर भंडारित किया जाता है।
 - **साइलो (Silos):** इन संरचनाओं में, यांत्रिक रूप से संचायित कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से अनाज को थोक के रूप में भंडारण संरचना तक पहुँचाया जाता है। इनमें से प्रत्येक साइलो की भंडारण क्षमता लगभग 25,000 टन होती है।
- **गोदाम (Warehousing):** ये संग्रहीत उत्पादों की मात्रा एवं गुणवत्ता की सुरक्षा हेतु विशेष रूप से निर्मित वैज्ञानिक भंडारण संरचनाएं होती हैं, जैसे- केंद्रीय भंडारण निगम (CWC), राज्य भंडारण निगम (SWCs), भारतीय खाद्य निगम (FCI) इत्यादि।

7.2.2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

(PDS Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में स्वचालन को बढ़ावा देने हेतु, पंजाब में ePOS (इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल) की शुरुआत कि गयी है।
 - ePOS के अंतर्गत लाभार्थी अपना राशन कार्ड प्रदर्शित करने के स्थान पर आधार सक्षम ePOS मशीनों पर अपना फिंगरप्रिंट मैच करके राशन प्राप्त कर सकते हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- आंध्र प्रदेश PDS में स्वचालन को अपनाने वाला प्रथम राज्य है जिसके उपरांत स्वचालन के लिए सभी राज्यों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्देश जारी किए गए थे।

PDS के बारे में

- PDS रियायती मूल्य वाली उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के नेटवर्क के माध्यम से निर्धनों को खाद्यान्न की आपूर्ति और आवश्यक वस्तुओं के वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है।
- राज्य के भीतर आवंटन, लाभार्थियों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना, FPS के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण और पर्यवेक्षण सहित संचालन उत्तरदायित्व राज्यों पर है।

VISION IAS

- निर्धनता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वर्ष 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) प्रारम्भ की गई थी।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के तहत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से TPDS परिचालन हेतु 'एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण' से संबंधित योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना का विस्तार मार्च 2020 तक कर दिया गया है।
 - इसमें राशन कार्ड/लाभार्थियों के डेटा का डिजिटलीकरण, FPS का स्वचालन (आधार संलग्न और ePOS) आदि सम्मिलित हैं।

एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना (One nation, one ration card initiative)	• केंद्र सरकार ने **राशन कार्डों के लिए एक मानक प्रारूप** तैयार किया है तथा राज्य सरकारों से नए राशन कार्ड जारी करते समय इस प्रारूप का अनुपालन करने के लिए कहा गया है। • जून 2020 तक **एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना** का प्रारंभ किया जाएगा और इस दिशा में **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** द्वारा एक पोर्टेबिलिटी प्लेटफॉर्म अर्थात् **सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क (PDSN)** पर 12 राज्यों को एकीकृत करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। • यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों को इन राज्यों में **किसी भी उचित मूल्य की दुकान से** सब्सिडी आधारित अनाज खरीदने में सक्षम बनाएगा। इस योजना से राशन कार्ड धारक देश में कहीं पर भी खाद्यान्न का क्रय कर सकेंगे। • सामान्यत: **राशन कार्ड राज्यों द्वारा जारी** किए जाते हैं और अभी तक लाभार्थी केवल जारी करने वाले राज्य में स्थित राशन की दुकान से खाद्यान्न क्रय कर सकते थे।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (Integrated Management of Public Distribution System)	• इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों की **राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी प्रारम्भ करना** है। • यह प्रवासी राशन कार्ड लाभार्थियों को FPS में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ePOS) डिवाइस पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के उपरांत अपने गृह राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में जारी किए गए **वर्तमान राशन कार्ड का उपयोग करके देश में उनकी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से अपनी पात्रतानुसार खाद्यान्न को प्राप्त करने में सक्षम बनाती** है।
अतिरिक्त बफर स्टॉक (Excess Buffer Stocks)	• भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा केंद्रीय पूल में रखा जाने वाला **खाद्यान्न भंडार विगत 6 वर्ष के सर्वाधिक उच्च स्तर पर** पहुँच गया है, इस आलोक में सरकार निर्धनता रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों को आवंटित किए जाने वाले खाद्यान्नों में वृद्धि करने की योजना बना रही है। • **प्रमुख कारण:** ○ खाद्यान्नों की अत्यधिक आपूर्ति; ○ हितधारकों के मध्य समन्वय का अभाव; ○ खुली खरीद (open ended procurement) और; ○ स्वचालित परिसमापन नियमों का अभाव।
मूल्य न्यूनता भुगतान प्रणाली (Price Deficiency Payment Sytem)	• हाल ही में, हरियाणा सरकार ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देने हेतु **भावांतर भरपाई योजना (BBY)** के तहत और अधिक फसलें को शामिल करने का निर्णय लिया है। ○ यह हरियाणा की **मूल्य न्यूनता भुगतान योजना** है, जिसका उद्देश्य बाजार में सब्जियों के उचित मूल्य न मिल पाने की स्थिति में, किसानों के जोखिम को कम करके उन्हें संरक्षित मूल्य प्रदान करना है। • इस योजना के तहत, किसानों को चयनित फसलों हेतु उनके **वास्तविक बाजार मूल्यों** एवं **सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** के मध्य के अंतर की राशि को क्षतिपूर्ति के तौर पर भुगतान किया जाता है।

VISION IAS

	• केंद्रीय योजना '**प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)**' के एक घटक के रूप में मूल्य न्यूनता भुगतान योजना को भी सम्मिलित किया गया है, जबकि अन्य घटकों के रूप में **मूल्य समर्थन योजना (PSS)** तथा **निजी खरीद एवं स्टॉक स्कीम (PPSS)** शामिल हैं। • इसी तरह की योजनाओं वाले अन्य राज्यों में मध्यप्रदेश द्वारा **भावांतर भुगतान योजना (BBY)** और **कर्नाटक** द्वारा दुग्ध उत्पादक किसानों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन से संबंधित योजनाएं शामिल हैं।

7.2.3. बाजार आसूचना और पूर्व चेतावनी प्रणाली पोर्टल

(Market Intelligence and Early Warning System Portal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI)** द्वारा **बाजार आसूचना और पूर्व चेतावनी प्रणाली (MIEWS)** पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।

कीमतों में वृद्धि के कारण?

- **मॉनसून पर निर्भरता, जलवायु का परिवर्तित पैटर्न, कॉबवेब घटना, विकृत मूल्य समर्थन प्रणाली (MSP), अपर्याप्त अवसंरचना आदि।**
- **मकड़जाल परिघटना (Cobweb phenomenon):** कृषि उत्पाद "मकड़जाल" परिघटना का प्रदर्शन करते हैं, जिसके अंतर्गत एक अंतराल के पश्चात् कुल उत्पादन का कीमतों पर प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे उत्पादन और कीमतों में परिवर्तनों का आवर्ती चक्र उत्पन्न हो जाता है। यह किसानों के व्यवहार को दर्शाता है जो इस वर्ष की जाने वाली बुवाई के संबंध में निर्णय विगत अवधि की कीमतों के आधार पर करते हैं और तदनुसार फसलों का अधिक या कम उत्पादन किया जाता है, जिससे मूल्य चक्रीयता को बढ़ावा मिलता है।

विवरण

- यह **टमाटर, प्याज और आलू (TOP)** की कीमतों की **'वास्तविक समय निगरानी'** प्रदान करेगा और साथ ही **ऑपरेशन ग्रीन्स (OG)** योजना की शर्तों के तहत हस्तक्षेप के लिए **चेतावनी जारी** करेगा।
- यह सरकार को बहुतायत की स्थिति के दौरान मूल्य गिरावट के मामले में समय पर बाजार हस्तक्षेप और मूल्य स्थिरीकरण के लिए आपूर्ति की स्थिति की निगरानी करने में सक्षम बनाएगा।
- यह पोर्टल TOP फसलों से संबंधित जानकारी जैसे कि कीमतें और आगत, क्षेत्र, उपज तथा उत्पादन, फसल कैलेंडर एवं फसल कृषि विज्ञान आदि को सरल उपयोग वाले दृश्य प्रारूप में उपलब्ध कराएगा।
- MoFPI द्वारा 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रारंभ किए गए **ऑपरेशन ग्रीन्स** का उद्देश्य **TOP फसलों की आपूर्ति को स्थिर करना** और समग्र देश में वर्ष भर **बिना मूल्य अस्थिरता के TOP फसलों की उपलब्धता** सुनिश्चित करना है।

7.3. कृषि विपणन

(Agricultural Marketing)

7.3.1. कृषि उत्पाद विपणन समिति

(Agricultural Produce Market Committees: APMCS)

- केंद्र सरकार ने राज्यों को कृषि उत्पाद विपणन समितियों (APMC) को विघटित करने और इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) को अपनाकर एक बेहतर मंच की ओर रूपांतरण करने का परामर्श दिया है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर **डिजिटल कृषि बाजार** किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य सुनिश्चित कर सकेगा।
- मध्यस्थों द्वारा किसानों के शोषण की व्यापकता (जहाँ किसान अपनी उपज को बेहद कम मूल्यों पर बेचने को विवश होते हैं) को समाप्त करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा APMC की स्थापना की गयी है।
 - इसके तहत सभी खाद्य उपज को बाजार में लाकर और नीलामी के माध्यम से बिक्री की जाती है।
- **इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM)** कृषि उपजों के लिए एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने हेतु मौजूदा APMC मंडियों को ऑनलाइन नेटवर्क से संबद्ध करना है।
 - इसे वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया था।

अतिरिक्त जानकारी

कृषि मंत्रालय द्वारा eNAM को कृषक उत्पादक संगठन (FPO), भंडार गृहों से जोड़ना	• **e-NAM** के भंडार गृहों की रसीद के साथ एकीकरण करने से उत्पादों को मंडी में ले जाये बिना ही भंडार गृहों से विपणन हो सकता है। • FPO का e-NAM के साथ एकीकरण लघु किसानों की प्रतिस्पर्धा में सुधार करेगा तथा विपणन प्रणाली में उनके लाभों में वृद्धि करेगा।

7.3.2. किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन

(Formation and Promotion of Farmer Producer Organizations)

- हाल ही में, आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने **"किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन"** नामक एक योजना को अनुमोदन प्रदान किया है।
- **'किसान की आय दोगुनी करना'** नामक एक रिपोर्ट में किसानों की आय को दोगुनी करने के प्रयासों के अभिसरण के लिए वर्ष **2022** तक **7,000 FPOs** के गठन का सुझाव दिया गया है।
- **2019-20 के केंद्रीय बजट** में, आगामी पाँच वर्षों के दौरान 10,000 नए FPOs का गठन करने की घोषणा की गई है।

किसान उत्पादक संगठन (FPO) क्या हैं?

- **किसान उत्पादक संगठन (Farmer Produce Organization: FPO) की अवधारणा वर्ष 2011-12** के दौरान अस्तित्व में आई थी, जब एक प्रायोगिक परियोजना के तौर पर 250 FPOs में 2.5 लाख किसानों को सूचीबद्ध किया गया था। इसके उत्साहजनक परिणामों के आधार पर, इसका अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया गया था।
- **उत्पादक संगठन (PO)** वस्तुतः एक विधिक निकाय (कंपनी, सहकारी समाज आदि) होता है जिसका गठन प्राथमिक उत्पादकों अर्थात् किसानों, दुग्ध उत्पादकों, मछुआरों, बुनकरों, ग्रामीण दस्तकारों, शिल्पकारों द्वारा किया जाता है।
- FPO एक प्रकार का PO है, जिसके **सदस्य किसान** होते हैं।
- FPOs के गठन से, किसानों के पास गुणवत्तापूर्ण आगतों, प्रौद्योगिकी एवं ऋण तक सुगम पहुँच के लिए सामूहिक शक्ति विद्यमान हो जाती है तथा बेहतर आय अर्जित करने हेतु इकॉनमी ऑफ़ स्केल के माध्यम से बेहतर विपणन तक पहुँच प्राप्त होती है।
- **वर्तमान परिदृश्य:**
 - वर्तमान में, देशभर में लगभग 5,000 FPOs विद्यमान हैं। इनमें से 20 प्रतिशत विकासक्षम बनने हेतु प्रयासरत हैं तथा 50 प्रतिशत अपने आरंभिक चरण में ही हैं।
 - देश भर के 85 प्रतिशत लघु और सीमांत किसानों में से 45 प्रतिशत लघु और सीमांत किसानों को संस्थागत ऋण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।
 - **FPOs के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियां:** किसानों के एकजूट होने में कठिनाई, उचित प्रबंधन का अभाव, सभी इनक्यूबेशन परियोजना के समक्ष विद्यमान समस्याएँ, सीमित सदस्यता, नीतियाँ, स्वायत्तता और संपार्श्विक के बिना ऋण संबंधी सीमाएँ आदि जैसी विविध चुनौतियां विद्यमान हैं।

7.3.3. अनुबंध कृषि

(Contract Farming)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार के **मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट (अनुबंध कृषि अधिनियम), 2018** की तर्ज पर अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला **तमिलनाडु,** देश का पहला राज्य बन गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसमें **खरीदारों** (जैसे- खाद्य प्रसंस्करण इकाई व निर्यातक) एवं **उत्पादकों** (किसानों या किसान संगठन) के मध्य **फसल-पूर्व समझौते** (या वायदा अनुबंध) के आधार पर **कृषि उत्पादन** (पशुधन व मुर्गीपालन सहित) सम्मिलित होता है।
- यह **समवर्ती सूची के अंतर्गत** सम्मिलित है; जबकि कृषि, राज्य सूची में शामिल है।
- सरकार ने अनुबंध कृषि में संलग्न फर्मों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की भंडारण सीमा एवं आवाजाही पर मौजूदा लाइसेंसिंग एवं प्रतिबंध से छूट दे रखी है।

VISION IAS

- **भारत में अनुबंध कृषि से संबंधित कानून**
 - अनुबंध कृषि के उत्पादकों एवं प्रायोजकों के हितों की रक्षा के लिए कृषि मंत्रालय ने **मॉडल कृषि उपज विपणन समिति (APMC) अधिनियम, 2003** का मसौदा तैयार किया था, जिसमें प्रायोजकों के पंजीकरण, समझौते की रिकॉर्डिंग, विवाद निपटान तंत्र आदि के प्रावधान हैं।
 - फलस्वरूप, **कुछ राज्यों** ने इस प्रावधान के अनुसरण में अपने **APMC अधिनियमों में संशोधन** किया, परंतु पंजाब में अनुबंध कृषि पर एक पृथक कानून है।
- केंद्र सरकार, **मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम, 2018** के माध्यम से राज्य सरकारों को इस मॉडल अधिनियम के अनुरूप स्पष्ट अनुबंध कृषि कानून अधिनियमित करने हेतु प्रोत्साहित कर रही है।
 - इसे एक **संवर्धनात्मक एवं सुविधाजनक अधिनियम** के रूप में तैयार किया गया है तथा यह विनियामक प्रकृति का नहीं है।
 - हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा है कि जो किसान किसी अनुबंध के तहत कृषि कार्य करते हैं तथा किसी फर्म से बीज खरीदते और उसी कंपनी को अपनी उपज का विक्रय करने के लिए बाध्य होते हैं, वे वस्तुतः एक "उपभोक्ता" हैं।
 - "उपभोक्ता" की यह स्थिति अनुबंध कृषि का अनुसरण करने वाले किसानों के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत प्रदत्त सभी संरक्षण प्रदान करती है।

मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम, 2018 (Model Contract Farming Act, 2018)

- अनुबंध में सम्मिलित दोनों पक्षों में से **किसानों को कमजोर पक्ष मानकर यह अधिनियम किसानों के हितों की रक्षा** करने पर विशेष बल देता है।
- यह अनुबंध में निर्धारित **पूर्व-सहमति मूल्य व गुणवता मानकों पर उत्पादक से पूर्व-सहमत संपूर्ण मात्रा की खरीद** सुनिश्चित करता है।
- इसमें **कृषि विज्ञान एवं बागवानी, पशुधन, डेयरी, मुर्गी पालन व मत्स्य पालन** की सभी श्रेणियों को सम्मिलित किया गया है।
- उत्पादन-पूर्व, उत्पादन के दौरान (विस्तार सेवाओं सहित) एवं **उत्पादन पश्चात् की सेवाओं सहित कृषि मूल्य शृंखला** की सभी सेवाएं इसके दायरे में शामिल हैं।
- यह हितधारकों के मध्य **अनुबंध कृषि** को लोकप्रिय बनाने तथा इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु **राज्य स्तर** पर एक **अनुबंध कृषि (विकास एवं संवर्धन) प्राधिकरण** की स्थापना का प्रावधान करता है।
- उत्पादन के दौरान एवं उत्पादन के पश्चात् की गतिविधियों से संबंधित त्वरित व आवश्यकता-आधारित निर्णय लेने के लिए यह **गाँव/पंचायत स्तर पर अनुबंध कृषि सुविधा समूह** के गठन का प्रावधान करता है।
- अनुबंधों को **पंजीकृत करने** के लिए यह **स्थानीय स्तर पर एक पंजीकरण एवं समझौता रिकॉर्डिंग समिति** का प्रावधान करता है।
- यह अनुबंध या अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लघंन से उत्पन्न होने वाले विवादों के त्वरित निपटान के लिए सबसे निचले संभव स्तर पर **विवाद निपटान तंत्र** का प्रावधान करता है।
- यह **किसान उत्पादक संगठनों (FPO) या किसान उत्पादक कंपनियों (FPC)** को बढ़ावा देता है, जो उत्पादन के दौरान एवं उत्पादन-उपरांत की गतिविधियों से लाभान्वित होने के लिए लघु एवं सीमांत किसानों को लामबंद करते हैं।
- यह किसी भी स्थिति में किसान की भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण (कंपनियां को) पर प्रतिबंध आरोपित करता है। यह प्रयोजकों को किसान की भूमि पर स्थायी ढांचा बनाने से भी रोकता है।
- **जब अधिप्राप्ति तंत्र अप्रभावी हो जाता है, तब यह किसानों को एक विकल्प प्रदान करता है।**
- अनुबंध कृषि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित **APMC अधिनियम** के दायरे से बाहर होगी। खरीदारों को बाजार शुल्क एवं कमीशन शुल्क से भी छूट दी गई है।
- **कृषि उत्पादों के स्टॉकहोल्डिंग की सीमा** अनुबंध कृषि के अंतर्गत खरीदी गई उपज पर **लागू नहीं होगी।**

7.4. कृषि विस्तार

(Agricultural Extension)

7.4.1. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रदर्शन

(Performance of Soil Health Card Scheme)

- हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के सफल कार्यान्वयन के पांच वर्ष पूर्ण हुए हैं।
- मृदा के स्वास्थ्य और उर्वरता को किसानों के लिए संधारणीय लाभ प्रदत्ता का आधार माना जाता है। वैज्ञानिकों की अनुशंसा के आधार पर उर्वरकों का इष्टतम उपयोग और उचित फसल प्रतिरूप का अनुसरण करना, संधारणीय कृषि की दिशा में पहला कदम होता है।

- भारत में, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम (NPK) की वर्तमान खपत का अनुपात 6.7 : 2.4 : 1 है, यह 4 : 2 : 1 के आदर्श अनुपात की तुलना में नाइट्रोजन (यूरिया) की अत्यधिक खपत को इंगित करता है।

इस योजना के बारे में

- SHC वस्तुतः **एक प्रिंटेड रिपोर्ट** होती है, जो किसानों को उनके स्वामित्वाधीन प्रत्येक जोत (holdings) के लिए प्रदान की जाती है।
- इसे देश के सभी किसानों को **प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर प्रदान किया जाता है**, ताकि बेहतर एवं संधारणीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता को बनाए रखने एवं कम लागत पर अधिक लाभ अर्जित करने के लिए मृदा परीक्षण से प्राप्त मान के आधार पर पोषक तत्वों की अनुशंसित मात्रा का उपयोग करने हेतु सक्षम बनाया जा सके।
- इस योजना का प्रचार-प्रसार **कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय** के अंतर्गत **कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग** द्वारा किया जा रहा है तथा इसका कार्यान्वन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित कृषि विभाग द्वारा किया जाता है।
- नमूनाकरण, परीक्षण और रिपोर्टिंग की लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। इसके द्वारा राज्य सरकारों को इसके समतुल्य राशि प्रदान की जाती है।
- मृदा के नमूनों का परीक्षण निम्नलिखित **12 मापदंडों** के आधार पर किया जाता है:
 - **वृहद् पोषक तत्व:** नाइट्रोजन (N), फास्फोरस (P), पोटेशियम (K);
 - **द्वितीय पोषक तत्व:** सल्फर (S);
 - **सूक्ष्म पोषक तत्व:** जिंक (Zn), लौह तत्व (Fe), तांबा (Cu), मैंगनीज (Mn), बोरान (B); तथा
 - **भौतिक संकेतक:** PH, EC (विद्युत चालकता), OC (जैविक कार्बन)।
- मृदा के नमूनों के उपर्युक्त परीक्षण के आधार पर, SHC के अंतर्गत **छः फसलों** के लिए जैविक खाद सहित उर्वरकों के दो समुच्चय की अनुशंसा की जाती है।
 - किसानों द्वारा मांग करने पर अन्य फसलों के लिए भी सुझाव प्रदान किए जा सकते हैं।
- इस योजना के तहत गाँव के युवा और 40 वर्ष तक की आयु के किसान **मृदा स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ** स्थापित करने और परीक्षण करने हेतु अर्ह हैं।
- हाल में **'मॉडल गाँवों का विकास'** नामक पायलट परियोजना को भी इसके साथ संयोजित किया गया है, जो किसानों की साझेदारी में कृषि-योग्य मृदा के नमूनाकरण और परीक्षण को प्रोत्साहित करती है।
 - इस पायलट परियोजना के अंतर्गत, व्यक्तिगत कृषि भूमि से मृदा नमूने एकत्रित करने हेतु प्रत्येक ब्लॉक से एक गा◌ाँव को अडॉप्ट किया जाता है।

इस योजना का प्रदर्शन

- **कवरेज:** लगभग 22.5 करोड़ SHC वितरण किया गया है।
- **उपज वृद्धि:** राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) के आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के उपरांत रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 8-10 प्रतिशत की कमी हुई, वहीं फसल उत्पादन में 5-6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- **कृषि की लागत:** धान की कृषि लागत में 16-25 प्रतिशत, तिलहन और दलहन की कृषि लागत में 10-15 प्रतिशत कमी आई है।
- **उर्वरकों में बचत:** धान की कृषि में नाइट्रोजन की लगभग 20 किग्रा प्रति एकड़ की बचत और दालों की कृषि में 10 किग्रा प्रति एकड़ की बचत हुई।
- **मृदा विश्लेषण क्षमता:** यह क्षमता 5 वर्ष की लघु अवधि में 1.78 करोड़ से बढ़कर 3.33 करोड़ **मृदा** नमूने प्रति वर्ष हो गई।
 - वर्तमान **मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (Soil Testing Labs: STL)** की क्षमता में सुधार किया जा रहा है और **ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण केंद्रों** के साथ नए स्थायी व गतिशील STL स्थापित किए गए हैं।

7.4.2. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी गेहूं की नई किस्म

(New Wheat From IARI)

- **भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान** (Indian Agricultural Research Institute: IARI) द्वारा **आगामी रबी फसल सीजन** में बुआई हेतु गेहूँ की एक नई किस्म- **HD-3226 या पूसा यशस्वी** जारी की गई है।
- इस किस्म की उपज गेहूं की अन्य किस्मों की तुलना में अधिक है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में देश के कुल गेहूं उत्पादन किए जाने वाले क्षेत्रों में लगभग 40% भाग पर गेहूं की अन्य किस्में उगायी जाती हैं।
- इसमें अधिक जस्ते की मात्रा के अतिरिक्त **प्रोटीन और ग्लूटेन** (गूंथे हुए आटे को मुलायम रखने में सहायक) **की उच्च मात्रा** पाई जाती है।

VISION IAS

- यह किस्म सभी प्रमुख किट्ट-कवक {पीला/धारीदार (stripe), भूरा/पत्ती और काला/स्टेम} के विरुद्ध **उच्च प्रतिरोधी** भी है अर्थात यह कवकों से सुरक्षा प्रदान करती है।
- यह नई किस्म "संरक्षण कृषि" के अनुकूल भी होती है।
 - **संरक्षण कृषि (Conservation Agriculture: CA):** यह एक कृषि प्रणाली है जो क्षरित भूमि का पुनरुद्धार करते हुए कृषि-योग्य भूमि की गुणवत्ता में होने वाले ह्रास से संरक्षण प्रदान करती है। यह स्थायी मृदा आवरण, न्यूनतम मृदा क्षरण और पौधों की प्रजातियों के विविधीकरण में सुधार को बढ़ावा देती है।

हाल ही में IARI द्वारा जारी फसल/बागवानी किस्में

- **पूसा बासमती 1718:** चावल की यह किस्म **बैक्टीरियल लीफ स्कॉर्च** के प्रति प्रतिरोधी है।
- **पूसा सांभा 1850:** उच्च उपज वाली, गैर-बासमती व ब्लास्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी चावल की एक किस्म।
- **पूसा अदिति:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में व्यावसायिक कृषि के लिए जारी संकर अंगूर की किस्म।
- **पूसा सोना:** विभिन्न अन्य बागवानी फसलों जैसे कि तरबूज, खीरा, बंदगोभी आदि के अतिरिक्त प्याज की किस्म जारी की गयी है।

7.5. भूमि सुधार

(Land Reforms)

7.5.1. भूमि अधिग्रहण

(Land Acquisition)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने **भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013** की धारा 24 (2) से संबंधित एक मामले में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस अधिनियम की धारा 24 (2) कार्यवाही के लिए **व्यपगत (lapse) प्रक्रिया का प्रावधान** करती है अर्थात् यदि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है और भूमि के मुआवजा का भुगतान 5 वर्ष के अंतर्गत नहीं किया जाता है, तो भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया व्यपगत हो जाएगी।

न्यायालय द्वारा स्पष्टीकरण

- भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही केवल उसी स्थिति में व्यपगत होगी, जब अधिग्रहण करने और मुआवजे का भुगतान करने में विफलता हुई हो।
- भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रक्रिया व्यपगत नहीं होगी, यदि सरकार ने मुआवजा राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया है।
- भू-स्वामियों पर भूमि अधिग्रहण रद्द करने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा, यदि उन्होंने मुआवजा राशि लेने से इनकार कर दिया है।

"भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013" के बारे में

- इसने **भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894** को प्रतिस्थापित कर भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ पुनर्वास और पुनर्स्थापना का भी प्रावधान किया है।
- भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में एक **सामाजिक प्रभाव सर्वेक्षण,** अधिग्रहण का अभिप्राय, अधिग्रहण की घोषणा, और एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत मुआवजा हेतु अधिसूचना आदि के प्रावधान सम्मिलित हैं।
- अधिग्रहीत भूमि के मालिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में बाज़ार मूल्य का चार गुना और शहरी क्षेत्रों में दुगुना मुआवजा दिया जाना है।
- **अधिमूल्यित भूमि के मूल्य में हिस्सेदारी:** यदि अधिक मूल्य की प्राप्ति हेतु अधिग्रहित की गई भूमि का किसी तीसरे पक्ष को विक्रय किया जाता है तो अधिग्रहित की गई भूमि के मूल्य (या लाभ) का 40 प्रतिशत वास्तविक भू स्वामियों को प्रदान किया जाएगा।
- राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर **नियंत्रण समितियों** द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन दायित्वों के निर्वहन को सुनिश्चित किया जाएगा।
- **बहु-फसल भूमि और अन्य कृषि भूमि के अधिग्रहण की सीमा का निर्धारण:** यह अधिनियम खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने और मनमाने तरीके से अधिग्रहण के रोकथाम हेतु राज्यों को कृषि खेती के अंतर्गत आने वाली भूमि, जिसके अधिग्रहण की संभावना हो, उसकी ऊपरी सीमाएं (निर्दिष्ट सीमा से अधिक का अधिग्रहण नहीं) निर्धारित करने का निर्देश देता है।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए कम से कम 70 प्रतिशत और निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 80 प्रतिशत भू-स्वामियों की सहमति अनिवार्य है।

VISION IAS

- **छूट प्राप्त क्षेत्र:** इस अधिनियम के प्रावधान, मौजूदा 16 कानून, जैसे- विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005; परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962; रेल अधिनियम, 1989 आदि के तहत अधिग्रहण पर लागू नहीं होंगे।
- **पूर्वव्यापी प्रभाव:** यह अधिनियम ऐतिहासिक अनुचित क़दमों (औपनिवेशिक काल) को ध्यान में रखते हुए उन मामलों पर पूर्व प्रभावी रूप से लागू होता है, जहां भूमि के अधिग्रहण हेतु किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उन मामलों पर भी यह लागू है, जहां भूमि का अधिग्रहण 5 वर्ष पूर्व किया गया था, लेकिन कोई मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है या भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ है।
- **अप्रयुक्त भूमि की वापसी:** यदि अधिग्रहण के उपरांत भूमि अप्रयुक्त रहती है, तो यह विधेयक उस भूमि को उसके वास्तविक स्वामी या राज्य भूमि बैंक को वापस करने का अधिकार प्रदान करता है।
- **जनजातीय समुदायों और अन्य वंचित समूहों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय:** ग्राम सभाओं की सहमति के बिना अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की भूमि अधिग्रहित नहीं की जाएगी। PESA, 1996 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 जैसे कानूनों के अंतर्गत इन सभी अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है।

7.5.2. लैंड पूलिंग

(Land Pooling)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **मास्टर प्लान-2021** के अंतर्गत दिल्ली में आर्थिक अवसरों के सृजन एवं आवास निर्माण को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की **लैंड-पूलिंग नीति** को अधिसूचित किया है।

लैंड पूलिंग: अवधारणा और महत्व

- **लैंड पूलिंग क्या है?** इसे भूमि के पुनर्समायोजन या भूमि के पुनर्गठन के रूप में भी जाना जाता है। यह भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक **रणनीति है,** जिसके अंतर्गत निजी स्वामित्व वाले भूखंडों के स्वामित्व अधिकार एक नियुक्त एजेंसी को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप इन भूखंडों को समेकित किया जाता है।
 - एकत्रित की गई भूमि के कुछ हिस्सों का एजेंसी द्वारा अवसंरचना विकसित करने एवं बिक्री के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि मूल भूस्वामियों को उनकी मूल संपत्ति के कुछ अनुपात में एकत्रित की गई भूमि में नए भूखंडों के अधिकार (उन्हें) वापस दे दिए जाते हैं।
- इसका प्रयोग गुजरात में टाउन प्लानिंग स्कीम (TPS) के अंतर्गत किया गया है। TPS के कारण ही अहमदाबाद में 76 किलोमीटर लंबे रिंग रोड का निर्माण संभव हो सका। **धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (Dholera Special Investment Region)** को विकसित करने के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
- आंध्र प्रदेश की, नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए असाधारण रूप से बड़े पैमाने पर लैंड पूलिंग की गई है।

7.5.3. भूमि पट्टा

(Land Leasing)

- **भूमि पट्टा** से आशय भूस्वामी और कल्टीवेटर (पट्टेदार) के मध्य एक अनुबंध से है। इसके तहत कल्टीवेटर, पारस्परिक रूप से सहमत एक निर्दिष्ट अवधि तक कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए भूस्वामी की भूमि का उपयोग करता है।
- भारत में, केवल कुछ राज्यों में ही भूमि पट्टा की अनुमति प्राप्त थी और वहां के बाजार भी अल्प विकसित हैं। इससे निम्नलिखित समस्याएँ उत्पन्न होती हैं:
 - भूस्वामी, **स्वामित्व (कब्जा) खोने के भय** के कारण भूमि को पट्टे पर नहीं देते हैं तथा नियमित तौर पर काश्तकारों को बदलते रहते हैं।
 - काश्तकार, कृषक ऋण और बीमा जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं।
- विभिन्न राज्यों के वर्तमान कृषि काश्तकारी कानूनों की समीक्षा करने के लिए, नीति आयोग द्वारा **टी. हक की अध्यक्षता में भूमि पट्टा के संबंध में एक विशेषज्ञ समिति** का गठन किया गया था।
 - इसके द्वारा **आदर्श भूमि पट्टा कानून** का प्रारूप तैयार किया गया। इस कानून के माध्यम से भूस्वामियों के मध्य कृषि योग्य भूमि को पट्टे पर देने के संबंध में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है।
- हालांकि, भूमि **राज्य सूची का एक विषय** है। इसके कारण कई राज्यों द्वारा अभी तक इस आदर्श कानून को नहीं अपनाया गया है। साथ ही, कुछ केंद्रीय विभागों को इस पर कुछ सुरक्षित अधिकार (reservations) भी प्रदान किए गए हैं।
- भारत में लैंड लीजिंग फ्रेमवर्क की संभावना में निम्नलिखित शामिल हैं: भूमि का उत्पादक उपयोग, काश्तकारों को सामाजिक सुरक्षा, कृषि दक्षता में सुधार, व्यावसायिक विविधीकरण को बढ़ावा देना और समावेशी विकास।

VISION IAS

आदर्श भूमि पट्टा अधिनियम, 2016 (Model Land Leasing Act, 2016) के प्रमुख प्रावधान

- भूस्वामियों के लिए भू-स्वामित्व की पूर्ण सुरक्षा और सहमत पट्टा अवधि तक काश्तकारों के लिए भूधृति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम सभी क्षेत्रों में **भूमि पट्टा को वैध** बनाता है।
- यह विभिन्न राज्यों के भूमि कानूनों में उल्लिखित **भूमि पर प्रतिकूल कब्जे से संबद्ध धारा को हटाने का प्रावधान** करता है क्योंकि यह भूमि पट्टा बाजार की स्वतंत्र कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करता है।
- काश्तकारी की समाप्ति के पश्चात् भी काश्तकार के पास भूमि का कोई न्यूनतम क्षेत्र छोड़ने की आवश्यकता के बिना (जैसा कि कुछ राज्यों के कानूनों में इसे आवश्यक बनाया गया है) सहमत भूमि पट्टा अवधि की समाप्ति के पश्चात् भूस्वामी के पक्ष में भूमि के **स्वामित्व का स्वत: हस्तांतरण।**
- भूस्वामी के लिए भूमि खोने के किसी भी प्रकार के भय के बिना और काश्तकार की ओर से अधिभोग अधिकार (occupancy right) प्राप्त करने की अनुचित अपेक्षा के बिना भूस्वामी और काश्तकार द्वारा पारस्परिक रूप से **भूमि पट्टे की शर्तें** निर्धारित की जाएंगी।
- अपेक्षित उत्पादन को बंधक के रूप में उपयोग कर बीमा तथा बैंक ऋण तक बटाईदारों सहित सभी काश्तकारों को **संस्थागत सहायता तक पहुंच प्रदान करना।**
- काश्तकारों को प्रोत्साहित करना और उन्हें काश्तकारी की समाप्ति के समय निवेश का अप्रयुक्त मूल्य वापस प्राप्त करने का हकदार बनाकर **भूमि सुधार में निवेश को प्रोत्साहित करना।**
- **विवाद समाधान:** कृषक और भूस्वामी, तृतीय पक्ष की मध्यस्थता या स्थानीय सरकार की सहायता से अपने विवादों का समाधान कर सकते हैं।
 - राज्य सरकारों को **विशेष भूमि अधिकरण** का गठन करना होगा, जो आदर्श अधिनियम के अंतर्गत विवादों के न्यायनिर्णय हेतु अंतिम प्राधिकरण होगा

7.5.4. भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण

(Digitisation of Land Records)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारत में लगभग 90 प्रतिशत गाँवों के **"रिकॉर्ड्स ऑफ राइट"** को कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है तथा भूमि की सीमाओं व उनके स्वामित्व को प्रदर्शित करने वाले लगभग 53 प्रतिशत सर्वेक्षण मानचित्रों का डिजिटलीकरण किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- तेलंगाना और महाराष्ट्र 99% भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण के साथ सूची में शीर्ष स्थान पर हैं, इसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान है, जहाँ 98% भूमि अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है।
- पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों सहित केरल (43.24%) और जम्मू-कश्मीर (9.32%) में भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया अत्यंत मंद बनी हुई है।
- PM फसल बीमा योजना (PMFBY) के वेब पोर्टल के साथ अपने भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है।
 - PMFBY द्वारा निचले स्तर के कृषि अधिकारियों या बैंक अधिकारियों द्वारा भूमि रिकॉर्ड के सत्यापन को अनिवार्य बनाया गया है।
 - इस एकीकरण के कारण अब किसान नामांकन केंद्रों पर अपनी भूमि का विवरण ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं और इससे अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
 - यह बेहतर सत्यापन तथा लोगों द्वारा एक ही भूमि खंड का कई बार बीमा करने संबंधी उदाहरणों में कमी करेगा, इस प्रकार इससे ओवर बीमा के मुद्दे का समाधान होगा। साथ ही, यह अनर्ह लोगों के बीमा को भी प्रतिबंधित करेगा।

भारत में भू-स्वामित्व (Land ownership in India)

- **लैंड टाइटल** (दूसरे शब्दों में भूमि स्वामित्व) एक ऐसा दस्तावेज़ है, जो भूमि या अचल संपत्ति का स्वामित्व निर्धारित करता है। स्पष्ट लैंड टाइटल होने से संपत्ति पर किसी और के दावों से स्वामित्व धारक के अधिकारों को सुरक्षा प्राप्त होती है।
- भारत में, भू-स्वामित्व विभिन्न अभिलेखों, जैसे- विक्रय कानूनी दस्तावेज (जो पंजीकृत होता है), संपत्ति कर दस्तावेज़, सरकारी सर्वेक्षण अभिलेख आदि के द्वारा निर्धारित होता है।
- हालाँकि, भारत में विभिन्न कारणों से लैंड टाइटल अस्पष्ट बना हुआ है, जैसे- जमींदारी प्रथा के विरासत से जनित समस्याएँ, केंद्र

VISION IAS

और राज्य (भूमि राज्य सूची का एक विषय है) के मध्य नीतियों के कार्यान्वयन हेतु एकीकृत कानूनी ढाँचे का अभाव और भूमि अभिलेखों का खराब प्रशासन।

- उपर्युक्त के कारण लैंड टाइटल से संबंधित विभिन्न कानूनी विवाद उत्पन्न हुए हैं। इसने कृषि तथा स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) क्षेत्रक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। उल्लेखनीय है कि इन समस्याओं ने सुस्पष्ट लैंड टाइटल एवं बेहतर रूप से संगठित डिजिटल भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के महत्व को रेखांकित किया है।

सरकारी पहल

- **डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (Digital India Land Records Modernization Programme: DILRMP):** DILRMP का मुख्य उद्देश्य अद्यतित भूमि अभिलेखों, ऑटोमेटेड और स्वतः नामांतरण, लिखित और स्थानिक अभिलेखों के समेकन, राजस्व और रजिस्ट्रीकरण के मध्य अंतः संयोजकता की प्रणाली को आरंभ करना तथा वर्तमान विलेख रजिस्ट्रीकरण (deeds registration) और परिकल्पित स्वामित्वाधिकार प्रणाली (presumptive title system) के स्थान पर स्वामित्वाधिकार गारंटी के साथ निश्चायक स्वामित्वाधिकार (conclusive titling) की प्रणाली आरंभ करना है।
 - संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत भूमि संसाधन विभाग की वित्तीय व तकनीकी सहायता से इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाएगा।
 - कार्यान्वयन की इकाई वे जिले होंगे जहां कार्यक्रम के तहत सभी गतिविधियां एकीकृत होंगी।
- **भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए राज्य सरकारों की कुछ पहलें**
 - **भूमि परियोजना (Bhoomi project):** यह **कर्नाटक** सरकार द्वारा तैयार की गई एक परियोजना है। यह कर्नाटक में सभी भूमि अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए आरंभ की गई थी।
 - **भूधार (Bhudhaar):** यह **आंध्र प्रदेश** सरकार की पहल है। इसके अंतर्गत प्रत्येक भूखंड को 11 अंकों का भूधार नंबर प्रदान किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप भूखंड से संबंधित विवरण की पहचान सरल हो जाएगी।
 - **महाभूलेख (Mahabhulekh):** यह डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 7/12 रसीद और भूमि रिकॉर्ड जारी करने संबंधी **महाराष्ट्र** सरकार की एक पहल है।

7.6. कृषि से संबद्ध क्षेत्रक

(Allied Agriculture)

7.6.1. मत्स्य पालन

(Fisheries)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund: FIDF) पर अमल हेतु भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग, नाबार्ड (NABARD) और तमिलनाडु सरकार के मध्य त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (Memorandum of Agreement: MoA) पर हस्ताक्षर हुए हैं।

विवरण

- **FIDF** को समुद्री और अंतर्देशीय दोनों मत्स्य क्षेत्रों में मत्स्य पालन के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण हेतु परिकल्पित किया गया है तथा यह नीली क्रांति के तहत वर्ष 2020 तक निर्धारित 15 मिलियन टन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मछली उत्पादन में वृद्धि करने पर बल देता है।
- यह मत्स्य पालन से जुड़ी चिन्हित अवसंरचना के विकास हेतु पात्र निकायों, सहकारी समितियों, व्यक्तियों और उद्यमियों को **रियायती वित्त** प्रदान करता है।
- FIDF के तहत रियायती वित्त उपलब्ध कराने वाले प्रमुख **ऋण प्रदाता निकाय (NLE)** निम्नलिखित हैं: राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) और सभी अनुसूचित बैंक आदि।
- FIDF के तहत मत्स्य पालन विभाग (मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय) NLE द्वारा रियायती वित्त प्रदान करने के लिए **3 प्रतिशत प्रति वर्ष तक ब्याज अनुदान** प्रदान करता है, जिसकी ब्याज दर 5 प्रतिशत से कम नहीं होती।

संबंधित तथ्य

- भारतीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि (aquaculture) खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो 14 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका समर्थन तथा लाभकारी रोजगार के अतिरिक्त पोषण सुरक्षा प्रदान करता है।

- वर्ष 2018-19 में 13.7 मिलियन मीट्रिक टन के कुल उत्पादन के साथ भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है, जिसमें से लगभग 65 प्रतिशत उत्पादन अंतर्देशीय क्षेत्र (जैसे- काल्टा, रोहू, मृगल आदि) से है और 35 प्रतिशत उत्पादन समुद्री क्षेत्र से है (जैसे- ऑयल सार्डिन, ट्यूना, केकड़े, समुद्री शैवाल आदि)।
- कुल उत्पादन का लगभग 50 प्रतिशत मत्स्य पालन गतिविधि से प्राप्त होता है और भारत का उत्पादन वैश्विक मत्स्य उत्पादन का लगभग 6.3 प्रतिशत है।
- इस क्षेत्रक का भारत के कुल निर्यात में लगभग 10 प्रतिशत और देश के कृषि संबंधित निर्यात में लगभग 20 प्रतिशत का योगदान है।

7.6.2. डेयरी क्षेत्र

(Dairy Sector)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने श्वेत क्रांति (दुग्ध उत्पादन पर आधारित) को और अधिक प्रोत्साहित करने हेतु **डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि (DIDF) योजना** में कुछ परिवर्तन किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- सरकार ने डेयरी क्षेत्र को प्रदत्त ऋण पर **ब्याज छूट** या सब्सिडी को 2 प्रतिशत से **बढ़ाकर** 2.5 प्रतिशत कर दिया है।
- इस योजना की वित्तपोषण अवधि को संशोधित किया गया है (पूर्व की वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20; से अब वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23) और ऋण पुनर्भुगतान की अवधि को वर्ष 2030-31 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
- इसने दुग्ध की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए वित्तीयन साझाकरण के आधार पर सहकारी और निजी दोनों क्षेत्रकों के लिए **गुणवत्तापरक दुग्ध कार्यक्रम** में भी तेज़ी लाने का प्रस्ताव रखा है।

अन्य तथ्य

- भारत वर्ष 1998 से विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यह विश्व के सकल दुग्ध उत्पादन में 20 प्रतिशत का योगदान करता है तथा वर्ष 2017-18 में इसका दुग्ध उत्पादन 176.3 मिलियन टन रहा।
- विश्व की सबसे बड़ी बोवाइन (गोजातीय) आबादी भी भारत में ही है।
- **ऑपरेशन फ्लड (वर्ष 1970-1996)** नामक सरकारी पहल ने भारत में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने में सहायता की है। ज्ञातव्य है कि इसके परिणामस्वरूप भारत में दुग्ध उत्पादन में वर्ष 1950 से वर्तमान समय तक 10 गुना वृद्धि हुई है।
- **राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के 70वें दौर के सर्वेक्षण** के अनुसार, न्यूनतम भूमि (0.01 हेक्टेयर से कम) धारक किसान परिवारों के लगभग 23 प्रतिशत ने पशुधन को अपनी आय का मुख्य स्रोत बनाया है।
- **2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण** के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित कुल दुग्ध का लगभग 52% अंश विपणन योग्य अधिशेष के रूप में है।
 - इस अतिरिक्त, विक्रय योग्य दुग्ध के लगभग 36 प्रतिशत का **संगठित क्षेत्र** (सहकारी और निजी डेयरियों द्वारा समान रूप से) द्वारा और शेष को **असंगठित क्षेत्र** द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- **2020 के बजट** में वर्ष 2025 तक देश की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना (53.5 मिलियन टन से बढ़ाकर 108 मिलियन टन तक) करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- भारत में विगत 5 वर्षों के दौरान दुग्ध के उत्पादन में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा यह वर्ष 2014-15 के 146.3 मिलियन टन (mt) से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 187.7 mt हो गया है।

7.6.3. पशुधन

(Livestock)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के **पशुपालन एवं डेयरी विभाग** ने 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट जारी की है।

पशुधन गणना के बारे में

- इसे वर्ष **1919-20** से आवधिक रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस गणना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के सभी पालतू पशुधन को सम्मिलित किया जाता है।
- **सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सहभागिता** से **20वीं पशुधन गणना** आयोजित की गई।

VISION IAS

- यह गणना एक अद्वितीय प्रयास है क्योंकि पहली बार इस क्षेत्र से ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से पारिवारिक स्तर के आंकड़ों को डिजिटल बनाने की महत्वपूर्ण पहल की गई है।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा एक मोबाइल एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर विकसित किया गया है जिसका उपयोग आंकड़ा संग्रह के साथ-साथ NIC सर्वर पर विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के ऑनलाइन प्रसारण हेतु किया गया।
- यह गणना नस्ल-वार पशुओं और कुक्कुट की संख्या ज्ञात करने के लिए की गई।

- **वर्ष 2019** के राज्य-वार गणना में **उत्तर प्रदेश** में **सर्वाधिक पशुधन संख्या** दर्ज की गई है; उसके पश्चात् क्रमश: राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात का स्थान है।
- **मवेशियों की संख्या** के संदर्भ में, पश्चिम बंगाल शीर्ष स्थान पर है, जिसके पश्चात् क्रमश: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र का स्थान है।
- प्रत्येक 5 वर्षों में यह गणना आयोजित की जाती है।
- **इस गणना में अवलोकित प्रमुख प्रवृत्तियां (Trends in the Census)**
 - देश में कुल पशुधन की संख्या (Livestock population) 535.78 मिलियन है, जो पिछली गणना की तुलना में 4.6% की वृद्धि दर्शाती है।
 - संपूर्ण गोवंशीय पशुधन की संख्या (मवेशी, भैंस, मिथुन और याक) 302.79 मिलियन है। यह विगत गणना की तुलना में 1.0% की वृद्धि दर्शाती है।
 - वर्ष 2019 में देश में कुल मवेशियों (cattle) की संख्या 192.49 मिलियन है, जो विगत गणना से 0.8% की वृद्धि दर्शाती है।

7.6.4. मधुमक्खी पालन

(Beekeeping)

सुर्ख़ियों में क्यों

हाल ही में, **बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता** में गठित **मधुमक्खी पालन विकास समिति** ने मधुमक्खियों को कृषि उत्पाद के रुप में पहचान प्रदान किए जाने तथा **भूमिहीन मधुमक्खी पालकों को किसान** का दर्जा प्रदान करने की **अनुशंसा** की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत में **मधुमक्खियों की चार प्रमुख प्रजातियां** पायी जाती हैं; दो घरेलू प्रजातियां भारतीय या एशियाई मधुमक्खी और यूरोपीय मधुमक्खी (20वीं शताब्दी में भारत में लाई गई) तथा दो जंगली प्रजातियां- रॉक हनी बी एवं ड्वार्फ हनी बी।
- मधुमक्खी पालन के प्राथमिक उत्पाद शहद और मोम हैं, परन्तु **परागकण, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और मधुमक्खी का विष (bee venom)** भी मधुमक्खी से संबंधित विपणन योग्य प्राथमिक उत्पाद हैं।
- वर्ष 2017-18 में, शहद उत्पादन के मामले में भारत (64.9 हज़ार टन शहद उत्पादन के साथ) विश्व में आठवें स्थान पर रहा, जबकि चीन (551 हज़ार टन शहद उत्पादन के साथ) प्रथम स्थान पर रहा।
- वर्ष 2005 में, मधुमक्खी पालन को **राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM)** के अंतर्गत एक पूरक गतिविधि के रुप में सम्मिलित किया गया।
- मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देने हेतु **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (कृषि मंत्रालय के अंतर्गत)** आदि जैसी विभिन्न एजेंसियां कार्यरत हैं।

7.6.5. खाद्य तेल की कमी

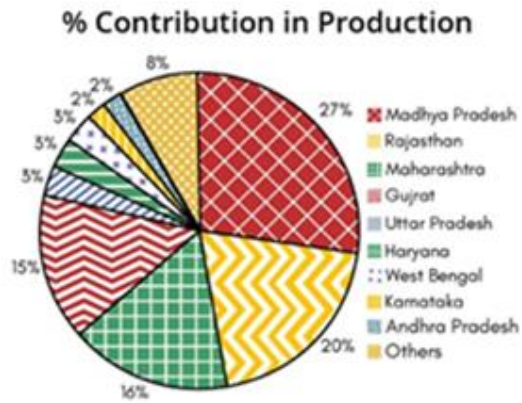
(Edible Oil Deficiency)

- वाणिज्य मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय से **भारत में खाद्य तेल उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप** तैयार करने का आग्रह किया है।
- भारत अपने अधिकांश खाद्य तेल को **इंडोनेशिया** और **मलेशिया** से आयात करता है। इसके अतिरिक्त, भारत-मलेशिया मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत इंडोनेशिया के विपरीत मलेशिया को शुल्क संबंधित लाभ प्राप्त हैं।
- **किसानों की आय दोगुनी करने** की सरकार की योजना के अंतर्गत, **वर्ष 2030 तक तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता** प्राप्त करना एक प्रमुख लक्ष्य है।
- साथ ही, अंतर-मंत्रिस्तरीय बैठक में **"शून्य खाद्य तेल आयात"** योजना की आवश्यकता पर चर्चा की गई थी।

VISION IAS

भारत में खाद्य तेल की स्थिति

- वर्तमान में, केवल 7.31 मिलियन टन कुल खाद्य तेल का उत्पादन किया जा रहा है जबकि भारत में खाद्य तेलों की अनुमानित मांग 24.5 मिलियन टन है।
- इसलिए, कुल घरेलू आवश्यकताओं के लगभग 65-70% खाद्य तेलों का आयात किया जाता है, ज्ञातव्य है कि 1990 के दशक के प्रारंभ में मात्र 5% से भी कम का आयात किया जाता था।
- वर्ष 2015-16 के प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 19 किलोग्राम उपभोग की तुलना में लगभग 22 किलोग्राम की खपत का अनुमान लगाते हुए वर्ष 2022 तक कुल खाद्य तेल आवश्यकता के बढ़कर 33.2 मिलियन टन होने का अनुमान किया गया है।
- आयातित और भारतीयों द्वारा खपत किए जाने वाले खाद्य तेल में पाम ऑयल की अत्यधिक हिस्सेदारी है। अन्य प्रमुख तेल हैं - सोयाबीन और सरसों का तेल।
- भारत; संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राजील के पश्चात् विश्व का चौथा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। वर्तमान में, भारत में प्राथमिक स्रोतों से लगभग 34 मिलियन टन तिलहन का वार्षिक उत्पादन होता है।



- तिलहन की हिस्सेदारी सकल फसली क्षेत्र में 13%, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 3% और सभी कृषि वस्तुओं के मूल्य में 10% है।
- **भारत में प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्य निम्नलिखित हैं:**
 - **मूंगफली:** गुजरात (अग्रणी), आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु;
 - **सरसों:** उत्तर प्रदेश, (अग्रणी) हरियाणा और पश्चिम बंगाल; एवं
 - **सोयाबीन:** मध्य प्रदेश (अग्रणी) और महाराष्ट्र।

7.7. खाद्य प्रसंस्करण

(Food Processing)

7.7.1. मेगा फूड पार्क

(Mega Food Parks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, देवास (मध्य प्रदेश) में **अवंती मेगा फूड पार्क** का उद्घाटन किया गया। यह मध्य भारत का पहला फूड पार्क है।

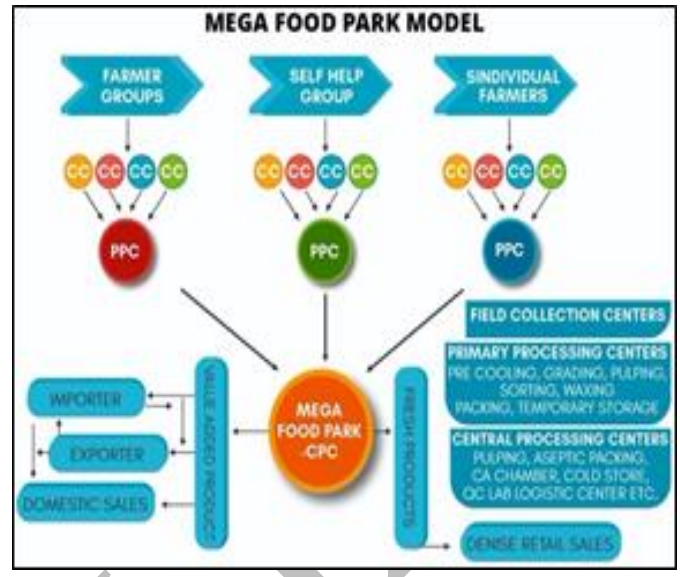
- वर्ष 2008 में प्रस्तुत की गई इस योजना का उद्देश्य **क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण** के साथ खेत से बाजार तक एकीकृत मूल्य श्रृंखला के साथ आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना प्रदान करना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह **'हब एंड स्पोक मॉडल'** के तहत संचालित होती है, जिसमें 'संग्रह केंद्र' (Collection Centres: CCs) और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र (Primary Processing Centres: PPCs) **स्पोक्स** के रूप में तथा 'केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र' (Primary Processing Centres: CPC) **हब** के रूप में सम्मिलित होते हैं।
 - इसमें 'प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र' और 'संग्रह केंद्र' के रूप में खेत के निकट प्राथमिक प्रसंस्करण एवं भंडारण संबंधी अवसंरचनाओं का निर्माण तथा सामान्य सुविधाएं और 'केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र' में सड़क, विद्युत, जल आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना सम्मिलित है।
 - ये 'PPCs' और 'CCs', 'CPC' में स्थित प्रसंस्करण इकाइयों को कच्चा माल प्रदान करने के लिए **एकत्रीकरण और भंडारण केंद्रों** के रूप में कार्य करते हैं।
- ये **मांग-संचालित परियोजनाएं** हैं तथा पर्यावरण, सुरक्षा और सामाजिक मानकों को पूरा करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सुविधा प्रदान करती हैं।

VISION

- **MoFPI द्वारा स्वयं के मेगा फूड पार्कों की स्थापना नहीं की जाती है** बल्कि यह मेगा फूड पार्क स्थापित करने के लिए कंपनी अधिनियम और राज्य सरकार/राज्य सरकार की संस्थाओं/सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत **'विशेष प्रयोजन वाहन' (Special Purpose Vehicle: SPV)** की सहायता करता है।
 - **सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजनाओं को लागत का 50 प्रतिशत अनुदान-सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है** तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्रों {पर्वतीय राज्यों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (ITDP) क्षेत्रों} में 75 प्रतिशत की दर से प्रति परियोजना अधिकतम 50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
 - सरकार ने अब तक **42 मेगा फूड पार्कों** को अनुमोदन प्रदान किया है। हालांकि, अभी तक केवल **18** मेगा फूड पार्कों का ही संचालन आरंभ हुआ है।



- संचालित पार्कों में अब तक 2.45 लाख मीट्रिक टन की खेत स्तर की अवसंरचना सहित 63 'PPCs' तथा 23.02 लाख मीट्रिक टन की आधुनिक प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता का निर्माण किया जा चुका है।

7.7.2. कृषि से संबंधित अन्य सुर्खियाँ

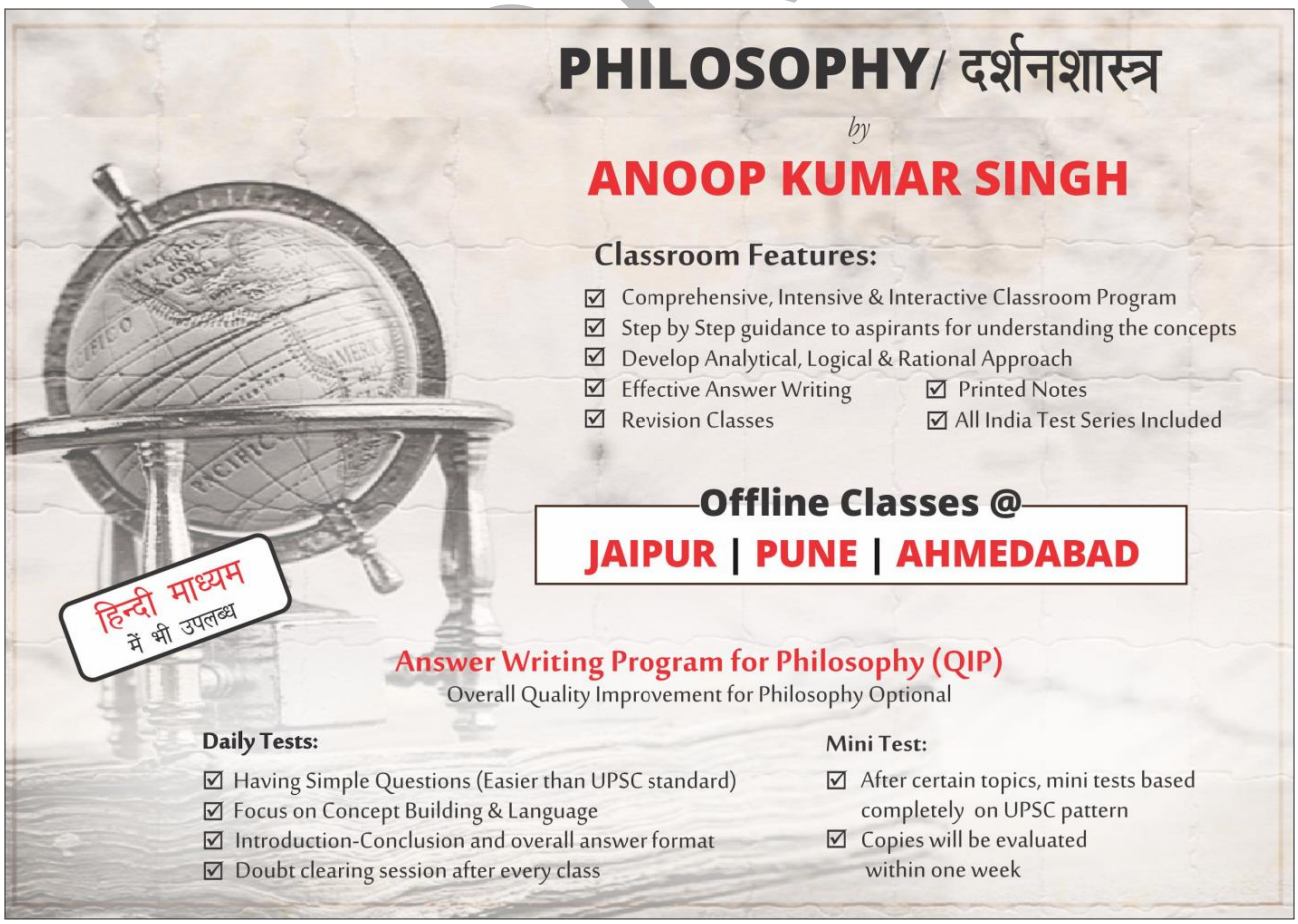
(Other Agricultural News)

कृषि निर्यात नीति (Agriculture Export Policy)	• महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, तमिलनाडु, असम, पंजाब और कर्नाटक सहित आठ राज्यों ने कृषि निर्यात नीति (AEP) को अंतिम रूप प्रदान किया है। इनके अतिरिक्त, अन्य राज्य भी AEP के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देने के विभिन्न चरणों में हैं। • राज्य कार्य योजना में उत्पादन क्लस्टर, क्षमता निर्माण, अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स तथा अनुसंधान एवं विकास तथा AEP के कार्यान्वयन के लिए बजट आवश्यकताओं जैसे सभी अनिवार्य घटक सम्मिलित किए गए हैं। • AEP का उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को दोगुना करके (वर्तमान 30 बिलियन डॉलर से 60 बिलियन डॉलर से अधिक करना) किसानों की आय में वृद्धि करना है। • **कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक शीर्ष सांविधिक निकाय है, जो कृषि उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु उत्तरदायी है।
लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ (Small Farmers' Agri-Business Consortium: SFAC)	• यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत **कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग** द्वारा स्थापित एक स्वायत्त सोसायटी है। • यह राज्यों में कृषि व्यवसाय परियोजना के विकास को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। • **प्रबंधन**: सोसाइटी का प्रबंधन **बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट** द्वारा किया जाता है। ○ **पदेन अध्यक्ष:** केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री। ○ **पदेन उपाध्यक्ष :** भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग का सचिव।

INAPH प्रोजेक्ट (INAPH Project)	**पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य के लिए सूचना नेटवर्क (Information Network for Animal Productivity & Health)** • इसे **राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB)** द्वारा विकसित किया गया है। ○ यह एक ऐसा IT अनुप्रयोग है, जो किसान के घर तक सभी देशी, नॉनडेस्क्रिप्ट, क्रॉसब्रीड के साथ-साथ विदेशी दुधारू पशुओं के बारे में वास्तविक समय में विश्वसनीय डेटा उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करता है। • इसका उद्देश्य पशुओं की उचित पहचान और उनके उत्पादों की जानकारी प्राप्त करने की क्षमता को सक्षम बनाना हैं।
कृषि सांख्यिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (International Conference on Agricultural Statistics)	• ICAS, सम्मेलनों की एक श्रृंखला है, जिसे वर्ष 1998 में विश्व स्तर पर कृषि डेटा की आवश्यकता की पृष्ठभूमि में प्रारंभ किया गया था। • यह सम्मेलन प्रत्येक **तीन वर्ष** में विश्व स्तर पर कृषि डेटा की आवश्यकता के सन्दर्भ में आयोजित किया जाता है। • वर्ष 2019 में यह सम्मेलन **कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय** द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। • इस सम्मेलन में अन्य सहयोगी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, FAO, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, बिल ऐंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन थे। • सम्मेलन का विषय **'सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिए कृषि में परिवर्तन के लिए सांख्यिकी'** था
प्रथम नेशनल एग्रोकेमिकल्स कांग्रेस (1st ever National Agrochemicals Congress)	• इसका आयोजन **सोसाइटी ऑफ पेस्टिसाइड साइंस इंडिया** द्वारा किया गया। • इसका मुख्यालय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में अवस्थित है और इसे एक राष्ट्रीय सोसायटी के रूप में गठित किया गया है।
किसान विज्ञान कांग्रेस (Farmers Science Congress)	• भारतीय विज्ञान कांग्रेस के इतिहास में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। • विभिन्न कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों ने निम्नलिखित **तीन विषयों** पर चर्चा की: ○ किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उद्यमशीलता और एकीकृत कृषि के लिए किसानों में नवाचार; ○ जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता, संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं और किसान सशक्तिकरण; ○ कृषि संकट और ग्रामीण जैव-उद्यमिता।
संयुक्त राष्ट्र फैमिली फ़ार्मिंग दशक (UN Decade of Family Farming)	• हाल ही में, खाद्य और कृषि संगठन (FAO) एवं अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) द्वारा **यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ़ फैमिली फ़ार्मिंग (2019-2028)** को प्रारम्भ किया गया। • FAO के अनुसार, "पारिवारिक खेती कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, स्थलीय और जलीय कृषि उत्पादन को व्यवस्थित करने का एक साधन है जिसे एक परिवार द्वारा प्रबंधित और संचालित किया जाता है तथा मुख्य रूप से पारिवारिक श्रम पर निर्भर होता है।"
SUTRA PIC भारत कार्यक्रम	• **इसका आशय है: साइंटिफिक यूटीलाईजेसन थ्रू रिसर्च ऑग्मेंटेशन - प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडीजेनस काऊ (Scientific Utilisation Through Research Augmentation-Prime Products from Indigenous Cows)** • यह 'स्वदेशी' गायों पर शोध करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय वित्तपोषण कार्यक्रम है।

VISION IAS

	• यह योजना **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय** द्वारा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आदि के सहयोग से निर्मित की गई है। • **इसमें विभिन्न थीम शामिल हैं:** स्वदेशी गायों की विशिष्टता, चिकित्सा और स्वास्थ्य, कृषि अनुप्रयोग, खाद्य और पोषण स्वदेशी गायों से प्राप्त प्रमुख उत्पाद और स्वदेशी गायों पर आधारित उपयोगिता वस्तुओं से संबंधित प्रमुख उत्पाद।
कृषि कर्मण पुरस्कार **(Krishi Karman Awards)**	• राज्यों को फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए **केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा** वर्ष 2010-11 में कृषि कर्मण पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। • **3 चयनित श्रेणियों में उच्चतम खाद्यान्न उत्पादन करने वाले राज्यों के लिए 3 पुरस्कार:** वृहद्, मध्यम और लघु उत्पादकों के लिए; • **5 फसलों के अंतर्गत उच्चतम उत्पादन के लिए प्रत्येक श्रेणी में एक-एक पुरस्कार:** चावल, गेहूं, दाल, मोटा अनाज और तिलहन। • तिलहनों को वर्ष 2013-14 से पृथक फसलों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया हैं।



8. औद्योगिक नीति और संबद्ध मुद्दे

(Industrial Policy and Associated Issues)

8.1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

(Micro, Small and Medium Enterprises)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु** ब्याज अनुदान योजना के परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की है।

ब्याज अनुदान योजना (Interest Subvention Scheme: ISS) के बारे में

- इसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था जिसके अंतर्गत वैध उद्योग आधार संख्या (UAN) धारक सभी GST पंजीकृत MSMEs को **नए या वृद्धिशील ऋणों पर 2% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है।**
- इसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाने के लिए **विनिर्माण और सेवा दोनों उद्यमों को प्रोत्साहित करना** है। साथ ही, GST मंच पर लाने के लिए MSME को प्रोत्साहन प्रदान करना है जो ऋण लागत को कम करते हुए अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं।
- यह योजना वित्त वर्ष 2019 और वित्त वर्ष 2020 की अवधि के लिए संचालित रहेगी।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) इस योजना के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है।

MSMEs की पृष्ठभूमि

- यह क्षेत्रक **विनिर्माण निर्गत** (आउटपुट) में 45%, **निर्यात** के क्षेत्र में 40% से अधिक तथा **GDP** में 28% से अधिक का योगदान देता है।
- MSMEs व्यवसाय को आरम्भ करने हेतु अल्प पूँजी की आवश्यकता होती है। यह क्षेत्रक लगभग 111 मिलियन लोगों के लिए रोज़गार का साधन उपलब्ध कराता है। यह कृषि क्षेत्रक के पश्चात् दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है।

MSMEs की परिभाषा		
वर्गीकरण	**विनिर्माण उद्यम (संयंत्र तथा मशीनों में निवेश)**	**सेवा उद्यम (उपकरणों में निवेश)**
सूक्ष्म	25 लाख रुपए तक	10 लाख रुपए तक
लघु	25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक	10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक
मध्यम	5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक	2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक

अन्य संबंधित तथ्य

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा **यू. के. सिन्हा** की अध्यक्षता में गठित **'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पर विशेषज्ञ समिति'** की रिपोर्ट को जारी किया गया।

- **MSME की परिभाषा को परिवर्तित करना:** MSME की परिभाषा को वर्तमान की निवेश-आधारित परिभाषा से परिवर्तित कर टर्नओवर-आधारित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अधिक पारदर्शी व प्रगतिशील है तथा इसे सरलता से क्रियान्वित किया जा सकता है। यह मौजूदा परिभाषा में विनिर्माण उद्यमों के प्रति विद्यमान पूर्वाग्रह को भी समाप्त करेगी।
- नवीन दिशा-निर्देश दावों के निपटान और उद्योग आधार नंबर (UAN) की आवश्यकता को सरल बनाते हैं।
 - UAN के बिना ट्रेडिंग गतिविधियों को पात्र बनाया गया है।

8.2. राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र

(National Investment And Manufacturing Zones: NIMZ)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार द्वारा तीन **राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों (NIMZs)** नामतः प्रकाशम (आंध्र प्रदेश), संगारेड्डी (तेलंगाना) तथा कलिंगनगर (ओडिशा) की स्थापना करने हेतु अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है।

VISION IAS

NIMZs से संबंधित अन्य तथ्य

- NIMZ को एक ऐसे **समेकित औद्योगिक टाउनशिप** के रुप में परिकल्पित किया गया है, जहाँ विश्व-स्तरीय विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना, क्षेत्र आधारित भूमि उपयोग, स्वच्छ तथा ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी, आवश्यक सामाजिक अवसंरचना, कौशल विकास संबंधी सुविधाएँ इत्यादि उपलब्ध हों।
- NIMZ के लिए प्रस्तावित कुल भू-क्षेत्र के कम से कम **30%** हिस्से को **विनिर्माण इकाइयों** की स्थापना के लिए उपयोग में लाया जाएगा।
- इन क्षेत्रों के लिए भूमि ऐसी होगी जो **बंजर** हो तथा जिसका कृषि के लिए कोई उपयोग न हो, किसी पारिस्थितिकीय रुप से संवेदनशील क्षेत्र के आस-पास अवस्थित न हो तथा यहाँ आधारभूत संसाधनों तक सहज पहुँच सुलभ हो।
- अंतिम अनुमति प्राप्त हो जाने पर, राज्य सरकार द्वारा NIMZ को संविधान के **अनुच्छेद 243Q(1)(C)** के तहत औद्योगिक टाउनशिप घोषित कर दिया जाएगा।
- **केंद्र सरकार द्वारा NIMZ को बाहरी भौतिक अवसंरचना,** यथा- रेल, सड़क, पत्तन, विमानपत्तन तथा दूरसंचार से संपर्क उपलब्ध करवाई जाएगी। ऐसा एक निश्चित समयावधि के भीतर किया जाएगा तथा जहाँ आवश्यक हो व्यवहार्यता अंतराल निधियन (Viability Gap Funding: VGF) भी उपलब्ध कराया जायेगा।
- इस नीति में निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए **राज्य सरकार द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle: SPV) का निर्माण किया जायेगा।**
- SPV, इस क्षेत्र के विकास हेतु एक रणनीति तैयार करेगी तथा नीति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्व-नियमन हेतु एक कार्य-योजना का भी निर्माण करेगी।
- **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (पूर्ववर्ती DIPP) NIMZ के लिए एक नोडल एजेंसी है।**

NIMZ और SEZ के मध्य अंतर

	NIMZ	SEZ
स्रोत	राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011 के अंतर्गत	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अंतर्गत
न्यूनतम क्षेत्र	5,000 हेक्टेयर	10-1000 हेक्टेयर (यह क्षेत्रक पर निर्भर करता है)
अधिकतम क्षेत्र	निर्धारित नहीं	5,000 हेक्टेयर
आयकर में छूट	लघु और मध्यम उद्यमों के लिए	प्रथम 5 वर्ष के लिए 100%, अगले पांच वर्ष के लिए 50%
पर्यावरण प्रभाव आकलन	राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त	प्रोजेक्ट डेवलपर द्वारा

8.3. इस्पात क्षेत्र

(Steel Sector)

8.3.1. भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक

(India Becomes Second Largest Steel Producer of Crude Steel)

- विश्व इस्पात संघ के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 और 2019 में भारत जापान को पीछे छोड़कर **चीन के पश्चात्** कच्चे इस्पात का **दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** बन गया है।
- वर्ष 2018 में भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन 109.3 मीट्रिक टन (वर्ष 2017 के 101.5 मीट्रिक टन से 7.7 प्रतिशत की वृद्धि) था।
- इस्पात एक **नियंत्रण-मुक्त क्षेत्रक (deregulated sector)** है तथा सरकार इस्पात उत्पादन के लिए कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है।

8.3.2. इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी 'स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति'

(Ministry of Steel Issues the Steel Scrap Recycling Policy)

- यह नीति स्क्रैप के संचयन तथा इसके प्रसंस्करण के दौरान सुरक्षा और पर्यावरणीय रूप से ध्वनि प्रबंधन, विखंडन और श्रेडिंग (shredding) गतिविधियों के लिए **मानक दिशा-निर्देश** प्रदान करेगी।
- इस नीति में भारत में **धातु स्क्रैप केंद्रों की स्थापना** को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए एक रूपरेखा अपेक्षित है।
- **लौह स्क्रैप,** इस्पात उत्पादन के लिए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (EAF)/इंडक्शन फर्नेस (IF) आधारित प्राथमिक कच्चा स्रोत है।
 - यह विभिन्न स्रोतों और विभिन्न प्रकार के उत्पादों से उत्पन्न लौह स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण को सुनिश्चित करेगी।

- इस नीति का उद्देश्य EAF/IAF मार्ग से 35-40 डॉलर योगदान के माध्यम से राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के तहत वर्ष 2030 तक 300 मिलियन TPA इस्पात उत्पादन क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करना है।

इस्पात उत्पादन की प्रक्रिया

- **वात्या भट्टी (Blast Furnace: BF)-बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (Basic Oxygen Furnace: BOF):** अधिकांश बड़े इस्पात उत्पादकों द्वारा BF-BOF का उपयोग किया जाता है। वात्या भट्टियाँ लौह अयस्क को तप्त धातु (तत्पश्चात उन्हें द्रव अवस्था से इस्पात के रूप में प्रसंस्कृत किया जाता है) या पिग-आयरन (ठोस होने पर) में परिवर्तित कर देती हैं।
- **इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (Electric Arc Furnace):** इस भट्टी को 100 प्रतिशत स्क्रैप को इनपुट धातु के रूप में चूना पत्थर तथा डोलोमाइट के साथ उपयोग कर परिचालित किया जा सकता है, जिससे स्लैग का निर्माण होता है। यह लौह अयस्क का उपयोग कर प्राथमिक स्टील निर्माण की तुलना में कम ऊर्जा की खपत करता है।
- **इंडक्शन फर्नेस (IF):** आरंभ में स्टेनलेस स्टील स्क्रैप पिघलाने के लिए IFs का उपयोग किया जाता था। अस्सी के दशक के मध्य से इन भट्टियों का उपयोग हल्के इस्पात उत्पादन के लिए किया जाता है। IF सर्वाधिक कम लागत वाली तकनीकों में से एक है, किन्तु इसमें स्टील के परिशोधन की प्रक्रिया का अभाव है।

इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (Steel Import Monitoring System)	• हाल ही में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने **इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (Steel Import Monitoring System: SIMS)** का शुभारंभ किया है। इस प्रणाली को संयुक्त राज्य अमेरिका की **इस्पात आयात निगरानी और विश्लेषण (Steel Import Monitoring and Analysis: SIMA) प्रणाली** की तर्ज पर इस्पात मंत्रालय के परामर्श से विकसित किया गया है। • यह सरकार एवं अन्य हितधारकों, यथा- इस्पात उद्योग एवं उपभोक्ताओं को प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए इस्पात आयात के बारे में अग्रिम सूचना प्रदान करेगी। • यह सभी निर्यातकों के लिए, सभी मुक्त व्यापार समझौतों (FTA)/अधिमान्यता व्यापार समझौतों (PTA) और संबंधित सभी एजेंसियों के लिए **एकल बिंदु पहुंच** प्रदान करेगी। • यह लौह और इस्पात के आयात के डंपिंग तथा इन उत्पादों के **अंडर-इनवॉइसिंग व ओवर-इनवॉइसिंग पर कठोर नियंत्रण** स्थापित कर घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करेगी।
पूर्वोदय योजना	• हाल ही में, **इस्पात मंत्रालय द्वारा** भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और जॉइंट प्लांट कमेटी (JPC) के साथ साझेदारी में कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में एकीकृत स्टील हब के माध्यम से **पूर्वी भारत के त्वरित विकास के लिए** पूर्वोदय योजना का शुभारंभ किया गया। • इसके अंतर्गत ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश को सम्मिलित किया जाएगा। • इसका उद्देश्य लागत और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में **क्षमता वृद्धि** और इस्पात उत्पादकों को **समग्र प्रतिस्पर्धा में सुधार** करने में सक्षम बनाना है। • राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के अनुसार, सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक कुल 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन की क्षमता विकसित करना है, जहाँ पाँच **पूर्वी राज्यों से लगभग 200 मिलियन टन** का इस्पात उत्पादन अपेक्षित है। **संयुक्त प्लांट समिति (JPC)के बारे में** • संयुक्त प्लांट समिति (JPC) देश की एकमात्र संस्था है, जिसे भारतीय लौह और इस्पात उद्योग के आंकड़ों को एकत्र करने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा आधिकारिक तौर पर अधिकृत किया गया है।

8.4. दूरसंचार क्षेत्र

(Telecom Sector)

8.4.1. दूरसंचार क्षेत्र में संकट की स्थिति

(Distress in Telecom Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत में दूरसंचार क्षेत्र वित्तीय संकट का सामना कर रहा है।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत वर्तमान में **1,189.28 मिलियन** (जिसमें से मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन 1168.32 मिलियन और लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन 20.96 मिलियन हैं) के ग्राहक आधार के साथ विश्व का **दूसरा** सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है।
- देश में कुल टेलीडेंसिटी 90.23% है। वर्तमान में ग्रामीण टेलिडेंसिटी 57.01%, जबकि शहरी टेलिडेंसिटी 160.87% है।
- हालांकि, इन उपलब्धियों के बावजूद, दूरसंचार क्षेत्र गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है तथा हाल ही के उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया है।
 - समायोजित सकल राजस्व (Adjusted Gross Revenue: AGR) के अर्थ के संबंध में दूरसंचार विभाग व दूरसंचार कंपनियों के मध्य उत्पन्न विवाद में उच्चतम न्यायालय ने सरकार के पक्ष में निर्णय दिया है, जिसके अनुसार टेलिकॉम ऑपरेटरों को 1.3 लाख रुपये से अधिक का अतिरिक्त बकाया चुकाना होगा।
- दबाव-ग्रस्त दूरसंचार क्षेत्र की सहायता के लिए **राजीव गौबा** की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।
- **भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के समक्ष विद्यमान चुनौतियां:** टैरिफ वॉर, पूंजीगत व्यय का निम्न स्तर, अत्यधिक ऋण, सीमित स्पेक्ट्रम उपलब्धता, आयात निर्भरता, ओवर द टॉप सर्विसेज, उच्च नियामकीय देय राशि, उच्च कर आदि।

अतिरिक्त जानकारी

समायोजित सकल राजस्व (Adjusted Gross Revenue: AGR)	• हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय द्वारा दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा निर्धारित **AGR** की परिभाषा को यथावत रखा था। ○ इस निर्णय के कारण, दूरसंचार कंपनियों को 24 जनवरी तक 1.47 लाख करोड़ रूपये से अधिक के AGR का भुगतान करना था। हालांकि, बाद में इस समय-सीमा में कुछ छूट दी गयी। • दूरसंचार क्षेत्र को **राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994** के तहत **उदारीकृत** किया गया था, जिसके पश्चात् कंपनियों को एक निश्चित लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर लाइसेंस जारी किए गए थे। ○ स्थिर निर्धारित लाइसेंस शुल्क से राहत प्रदान करने के लिए, सरकार ने वर्ष 1999 में **राजस्व साझाकरण शुल्क मॉडल** का एक विकल्प दिया था। • इसके अंतर्गत, दूरसंचार ऑपरेटरों को केंद्र सरकार को 'राजस्व साझेदारी' (revenue share) के रूप में लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान करना था। इस राजस्व साझेदारी की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली राजस्व राशि को **AGR** के रूप में जाना जाता है। ○ **DoT के अनुसार,** इस गणना में एक टेलीकॉम कंपनी द्वारा अर्जित सभी राजस्व शामिल होने चाहिए, जिसमें **गैर-टेलीकॉम स्रोत,** जैसे- जमा ब्याज और परिसंपत्तियों की बिक्री शामिल है। ○ **दूरसंचार कंपनियों** का मानना है कि AGR में केवल दूरसंचार सेवाओं से सृजित राजस्व शामिल होना चाहिए और गैर-दूरसंचार राजस्व को इससे बाहर रखा जाना चाहिए।
राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन	• राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (NBM) का लक्ष्य **डिजिटल संचार अवसंरचनाओं का तीव्र विकास, डिजिटल अंतराल की समाप्ति, डिजिटल सशक्तीकरण एवं समावेशन को सुविधाजनक बनाना** तथा सभी के लिए ब्रॉडबैंड की वहनीय एवं सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। • यह मिशन **राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018** का भाग है। • **मिशन के उद्देश्य: यह सार्वभौमिकता, वहनीयता और गुणवत्ता के तीन सिद्धांतों पर बल देता है और निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अधिदेशित है:** ○ **वर्ष 2022 तक सभी गांवों तक ब्रॉडबैंड की पहुंच सुनिश्चित करना।** ○ राज्य/संघ शासित प्रदेश के भीतर डिजिटल संचार अवसंरचना और अनुकूल नीतिगत पारिस्थितिकी तंत्र की उपलब्धता को मापने हेतु एक **ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स (BRI)** का विकास करना। ○ देश भर में डिजिटल संचार नेटवर्क और अवसंरचना के **डिजिटल फाइबर मैप** का निर्माण करना।
के-फॉन (K-Fon)	• यह केरल सरकार की राज्य में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 20 लाख से अधिक

VISION IAS

	परिवारों को मुफ्त उच्च गति युक्त इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने हेतु प्रारंभ की गई एक परियोजना है। • इस परियोजना के अंतर्गत घरों और कार्यालयों को जोड़ने के लिए एक राज्य-व्यापी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की परिकल्पना की गयी है।

8.4.2. DCC ने स्पेक्ट्रम नीलामी योजना को स्वीकृति प्रदान की

(DCC Approves Spectrum Auction Plan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

डिजिटल संचार आयोग (DCC) ने स्पेक्ट्रम नीलामी के संबंध में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **8,300 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम** की नीलामी **5.23 ट्रिलियन रुपए के आरक्षित मूल्य** पर की जाएगी।
 - उपलब्ध कुल स्पेक्ट्रम में से **6,050 मेगाहर्ट्ज 5G के लिए** उपलब्ध होगा, इसके अतिरिक्त BSNL एवं रेलवे के लिए सरकार द्वारा अलग से स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा।
- यद्यपि, अधिकांश कंपनियों ने उच्च आरक्षित मूल्यों के कारण एक स्वस्थ बिक्री पर संदेह व्यक्त किया है।
- स्पेक्ट्रम नीलामी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार दुर्लभ स्पेक्ट्रम संसाधनों को आवंटित करने और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विशिष्ट बैंड पर सिगनल को प्रसारित करने हेतु अधिकारों की बिक्री के लिए एक नीलामी प्रणाली का उपयोग करती है।
- **DCC दूरसंचार विभाग (DoT) का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है,** जो निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है:
 - सरकार की स्वीकृति के लिए DoT की नीति तैयार करना;
 - प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए DoT हेतु बजट तैयार करना और सरकार द्वारा अनुमोदित कराना; तथा
 - दूरसंचार से संबंधित सभी मामलों में सरकार की नीतियों का कार्यान्वयन करना।

8.5. भारत में वस्त्र उद्योग

(Textile Industry in India)

8.5.1. हार्मोनाइज्ड सिस्टम

(Harmonized System: HS Code)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा खादी को एक पृथक **हार्मोनाइज्ड सिस्टम (HS) कोड** आवंटित किया गया है। एक पृथक HS कोड की अनुपस्थिति में खादी की पूर्ण क्षमता का दोहन करने में बाधा उत्पन्न हो रही थी क्योंकि इसके अभाव में निर्यात के वर्गीकरण और गणना में कठिनाई उत्पन्न हो रही थी।

HS कोड के बारे में

- हार्मोनाइज्ड सिस्टम **विश्व सीमाशुल्क संगठन (World Customs Organization: WCO) द्वारा विकसित छह अंकों का एक पहचान कोड है।**
 - यह सीमा शुल्क उद्देश्यों के लिए एक साझा आधार पर सभी प्रतिभागी देशों के व्यापारिक सामान को वर्गीकृत करने की अनुमति प्रदान करता है।
 - सीमा शुल्क संगठन इस कोड का उपयोग किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश करने वाली या पार करने वाली प्रत्येक वस्तु की निकासी के लिए करते हैं।
 - भारत ने हार्मोनाइज्ड कोडिंग सिस्टम पर आधारित 8 अंकों का **भारतीय व्यापार वर्गीकरण (HS) कोड** विकसित किया है।
- WCO एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है जिसका लक्ष्य सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता एवं दक्षता में वृद्धि करना है।

संबंधित तथ्य

HSN कोड रहित 'अन्य (Others)' श्रेणी में कोई आयात नहीं

- व्यापार किए जाने वाले प्रत्येक उत्पाद को **हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ़ नोमेनक्लेचर (HSN) कोड** के तहत वर्गीकृत किया जाता है। **'अन्य (Others)'** के रूप में वर्गीकृत आयात होने वाली वस्तुओं के पास HSN कोड नहीं होते हैं और प्रायः इनको वर्गीकृत सामानों के कुछ हिस्सों और सामान के साथ संलग्न किया जाता है।

- **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** 'अन्य (Others)' के रूप में वर्गीकृत सभी उत्पादों (यदि वे वैश्विक स्तर पर स्वीकृत HSN कोड से युक्त नही होंगे) पर **उच्च शुल्क अधिरोपित किया है।**
- अब आयातकों को विदेश व्यापार महानिदेशालय से **30 दिनों के भीतर HSN कोड प्राप्त करने के लिए मंत्रालय से संपर्क करना होगा।**
- **इस उपाय से सरकार को** आयातित देश के बारे में पता लगाने में सहयता मिलेगी तथा घटिया उत्पादों एवं सेवाओं के लिए शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जा सकेगी।

8.5.2. तकनीकी वस्त्र

(Technical Textiles: TT)

- हाल ही में, **आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA)** ने कुल 1,480 करोड़ रुपये के परिव्यय वाले **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन** (National Technical Textiles Mission) के शुभारंभ को स्वीकृति प्रदान की है।
- **तकनीकी वस्त्र** (Technical textiles: TT) सौंदर्यपरक या सजावटी विशेषताओं के बजाय मुख्य रूप से **तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक गुणों** के लिए विनिर्मित वस्त्र सामग्री तथा उत्पाद होते हैं।
 - **तकनीकी वस्त्रों के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द हैं:** औद्योगिक वस्त्र, कार्यात्मक वस्त्र, प्रदर्शन वस्त्र, अभियांत्रिकी वस्त्र, अदृश्य वस्त्र और हाईटेक वस्त्र। इन्हें **12 प्रमुख खंडों** में विभाजित किया गया है (इन्फोग्राफिक देखिए)।
 - **लाभ:** TT एक ज्ञान आधारित अनुसंधान उन्मुख उद्योग है तथा कार्यात्मक आवश्यकता, स्वास्थ्य और सुरक्षा; लागत प्रभावशीलता; स्थायित्व; अधिक मजबूती; हल्के वजन; बहु-उद्देश्यीयता; अनुकूलन; उपयोगकर्ता अनुकूलता; पारिस्थितिकी अनुकूलता; संभार-तंत्र संबंधी सुविधा आदि जैसे कारणों के कारण इसके उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है।

Meditech	Mobiltech	Oekotech
Diapers, Sanitary Napkins, Disposables, Contact lens, Artificial Implants	Airbags, Helmets, Nylon Tyre Cords, Airline Disposables	Recycling, Waste Disposal, Environmental Protection
Packtech	**Protech**	**Sportech**
Wrapping Fabrics, Polyolefin, Women Sacks, Leno Bags, Jute Sacks	Bullet Proof Jackets, Fire Retardant Apparels, High Visibility Clothing	Sports Net, Artificial Turf, Parachute Fabrics, Tents, Swimwear
Agrotech	**Builtech**	**Clothtech**
Shadenets, Fishing Nets, Mulch Mats, Ant - hail Nets	Cotton Canvas Tarpaulins , Floor and Wall Coverings Canopies	Zip Fasteners, Garments, Umbrella Cloth, Shoe Laces
Geotech	**Hometech**	**Indutech**
Geogrids, Geonets, Geocomposites	Mattress and Pillow Fillings, Stuffed Toys, Blinds, Carpets	Conveyer Belts, Vehicle Seat Belts, Bolting Cloth

- इन्हें कार्यात्मक गुणों को बढ़ाने हेतु व्यक्तिगत रूप से या **किसी अन्य उत्पाद के घटक/भाग** के रूप में उपयोग किया जाता है।
- इनका कोई एकल सुसंगत उद्योग नहीं है तथा इससे संबंधित **बाजार खंड विविधतापूर्ण** और व्यापक आधार वाला है।
 - इसका उपयोग एयरोस्पेस से लेकर रेलवे, निर्माण आदि विभिन्न उद्योगों में किया जाता है तथा तकनीकी प्रगति के कारण अन्य उद्योगों में भी इसके उपयोग को बढ़ावा मिल रहा है।
- भारतीय तकनीकी वस्त्र क्षेत्र **250 बिलियन डॉलर के वैश्विक तकनीकी वस्त्र बाजार का लगभग 6%** है।
- भारत में तकनीकी वस्त्रों की पैठ का स्तर विकसित देशों के 30% - 70% के स्तर के तुलना में 5% -10% के मध्य है।

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के बारे में

- इस मिशन का उद्देश्य **तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर देश को अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना** और साथ ही घरेलू स्तर पर इसके उपयोग में भी वृद्धि करना है।
- इसके अंतर्गत वर्ष **2024 तक घरेलू बाजार के आकार के 40-50 बिलियन अमेरिकी डॉलर** होने की परिकल्पना की गई है, जिसका मूल्य वर्तमान में 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- मिशन का निदेशालय **वस्त्र मंत्रालय** के तहत कार्य करेगा।

अतिरिक्त जानकारी

सतत संकल्प परियोजना (Project SU.RE)	• हाल ही में, केंद्रीय वस्त्र मंत्री द्वारा क्लोथिंग मैन्युफैकचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI), यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया और IMG रिलायंस के सहयोग से सतत संकल्प परियोजना आरंभ की गई है।

	• सतत संकल्प परियोजना वस्तुतः सतत फैशन (sustainable fashion) की ओर अग्रसर होने के लिए भारतीय परिधान उद्योग सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है। ○ SURE का अर्थ है - 'सतत संकल्प' (Sustainable Resolution) - जो स्वच्छ पर्यावरण में योगदान देता है। • इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs-2030), विशेष रूप से उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन हेतु SDG-12, की प्राप्ति में योगदान देना है। • यह तेजी से जागरूक हो रहे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का समाधान करेगा, जो ऐसे ब्रांड से खरीद को प्राथिमकता प्रदान करेंगे, जो पर्यावरण के प्रति सजग हो और पर्यावरण संरक्षण में संलग्न हो।
जूट बोरियों में अनिवार्य पैकजिंग (Mandatory Packaging in Jute Materials)	• आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने (जूट) वर्ष 2019-20 के लिए खाद्यान्न और चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक करने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है। • सरकार ने विगत वर्ष की भांति जूट पैकेजिंग सामग्री (JPM) अधिनियम, 1987 के तहत अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों के विस्तार को बनाए रखा है। • प्लास्टिक पैकेजिंग से जूट क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करने हेतु JPM अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। • इसके अंतर्गत, सरकार ने अधिदेशित किया है कि 100 प्रतिशत खाद्यान्न एवं 20 प्रतिशत चीनी की पैकेजिंग अनिवार्य रूप जूट की बोरियों में की जानी चाहिए।
पश्मीना उत्पादों को BIS प्रमाणन की प्राप्ति (Pashmina Products receive BIS certification)	• हाल ही में, भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards: BIS) ने उत्पादों की शुद्धता को प्रमाणित करने और पश्मीना उत्पादों की पहचान, अंकन एवं लेबलिंग के लिए एक भारतीय मानक प्रकाशित किया है। • चांगथांगी या पश्मीना बकरी लद्दाख के अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली देशज बकरी की एक विशेष नस्ल है। • इन्हें उन्नत कश्मीरी ऊन (जो इन बकरियों के बालों की एक मोटी परत होती है, जो बकरी को ऊष्मा बनाए रखने में मदद करती है) बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, जिसे पश्मीना के नाम से जाना जाता है। • इन वस्त्रों को हाथ से तैयार किया जाता है तथा इसे पहली बार कश्मीर में तैयार किया गया था। ○ खानाबदोश पश्मीना चरवाहे (जिन्हें चांगपा कहा जाता है), चांगथांग के प्रतिकूल और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं तथा अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः पश्मीना पर निर्भर हैं।
कारीगरों के लिए पहचान पत्र (Pahchan Card for Artisans)	• यह हस्तशिल्प कारीगरों को आधार लिंक पहचान पत्र जारी करने के लिए वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की एक पहल है। • इस पहचान पत्र में हस्तशिल्प कारीगरों की निम्नलिखित जानकारी है: नाम और पता, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर तथा शिल्प अनुभव।

8.6. भारत में चीनी उद्योग

(Sugar Industry in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय कैबिनेट ने चीनी के 40 लाख मीट्रिक टन बफर स्टॉक को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- ब्राजील के पश्चात् भारत **चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश** है, जिसमें पारंपरिक चीनी एवं स्वीटनर, खांडसारी और गुड़ शामिल हैं।
- गन्ना, वस्त्र उद्योग के पश्चात् **द्वितीय सबसे बड़े कृषि-आधारित उद्योग के लिए कच्चा माल** प्रदान करता है।

VISION IAS

- प्रत्यक्ष और अपनी सहायक इकाइयों के माध्यम से चीनी उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर **रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायक** हैं।
- वृहद रूप से, भारत में गन्ने की कृषि के दो विशिष्ट कृषि-जलवायु क्षेत्र हैं: **उष्ण कटिबंधीय** और **उपोष्ण कटिबंधीय**।
 - **उष्ण-कटिबंधीय गन्ना क्षेत्र:** इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, पांडिचेरी और केरल शामिल हैं।
 - **उपोष्ण कटिबंधीय गन्ना क्षेत्र:** देश में कुल गन्ना क्षेत्र का लगभग 55 प्रतिशत उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरप्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब शामिल हैं।

प्रायद्वीपीय भारत में चीनी उद्योग का स्थानांतरित होना

- हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त, **कई प्रायद्वीपीय राज्य, जैसे- महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि चीनी के प्रमुख उत्पादक के रूप में उभरे हैं,** जिसके कारण चीनी मिल उद्योग भी प्रायद्वीपीय भारत में स्थानांतरित हो गए हैं।
- इस परिवर्तन का कारण प्रायद्वीपीय भाग में गन्ने की कृषि के लिए उपलब्ध निम्नलिखित बेहतर परिस्थितियां हैं:
 - लंबी पेराई अवधि;
 - पर्याप्त वर्षा;
 - उच्च प्रतिलाभ दर (higher recovery rates);
 - उत्तरी भारत की तुलना में सुक्रोज की अधिक मात्रा; और
 - बंदरगाह क्षेत्रों आदि के कारण आसान परिवहन पहुंच।

भारत में गन्ना मूल्य निर्धारण तंत्र

- भारत में, गन्ने के मूल्य निर्धारण को आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act: ECA), 1955 के अंतर्गत "**गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966"** के प्रावधानों के तहत शासित किया जाता है।
- गन्ने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार के मूल्य हैं:
 - **उचित और लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price: FRP):** यह केंद्र सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices: CACP) की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों और चीनी उद्योग संघों से परामर्श के पश्चात् घोषित किया गया गन्ना मूल्य होता है।
 - **राज्य परामर्श मूल्य (State Advised Prices: SAP):** उत्पादन की लागत, उत्पादकता स्तर के अंतर का हवाला देते हुए और किसान समूहों के दबाव के परिणामस्वरूप कुछ राज्यों द्वारा **राज्य विशिष्ट गन्ना मूल्य** की घोषणा की जाती हैं जिन्हें SAP कहा जाता है, जो सामान्यतः सांविधिक न्यूनतम मूल्य (SMP) / FRP से अधिक होता है।
- यह दोहरी गन्ना मूल्य निर्धारण प्रणाली गन्ना और सुगर इकॉनमी को विकृत करती है तथा गन्ना मूल्य की बकाया राशि में वृद्धि करती है।
- **उच्च SAP** का आउटपुट मूल्य के साथ किसी भी तरह के लिंकेज का अभाव अलाभकारी सिद्ध होगा।
- उद्योग संघ ने SAP प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश की है; यदि राज्य SAP की घोषणा करते हैं, तो ऐसे मूल्य अंतराल को राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना चाहिए।
- **FRP के निर्धारण के लिए कारक:**
 - गन्ना उत्पादन की लागत;
 - अंतर-फसल मूल्य समता;
 - जोखिम और लाभ के आधार पर गन्ने के उत्पादकों के लिए उचित मार्जिन (लाभ);
 - गन्ने से प्राप्त चीनी का मूल्य, जिस मूल्य पर चीनी उत्पादकों द्वारा चीनी का विक्रय किया जाता है;
 - उप-उत्पादों के विक्रय अथवा उन पर आरोपित मूल्य द्वारा प्राप्त वसूली;
 - गन्ने से चीनी की प्राप्ति;
 - मूल्य, जिस पर चीनी उत्पादकों द्वारा चीनी का विक्रय किया जाता है; और
 - उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता।

VISION IAS

8.7. एल2प्रो इंडिया

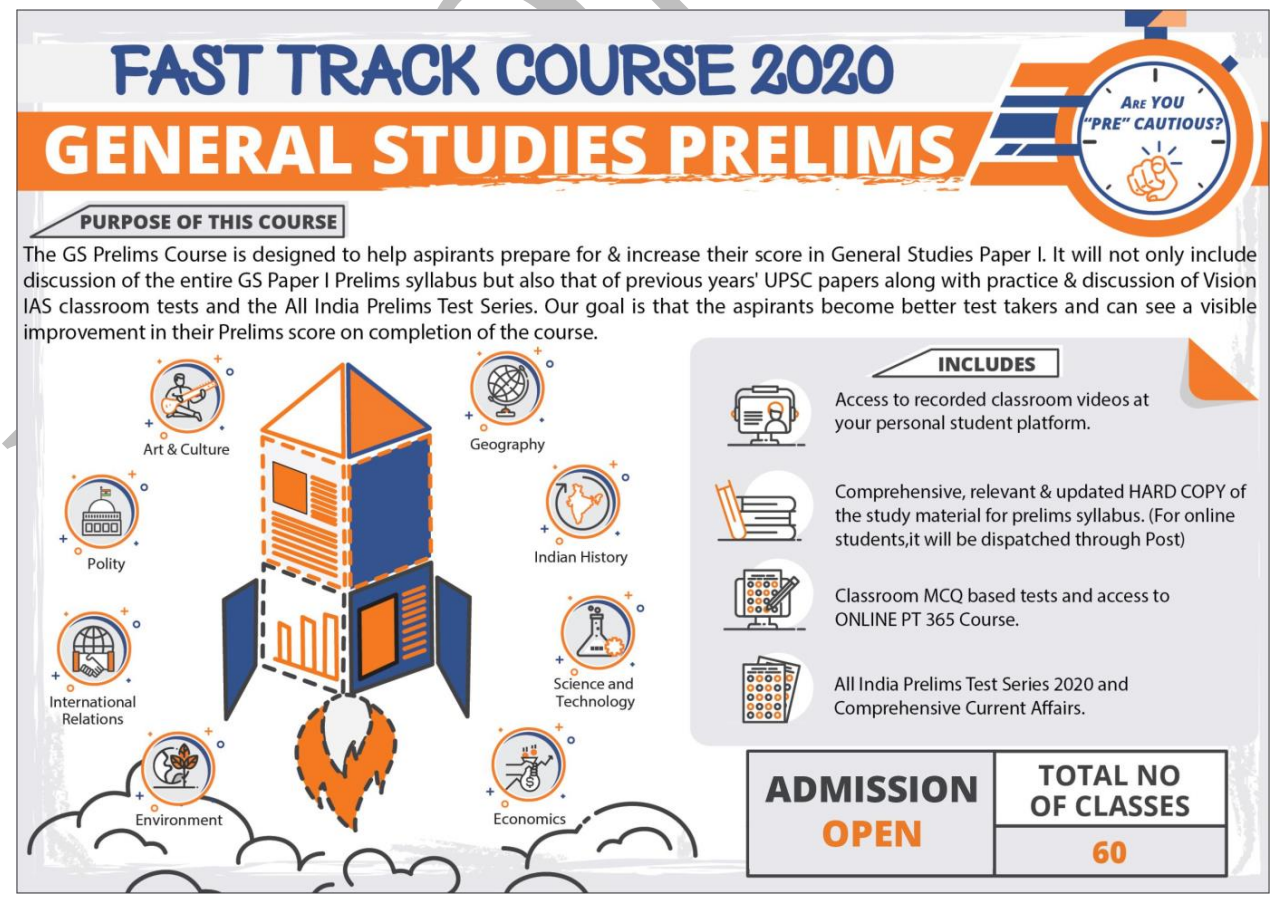
(L2PRO India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade: DPIIT) द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPRs) के संबंध में **L2Pro इंडिया** (Learn to Protect, Secure and Maximize Your Innovation) (अपने नवाचारों को संरक्षित, सुरक्षित और अधिकतम करने के संबंध में समझ विकसित करना) नामक एक वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च की गई है।

एल2प्रो के बारे में

- क्वालकॉम और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (दिल्ली) के सहयोग से, **IPR संवर्धन एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ (Cell for IPR Promotion and Management: CIPAM)**-DPIIT द्वारा इस वेबसाइट एवं ऐप को विकसित किया गया है।
- इस ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का मॉड्यूल IPR के स्वामित्व एवं उसके संरक्षण को समझने में सहायता करेगा, बौद्धिक संपदा को व्यवसाय मॉडल से संबद्ध करेगा तथा अनुसंधान एवं विकास प्रयासों हेतु उपयोगिता प्रदान करेगा।
- ई-लर्निंग मॉडयूल के सफल समापन पर CIPAM-DPIIT और दिल्ली स्थित NLU तथा क्वालकॉम द्वारा शिक्षार्थियों को ई-प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।



9. अवसंरचना

(Infrastructure)

9.1. रेलवे

(Railways)

9.1.1. भारतीय रेलवे का संगठनात्मक पुनर्गठन

(Railway Restructuring)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के रूपांतरकारी संगठनात्मक पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की है।

सुधार

- **भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (IRMS) का सृजन:** रेलवे के ग्रुप 'ए' की वर्तमान आठ सेवाओं का विलय कर एक एकीकृत केंद्रीय सेवा का सृजन करना।
- **रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन:**
 - इसका गठन रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में इसके चार सदस्यों और कुछ स्वतंत्र सदस्यों के साथ कार्यात्मक आधार पर किया जाएगा।
 - रेलवे बोर्ड भारतीय रेलवे का **निर्णय लेने वाला एक सर्वोच्च निकाय** है जो रेल मंत्रालय के माध्यम से संसद को रिपोर्ट करता है।
 - इसे **मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ट्रैफिक और वित्त** जैसे विभिन्न विभागों में व्यवस्थित (ऊपर से नीचे तक उर्ध्वाधर रूप से पृथक) किया गया है।
 - इसकी अध्यक्षता रेलवे बोर्ड में सचिव स्तर के अधिकारी (सदस्य) द्वारा की जाती है।
- मौजूदा सेवा **'भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा'** का नाम परिवर्तित कर **भारतीय रेलवे स्वास्थ्य सेवा** किया जाएगा।
- रेलवे पुनर्गठन का मुद्दा दशकों से बना हुआ है, क्योंकि निम्नलिखित समितियों सहित विभिन्न समितियों द्वारा सेवाओं के एकीकरण की संस्तुति की गयी थी:
 - प्रकाश टंडन समिति (1994);
 - राकेश मोहन समिति (2001);
 - सैम पित्रोदा समिति (2012); एवं
 - बिबेक देबरॉय समिति (2015)।

9.1.2. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

(Dedicated Freight Corridor: DFC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रेलवे द्वारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) के अधीन नव-निर्मित रेवाड़ी-मदार सेक्शन पर ट्रायल किया गया।

समर्पित माल गलियारे (Dedicated Freight Corridor: DFC) का परिचय

- DFC वस्तुतः उच्च गति तथा अधिक क्षमता वाला एक रेल कॉरिडोर है, जिसे अनन्य रूप से माल (गुड्स और कमोडिटी) के परिवहन हेतु निर्मित किया जा रहा है।
- इस परियोजना को सर्वप्रथम अप्रैल 2005 में प्रस्तावित किया गया था, ताकि तेजी से उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।
- वर्ष 2006 में, भारत सरकार द्वारा **दो कॉरीडोरों** {वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC)} का निर्माण करने हेतु एक समर्पित निकाय "डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया" (DFCCIL) की स्थापना की गई थी।

VISION IAS

- वर्ष 2010 में निम्नलिखित **चार अन्य फ्रेट कॉरिडोरों** की भी घोषणा की गई थी:
 - पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर (कोलकाता-मुंबई);
 - उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर (दिल्ली-चेन्नई);
 - पूर्व तटीय कॉरिडोर (खड़गपुर-विजयवाड़ा); एवं
 - दक्षिणी कॉरिडोर (चेन्नई-गोआ)।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) के बारे में

- यह रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle: SPV) है, जिसका कार्य DFCs की योजना निर्मित कर उनका विकास करना, वित्तीय संसाधन जुटाना और निर्माण, रखरखाव तथा परिचालन करना है।
- यह रेलवे मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाला एक उपक्रम है और कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कम्पनी के रूप में पंजीकृत है।

संबंधित तथ्य

- **यह माल गाड़ियों के लिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा परिचालन नियंत्रण केंद्र है।**
 - इसकी स्थापना **प्रयागराज** में DFCCIL द्वारा की गई है।
 - यह 1,800 किलोमीटर से अधिक लंबे **ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC)** का 'मुख्य-केंद्र' (nerve-centre) होगा।

9.1.3. रेलवे में निजी क्षेत्र

(Private Sector in Railways)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रेलवे ने **मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड (MELPL)** के साथ **अधिप्राप्ति सह अनुरक्षण समझौता (Procurement cum Maintenance Agreement)** किया है। MELPL भारतीय रेलवे और मैसर्स एल्सटॉम (फ्रांस) का एक संयुक्त उपक्रम है।

अन्य संबंधित तथ्य

- माल ढुलाई सेवा और इसके संबद्ध रखरखाव के लिए 800 इलेक्ट्रिक इंजनों के निर्माण के लिए 3.5 बिलियन यूरो के एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है।
- **भारतीय रेलवे (IR) में निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के विगत प्रयास:**
 - **वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम/ओन योर वैगन स्कीम (1992):** इसके तहत वैगन आपूर्ति में वृद्धि के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी प्रोत्साहित किया गया था। निजी क्षेत्र अनुमोदित विनिर्माताओं से वैगन खरीद सकते थे, उनका स्वामित्व प्राप्त कर सकते थे और उन्हें IR को पट्टे पर दे सकते थे।
 - **कंटेनर नीति उदारीकरण योजना:** वर्ष 2006 में इस योजना ने निजी व्यवसायियों को IR नेटवर्क पर कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति प्रदान की।
 - **स्पेशल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर (SFTO) योजना:** विशेष वैगनों में निवेश करने के लिए लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं को एक अवसर प्रदान करने के लिए वर्ष 2010 में यह योजना शुरू की गई थी।
- **IR में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वर्तमान स्थिति:**
 - रेलवे के अधिकांश क्षेत्रों, जैसे- हाई स्पीड ट्रेन, रेलवे विद्युतीकरण, यात्री टर्मिनल, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेलवे के बुनियादी ढाँचे आदि में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गयी है।
 - हालांकि, सुरक्षा चिंताओं के कारण ट्रेन परिचालन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **अमिताभ कांत पैनल:** रेल मंत्रालय ने 150 ट्रेनों के लिए निजी ऑपरेटरों के प्रवेश और 50 रेलवे स्टेशनों के वैश्विक मानकों के अनुसार विकास की निगरानी के लिए अमिताभ कांत पैनल का गठन किया था।
 - इस पैनल के अन्य सदस्य: रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, आर्थिक मामलों के सचिव, आवास और शहरी मामलों के सचिव तथा रेलवे के वित्तीय आयुक्त।

- **तेजस एक्सप्रेस:** यह भारत की **प्रथम निजी ट्रेन** है जो निम्नलिखित दो मार्गों पर चल रही हैं- **लखनऊ-दिल्ली-लखनऊ गलियारा और अहमदाबाद-मुंबई गलियारा।**
 - भारतीय रेलवे के वाणिज्यिक पर्यटन और खानपान शाखा, IRCTC को एक निजी संस्था के रूप में इन दो प्रीमियम ट्रेनों के संचालन का कार्य सौंपा गया है।

अतिरिक्त जानकारी

राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान (NRTI)	• इसे एक **डीम्ड विश्वविद्यालय** के रूप में स्थापित किया गया है और इसे वर्ष 2018 से आरंभ किया गया था। • NRTI का उद्देश्य **अंत:विषय उत्कृष्टता केंद्रों को विकसित करना** है जो परिवहन क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायक होंगे।
रेलवे का परिचालन अनुपात	• CAG की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017-18 में रेलवे का परिचालन अनुपात 98.44 प्रतिशत था, जो विगत 10 वर्षों में सबसे न्यूनतम था। • यह राजस्व की तुलना में व्यय का एक मापक है। यह अनुपात प्रदर्शित करता है कि रेलवे कितनी कुशलता से कार्य कर रहा है एवं इसकी वित्तीय स्थिति कितनी बेहतर है। • 98.44 प्रतिशत के परिचालन अनुपात का आशय यह है कि रेलवे ने 100 रुपये अर्जित करने के लिए 98.44 रुपये व्यय किए।
गैर-उपनगरीय एवं उपनगरीय स्टेशनों का स्वच्छता मूल्यांकन 2019	• रेल मंत्री ने **'स्टेशनों की स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट' (गैर-उपनगरीय एवं उपनगरीय स्टेशनों का स्वच्छता मूल्यांकन 2019) जारी की।** • रेलवे **वर्ष 2016 से प्रति वर्ष** 407 प्रमुख स्टेशनों का तृतीय पक्ष ऑडिट और स्वच्छता रैंकिंग का आयोजन कर रहा है। • **शीर्ष तीन सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन राजस्थान** के जयपुर, जोधपुर और दुर्गापुरा हैं। • **शीर्ष तीन रेलवे क्षेत्र हैं:** उत्तर पश्चिम रेलवे, दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे।
भारतीय रेलवे द्वारा खुली पहुंच के माध्यम से पंजाब में विद्युत की खरीद	• **खुली पहुंच (Open access)** विद्युत के बड़े उपयोगकर्ताओं **(1 मेगावाट और उससे अधिक खपत)** को विशिष्ट रूप से खुले बाजार से सस्ती विद्युत खरीदने की अनुमति प्रदान करती है। • इसका आशय यह है कि ग्राहकों को मौजूदा एकाधिकार प्राप्त विद्युत प्रदाताओं से विद्युत की खरीद करने हेतु विवश होने के बजाए कई प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनियों के मध्य चयन करने में सक्षम होना चाहिए। • खुली पहुंच पोर्टफोलियो में पंजाब को शामिल करने के साथ, भारतीय रेलवे अब 11 राज्यों से खुली पहुंच के तहत लगभग 1400 मेगावाट विद्युत प्राप्त कर रहा है।
दक्षिण-मध्य रेलवे (SCR) की 500 यात्री ट्रेनों में इसरो-सक्षम GPS	• नई विकसित **रियल-टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली (RTIS)** ट्रेन की सटीक गति और आवाजाही स्थिति की निगरानी करने में सहायता करती है। • इसे **रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CIRE)** द्वारा विकसित किया गया है। • RTIS उपकरण सिग्नल को प्रसारित करने के लिए GAGAN का उपयोग करता है। • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने GAGAN को एक **क्षेत्रीय सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम (SBAS)** के रूप में विकसित करने के लिए सहयोग किया था। • GAGAN का लक्ष्य भारतीय हवाई क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में विमान की सटीक लैंडिंग में सहायता के लिए एक नेविगेशन प्रणाली प्रदान करना है तथा यह जीवन रक्षक नागरिक कार्यों के लिए उपयोगी है। • यह अन्य अंतरराष्ट्रीय SBAS प्रणाली के साथ **अंतर-संचालन** योग्य है।
भारतीय रेलवे द्वारा यात्री किराये को तर्कसंगत बनाना	• **किराये में वृद्धि के कारण**

VISION IAS

	○ भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन; ○ रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में यात्रियों के आराम और सुविधाओं का विस्तार करना; ○ भारतीय रेलवे पर 7वें वेतन आयोग के कारण उत्पन्न भार को नियंत्रित करना; • भारतीय रेलवे ने अंतिम किराया संशोधन 2014-15 में किया था। यह रेल बजट 2013-14 द्वारा शुरू किए गए **फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट (FAC)-लिंक्ड टैरिफ रिविजन** को लागू करने के लिए किया गया था।
भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान (IRIFM)	• इसका उद्घाटन **हैदराबाद** में रेलवे वित्त के प्रबंधन में पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया गया था।
सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट	• यह केरल सरकार का एक प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य प्रमुख जिलों एवं कस्बों को सेमी हाई-स्पीड ट्रेनों से जोड़ना है जिनका संचालन स्वयं के लिए तैयार किए गए ट्रैक पर किया जाएगा। • रेल मंत्रालय ने हाल ही में इस परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है।

9.2. जहाजरानी

(Shipping)

9.2.1. वधावन पत्तन

(Vadhavan Port)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वधावन में एक **प्रमुख पत्तन (major port)** स्थापित करने हेतु 'सैद्धांतिक' अनुमति प्रदान की है।



अन्य संबंधित तथ्य

- जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को प्रमुख भागीदार बनाते हुए एक **स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV)** का निर्माण किया गया है, जिसके द्वारा इस पत्तन की अवसंरचना का विकास किया जाएगा। सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ **सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड** के तहत संचालित की जाएंगी।
- जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन है और विश्व में 28वां वृहत्तम पत्तन है।
- पूर्णतः तैयार होने पर वधावन पत्तन विश्व के शीर्ष 10 कंटेनर पत्तनों में से एक बन जाएगा।
- वधावन पत्तन स्थल पर प्राकृतिक रूप से **18 मीटर का ड्राफ्ट** उपलब्ध है तथा यहां पर 20 मीटर का नौवहन चैनल भी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है।
- भारत में **12 प्रमुख (major)** और **205 अधिसूचित लघु (minor)** एवं **मध्यवर्ती** (intermediate) पत्तन हैं। पिछले 30 वर्षों में केवल दो प्रमुख पत्तनों, यथा- JNPT (वर्ष 1989) और एन्नोर (कामराजार) पत्तन (वर्ष 1999) तथा राज्य सरकारों द्वारा 9 लघु पत्तनों को विकसित किया गया है।

9.2.2. मल्टी-मॉडल टर्मिनल

(Multi Modal Terminal)

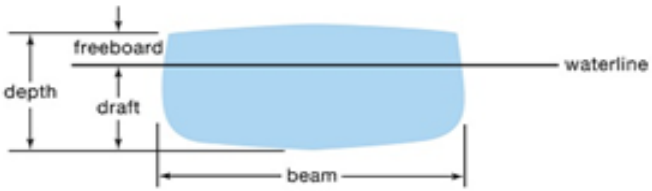
सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **साहिबगंज (झारखंड)** में गंगा नदी पर दूसरे मल्टी-मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इस उद्देश्य हेतु परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी** है।
- **मल्टी-मॉडल परिवहन** के अंतर्गत एकल परिवहन प्रचालक द्वारा परिवहन के **विभिन्न साधनों का उपयोग करते हुए** वस्तुओं को बिंदु A से बिंदु B तक पहुँचाया (अर्थात् परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना) जाता है। यह भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में एक प्रभावी साधन है जहां एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुँच स्थापित करना अत्यधिक जटिल कार्य होता है।
- मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स (MTOs) हेतु एक मानकीकृत व्यवस्था स्थापित करने के लिए **वर्ष 1993** में भारतीय संसद द्वारा **मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट एक्ट** पारित किया गया था।

अतिरिक्त जानकारी

इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड (IPGL)	• सरकार ने चाबहार बंदरगाह परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु लोक उद्यम विभाग (Department of Public Enterprises: DPE) के दिशा-निर्देशों से IPGL की छूट को स्वीकृति प्रदान की है। • IPGL को ईरान में चाबहार के **शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह** के विकास एवं प्रबंधन हेतु जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट द्वारा (JNPT & DPT) संयुक्त रूप से प्रवर्तित एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के रूप में निगमित किया गया था। • JNPT & DPT के सभी शेयर **"सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड"** (SDCL) द्वारा दिसंबर 2018 में खरीदे गए थे। ○ SDCL एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (CPSE) है और इसलिए SDCL की सहायक कंपनी के तौर पर IPGL भी CPSE बन गई है। परिणामस्वरूप, DPE के दिशा-निर्देश तकनीकी रूप से IPGL पर लागू होते हैं।
लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना	• **जहाजरानी मंत्रालय** ने केंद्रीय क्षेत्रक योजना के तहत मणिपुर में 'लोकटक अंतर्देशीय जल मार्ग सुधार परियोजना' के विकास हेतु स्वीकृति प्रदान की है। • यह परियोजना पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्देशीय जल परिवहन कनेक्टिविटी का विकास करेगी तथा पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा देगी।
ड्राफ्ट	• एक जहाज के समावरक (hull) का ड्राफ्ट या ढांचा (draught) वस्तुतः जलरेखा (वाटरलाइन) और समावरक के तल (पेंद) के मध्य की ऊर्ध्वाधर दूरी होती है। 
भावनगर में विश्व का प्रथम CNG पत्तन टर्मिनल	• भावनगर पत्तन भारत के पश्चिमी तट पर कैम्बे की खाड़ी में स्थित है। • भावनगर पत्तन छोटे जहाजों के लिए सभी प्रकार के मौसम में संचालित बर्थिंग पोर्ट (ऑल-वेदर डायरेक्ट बर्थिंग पोर्ट) है।
पत्तन प्रबंधन मॉडल	• **सर्विस पोर्ट मॉडल:** इस मॉडल के अंतर्गत पत्तन प्राधिकरण के पास भूमि एवं सभी उपलब्ध चल-अचल परिसंपत्तियों का स्वामित्व होता है तथा वह सभी नियामकीय और पत्तन संबंधी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है। यहां **पोर्ट ट्रस्ट,** लैंडलॉर्ड और कार्गो टर्मिनल ऑपरेटर दोनों की भूमिका निभाता है। • **लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल:** इस मॉडल के अंतर्गत सरकार द्वारा शासित पत्तन प्राधिकरण नियामक निकाय और लैंडलॉर्ड के रूप में कार्य करता है, जबकि **निजी कंपनियां पत्तन का संचालन** (मुख्य रूप से कार्गो हैंडलिंग गतिविधियां) करती हैं। उदाहरण के लिए- कामराजर पत्तन। • वर्तमान में, भारत में अधिकतर मेजर पोर्ट ट्रस्ट (प्रमुख पत्तन न्यास) टर्मिनल संचालन का कार्य भी करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप यहाँ **पत्तन अभिशासन संबंधी एक हाइब्रिड मॉडल** विकसित हुआ है।

VISION IAS

9.3. सड़क

(Roadways)

9.3.1. NHAI को अवसंरचना निवेश ट्रस्ट की स्थापना के लिए मंत्रिमंडल की स्वीकृति

(NHAI gets Cabinet nod to set up Infrastructure Investment Trust)

- अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (InvIT) **म्यूच्यूअल फंड के समान ही एक निवेश योजना** है, जो आधारभूत संरचना परियोजनाओं हेतु व्यक्तियों एवं संस्थागत निवेशकों को निवेश की अनुमति प्रदान करता है ताकि वे आय का एक हिस्सा प्रतिफल के रूप में प्राप्त कर सकें।
 - यह मॉडल निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक है क्योंकि यह अधिक लचीलापन प्रदान करता है तथा वे किसी आधारभूत संरचना परियोजना के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, जिससे उनके समक्ष निर्माण जोखिम नहीं रहता है।
- InvIT के अंतर्गत निवेशकों को उपलब्ध कराए जाने वाले **विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के गठन के लिए** राजमार्ग परियोजनाओं को एक समुच्चय बनाया जाएगा। SPV का व्यापार स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किया जायेगा तथा प्रतिफल, पूँजी बाजार में InvIT के निष्पादन से संबद्ध होगा।
- यह NHAI को पूर्ण रूप से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों, जिनका टोल संग्रहण में कम से कम एक वर्ष का ट्रैक रिकॉर्ड है, के मुद्रीकरण में सक्षम बनाएगा क्योंकि NHAI के पास निर्दिष्ट राजमार्ग का टोल वसूलने का अधिकार है।
- NHAI द्वारा गठित InvIT **भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आधारभूत संरचना निवेश ट्रस्ट) विनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित** एक ट्रस्ट होगा।

9.3.2. राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को सरकार की स्वीकृति

{Government Approves Hybrid Annuity Model (HAM) for National Highways}

- हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) वस्तुतः EPC (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) एवं BOT (बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर) मॉडल का **मिश्रित रूप** है।
- इसका उद्देश्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के माध्यम से **कार्यान्वित परियोजनाओं की क्षमता को अधिकतम करना** है और इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को पुनर्संरचित करना है।
- HAM मॉडल के अंतर्गत विकसित राजमार्ग परियोजनाओं से **टोल शुल्क संग्रह का उत्तरदायित्व सरकार/ प्राधिकरण** का होता है।

अतिरिक्त जानकारी

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India)	• यह **NHAI अधिनियम, 1988** के अंतर्गत स्थापित, भारत सरकार की एक **स्वायत्त एजेंसी** है। • यह **राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव एवं प्रबंधन तथा इससे संबंधित मामलों** के लिए उत्तरदायी है। • NHAI **राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP)** को लागू करने के लिए अधिदेशित है। यह परियोजना चरणबद्ध तरीके से लागू भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है।
कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु	• भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर, **सभी मौसमों के लिए स्थायी पुल** का उद्घाटन **पूर्वी लद्दाख** में किया गया है। • **श्योक नदी** पर निर्मित यह पुल 14,650 फुट की ऊंचाई पर स्थित है तथा 1400 फुट लंबा है। • पुल के सुपरस्ट्रक्चर को **'एक्स्ट्रा वाइड बेली ब्रिज'** कहते हैं। • इसका निर्माण 15 माह में (वर्ष 2017 में प्रारम्भ) **सीमा सड़क संगठन (BRO)** द्वारा किया गया है। यह यात्रा के समय को घटाकर लगभग आधा कर देगा। • इसके निर्माण हेतु भारत में पहली बार **माइक्रोपाइलिंग तकनीक (micropiling technique)** का उपयोग किया गया है।
कॉमन मोबिलिटी कार्ड	• दिल्ली सरकार के कॉमन मोबिलिटी कार्ड ने **सर्वाधिक बुद्धिमान परिवहन प्रणाली** परियोजना श्रेणी के तहत पुरस्कार प्राप्त किया है।

VISION IAS

	• इस कार्ड का उपयोग **मेट्रो ट्रेन, DTC और क्लस्टर बसों में यात्रा करने के लिए किया जा सकता है।** • इसी प्रकार, **आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA)** ने भारत में **नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC)** लॉन्च किया है, जिसका उपयोग देश में सभी प्रकार की स्थानीय यात्राओं के भुगतान के लिए किया जा सकता है। • NCMC में 2 प्रकार के उपकरण होते हैं- एक **नियमित डेबिट कार्ड** जो कि ATM में उपयोग किया जा सकता है तथा दूसरा एक लोकल वॉलेट (संग्रहीत मूल्य खाता), जिसे **सर्वर पर वापस जाने या अतिरिक्त प्रमाणीकरण की आवश्यकता के बिना** संपर्क रहित भुगतान के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
न्यूजेन मोबिलिटी समिट (Nugen Mobility Summit)	• हाल ही में, **अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केन्द्र (International Centre for Automotive Technology: ICAT)** द्वारा गुरुग्राम के **मानेसर** में न्यूजेन मोबिलिटी समिट का आयोजन किया गया। • इस शिखर सम्मेलन का **उद्देश्य नवीन विचारों, जानकारियों, वैश्विक अनुभवों, नवाचारों एव भावी तकनीकी रुझानों को साझा करना है,** ताकि स्मार्ट और हरित भविष्य के लिए उन्नत ऑटोमोटिव (मोटर वाहन) प्रौद्योगिकियों को तीव्रता से विकसित एवं अपनाया जा सके। • **ICAT,** मानेसर में स्थित हैं, जो कि NATRiP (नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आर एंड डी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट) के तत्वावधान में भारत सरकार की एक मोटर वाहन परीक्षण, प्रमाणन एवं तथा अनुसंधान और विकास सेवा प्रदाता एजेंसी है। • **NATRiP** देश में एक अत्याधुनिक परीक्षण, प्रमाणन और अनुसंधान एवं विकास आधारभूत संरचना निर्माण हेतु भारत सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों एवं भारतीय मोटर वाहन उद्योग के मध्य ऑटोमोटिव क्षेत्र की एक पहल है।

9.3.3. सड़क सुरक्षा

(Road Safety)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **"सड़क सुरक्षा पर हुए तीसरे वैश्विक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन" (3rd Global Ministerial Conference on Road Safety)** का आयोजन स्वीडन सरकार और WHO द्वारा किया गया था।

अन्य संबंधित तथ्य

- **सम्मेलन की थीम: 'वैश्विक लक्ष्य 2030 की प्राप्ति' (Achieving Global Goals 2030)**। इसमें **स्टॉकहोम घोषणा-पत्र** को अपनाया गया जिसका उद्देश्य 'यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ़ एक्शन 2011–2020' के तहत वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु और घायलों की संख्या में कमी करना है।
- इस सम्मेलन का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को एक वैश्विक एजेंडे के रूप में परिवर्तित करना और सड़क सुरक्षा की दिशा में विश्व समुदाय की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराना है।
- स्टॉकहोम घोषणा-पत्र को **मॉस्को घोषणा-पत्र (वर्ष 2009)** और **ब्रासीलिया घोषणा-पत्र (वर्ष 2015)** तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा और विश्व स्वास्थ्य सभाओं में स्वीकृत पूर्व प्रस्तावों के आधार पर विकसित किया गया है।
 - वर्ष 2015 में भारत द्वारा ब्रासीलिया घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की संख्या में कमी करने हेतु विश्व समुदाय को प्रतिबद्ध बनाया है।

भारत में सड़क दुर्घटनाएँ (Road Accidents in India)	**यह एक वार्षिक प्रकाशन है, जो राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के आधार पर दुर्घटनाओं, इससे होने वाली मृत्यु एवं घायलों के बारे में वर्षवार विवरण उपलब्ध कराता है।** • रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH 8468022022

	○ वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 के दौरान देश में **सड़क दुर्घटनाओं** में 0.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ○ भारतीय सड़कों पर **मरने वाले व्यक्तियों की संख्या में** वर्ष 2018 में 2.37% (अर्थात 1.51 लाख) की वृद्धि दर्ज की गई। ○ वर्ष 2018 में कुल सड़क दुर्घटनाओं का 30.2 प्रतिशत और 35.7 प्रतिशत मृत्यु **राष्ट्रीय राजमार्ग** पर हुई हैं। ○ **ओवर-स्पीडिंग,** सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु (64.4% व्यक्तियों की मृत्यु) का एक प्रमुख कारण रहा है। तत्पश्चात रॉन्ग साइड ड्राइविंग (5.8%), शराब पी कर ड्राइविंग (2.8%)} और ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन का उपयोग (2.4%) दुर्घटनाओं के अन्य कारणों में शामिल है। • जिनेवा स्थित वर्ल्ड रोड फेडरेशन के **वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक्स 2018** की रिपोर्ट के अनुसार, भारत 199 देशों में सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए विश्व का **सर्वाधिक असुरक्षित देश** है। इसके बाद **चीन और अमेरिका** हैं।
सड़क सुरक्षा पर तीसरा उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन: वैश्विक लक्ष्यों 2030 की प्राप्ति	• 19 और 20 फरवरी को स्टॉकहोम में आयोजित सड़क सुरक्षा पर दो दिवसीय वैश्विक सम्मेलन में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। • प्रतिभागी देशों के नेताओं द्वारा वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु 'यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ एक्शन 2011–2020' के तहत निर्धारित संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक रोड-मैप तैयार किया गया है।
एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (Integrated Road Accident Database: IRAD)	• **IRAD एक केंद्रीय दुर्घटना डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है।** • यह राज्यों और केंद्र सरकार को निम्नलिखित सहायता प्रदान करेगा: ○ सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित जानकारी की समझ। ○ सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण। ○ देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने हेतु सुधारात्मक उपाय। • IRAD व्यापक वेब-आधारित एक IT समाधान प्रदान करेगा तथा साथ ही यह पुलिस, PWDs, NHAI जैसी विभिन्न एजेंसियों को जांच, सड़क इंजीनियरिंग, वाहनों की स्थिति जैसे विभिन्न परिपेक्ष्यों सहित सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित सूचनाओं के संग्रहण एवं आंकलन में सहायता करेगा। • इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से विकसित किया गया है। • इस प्रणाली को पहले छह राज्यों नामतः कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में प्रारम्भ किया जाएगा, क्योंकि इन राज्यों में सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु की संख्या सर्वाधिक है।
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019	• इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं: ○ 'गोल्डन आवर' (Golden Hour) के दौरान सड़क दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा प्रदान करना। ○ भारत में सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करने हेतु **मोटर वाहन दुर्घटना कोष** का सृजन करना। ○ एक **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड** की स्थापना करना जो सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन के सभी पहलुओं पर केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श प्रदान करेगा। ○ इसके अतिरिक्त, यह **नेकी करने वाले व्यक्तियों (Good Samaritans)** को भी परिभाषित करता है और **वाहनों की वापसी** का भी प्रावधान करता है।

VISION IAS

9.4. ऊर्जा

(Energy)

9.4.1. अन्वेषण

(Exploration)

9.4.1.1. खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2020

{The Mineral Laws (Amendment) Ordinance 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **'खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2020'** के प्रख्यापन को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह अध्यादेश **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR Act)** और **कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 (CMSP Act)** में संशोधन करता है।
- इस अध्यादेश ने कैप्टिव खनन व्यवस्था के उन्मूलन हेतु कोयला खदानों के लिए अंतिम उपयोग संबंधी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है और वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए ब्लॉकों की नीलामी के माध्यम से निजी क्षेत्र के प्रवेश के लिए व्यवस्था प्रदान की है।
- यह अध्यादेश भारत में पंजीकृत किसी भी कंपनी को बोली लगाने और कोयला ब्लॉक विकसित करने की अनुमति प्रदान करता है। पूर्व में यह व्यवस्था केवल लौह और इस्पात, विद्युत और कोयला वाशिंग क्षेत्रों में संलग्न कंपनियों तक ही सीमित थी। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को बोली लगाने के लिए खनन क्षेत्र से संबंधित अनुभव रखने की भी आवश्यकता होती थी जिसे इस अध्यादेश द्वारा समाप्त कर दिया गया है।
- सरकार ने फरवरी 2018 में वाणिज्यिक कोयला खनन हेतु निजी क्षेत्र के प्रवेश को अनुमति प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त, इस अध्यादेश के अनुसार अब कैप्टिव कोयला खननकर्ताओं को खुले बाजार में अपने उत्पादन का 25% विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गई है।
- यद्यपि उपर्युक्त दोनों निर्णयों ने वाणिज्यिक कोयला खनन पर तकनीकी रूप से कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के एकाधिकार को समाप्त कर दिया है, तथापि वास्तविक स्थिति यह प्रदर्शित नहीं करती क्योंकि निजी क्षेत्र अधिकांशत: नीलामी प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हुए।

खनन उद्योग की वर्तमान स्थिति

- **देश की ऊर्जा और कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण:** खनन उद्योग विद्युत क्षेत्रक के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में, भारत में लगभग 72 प्रतिशत विद्युत का उत्पादन कोयले के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, खनिज विनिर्मित उत्पादों और कई कृषि-आदानों के महत्वपूर्ण आधार के रूप में कार्य करते हैं।
- **अत्यधिक आयात:** उल्लेखनीय है कि, भारत में विश्व का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार है, फिर भी विगत वर्ष 235 मिलियन टन (mt) कोयले का आयात किया गया था, जिसमें से 135mt (1,71,000 करोड़ रूपए मूल्य) आवश्यकता की पूर्ति घरेलू भंडार से की जा सकती थी।
- **विदेशी निवेश के अंतर्वाह में कमी और सकल घरेलू उत्पाद में घटता योगदान:**
 - भारत की GDP (वास्तविक संदर्भ में) में इस उद्योग की हिस्सेदारी 2011-12 के 3.1 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 2.6 प्रतिशत हो गई थी।
 - इस क्षेत्रक में FDI अंतर्वाह 2014-15 के 2.1 प्रतिशत (भारत के कुल FDI अंतर्वाह का) से घटकर 2018-19 में 0.5 प्रतिशत रह गया।
- **अपनी विशाल संभाव्यता के सापेक्ष अल्पविकसित:** पारंपरिक स्रोतों से विद्युत की मांग में कमी, सीमेंट, लोहा और इस्पात क्षेत्रों की संवृद्धि में कमी; और अनुमोदन प्रक्रियाओं ने ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया है जिसमें खदानों को आवंटित किए जाने के बावजूद, खनिजों के निष्कर्षण को सीमित करने के साथ-साथ खानों के विकास को भी बाधित किया है।

VISION IAS

अतिरिक्त जानकारी

अवैध खनन	• **भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)** की रिपोर्ट के अनुसार: ○ इस क्षेत्र के विकास हेतु अवैध खनन की परिभाषा में स्पष्टता के अभाव के साथ-साथ पर्यावरण और वन मंजूरी प्राप्त करने में विलंब प्रमुख अवरोध बने हुए हैं। ○ इसके अतिरिक्त, राज्यों ने अवैध खनन के लिए अनपैड पेनाल्टी के रूप में खानों के लिए पट्टों के नवीनीकरण को रोक रखा है और इससे खनिज आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है। • सभी खनन गतिविधियों को **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957** के आधार पर संचालित किया जाता है। हालांकि, यह पर्यावरण और वन मंजूरी के संबंध में प्रावधान नहीं करता है। ○ इस संबंध में स्पष्टता का अभाव है कि क्या अधिनियम को पर्यावरण नियमों के उल्लंघन से निपटना चाहिए, जिनका निपटान विविध कानूनों के द्वारा किया जाता है। ○ अगस्त 2017 में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि पर्यावरण और प्रदूषण कानूनों के उल्लंघन के आधार पर किए गए खनन कार्यों को भी अवैध खनन के रूप में माना जाएगा। • रिपोर्ट दर्शाती है कि अवैध खनन (जिसे अधिनियम में परिभाषित किया गया है) के अंतर्गत पट्टा क्षेत्र के बाहर होने वाले खनन को शामिल किया जाना चाहिए तथा पर्यावरण और वन मंजूरी की शर्तों के उल्लंघन को केवल पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 द्वारा निपटाया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019	राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 में निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित हैं, जो खनन क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे: • RP/PL धारकों के लिए पहले अस्वीकृत करने के अधिकार (Right of First Refusal) का प्रारंभ। • अन्वेषण आरंभ करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, • राजस्व साझेदारी के आधार पर समग्र RP सह PL सह ML (Mining Lease) के लिए नवीन क्षेत्रों में नीलामी। • निजी क्षेत्र के खनन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए खनन संस्थाओं के विलय और अधिग्रहण तथा खनन पट्टों के हस्तांतरण और समर्पित खनिज गलियारों का निर्माण। • इस नीति में निजी क्षेत्र के लिए खनन के वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए और निजी क्षेत्र द्वारा अन्य देशों में खनिज संपत्ति के अधिग्रहण के लिए खनन गतिविधि को उद्योग का दर्जा देने का प्रस्ताव है। • इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि खनिज के लिए दीर्घकालिक आयात-निर्यात नीति निजी क्षेत्र को बेहतर योजना बनाने और व्यवसाय में स्थिरता लाने में सहायता करेगी। • नीति में सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों को प्रदत आरक्षित क्षेत्रों को युक्तिसंगत बनाने का भी उल्लेख किया गया है। ऐसे आरक्षित क्षेत्र जिनका उपयोग नहीं किया गया है उनकी नीलामी को संभव बनाया गया है। इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु अधिक अवसर प्राप्त होंगे। • यह नीति निजी क्षेत्र की सहायता करने के लिए वैश्विक मानदंड के साथ कर, लेवी और रॉयल्टी को सुसंगत बनाने का प्रयास करती है।
खनन के उपरांत अनिवार्य रूप से पुनः घास लगाना	• उच्चतम न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है कि प्रत्येक खनन क्षेत्र में घास लगाने को पर्यावरण मंजूरी और खनन योजना में अनिवार्य शर्त के रूप में पुनः शामिल किया जाए। • सामान्यतः खनन प्रक्रिया से उस क्षेत्र में घास का पूर्णतः उन्मूलन हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप शकभक्षियों के लिए चारे की आपूर्ति बाधित हो जाती है।

9.5. वाणिज्यिक कोयला खनन

(Commercial Coal Mining)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत अब **'केवल वाणिज्यिक खनन और बिक्री के उद्देश्य से'** निजी कंपनियों को कोयला खदानें आवंटित करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करेगा। इसके साथ ही कैप्टिव उपयोग हेतु खदान आवंटित करने की पूर्व की व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्ष 2018-19 में कैप्टिव कोयला ब्लॉकों से केवल **25.1 मिलियन टन (MT)** कोयले का उत्पादन हुआ था। यह वर्ष 2014-15 के 43.2 मीट्रिक टन उत्पादन से अत्यधिक कम है तब उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे 204 कोयला खदानों के लाइसेंसों को निरस्त कर दिया गया था।

- **कैप्टिव खनन के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं** हुए हैं क्योंकि यह माना गया था कि विद्युत उत्पादकों, इस्पात निर्माताओं आदि को खनन के संबंध में विशेषज्ञता प्राप्त है और साथ ही इनकी रूचि भी है।
- साथ ही, इसने **इकॉनमी ऑफ़ स्केल** को भी अवरुद्ध किया है।
- कोयला मंत्रालय **राजस्व साझाकरण आधार** पर वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉकों की नीलामी करेगा और शीघ्रतर उत्पादन आरंभ करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों की घोषणा करेगा। इसके अंतर्गत, बोलीकर्ताओं को शीघ्रतर कार्य आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, सरकार ने अपनी राजस्व हिस्सेदारी में **20 प्रतिशत** तक की कटौती करने का प्रस्ताव रखा है।
- यह उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यापक पैमाने पर ब्लॉकों को निरस्त करने के पश्चात् **रिवर्स बिडिंग मॉडल** के इतर प्रथम नीलामी होगी। यह राजस्व साझाकरण मॉडल पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त **प्रत्युष सिन्हा** की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं पर आधारित है।
 - प्रतिवर्ती नीलामी (reverse auction) में, क्रेता द्वारा आवश्यक वस्तु या सेवा का अनुरोध किया जाता है। तत्पश्चात विक्रेताओं द्वारा उस राशि के लिए बोली लगाई जाती है जो वे उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान किए जाने हेतु तैयार होते हैं तथा नीलामी के अंत में सबसे कम राशि वाला विक्रेता जीतता है।

भारत में कोयला क्षेत्रक

- भारत विश्व में कोयले के तीसरे सबसे बड़ा उत्पादक देश के साथ-साथ कोयले का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश भी है।
- **देश के विद्युत उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी लगभग 70 प्रतिशत है** और कोयले की सुनिश्चित आपूर्ति के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इस कदम की आवश्यकता है।
- इसे सुनिश्चित करने के लिए, वर्ष **1973 में "कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973"** द्वारा कोयला खनन का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
- राष्ट्रीयकरण के उपरांत, केवल **राज्य के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)** को कोयला बेचने की अनुमति प्राप्त थी। यहां तक कि कुछ समय पूर्व तक, निजी क्षेत्र की फर्मों को केवल अपने सीमेंट, इस्पात, विद्युत और अल्यूमीनियम संयंत्रों में उपयोग के लिए अर्थात उनके **कैप्टिव (स्वयं के) उपयोग** के लिए कोयला खनन की अनुमति प्रदान की गई थी। इसलिए, CIL, अभी तक देश में एकमात्र वाणिज्यिक खननकर्ता था और भारत के कोयला उत्पादन में CIL की हिस्सेदारी 84 प्रतिशत थी।
- **वर्ष 1993-2014 तक,** कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न सरकारी और निजी कंपनियों को 204 कोयला खान/ब्लॉक आवंटित किए गए थे। हालांकि, इनमें से अधिकांश आवंटनों के संबंध में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप लागए गए थे। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की एक रिपोर्ट के अनुसार इनके कारण सरकारी खजाने को 1.85 लाख करोड़ रूपये का नुकसान हुआ था। इसी पृष्ठभूमि में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2014 में इन आवंटनों को निरस्त कर दिया था।
- कोयले की बिक्री हेतु नीलामी और आवंटन के माध्यम से कोयला खानों के आवंटन के लिए **कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015** में सक्षमकारी प्रावधान किए गए हैं।
- वर्ष 2015 में कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम के अधिनियमित होने से पूर्व, बोली प्रक्रिया (bidding) के माध्यम से कोयला खानों का आवंटन नहीं किया जाता था। इस्पात, सीमेंट, विद्युत, कोयला-से-गैस और कोयला-से-तरल जैसे क्षेत्रकों में कार्यरत कंपनियों द्वारा कोयला ब्लॉकों के लिए आवेदन किया जाता था और अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा संवीक्षा के पश्चात् उन्हें अधिकार प्रदान किए जाते थे।
- हाल ही में, सरकार ने कोयला खनन और इससे संबंधित अवसंरचना में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति प्रदान की है। इस अनुमति का उद्देश्य एक कुशल और प्रतिस्पर्धी कोयला बाजार के निर्माण हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं को आकर्षित करने में सहायता प्रदान करना है।
 - वर्तमान में, विद्युत परियोजनाओं, लौह-इस्पात और सीमेंट इकाइयों में कैप्टिव उपभोग (captive consumption) के लिए कोयला और लिग्नाइट खनन में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत FDI की अनुमति प्रदान की गई है।
 - अब, कोयला की बिक्री और खनन के साथ-साथ कोयले की धुलाई (washery), विंभजन (crushing), प्रबंधन (handling) और प्रथक्करण (चुंबकीय और गैर चुंबकीय) जैसी गतिविधियों के लिए भी स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत FDI की अनुमति प्रदान की गई है।

संबंधित तथ्य:

प्रकाश पोर्टल

- हाल ही में, केंद्र सरकार ने **प्रकाश {आपूर्ति में समन्वय के जरिये विद्युत रेल कोयला उपलब्धता (PRAKASH- Power Rail Koyla Availability through Supply Harmony)}** पोर्टल लॉन्च किया है।

VISION IAS

- इस पोर्टल का उद्देश्य सभी हितधारकों, यथा- विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया, रेलवे और विद्युत सेवाओं के मध्य कोयला आपूर्ति का बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है।
- यह **पोर्टल राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (National Thermal Power Corporation: NTPC)** द्वारा विकसित किया गया है तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, रेलवे सूचना प्रणाली और कोयला कंपनियों जैसे विभिन्न हितधारकों से आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं।
- यह पोर्टल विद्युत संयंत्रों के लिए संपूर्ण कोयला आपूर्ति श्रृंखला का **मानचित्रण और निगरानी** करने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

9.6. गैस इकॉनमी

(Gas Economy)

9.6.1. सरकार द्वारा पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना हेतु VGF का अनुमोदन

(Government Approves VGF for North-East Gas Grid Project)

- हाल ही में, आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने 1,656 किलोमीटर लंबी **पूर्वोत्तर गैस ग्रिड (NEGG) परियोजना के निर्माण हेतु अनुमानित लागत के 60% के बराबर व्यवहार्यता अंतराल निधियन (Viability Gap Funding: VGF)** के रूप में पूंजीगत अनुदान को अनुमोदन प्रदान किया है।
 - VGF के तहत **सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के अंतर्गत संचालित अवसंरचना परियोजनाओं के लिए एकबारगी या आस्थगित अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है,** ताकि परियोजनाओं को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके।
- NEGG परियोजना **"इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड" (IGGL)** द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जो तेल एवं गैस के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 5 उपक्रमों, यथा- GAIL, IOCL, OIL, ONGC और NRL का एक संयुक्त उपक्रम है।
 - इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के **सभी 8 राज्य** शामिल होंगे।
 - इससे **उत्तर-पूर्व में प्राकृतिक गैस की सुगम उपलब्धता में वृद्धि होगी** तथा स्वच्छ ईंधन आधारित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए उद्योगों, घरेलू उपभोक्ताओं और परिवहन उद्देश्यों के लिए प्राकृतिक गैस की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
- NEGG सरकार की **राष्ट्रीय गैस ग्रिड परियोजना (NGGP)** का एक भाग है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक गैस की पहुंच के संदर्भ में देश में क्षेत्रीय असंतुलन का निवारण करना और संपूर्ण देश में स्वच्छ एवं पर्यावरण-अनुकूल ईंधन उपलब्ध कराना है।
- यह **"पूर्वोत्तर भारत के लिए हाइड्रोकार्बन विज़न 2030"** का एक भाग है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र का लाभ उठाने हेतु उपायों को रेखांकित करता है।

अतिरिक्त जानकारी

शहरी गैस वितरण नेटवर्क {City Gas Distribution (CGD) Networks}	• **CGD नेटवर्क** देश के निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में घरेलू, औद्योगिक या वाणिज्यिक क्षेत्रों और CNG स्टेशनों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने हेतु पाइपलाइनों का अंतर्संयोजित नेटवर्क है। • यह वर्ष 2023 तक ऊर्जा बास्केट में गैस की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 15% कर अपने कार्बन फुटप्रिंट में कटौती करने के भारत के प्रयास का एक भाग है। • प्रारूप नीति CGD नेटवर्क स्थापित करने, सार्वजनिक परिवहन के साधनों का CNG में रुपांतरण, अंतर-शहरी यातायात के लिए हरित गलियारे के निर्माण और गैस चालित गतिशीलता के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन हेतु **मानकीकृत प्रभारों एवं समयबद्ध अनुमोदनों का सुझाव प्रदान करती है।** • पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) अधिनियम 2006 के तहत गठित PNGRB, निकायों को देश के एक निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र (GA) में शहरी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क {पाइप्ड प्राकृतिक गैस (PNG) नेटवर्क सहित} विकसित करने का अधिकार प्रदान करता है। • **CGD योजना में चार विशिष्ट क्षेत्रक हैं यथा:** प्रमुखतया **ऑटो-ईंधन** के रूप में प्रयुक्त संपीडित प्राकृतिक गैस (CNG) तथा **घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रकों** में प्रयुक्त पाइप्ड प्राकृतिक गैस।

VISION IAS

सक्षम (SAKSHAM) 2020	• यह पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (PCRA) का वार्षिक व एक-माह तक संचालित होने वाला **जन-केंद्रित ईंधन संरक्षण मेगा अभियान** है। • पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में स्थापित PCRA, एक पंजीकृत सोसायटी तथा एक गैर-लाभकारी संगठन है। PCRA, राष्ट्रीय स्तर पर एक सरकारी अभिकरण है, जिसका कार्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है।

9.6.2. मेथनॉल अर्थव्यवस्था

(Methanol Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत-अमेरिका के मध्य संपन्न वार्ता में मेथनॉल अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा की गयी।

मेथनॉल के बारे में

- इसे 'काष्ठ अल्कोहल' के रूप में जाना जाता है तथा प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों रूप में इसे प्राप्त किया जाता है। यह रंगहीन होने के साथ जैव-निम्नीकृत, ज्वलनशील, विषाक्त एवं ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है।
- यह एक एकल कार्बन यौगिक है जिसे काष्ठ के हानिकारक आसवन द्वारा निर्मित किया जाता है तथा इसे कोयला, प्राकृतिक गैस, बायोमास (अर्थात ऐसे उत्पाद, जो सिन गैस का उत्पादन करने में सक्षम हैं) से भी उत्पादित किया जाता है।
- **प्रयोग:** कार्बनिक संश्लेषण में इसे ईंधन, विलायक और एंटीफ्रिज के रूप में प्रयोग किया जाता है।
- भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 द्वारा इसे ईंधन के रूप में प्रमाणित किया गया है।
- मेथनॉल के गैसीय संस्करण- DME (डाई मिथाइल ईथर) को LPG के साथ मिश्रित किया जा सकता है।
- **सरकार द्वारा की गयी पहलें:**
 - पेट्रोल में 15% मेथनॉल के सम्मिश्रण का प्रावधान करने वाली नीति की दिशा में प्रयास आरंभ किए गए हैं।
 - कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने पश्चिम बंगाल में कोयला आधारित मेथनॉल संयंत्र स्थापित करने की अपनी योजना को प्रस्तावित किया है।
 - भारत ने एक दो पहिया इंजन, एक जेनसेट, पावर वीडर (कृषि उपकरण) को सफलतापूर्वक रूपांतरित किया है तथा रेलगाड़ियों एवं जहाजों (मरीन) के इंजनों सहित कई आंतरिक दहन इंजनों को मेथनॉल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है।
- **मेथनॉल अर्थव्यवस्था हेतु नीति आयोग का रोडमैप:**
 - **मेथनॉल इकोनॉमी फंड:** इसे स्वच्छ ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने हेतु 4,000-5,000 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान कर सृजित किया गया है।
 - **अपशिष्ट-से-ऊर्जा:** मेथनॉल उत्पादन के लिए कृषि अपशिष्ट, स्ट्रैंडेड गैस और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट आदि के उपयोग को बढ़ावा देने से लगभग 40% मेथनॉल का उत्पादन किया जा सकता है। यह स्वच्छ भारत मिशन के लिए भी सहायक होगा।
 - **परिवहन में इसके उपयोग में वृद्धि करना:** मेक इन इंडिया पहल के तहत मेथनॉल अर्थव्यवस्था की संकल्पना को ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा पूंजी प्रदान की जा सकती है। इसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह और रोजगार में वृद्धि होगी।

9.7. भारत में विद्युत खपत

(Power Consumption in India)

- वर्ष 2018 में **प्रति व्यक्ति विद्युत खपत, दादरा और नगर हवेली** (15,179 kWh) में **सर्वाधिक** रही है, इसके पश्चात् गुजरात, हरियाणा और पंजाब राज्यों का स्थान है।

VISION IAS

- **प्रति व्यक्ति विद्युत खपत सबसे कम बिहार में रही है**, इसके पश्चात् असम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा का स्थान है।

Fuel	MW	% of Total
Total Thermal	2,30,701	62.8%
Coal	1,98,495	54.2%
Lignite	6,760	1.7%
Gas	24,937	6.9%
Diesel	510	0.1%
Hydro (Renewable)	45,699	12.4%
Nuclear	6,780	1.9%
RES* (MNRE)	86,759	23.5%
Total	**369,428**	

9.7.1. स्मार्ट मीटर

(Smart Meters)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विद्युत मंत्रालय ने राज्य विद्युत नियामकों को **स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्राप्त करने वाले उपयोगकर्ताओं हेतु रियायती दर** उपलब्ध कराने के लिए कहा है तथा इसके निर्देशों को लागू करने के लिए 6 माह की अवधि प्रदान की है।

स्मार्ट मीटर के बारे में

- स्मार्ट मीटर उस उन्नत मीटरिंग अवसंरचना समाधान के भाग हैं जो दिन के **अलग-अलग समयों पर विद्युत की खपत का मापन करता है, उसे रिकॉर्ड करता है** और यह सूचना ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं को भेजता है।
- स्मार्ट मीटर विद्युत आपूर्तिकर्ताओं तथा उपभोक्ताओं के मध्य **द्विपक्षीय संवाद** को संभव बनाते हैं।
- स्मार्ट मीटर, वितरण कंपनियों की **परिचालन लागत को कम करने**, दूरस्थ क्षेत्रों में मीटरिंग को सक्षम बनाने, बिजली चोरी को रोकने और बेहतर लोड प्रबंधन को सक्षम बनाने में मदद कर सकते हैं।
- यह उपभोक्ताओं को अपनी सुविधा, आवश्यकता और खपत के अनुसार भुगतान करने में सहायता प्रदान करेगा।

स्मार्ट मीटर के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ पहलें

- गत वर्ष, मंत्रालय ने मौजूदा उपभोक्ताओं के मीटरों को "प्रीपेड आधारित स्मार्ट मीटर" में परिवर्तित करने के लिए सभी राज्यों को **दिशा-निर्देश** जारी किए थे।
- **उदय (UDAY) योजना** के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का प्रावधान किया गया है।
- **इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005** में उपबंधित किया गया था कि राज्य विद्युत नियामाकों द्वारा प्रीपेड मीटर के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

9.7.2. मस्ट रन स्टेटस

(Must Run Status)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड (IEGC) विनियमन की समीक्षा करने वाले एक विशेषज्ञ समूह द्वारा निर्दिष्ट किया गया है कि **नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों** (पवन, सौर, विंड-सोलर हाइब्रिड आदि) को **"मस्ट रन"** का दर्जा प्रदान किया जाएगा तथा किसी भी व्यावसायिक कारणों से इन संयंत्रों से विद्युत कटौती नहीं की जाएगी।

अन्य संबंधित तथ्य

- 'मस्ट रन' से तात्पर्य यह है कि सभी परिस्थितियों में संबंधित विद्युत संयत्रों द्वारा ग्रिड तक अनिवार्यतः विद्युत आपूर्ति की जानी चाहिए।
- **IEGC द्वारा वर्ष 2010 में नवीकरणीय क्षेत्रक को 'मस्ट रन' का दर्जा प्रदान किया गया था**, इसके बावजूद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा उच्च लागत का हवाला देते हुए ऐसे स्रोतों से विद्युत की कटौती की गई थी।

VISION IAS

- विशेषज्ञ समूह द्वारा **नवीनतम IEGC ड्राफ्ट में सम्मिलित नए नियम निम्नलिखित हैं:**
 - **संरक्षण और कमीशन कोड (Protection and Commissioning code),** यह ग्रिड घटकों हेतु रिले सेटिंग के विवरण वाले एक केंद्रीकृत डेटाबेस को शामिल करता है, और
 - **साइबर सुरक्षा कोड (Cyber Security code),** यह महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की पहचान प्रदान करता है।
- IEGC एक विनियमन है, जिसे विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत **केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (Central Electricity Regulatory Commission: CERC)** द्वारा विकसित किया गया है।

विद्युत प्रणाली के नियोजन, विकास, प्रबंधन और संचालन के क्रम में IEGC विभिन्न व्यक्तियों एवं प्रतिभागियों हेतु अनुपालन योग्य **अनिवार्य नियमों, मानकों, दिशा-निर्देशों** को स्थापित करता है।

9.8. नवीकरणीय ऊर्जा

(Renewable Energy)

9.8.1. पवन उर्जा

(Wind Energy)

- जनवरी 2020 तक, भारत में **कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 37.607 GW** थी।
- पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के पास चीन, सयुंक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के बाद **चौथी सबसे बड़ी संस्थापित क्षमता** है।
- राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE) के अनुसार भारत में **उच्च पवन ऊर्जा क्षमता - 100 मीटर हब ऊंचाई (HUB HEIGHT) पर 302 GW** और 120 मीटर पर 695 GW संभावित है।
- **तमिलनाडु में सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता है,** जिसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है।
- भारत ने दिसंबर 2015 में, वर्ष 2022 तक 60 गीगावॉट पवन ऊर्जा स्थापित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा की थी।
- भारत में पवन ऊर्जा क्षेत्र के भविष्य के समक्ष कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं। पूर्व में अनुमानित वृद्धि में स्थिरता की स्थिति के कारण वर्ष 2018 में **1,500 मेगावाट से कम वार्षिक प्रतिष्ठापन** के साथ, इस क्षेत्र में यथास्थिति बनी हुई है।

31 जनवरी 2020 तक अक्षय ऊर्जा के रूप में स्थापित क्षमता

- लघु जल विद्युत परियोजना (25MW तक): 4,676.56 मेगावाट
- बायोमास उर्जा: 9,861.31 मेगावाट
- अपशिष्ट निर्मित ऊर्जा: 139.80 मेगावाट
- पवन ऊर्जा: 37,607.70 मेगावाट
- सौर ऊर्जा: 34,035.66 मेगावाट
- **कुल क्षमता: 86,321.03 मेगावाट**

9.8.2. अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क

(Ultra Mega Renewable Energy Parks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)** ने गुजरात और राजस्थान में कुल **50 गीगावाट (GW)** की क्षमता वाले अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना करने की योजना बनाई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह पहल **विश्व के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा निवेश कार्यक्रमों में से एक** है।
- इसके लिए 25,000-25,000 मेगावाट क्षमता वाले नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना करने हेतु **खवड़ा (गुजरात)** और **जैसलमेर (राजस्थान)** की पहचान की गई है। (25,000 मेगावाट अर्थात् 25 GW)

- **सौर, पवन और हाइब्रिड संयंत्रों** की स्थापना हेतु **भूमि उपलब्ध कराई** जाएगी तथा प्रस्तावित पार्कों को संबंधित राज्य सरकारों एवं रक्षा मंत्रालय की **आवश्यक स्वीकृति** प्राप्त करनी होगी।
- **MNRE** ने **वर्तमान सौर पार्क योजना** के अंतर्गत **UMREPP** के विकास की योजना प्रारंभ की है।
- **UMREPP का उद्देश्य** परियोजना के विकासकर्ताओं को अग्रिम भूमि तथा सौर/पवन/ हाइब्रिड सहित RE आधारित UMPP विकसित करने हेतु पारेषण अवसंरचना की सुविधा और यदि आवश्यक हो, तो साथ में भंडारण प्रणाली भी प्रदान करना है।
- **UMREPP की कार्यान्वयन एजेंसी** केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (CPSU) और किसी भी राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (SPSU) के मध्य स्थापित की जाने वाली संयुक्त उद्यम कंपनी (JVC) के रूप में **विशेष प्रयोजन वाहन (SPV)** अथवा राज्य की यूटिलिटी एजेंसी या किसी भी CPSU के स्वामित्वाधीन SPV या पूर्णतः किसी भी राज्य PSU/राज्य यूटिलिटी एजेंसी/राज्य सरकारी एजेंसी के स्वामित्वाधीन SPV हो सकती है।
- NTPC, SECI NHPC, THDC, NEEPCO, SJVNL, DVC, NLC और PFC जैसी विभिन्न कंपनियों ने विभिन्न राज्यों में लगभग 42,000 मेगावाट के UMREPP स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाएँ (Ultra Mega Solar Power Projects): इस योजना के तहत वर्ष 2014-15 से आरंभ होने वाली अगले 5 वर्ष की अवधि के भीतर 20,000 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा संस्थापित क्षमता को लक्षित करते हुए कम से कम 25 सौर पार्कों और UMSPP को स्थापित करना परिकल्पित है, **जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 500 से 1000 मेगावाट होगी।**

9.8.3. 11वें अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र का उदघाटन

{11th Renewable Energy Management Center (REMC) Inaugurated}

सुर्ख़ियों में क्यों?

उत्तरी क्षेत्र अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (NR-REMC) के उद्घाटन के साथ अब REMCs के कुल ग्यारह केंद्र हो गए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- REMC को **ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) परियोजना** के भाग के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड नेटवर्क में एकीकृत करना था।
- इसे **अक्षय ऊर्जा की सविराम (intermittent) और परिवर्तनशील प्रकृति** के कारण ग्रिड प्रबंधन में त्वरित अक्षय ऊर्जा पैठ में निहित चुनौतियों से निपटने हेतु प्रारंभ किया गया था।
- REMCs कृत्रिम बुद्धिमता आधारित पूर्वानुमान एवं शेड्यूलिंग उपकरणों से युक्त हैं, जो अक्षय ऊर्जा से संबंधित ग्रिड संचालकों को अधिक से अधिक **विज़ुअलाइज़ेशन और संवर्धित स्थितिजन्य जागरूकता** प्रदान करते हैं।
- वर्तमान में, कुल ग्यारह REMCs के माध्यम से 55 GW क्षमता की सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है।
- सरकार ने REMCs को केंद्रीय योजना के रूप में लागू करने को स्वीकृति प्रदान की है तथा **कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में पॉवरग्रिड** (विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न CPSE) को अधिदेशित किया गया है।

9.8.4. नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग संवर्धन और सुविधा बोर्ड

(Renewable Energy Industry Promotion and Facilitation Board: REIPFB)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने **REIPFB** के गठन का निर्णय लिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह नवीकरणीय ऊर्जा (RE) क्षेत्रक में आने वाली **निम्नलिखित चुनौतियों एवं मुद्दों का निपटान** करेगा:
 - राज्य वितरण कंपनियों द्वारा भुगतान में विलंब;
 - परियोजनाओं में बढ़ते हस्तक्षेप;
 - राज्यों द्वारा विद्युत खरीद समझौतों (PPAs) का पुनः संयोजन; तथा
 - भूमि के अधिग्रहण एवं पारेषण संयोजकता संबंधी कठिनाइयाँ।

VISION IAS

- **REIPFB के विचारार्थ विषय**
 - परियोजना के विकास एवं कार्यान्वयन में **उद्योगों की सहायता** करना;
 - **व्यापार की सुगमता बढ़ाने**, निवेशकों का विश्वास बढ़ाने तथा RE क्षेत्रक की समस्याओं और जोखिमों को कम करने हेतु सुझाव देना;
 - RE परियोजनाओं के सुचारू रूप से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु **विभिन्न राज्य सरकारों एवं प्राधिकरणों के साथ संपर्क** करना; तथा
 - वित्तीय सुगमता तक पहुँच बढ़ाने के लिए **विभिन्न वित्तीय संस्थानों से संपर्क** करना।
- REIPFB की **अध्यक्षता संयुक्त सचिव (सोलर)** के द्वारा की जाएगी तथा इसके सदस्य के रूप में MNRE के दो अन्य संयुक्त सचिव होंगे। इसमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, NTPC इत्यादि के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
- इस क्षेत्रक की सभी **शिकायतों को प्राप्त करने के लिए MNRE द्वारा एक पोर्टल** विकसित किया जाएगा।

9.8.5. नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा प्रणालियाँ

(Renewable Hybrid Energy Systems)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत में पवन/सौर हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए को दो बोली प्रक्रियाओं का आयोजन किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली में सामान्यतः **दो या अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का समावेश होता है,** जो इस प्रकार संयुक्त होते हैं ताकि उपयुक्त ऊर्जा रूपांतरण तकनीक वाली एक कार्यक्षम प्रणाली प्रदान की जा सके, जो लोकल लोड या ग्रिड को विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु परस्पर संबद्ध होती है।
- **विभिन्न प्रकार की हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों में शामिल हैं:** बायोमास-विंड-फ्यूल सेल, पवन टरबाइन के साथ युग्मित फोटोवोल्टिक सेल ऐरे, हाइड्रो-विंड एनर्जी सिस्टम आदि।
- हाइब्रिड ऊर्जा प्रणालियां **ग्राहक की विविध आवश्यकताओं** के अनुरूप **अनुकूलित विद्युत समाधान** प्रदान करने की ओर उन्मुख हैं। इन्हें स्टैंडअलोन सिस्टम की बाधाओं को दूर करने और एक विश्वसनीय विद्युत स्रोत की आवश्यकता को पूरा करने हेतु तैयार किया गया है।
- वे लाइन और ट्रांसफार्मर पर होने वाली हानि को कम करने, पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने, प्रणाली की विश्वसनीयता में वृद्धि करने, विद्युत की गुणवत्ता में सुधार करने और समग्र दक्षता में वृद्धि करने **के संदर्भ में लाभप्रद हैं।**
- प्रायः पवन, सौर या भूतापीय **स्टैंडअलोन सिस्टम** की तुलना में हाइब्रिड ऊर्जा प्रणालियाँ **अधिक आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ** प्रदान करती हैं।

9.8.6. नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों की बिक्री में कमी

(Renewable Energy Certificates Sales Down)

सुर्ख़ियों में क्यों?

निम्न आपूर्ति के कारण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों (REC) की बिक्री एक वर्ष पूर्व की तुलना में लगभग 10% कम हो गई है।

विवरण

- नवीकरणीय ऊर्जा (RE) को बढ़ावा देने हेतु REC तंत्र एक **बाजार-आधारित साधन** है।
 - इसे उन कंपनियों और राज्यों के लिए एक साधन के रूप में प्रारंभ किया गया था जो भौतिक रूप से नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए बिना RE की कर खरीद सकते हैं।

VISION IAS

- REC के रूप में उत्पादित ऊर्जा को परियोजना के विकासकर्ताओं द्वारा विक्रय किया जा सकता है। **एक REC,** नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित एक मेगावाट विद्युत को प्रदर्शित करता है और यह पावर एक्सचेंजों (इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया) में व्यापार योग्य है।

- इसका उद्देश्य राज्य में RE संसाधनों की उपलब्धता और **नवीकरणीय खरीद दायित्व (Renewable Purchase Obligation: RPO)** को पूरा करने के लिए बाध्य संस्थाओं की आवश्यकता के मध्य व्याप्त **असंतुलन का समाधान करना है।**
- **राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति, 2006** में अधिसूचित RPO के तहत - राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों, खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं और कैप्टिव पावर उत्पादकों के लिए हरित ऊर्जा के माध्यम से उनकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है।

9.8.7. विद्युत खरीद समझौता

(Power Purchase Agreements)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विभिन्न राज्य नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों के साथ विद्युत खरीद समझौतों (Power Purchase Agreements: PPAs) पर पुनर्वार्ता (renegotiate) करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

विवरण

- **PPA** वस्तुतः विद्युत उत्पादनकर्ता और विद्युत की खरीद करने वाले (दो) पक्षों के मध्य एक अनुबंध को संदर्भित करता है।
 - PPA दो पक्षों के मध्य विद्युत विक्रय की सभी वाणिज्यिक शर्तों को परिभाषित करता है। इसमें परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन का समय, विद्युत वितरण का कार्यक्रम, अल्प वितरण की स्थिति में अर्थदंड, भुगतान की शर्तें और समझौते की समाप्ति शामिल हैं।
- भारत में, राज्य सरकारों ने विद्युत संयंत्र स्थापित करने और सरकार को पुन: विद्युत विक्रय करने हेतु निजी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों के साथ ऐसे समझौते किए हैं।
 - PPA के होने से, देश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है और वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों को विद्युत खरीद के संबंध में नीतिगत निश्चितता प्रदान करके उन्हें निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

9.8.8. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा एयर कंडीशनरों के लिए नए ऊर्जा कार्य प्रदर्शन मानक अधिसूचित किए गए

(Bee Notifies New Energy Performance Standards for Air Conditioners)

- इस अधिसूचना द्वारा **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) स्टार-लेबलिंग कार्यक्रम** के दायरे में शामिल सभी रूम एयर कंडीशनरों (RACs) के लिए 24 डिग्री सेल्सियस के डिफ़ॉल्ट सेटिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। ये कार्य प्रदर्शन मानक **1 जनवरी 2021** से लागू होंगे।
 - **स्टार-लेबलिंग कार्यक्रम** उपभोक्ताओं को ऊर्जा की बचत और इस प्रकार विपणन किए जाने वाले घरेलू एवं अन्य उपकरणों की लागत में बचत क्षमता के बारे में एक सूचित विकल्प प्रदान करने का प्रयास करता है।
 - यह योजना उच्च ऊर्जा वाले आधुनिक उपकरण (End Use Equipment) और युक्तियों पर ऊर्जा निष्पादन लेबल के प्रदर्शन को लक्षित करती है तथा **न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन मानकों को निर्धारित करती है।**
 - यह सभी RACs के साथ-साथ LED लैंप, कलर टीवी, इलेक्ट्रिक गीजर आदि के लिए अनिवार्य है।
- इसके अतिरिक्त, **भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात (ISEER)** के मानकों को भी RACs के लिए संशोधित किया गया है।
 - **ISEER:** इसे किसी उपकरण द्वारा समान अवधि के दौरान **सक्रिय मोड में शीतलन हेतु संचालित किए जाने पर इनडोर वायु से बाहर निष्कासित की जाने वाली ऊष्मा की कुल वार्षिक मात्रा** और **उपकरण द्वारा खपत की गई ऊर्जा की कुल वार्षिक मात्रा** के अनुपात के रूप में संदर्भित करते हैं।
- BEE विद्युत मंत्रालय के अधीन एक **सांविधिक निकाय** है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा गहनता को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ नीतियों एवं रणनीतियों को विकसित करता है।

VISION IAS

9.9. ऊर्जा क्षेत्रक से संबंधित रिपोर्ट

(Report Related to Energy Sector)

स्टेट रूफटॉप सोलर एक्ट्रैक्टिवनेस इंडेक्स (SARAL)	• इसे **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** द्वारा जारी किया गया है। • इसका उद्देश्य सौर रूफटॉप के सुदृढ़ बाजारों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण **मापदंडों** के आधार पर राज्यों का **मूल्यांकन** करना है • ये मापदंड निम्नलिखित **पाँच व्यापक श्रेणियों** से संबंधित हैं: ○ नीतिगत ढांचे की सुदृढ़ता; ○ नीतिगत समर्थन की प्रभावशीलता/कार्यान्वयन का वातावरण; ○ उपभोक्ता का अनुभव; ○ सौर रूफटॉप क्षेत्र के लिए निवेश अनुकूल परिवेश; ○ व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र • **शीर्ष रैंक प्राप्तकर्ता**: कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, आंध्रप्रदेश
राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (State Energy Efficiency Index)	• इसे **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)** द्वारा **अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिसेंट इकॉनमी (AEEE)** के सहयोग से विकसित किया गया है। • यह विभिन्न मांग क्षेत्रकों, जैसे- भवन, उद्योग, नगरपालिका, परिवहन, कृषि और डिस्कॉम के 97 महत्वपूर्ण संकेतकों के आधार पर 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में **ऊर्जा दक्षता (EE) पहल की प्रगति** की निगरानी करता है। • इस सूचकांक में राज्यों को उनकी ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन की दिशा में प्रयासों और उपलब्धि के आधार पर फ्रंट रनर (Front Runner), अचीवर (Achiever), कंटेंडर (Contender) और एस्पिरेंट (Aspirant) श्रेणियाँ प्रदान की जाती हैं। • **शीर्ष रैंक प्राप्तकर्ता**: हरियाणा, कर्नाटक और केरल

9.10. अवसंरचना वित्त पोषण

(Infrastructure Financing)

9.10.1. 2019-2025 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल की रिपोर्ट

(Report of The Task Force on National Infrastructure Pipeline for 2019-2025)

सुर्ख़ियों में क्यों?

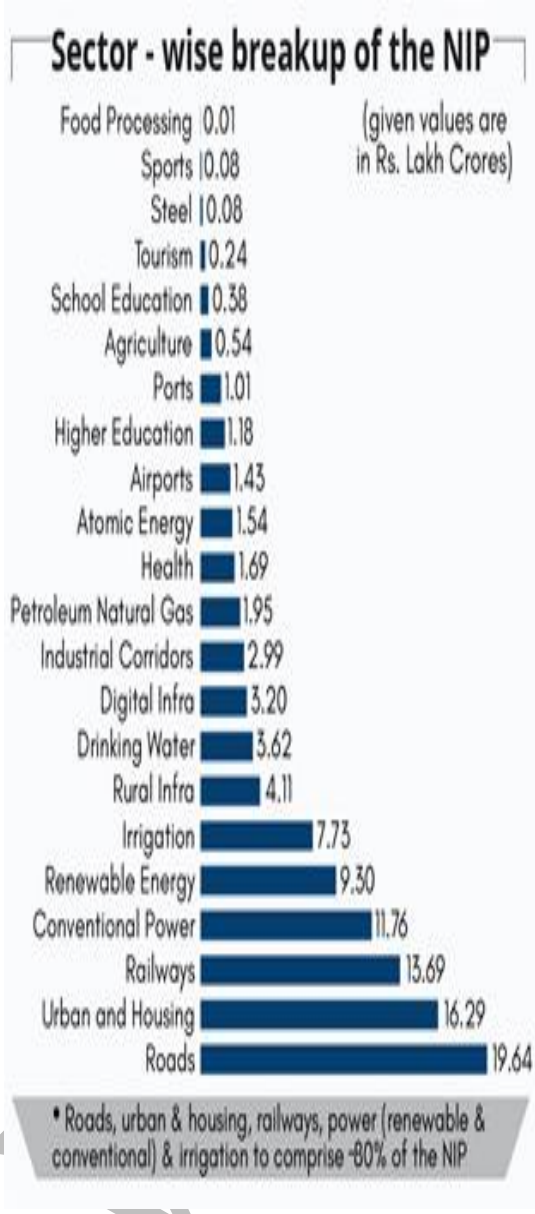
वित्त वर्ष 2019-20 से लेकर वित्त वर्ष 2024-25 तक, प्रत्येक वर्ष के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) हेतु आर्थिक मामलों के सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया था। यह वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा।

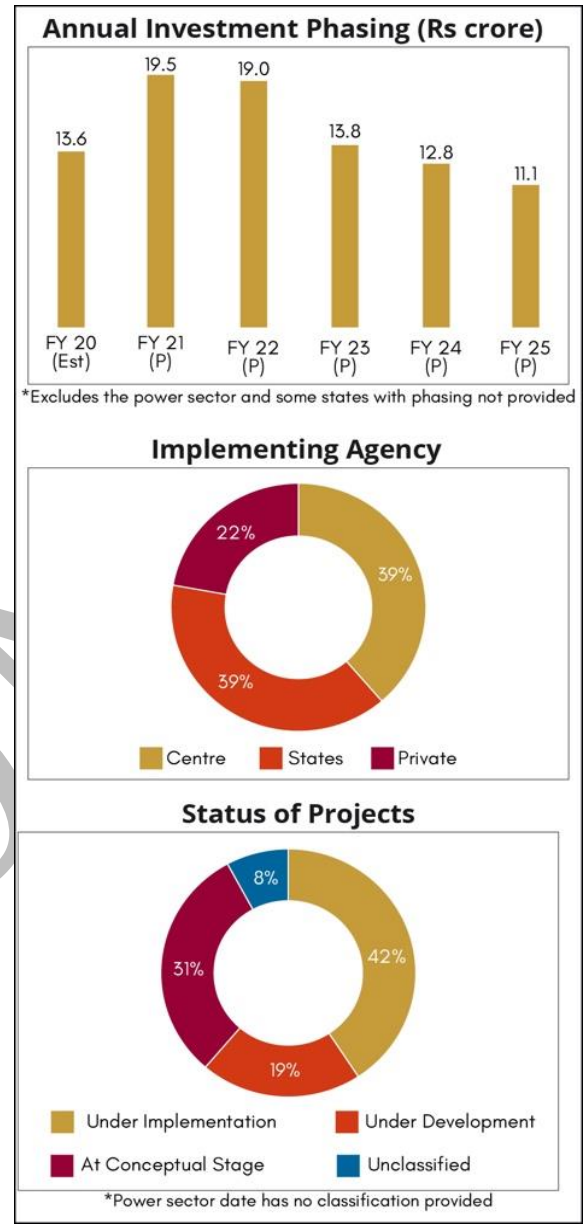
अन्य संबंधित तथ्य

- NIP आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं पर एक अग्रगामी दृष्टिकोण को सक्षम बनाएगा, जिससे रोजगारों के सृजन, जीवन यापन में सुगमता तथा सभी की अवसंरचना तक समान पहुँच सुनिश्चित करने में सहायता प्राप्त होगी, इससे विकास और अधिक समावेशी होगा।
- NIP ने 23 क्षेत्रों एवं 18 राज्यों में परियोजनाओं की पहचान की है, जिन्हें आगमी पांच वर्षों में वित्तपोषित किया जाएगा।
- इस समय तक, कुल परियोजना पूंजीगत व्यय का अनुमान 102 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
- **वित्त पोषण:** केंद्र, राज्यों और निजी क्षेत्र द्वारा **39:39:22 फार्मूले** में पूंजीगत व्यय को साझा किया जाएगा।

VISION IAS

- **प्रमुख बाधाएं:** रिपोर्ट में अनेक बाधाओं का भी उल्लेख किया गया है, जैसे- बड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए धन की उपलब्धता, भूमि अधिग्रहण संबंधी लंबी प्रक्रिया, पर्यावरण संबंधी चिंताएं, परियोजना में कार्यान्वयन संबंधी विलंबता के कारण समय एवं लागत में वृद्धि आदि।





9.10.2. इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

(India Infrastructure Finance Company Limited: IIFCL)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने IIFCL को वित्त वर्ष 2019-20 में 5,300 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2020-21 में 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त इक्विटी सहायता देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- IIFCL वर्ष 2006 में स्थापित भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी है, जो विभिन्न क्षेत्रों की लाभप्रद अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्त प्रदान करती है।
- यह एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - अवसंरचना वित्त कंपनी (NBFC-IFC) है, जो सितंबर 2013 से RBI के साथ पंजीकृत है।

अतिरिक्त जानकारी

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सर्विस अवास पोर्टल (Credit Linked Subsidy Service Awas Portal)	• आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री द्वारा **क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी सर्विसेज अवास पोर्टल (CLAP)** का शुभारंभ किया गया है। • यह पोर्टल **प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी के लिए आवास (शहरी)** के अंतर्गत क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी सेवाओं (CLSS) के लाभार्थियों हेतु एक पारदर्शी और सुदृढ़ रियल टाइम वेब-आधारित निगरानी प्रणाली प्रदान करता है। • इस पोर्टल का उपयोग करके, एक लाभार्थी वास्तविक समय में अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकता है तथा इस प्रकार लाभार्थियों की शिकायतों का अधिक व्यापक एवं संगठित तरीके से समाधान करने में सहायता प्राप्त होगी। • CLAP अन्य हितधारकों के साथ सामंजस्य से कार्य करते हुए लाभार्थियों को समय पर सब्सिडी प्रदान करके लाभान्वित करेगा। • प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का उद्देश्य 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना है।
पारगमन-उन्मुख विकास (Transit-Oriented Development: TOD)	• TOD एक प्रकार का शहरी विकास है, जिसका उद्देश्य पैदल तय की जाने वाली दूरी एवं सार्वजनिक परिवहन के दायरे में आवासीय, व्यापारिक और विश्राम स्थलों के एकीकृत शहरी क्षेत्र का निर्माण करना है।
क्रेडिट एन्हांसमेंट फंड (CEF)	• सरकार ने अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्रेडिट एन्हांसमेंट फंड (CEF) की स्थापना करने की योजना बनाई है। • एक CEF ऋणदाताओं को ऋण घाटे के विरुद्ध आंशिक गारंटी प्रदान करता है तथा उधारकर्ता को अपनी क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने में सक्षम बनाता है। • यह फंड निम्न रेटेड परियोजनाओं के **क्रेडिट एन्हांसमेंट** में वृद्धि करेगा, जिससे वे अपनी व्यवहार्यता में सुधार करते हुए बेहतर दरों पर ऋण लेने में सक्षम होंगी। ○ इस समय, अधिकांश अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को 'AA' से कम की रेटिंग प्रदान की जाती है, जिसका आशय यह है कि बड़े संस्थान ऐसी परियोजनाओं को फंड प्रदान नहीं करते हैं। • इस प्रकार की सुविधा **सुदृढ़ व्यवहार्यता एवं दृष्टिकोण** वाली परियोजनाओं को प्रदान की जा सकती है, लेकिन उन्हें क्रियान्वित कर रही कंपनियों की बैलेंस शीट या नकदी प्रवाह वर्तमान में कमजोर हैं, जो कि सभी इन्फ्रा परियोजनाओं में सामान्यतः होता हैं क्योंकि उनमें राजस्व सृजन बाद के वर्षों में आरंभ होता है।
एलिफेंट बॉण्ड (Elephant Bonds)	• **सुरजीत एस. भल्ला** की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह ने भारत सरकार को 'एलिफेंट बॉण्ड जारी करने का सुझाव दिया है। • HLAG का अनुमान है कि भारत एलिफेंट बॉण्ड के माध्यम से विदेशों में जमा काले धन का लगभग 500 बिलियन डॉलर तक प्राप्त कर सकता है। • एलिफेंट बॉण्ड **25 वर्षों की अवधि** के लिए जारी सॉवरेन बॉण्ड होगा, जिसमें अघोषित आय की घोषणा करने वाले व्यक्तियों पर **एमनेस्टी योजना के समान** 50 प्रतिशत निवेश करने की बाध्यता होगी। • इन फंडों का उपयोग केवल अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

VISION IAS

यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF)	• इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित कवर न किए गए सभी क्षेत्रों में सार्वभौमिक सेवा के उद्देश्य को प्राप्त करना है तथा सुदूरवर्ती, पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करना है। • यह सभी दूरसंचार ऑपरेटरों से अपने **समायोजित सकल राजस्व (Adjusted Gross Revenue: AGR)** पर अधिरोपित **5 प्रतिशत** की **यूनिवर्सल सर्विस लेवी (USL)** से वित्तीयन प्राप्त करता है।
ट्रेड्स (TreDS)	• यह **व्यापार प्राप्य बट्टाकरण प्रणाली** (Trade Receivable Discounting System: TreDS) है। • यह एक ऑनलाइन बिल डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर नकदी की कमी जैसी समस्या का सामना कर रहे **सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम (MSME)** अपनी व्यापार प्राप्य (Trade Receivable) कॉरपोरेट्स को बेचकर धन जुटाने में सक्षम होंगे।



10. महत्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट

(Important Indices and Reports)

ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स	• इसे एडिको (Addeco) और गूगल (Google) के सहयोग से **इनसीड (INSEAD)** द्वारा जारी किया जाता है। • इस वर्ष की ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट **"कृत्रिम बुद्धिमता के युग में वैश्विक प्रतिभा" (Global Talent in the Age of Artificial Intelligence)** पर केन्द्रित है। • **मानदंड:** व्यावसायिक कौशल तथा वैश्विक ज्ञान कौशल को प्राप्त करना, आकर्षित करना, विकास करना और उसे बनाए रखना। • **वर्ष 2020 में भारत को आठ स्थान की वृद्धि के साथ 72वां स्थान** प्राप्त हुआ है।
अंकटाड (UNCTAD) द्वारा जारी रिपोर्ट	
ई-कॉमर्स इंडेक्स	• भारत को 152 देशों में **73वां** स्थान प्राप्त हुआ है। • इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहे नीदरलैंड सहित **यूरोपीय देशों को शीर्ष 10 स्थानों में से 8 स्थान प्राप्त हुए हैं।** शीर्ष 10 की सूची में **गैर-यूरोपीय देशों में केवल सिंगापुर (3) और ऑस्ट्रेलिया (10) शामिल हैं।** • देशों को अग्रलिखित आधारों पर स्कोर प्रदान किया जाता है: सुरक्षित इंटरनेट सर्वर, डाक सेवाओं और अवसंरचना की विश्वसनीयता, इंटरनेट का उपयोग करने वाले तथा वित्तीय संस्थान या मोबाइल-मनी-सेवा प्रदाता के साथ अकाउंट वाले लोगों की संख्या (कुल जनसंख्या में)।
कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, 2019	• यह रिपोर्ट वस्तुओं और जलवायु परिवर्तन के मध्य अंत:क्रिया तथा कमोडिटी पर निर्भर विकासशील राष्ट्रों (Commodity Dependent Developing Countries: CDDCs) के विकास के लिए इसके निहितार्थ पर केंद्रित है। • CDDCs वस्तुतः 88 विकासशील राष्ट्रों का एक समूह है, जहां वर्ष 2013-2017 की अवधि के दौरान औसतन और मूल्य के संदर्भ में कमोडिटी क्षेत्रक का उनके कुल व्यापारिक निर्यात में कम से कम 60 प्रतिशत का योगदान था। • अधिकांश CDDCs एक या अधिक कमोडिटी समूहों, यथा- कृषि; वानिकी; खनिज, अयस्क एवं धातु; तथा जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा पर निर्भर हैं। • हालांकि, **भारत CDDCs में शामिल नहीं** है। वर्ष 2018-2019 में, भारत के कुल निर्यात में कमोडिटी की हिस्सेदारी लगभग 46 प्रतिशत थी।
व्यापार और विकास रिपोर्ट, 2019 (Trade and Development Report, 2019)	• यह रिपोर्ट, सार्वजनिक क्षेत्रक के लिए **ग्लोबल ग्रीन न्यू डील** के वित्तपोषण में नेतृत्व प्रदान करने संबंधी उपायों और सुधारों की एक श्रृंखला निर्धारित करती है तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस प्रकार के एजेंडे को प्रोत्साहित करने हेतु राजनीतिक इच्छाशक्ति का आह्वान करती है। **ग्लोबल ग्रीन न्यू डील (GGND)** • इस रिपोर्ट को ईंधन, खाद्य और वित्त से संबंधित वर्ष **2008 के वैश्विक संकटों की प्रतिक्रिया स्वरूप UNEP द्वारा तैयार** किया गया था।

VISION IAS

	• यह **सरकारों से हरित क्षेत्रकों के प्रोत्साहन हेतु वित्तपोषण का एक महत्वपूर्ण भाग आवंटित करने का आह्वान** करती है तथा निम्नलिखित तीन उद्देश्य निर्धारित करती है: ○ आर्थिक सुधार; ○ निर्धनता उन्मूलन; तथा ○ कार्बन उत्सर्जन और पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नीकरण में कमी करना।
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट	• वर्ष 2019 में, भारत में 49 बिलियन डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का अंतर्प्रवाह हुआ तथा यह FDI अंतर्प्रवाह के मामले में शीर्ष 10 प्राप्तकर्ता देशों की श्रेणी में शामिल रहा है, जो विगत वर्ष की तुलना में 16% अधिक है। • अधिकांश निवेश सेवा उद्योग विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रहा है। • संयुक्त राज्य अमेरिका FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है, इसके पश्चात चीन तथा सिंगापुर का स्थान है।
विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट- 2020 (World Economic Situation and Prospects Report: WESP)- 2020	• WESP, सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के क्रम में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख वार्षिक प्रकाशन है। • यह संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन (UNCTAD) तथा संयुक्त राष्ट्र के पांच क्षेत्रीय आयोगों का एक संयुक्त प्रकाशन है। **भारत के संदर्भ में प्रमुख निष्कर्ष** • इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP वृद्धि चालू वित्त वर्ष में घटकर 5.7% (WESP- 2019 रिपोर्ट में यह पूर्वानुमान 7.6% था) रहने का अनुमान है तथा अगले वित्त वर्ष के लिए इस पूर्वानुमान को 6.6% (पहले के 7.4% से) कर दिया गया है। • भारत ऐसे कुछ देशो में शामिल है जहाँ वर्ष 2020 में प्रति व्यक्ति GDP वृद्धि दर 4% के स्तर से अधिक हो सकती है। **अन्य निष्कर्ष** • वर्ष 2019 में 2.3% के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक दशक में सबसे कम वृद्धि दर का सामना करना पड़ा। • वर्ष 2020 में वैश्विक संवृद्धि दर के 2.5% पर बने रहने की संभावना है, लेकिन व्यापार तनाव, वित्तीय उथल-पुथल या भू-राजनीतिक तनावों के बढ़ने के कारण रिकवरी बाधित हो सकती है। **पूर्वी-एशिया विश्व का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला क्षेत्र बना हुआ है तथा वैश्विक वृद्धि में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।**
विश्व निवेश रिपोर्ट- 2019 (World Investment Report- 2019)	• FDI के लिए स्रोत देश के रुप में भारत की रैंकिंग **10वीं** रही। • दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आने वाली कुल FDI का 77% से अधिक भाग भारत को प्राप्त हुआ। • बांग्लादेश इस क्षेत्र में आने वाली कुल FDI का द्वितीय प्राप्तकर्ता देश रहा।

VISION IAS

एशिया-पैसिफिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट	• इस रिपोर्ट को एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र सामाजिक एवं आर्थिक आयोग (UNESCAP) तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी किया जाता है।

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum: WEF)

- विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडों को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और समाज के अन्य नेतृवकर्ताओं को शामिल करता है।
- इसे वर्ष 1971 में एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में स्थापित किया गया था।
- इसका मुख्यालय **जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में** स्थित है।
- इसकी वार्षिक बैठक **21-24 जनवरी के मध्य दावोस (स्विट्जरलैंड)** में आयोजित हुई।
- वर्ष 2020 की बैठक की थीम थी: **'स्टेकहोल्डर फॉर ए कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड'**।

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum: WEF) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स

यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट (Travel and Tourism Competitive Report)	• हाल ही में, **WEF** ने **"ट्रेवल एंड टूरिज्म एट ए टिपिंग पॉइंट"** नामक शीर्षक से अपनी द्विवार्षिक **यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट** जारी की। **इस अध्ययन के बारे में** • इसमें 140 देशों को निम्नलिखित **चार संकेतकों** के आधार पर स्कोर प्रदान किए गए: ○ सक्षमकारी परिवेश; ○ यात्रा और पर्यटन नीति तथा सक्षमकारी परिस्थितियां; ○ अवसंरचना; तथा ○ प्राकृतिक और सांस्कृतिक रैंकिंग। • इन चार व्यापक संकेतकों का 14 चरों के आधार पर मापन किया गया। इन्हें आगे 90 संकेतकों में उप-विभाजित किया गया, जैसे- संपत्ति अधिकार, विधिक ढांचे की दक्षता, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, महिला श्रमबल भागीदारी, वीजा अनिवार्यताएं और विश्व विरासत सांस्कृतिक स्थलों की संख्या आदि।
वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट- 2019 (Global Competitiveness Report: GCI)- 2019	• वर्ष 2018 से, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट द्वारा **GCI 4.0 कार्य-प्रणाली** का उपयोग किया जा रहा है। • यह **"दीर्घकालिक संवृद्धि"** के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। • GCI 4.0 फ्रेमवर्क को उत्पादकता के 12 मुख्य प्रेरक या स्तंभों के आधार पर निर्मित किया गया है, जिन्हें आगे निम्नलिखित 4 वृहत श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: ○ **सक्षमकारी परिवेश**: संस्थाएं, अवसंरचना, ICT अंगीकरण, मैक्रो-इकोनोमिक स्टेबिलिटी; ○ **बाजार:** उत्पाद बाजार, श्रम बाजार, वित्तीय प्रणाली, बाजार का आकार; ○ **मानव पूँजी:** स्वास्थ्य एवं कौशल; तथा ○ **नवाचार पारितंत्र:** व्यापार की लोचशीलता तथा नवाचार क्षमता। • **वर्ष 2019 में भारत का 68वां स्थान रहा है।**

VISION IAS

वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट- 2020 (Global Gender Gap Report- 2020)	• यह **चार आयामों** (आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता तथा राजनीतिक सशक्तीकरण) के आधार पर लैंगिक समानता की दिशा में देशों की प्रगति को आंकलित करता है। • वर्ष 2019 की स्थिति के अनुसार वर्तमान लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में 99.5 वर्ष लगेंगे। वर्ष 2018 की स्थिति के अनुसार यह अवधि 108 वर्षों की थी। • सर्वाधिक लैंगिक असमानता राजनीतिक सशक्तीकरण के क्षेत्र में है। विश्व स्तर पर संसदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 25% है तथा केवल 21% महिलाएं मंत्री हैं। • भारत 4 स्थान की गिरावट के साथ 153 देशों में 112वें स्थान पर पहुंच गया है जो अपने पड़ोसी देशों चीन, श्रीलंका, नेपाल तथा बांग्लादेश से पीछे है। भारत 153 देशों में एकमात्र ऐसा देश है जहां राजनीतिक भेदभाव की तुलना में आर्थिक लैंगिक भेदभाव (अंतराल) अधिक रहा है। • **आइसलैंड** - विश्व का सबसे अधिक लैंगिक-समानता वाला देश है जबकि **यमन** - 153 देशों में सबसे निचले स्थान पर है।
ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 (Global Risk Report 2020)	• यह **ग्लोबल रिस्क इनिसिएटिव** का एक भाग है, जो विश्व के सर्वाधिक जोखिमपूर्ण चुनौतियों के लिए संधारणीय व एकीकृत समाधान विकसित करने हेतु हितधारकों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। • **"वैश्विक जोखिम"** को एक ऐसी अनिश्चित घटना या परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो यदि घटित होती है, तो अगले 10 वर्षों के भीतर कई देशों या उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। • संभाव्यता की दृष्टि से **शीर्ष पांच वैश्विक जोखिम** विशेषकर पर्यावरणीय क्षेत्रों से संबद्ध हैं और इसमें सम्मिलित हैं: ○ चरम मौसमी घटनाएं। ○ जलवायु-परिवर्तन शमन एवं अनुकूलन संबंधी विफलता; ○ मानव जनित पर्यावरणीय क्षति और आपदाएँ; ○ प्रमुख जैव-विविधता हानि और पारिस्थितिकी तंत्र (स्थलीय या समुद्री) का ह्रास; ○ प्रमुख प्राकृतिक आपदाएँ, जैसे- भूकंप, सुनामी आदि।
नेचर रिस्क राइजिंग रिपोर्ट, 2020	• यह स्पष्ट करती है कि प्रकृति-संबंधी जोखिम व्यवसाय के लिए कैसे हानिकारक है तथा क्यों उन्हें जोखिम प्रबंधन रणनीतियों में तत्काल शामिल किए जाने की आवश्यकता है। • यह इसकी भी व्याख्या करती है कि व्यापक वैश्विक आर्थिक विकास एजेंडा के अंतर्गत प्राकृतिक परिसंपत्तियों तथा सेवाओं के संरक्षण को प्राथमिकता देना क्यों महत्वपूर्ण है। • **महत्वपूर्ण निष्कर्ष** ○ पृथ्वी के पादप और जंतुओं की लगभग 25% प्रजातियों को मानव क्रियाकलापों से खतरा है तथा लाखों प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं। ○ विश्व की कुल GDP का आधे से अधिक हिस्सा आंशिक या पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है।

VISION IAS

	○ प्रकृति पर निर्भर उद्योगों के मामले में चीन, यूरोपीय संघ तथा अमेरिका का सबसे अधिक निरपेक्ष आर्थिक मूल्य (absolute economic value) है। • निर्माण, कृषि तथा खाद्य एवं पेय पदार्थ 3 ऐसे बड़े उद्योग हैं जो प्रकृति पर सबसे अधिक निर्भर हैं।
वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक (Global Social Mobility Index)	• इन्हें नीति-निर्माताओं को सामजिक गतिशीलता में सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने तथा उनकी अर्थव्यवस्था में समान रूप से साझा अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है। ○ **सामाजिक गतिशीलता** वस्तुतः किसी समाज में व्यक्तियों, परिवारों या समूहों को सामजिक क्रम में मध्यम से उच्च या निम्न स्तर की ओर जाना है, जैसे निम्न आय स्तर से मध्यम वर्ग में जाना। ○ निरपेक्ष रूप से, यह किसी बच्चे के लिए अपने माता-पिता की ओर से बेहतर जीवन जीने का अनुभव प्राप्त करने की क्षमता है। • यह देशों को **पांच प्रमुख आयामों** तथा उनके अंतर्गत **10 स्तंभों** - स्वास्थ्य; शिक्षा (पहुँच, गुणवत्ता व समानता); प्रौद्योगिकी; कार्य (अवसर, मजदूरी, शर्तें); तथा संरक्षण और संस्थाएं (सामजिक संरक्षण और समावेशी संस्थान) के आधार पर मापन करती है। • **डेनमार्क** प्रथम स्थान पर है जबकि भारत 82 देशों में से **72वें** स्थान पर है। सामाजिक गतिशीलता में सबसे अधिक सुधार पांच अर्थव्यवस्थाओं चीन, अमेरिका, भारत, जापान तथा जर्मनी में हुआ है। • सामजिक गतिशीलता के लिए **नया वित्तपोषण मॉडल:** व्यक्तिगत आय पर प्रगतिशील कराधान में सुधार करना, धन के संचयन को संबोधित करना तथा कराधान के स्रोतों को संतुलित करना।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी रिपोर्ट	
मानव विकास रिपोर्ट, 2019 (Human Development Report 2019)	• **शीर्षक** - "बियोंड इनकम, बियोंड एवरेज, बियोंड टुडे: इक्वालिटी इन ह्यूमन डेवलपेन्ट इन द 21st सेंचुरी" • मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष पांच मिश्रित सूचकांक जारी करता है: मानव विकास सूचकांक (HDI), असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक (IHDI), लैंगिक विकास सूचकांक (GDI), लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) तथा बहु-आयामी गरीबी सूचकांक (MPI)। • मानव विकास रिपोर्ट (HDR) 2019 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विकास संबंधी असमानताओं पर केन्द्रित है। यह समाज में मौजूद आय से इतर असमानताओं को दर्शाती है। यह असमानता के कारण मानव विकास की प्रगति में होने वाली क्षति को भी गणना करती है। • भारत विगत वर्ष के 130वें स्थान की तुलना में वर्ष 2019 के HDI में 189 देशों में **129वें** स्थान पर रहा है। **नोर्वे** प्रथम स्थान पर है जबकि **बरुंडी** इस सूची में अंतिम स्थान पर है। • **लैंगिक असमानता सूचकांक (GII)** में भारत 162 देशों में **122वें** स्थान पर रहा है। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक (IHDI) में **130वें** स्थान पर रहा है।

VISION IAS

विश्व बैंक (World Bank) द्वारा जारी रिपोर्ट	
विश्व विकास रिपोर्ट (World Development Report)	• **शीर्षक -** "वैश्विक मूल्य शृंखला के दौर में विकास के लिए व्यापार" (Trading for Development in the Age of Global Value Chains) **वैश्विक मूल्य शृंखला (Global value Chain: GVC) क्या है?** • मूल्य शृंखला (value chain) गतिविधियों की एक समग्र शृंखला होती है जो किसी फर्म या श्रमिकों के लिए किसी उत्पाद की उत्पत्ति से उसके अंतिम प्रयोग तथा उसके आगे के चरणों का निर्धारण करती है। • इसकी गतिविधियों में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन और उनकी आपूर्ति, वितरण तथा बिक्री के पश्चात् वाली गतिविधियाँ शामिल होती हैं। • जब मूल्य शृंखला को विभिन्न देशों की विभिन्न फर्मों में वितरित किया जाता है तो इसका अर्थ है कि इसकी गतिविधियों को विभिन्न देशों में विभाजित किया गया है। ऐसी परिघटना जिसमें मूल्य शृंखला वैश्विक स्तर पर विस्तारित होती है उसे GVC कहते हैं। • उदाहरणस्वरुप-, किसी बाइक को फ़िनलैंड में असेंबल्ड किया गया जिसके पार्ट्स इटली, जापान तथा मलेशिया से आयातित थे उसके पश्चात उसे अरब गणराज्य में निर्यात कर दिया गया। • वैश्विक मूल्य शृंखला वर्तमान में विश्व भर में लगभग 50% व्यापार से जुड़ी हुई है।
अर्द्ध-वार्षिक वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट (Semi-Annual Global Economic Prospects Report)	• **शीर्षक: "हाईटेन्ड टेंशन, सबड्यूड इन्वेस्टमेंट"** • इस वर्ष वैश्विक वृद्धि दर 2.5% (वर्ष 2019 में 2.4%) रहने की सम्भावना है। व्यापार व निवेश में सुधार होने के कारण इसमें वृद्धि अपेक्षित है। • उभरते बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विगत वर्ष 3.5% - 4.1% की वृद्धि दर रही। ये अर्थवयवस्थाएं निम्नलिखित चुनौतियों का सामना कर रही हैं: ○ **ऋण में वृद्धि:** यह वर्ष 2018 में GDP के 170% के स्तर पर पहुँच गयी है, जबकि यह वर्ष 2010 में GDP के 115% के स्तर पर थी। ○ **उत्पादकता में कमी:** उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्था में प्रति श्रमिक औसत उत्पादन किसी उन्नत अर्थव्यवस्था के श्रमिक की तुलना में पांच गुना कम है। **भारत से संबंधित निष्कर्ष** • इसने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के 5% पर रहने की संभावना व्यक्त की है, लेकिन आगामी वर्ष में इसके 5.8% तक जाने की संभावना व्यक्त की गई है। • विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में गैर-बैंकिंग क्षेत्र (NBFCs) में कठोर ऋण की स्थिति घरेलू मांग को अत्यधिक कमजोर कर रही है।

VISION IAS

अन्य रिपोर्ट (Other Reports)	
विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक (World Employment and Social Outlook)	• यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा जारी की जाती है। ILO संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने तथा समुचित कार्य (decent work) को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करती है। • यह प्रमुख श्रम बाजार से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण करता है, जिसमें बेरोजगारी, श्रम की कमी, निर्धनता, आय की असमानता, लेबर इनकम शेयर तथा ऐसे कारक शामिल होते हैं जो लोगों को समुचित कार्य से वंचित करते हैं। **अन्य संबंधित तथ्य** • वर्ष 2020 में वैश्विक बेरोजगारी में लगभग 2.5 मिलियन तक वृद्धि होने की संभावना है। • विकासशील देशों में मध्यम या अत्यधिक कार्यशील निर्धनता (Working poverty) में वर्ष 2020-21 में वृद्धि की संभावना है तथा यह वर्ष 2030 तक प्रत्येक देश से निर्धनता उन्मूलन पर SDG-1 को प्राप्त करने के लिए दबाव बढ़ाएगा। ○ **कार्यशील निर्धनता** को क्रय शक्ति समता के संदर्भ में प्रतिदिन 3.20 डॉलर की आय के रूप में परिभाषित किया गया है। • आय असमानता पहले की तुलना में अधिक है, विशेष रूप से विकासशील देशों में। **चिंताएं** • व्यापार प्रतिबन्ध और संरक्षणवाद से रोजगार सृजन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। • उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में राष्ट्रीय आय में श्रम की हिस्सेदारी में गिरावट हो सकती है।
वर्ल्ड इकॉनमिक आउटलुक (World Economic Outlook)	• इसे **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** के द्वारा जारी किया जाता है। • अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस वर्ष जुलाई में भारत की वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित कर इसे 7% से घटाकर 6.1% कर दिया तथा देश में मौद्रिक नीति का उपयोग करने एवं चक्रीय दुर्बलता को दूर करने के लिए व्यापक संरचनात्मक सुधारों का उपयोग करने तथा आत्मविश्वास को सुदृढ़ करने पर बल दिया था। • वर्ष 2019 के लिए वैश्विक वृद्धि दर के **3.0%** पर रहने का अनुमान है, जो 2008-09 के पश्चात् सबसे कम है।
ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट, 2019	• हाल ही में, स्विट्जरलैंड स्थित बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक, **क्रेडिट सुइस ग्रुप** ने अपनी वार्षिक **ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट** के 10वें संस्करण को जारी किया। • यह रिपोर्ट विशिष्ट रूप से **संपत्ति में वृद्धि तथा वितरण, दोनों को निम्नलिखित के आधार पर रेखांकित करती है:** ○ **करोड़पतियों तथा अरबपतियों की संख्या के संदर्भ में;** ○ **उनके पास विद्यमान संपत्ति का अनुपात;** तथा ○ संपूर्ण विश्व में **असमानता की स्थिति।** • इस रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि **वैश्विक संपत्ति वितरण के शीर्ष**

VISION IAS

	10 प्रतिशत में अधिकांश लोगों के साथ चीन इस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकल गया है।
OECD इकॉनमिक आउटलुक- 2019	• इकॉनमिक आउटलुक, **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)** द्वारा वर्ष में दो बार प्रकाशित किया जाने वाला आर्थिक विश्लेषण है, जिसमें OECD देशों एवं अन्य चयनित गैर-सदस्य देशों का आर्थिक विश्लेषण तथा भविष्य में उनके आर्थिक प्रदर्शन के संदर्भ में पूर्वानुमान किए जाते हैं। **इकॉनमिक आउटलुक- 2019 के प्रमुख निष्कर्ष** • इसके द्वारा इस वर्ष के लिए वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 2.9 प्रतिशत वृद्धि होने और वर्ष 2020-21 के लिए वृद्धि दर 3 प्रतिशत रहने का अनुमान किया गया है। वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के पश्चात् से यह सबसे कम अनुमानित दर है। • **भारत के संदर्भ में:** इसने वर्ष 2019 के लिए भारत के आर्थिक संवृद्धि के अनुमान में आंशिक रूप से कटौती कर 5.8 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि, यह भी कहा गया है कि वर्ष 2020 में यह बढ़कर 6.2 प्रतिशत और वर्ष 2021 में 6.4 प्रतिशत हो जाएगी।
वर्ल्ड रिसोर्सेज रिपोर्ट	• शीर्षक- **"क्रिएटिंग ए सस्टेनेबल फूड फ्युचर"** • इसे विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। • यह रिपोर्ट यह सुनिश्चित करने के लिए समाधान प्रदान करती है कि हम उत्सर्जन में वृद्धि किए बिना, वनोन्मूलन की समस्या को अधिक गम्भीर किए बिना अथवा निर्धनता की समस्या को बढ़ाए बिना वर्ष 2050 तक 10 बिलियन लोगों के लिए पर्याप्त भोजन की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं।
भारत 2020 रिपोर्ट - भारत की ऊर्जा नीतियों की प्रथम गहन समीक्षा (India 2020 Report - First in Depth Review of India's Energy Policies)	• इसे **नीति आयोग** के सहयोग से **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)** द्वारा जारी किया गया है। • यह भारत की ऊर्जा नीतियों की उपलब्धियों को चिन्हित करती है तथा ऊर्जा बाजारों का समर्थन करने और नवीनीकरण विकास को प्रोत्साहित करने संबंधी सिफ़ारिशें करती है। **निष्कर्ष** • भारत विश्व का **तीसरा** सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता, **चौथा** सबसे बड़ा तेल शोधनकर्ता और परिष्कृत उत्पादों का निर्यातक देश है। वर्ष 2020 के मध्य तक भारत में तेल की खपत चीन से अधिक होने की सम्भावना है। • वर्ष 2040 तक भारत की ऊर्जा मांग दोगुनी तथा विद्युत की मांग तीन गुना तक होने की संभावना है। • हालांकि, कुल क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी केवल 23% ही है। • भारत ने ऊर्जा पहुँच के माध्यम से SDG-7 की दिशा में प्रगति की है। विगत दशक में ऊर्जा और उत्सर्जन गहनता दोनों में 20% से अधिक की कमी हुई है।

VISION IAS

	अनुशंसाएँ • सतत और वहनीय ऊर्जा प्रणाली के लिए एक **राष्ट्रीय ऊर्जा नीति** तैयार करना। • निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए **ऊर्जा परिवहन नेटवर्क** में भेदभाव रहित पहुँच सुनिश्चित करना। • परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा के सहज एकीकरण तथा ऊर्जा प्रणाली की लोचशीलता के लिए राज्यों के साथ मिलकर कार्य करना। • बाजार मूल्य निर्धारण द्वारा ऊर्जा आपूर्ति के सरकारी आवंटन को समाप्त करना। • वृहत समर्पित **आपातकालीन भंडार (रणनीतिक तेल भंडार)** के साथ **तेल आपातकालीन प्रतिक्रिया** को पुन: लागू करना।
ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फाइनेंसियल इन्क्लूजन	• इसे **द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (2019)** द्वारा जारी किया गया है। • यह भारत में डिजिटल वित्तीय सेवाओं के सुधार को इंगित करती है।



Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.